लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....63.....
Dated....4.Feb.2008.

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : आठ रुपये

सम्पादक मण्डल

डी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरबंस दास ठक्कर
निदेशक

[illegible]
संयुक्त निदेशक–I

[illegible]
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूपेन्द्र कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 21, सोमवार, 30 अप्रैल, 2007/10 वैशाख, 1929 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 381, 382, 392, 394 और 398 3-52

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 383 से 391, 393, 395 से 397, 399 और 400 52-90

अतारांकित प्रश्न संख्या 3743 से 3901 90-350

सभा पटल पर रखे गए पत्र 351-355

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 356-357

(एक) 23 अप्रैल, 2007 को पोलर सेटेलाइट लॉंच व्हिकल (पी सी एल वी – सी 8) का सफल प्रक्षेपण

श्री पृथ्वीराज चव्हाण 356

(दो) सरिस्का रिजर्व से गांवों को दूसरे स्थान पर बसाए जाने के बारे में दिनांक 19 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

श्री नमोनारायण मीना 357

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना 357-359

सदस्यों द्वारा निवेदन 375-381

(एक) बिहार के मुख्यमंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में 359-375

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विभिन्न पदाधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता के बारे में 375-377

(तीन) केन्द्र–राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आयोग के कथित गठन के बारे में 377-381

नियम 377 के अधीन मामले 387-398

(एक) झारखंड के गुमला जिले में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव 387

(दो) कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को आंध्र प्रदेश में बरास्ता न्यू गुंटूर स्टेशन होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 387-388

(तीन) अलीगढ़–पलवल–अलवर मार्ग पर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भड़ाना 388-389

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) गुजरात के अमरेली में अमरेली–लाठी रोड के समीप उद्योग नगर रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. के. तुम्मर 389

(पांच) विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में केन्द्रीय कोटा सीट के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 389-390

(छह) इरोड–पलानी बरास्ता धारापुरम न्यू रेलवे स्कीम पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 390

(सात) महाराष्ट्र के भंडारा और गोंडिया जिलों के बीड़ी कामगारों को समुचित मजदूरी तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले 390-391

(आठ) उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूमिहीन कृषि कामगारों द्वारा काम की तलाश में पलायन किया जाना रोकने के लिए विशेष सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी 391

(नौ) राजस्थान में शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर–शिक्षण कार्यों से अलग रखे जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री धनसिंह रावत 391-392

(दस) अरुणाचल प्रदेश में सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री किरेन रिजीजू 392

(ग्यारह) अर्द्ध–सैनिक बलों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री कृष्णा मुरारी मोघे 392-393

(बारह) केरल में रेल ऊपरि पुलों का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 393

(तेरह) मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल के लाल कोठी और रानीगंज में धारित भूमि को राज्य सरकार को अंतरित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी 393-394

(चौदह) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 394-395

(पन्द्रह) बिहार के समस्तीपुर में अग्नि–दुर्घटनाओं के पीड़ितों को विशेष केन्द्रीय राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 395

(सोलह) पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के थाना दंतन मोगुलामारी में बौद्ध मठों की खुदाई तथा परिरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 395-396

(सत्रह) पुदुचेरी के कराईकल जिले को पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 396

(अठारह) पश्चिम बंगाल में सोनारपुर–केनिंग रेल लाइन को दोहरा करने तथा बेटबेरिया धोला रेलवे स्टेशन को उन्नत बनाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 396-397

(उन्नीस) संसद में महिलाओं के लिए अन्य बातों के साथ–साथ 33 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 397-398

वित्त विधेयक, 2007 398-483

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 398

श्री हरिन पाठक 398-407

श्री सन्दीप दीक्षित 407-414

श्री रूपचंद पाल 414-423

श्री रामजीलाल सुमन 423-426

श्री विजय कृष्ण 426-430

श्री भर्तृहरि महताब 430-435

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 435-439

श्री मधु गौड यास्खी 439-447

डा. सत्यनारायण जटिया 448-455

श्री एन. एस. वी. चित्तन 455-460

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 460-466

श्री पी. एस. गढ़वी 466-468

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 468-473

श्रीमती सुमित्रा महाजन 473-475

श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली 475-478

श्री खगेन दास 478-481

श्री विक्रम केशरी देव 481-483

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 487
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 488-490

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 491-492

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 491-492

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 30 अप्रैल, 2007/10 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने क्वश्चन–ऑवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मध्याह्न 12 बजे इसकी अनुमति दूंगा। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं केवल इतना ही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

सस्पेंशन का नोटिस क्यों दिया है वह तो आप सुन लीजिए। नंदीग्राम फिर से सुलग रहा है ...*(व्यवधान)* नंदी ग्राम में 24 आदमी मारे जा चुके हैं। कल भी वहां पर तीन आदमी मार दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : गुजरात में क्या हो रहा है . ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको अनुमति दूंगा। पहले प्रश्नकाल तो पूरा कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : गुजरात में आप क्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम सुन रहे हैं लेकिन आप लोग क्यों खड़े हो गये हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : **... वहां सिविल वार जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। प्रश्न संख्या 381.

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। मल्होत्रा जी, आप 12 बजे बोलियेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार प्रश्न संख्या 381 पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के तुरन्त बाद आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रश्नकाल को पूरा करने का अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, नंदीग्राम का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री चौधरी मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि हर कोई बोलेगा तो मैं सभा की कार्यवाही कैसे चलाऊंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, प्रश्न संख्या 381

सिंहों का संरक्षण

381. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के सिंह अभयारण्यों से कुछ सिंहों/एशियाई सिंहों/सिंह शावकों के शव बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में सिंहों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 2007 के माह के दौरान गिर अभयारण्य क्षेत्र में 9 सिंहों के शव पाए गए। तीन सिंहों की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी जबकि 6 सिंहों को शिकारियों द्वारा अवैध रुप से मारा गया था।

(ग) देश में सिंहों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:

(i) गिर क्षेत्र में शेरों के अवैध शिकार की घटनाओं की हाल की रिपोर्टों के परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने 3.4.2007 को क्षेत्रीय उप निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), क्षेत्रीय उप निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) और मंत्रालय में संयुक्त निदेशक, वन्य जीव को शामिल करके एक समिति संरक्षण रणनीतियों, बाधाओं और भविष्य में ऐसी घटनाओं के मामलों की रोकथाम में सुधार करने के लिए गठित की थी। समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

(ii) राज्य सरकार से गिर सुरक्षित क्षेत्र में और उसके आस-पास गहन रूप से गश्त लगाने और फील्ड फारमेशन सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालयों को सिंह के किसी भी अंग की तस्करी के लिए सतर्क किया गया है।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत सिंहों सहित वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के प्रति वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों, सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना के अधिकारियों के लिए सुग्राही पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(vi) राज्य सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामशः राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास के अंतर्गत सिंहों सहित वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vii) सिंह को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनिमय, 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके इस प्रजाति को अधिकतम सुरक्षा प्रदान की गई है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपस्कर, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(viii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

श्री निखिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रश्न सूची में मेरा प्रश्न पहले स्थान पर है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कि केवल एक महीने के दौरान गिर वन्यजीव अभयारण्य में आठ शेरों का शिकार किया गया है। पूरे विश्व में दो प्रकार के शेर पाए जाते हैं। पहला अफ्रीकन शेर और एशियाई शेर। यह हमारा सौभाग्य है कि केवल हमारे यहां एशियाई शेर पाए जाते हैं और वो भी गिर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इन शेरों को बचाने के लिए हर संभव उपाए किए जाने चाहिए। इन शेरों को दो प्रकार के शिकारियों से खतरा है। पहला ऐसे अपराधियों से जो इनके दातों, नाखूनों और खोपड़ी का उपयोग करते हैं दूसरे ऐसे शिकारियों से जो इस अभयारण्य के पास के क्षेत्रों में रहते हैं और वे इन शेरों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये शेर इन ग्रामीणों के पालतू पशुओं का शिकार करते हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें इन शेरों को दोनों प्रकार के शिकारियों से बचाना चाहिए क्योंकि शेरों जैसे प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरणीय स्रोत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह सच्चाई बयान करने का अनुरोध करता हूं कि क्या एक महीने के अंदर आठ शेरों के शिकार की घटना के बाद 3 अथवा 4 अप्रैल को इस संबंध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? यदि समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है तो मैं सरकार से यह बताने का अनुरोध करता हूं कि ग्रामीणों द्वारा शेरों के शिकार को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। क्या वहां पर किसी प्रकार की बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न की महत्ता को कम मत करिए।

श्री निखिल कुमार : मैं पूरे अभयारण्य के चारों और बाड़ लगवाना नहीं चाहता क्योंकि यह संभव नहीं है। लेकिन उक्त क्षेत्र के संवेदनशील गांवों और अभयारण्य के बीच तो बाड़ लगाई जा सकती है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव क्यों नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार; आप एक पुलिसमैन हैं और इस सभा के बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं।

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, मार्च के महीनों में गिर क्षेत्र में शिकार की तीन घटनाएं हुई थीं। पहली घटना 3 मार्च, दूसरी घटना 30 मार्च, और तीसरी घटना 14 अप्रैल को घटी थी। वर्ष 2007 से कुल 17 शेर मृत पाए गए थे। इन 17 मामलों में से 8 शेरों का शिकार किया गया था इन आठ शेरों में से तीन शेरों का शिकार इस राष्ट्रीय पार्क में और दो का शिकार राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य के बाहर किया गया था; पांच शेर प्राकृतिक मौत मरे थे और चार शेरों की मौतें कुओं में डूबने से हुई थी। कुछ लोगों के विरूद्ध तीन प्रकरण दर्ज किए गए थे और इन प्रकरणों की जांच गुजरात सी बी सी आई डी कर रही है। इस संबंध में गुजरात सरकार ने इस प्रकरण में तीन कर्मचारियों नामतः एक रेंजर और दो गार्डों को निलम्बित कर दिया है।

जहां तक एशियाई शेरों का संबंध है तो ये शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य तथा उसके समीप के क्षेत्रों के एक छोटे से संरक्षित क्षेत्र में रहते हैं। वहां इस बात की आशंका है कि किसी प्रतिकूल कार्रवाई, प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी के कारण सारे के सारे शेरों का सफाया हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है या नहीं।

श्री नमोनारायन मीना : यह केन्द्र सरकार तथा संरक्षणवादियों की चिंता का विषय है क्योंकि शेरों के लिए किसी दूसरी जगह की जरूरत है। अतः देहरादून के वन्य जीव संस्थान से इस संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि मध्य प्रदेश का कुनू–पालपुर अभयारण्य इन शेरों के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयुक्त जगह है।

अध्यक्ष महोदय : ये 3 अप्रैल को नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, मैं इस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। जहां तक मानव–जानवर के बीच के विवाद का संबंध है तो इस संरक्षित क्षेत्र में 59 बस्तियां और 14 वन पुनर्वास गांव हैं। यहां पर लगभग 9,000 लोग रहते हैं और ये सभी एक साथ रह रहे हैं। जहां तक इनकी संलिप्तता का संबंध है तो स्थानीय लोग तो कभी कभार ही पकड़े जाते हैं। वहां पर कुछ बाहरी और आपराधिक गैंग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तथापि सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में और इसके इर्द–गिर्द रहने वाले लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसीलिए, पारिस्थितकी विकास, बफ़र–क्षेत्र प्रबंधन जैसे विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जीविका सुरक्षित कर सकें।

सदस्यों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर, भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो स्थानिक स्थिति का आकलन करने के लिए गिर वन जाएगी। तीन व्यक्तियों को नामित किया गया। उन्हें एक महीने के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। प्रारम्भिक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि जनशक्ति की कमी

है। फील्ड स्टाफ की श्रेणी में, 59 रिक्तियां मौजूद हैं। उन्होंने यह सिफारिश की है कि राज्य सरकार की ओर से कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आपको किसी और अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। यह इस विषय पर बहुत ही विस्तृत जवाब है।

श्री निखिल कुमार : लेकिन यह विस्तृत जवाब एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करने में विफल रहा है। क्या गिर में रहने वाले शेरों के लिए यह देखने हेतु एक वैकल्पिक संरक्षण वन की आवश्यकता है या नहीं कि वे किसी प्रकार की महामारी से पीड़ित न हों। यदि कोई महामारी फैलती है तो शेरों की पूरी की पूरी आबादी मिट जाएगी। ऐसा करना हम नहीं सह सकते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वैकल्पिक स्थल का जिक्र किया है।

श्री निखिल कुमार : एक अन्य संरक्षण कैंप की आवश्यकता है। क्या सरकार इनमें से कुछेक शेरों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के बारे में सोच रही है अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही बता चुके हैं।

श्री निखिल कुमार : उन्होंने स्थल के बारे में उल्लेख किया है। क्या शेरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शेरों को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने जा रहे हैं?

श्री नम्बोनारायन मीना : जी महोदय। भारतीय वन्यजीव बोर्ड में एक निर्णय लिया गया है कि माननीय मंत्री महोदय को गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्रियों को लिखना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उन्हें पत्र दिया है। हम उन्हें राजी करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कोई प्रश्न?

श्री अधीर चौधरी : भारत हमारे देश में वन्यजीवों की सुरक्षा के संबंध में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का हस्ताक्षरकर्ता है लेकिन यह जानकर दुख होता है कि उपाय किए जाने के बावजूद वन्यजीवों का अवैध शिकार बेतहाशा जारी है। कभीकभार मुझे ऐसा लगता है कि घटना होने के बाद हमारी समझ में आता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही 13 मिनट ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : कुछ दिन पहले राजस्थान में सरिस्का फॉरेस्ट में शेर की जो तस्करी हुई थी, इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप किया था और एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। टास्क फोर्स ने काफी रिकमेंडेशन्स की हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर से गुजरात के गिर जंगल में तस्करी की खबर सूत्रों के अनुसार मिल रही हैं। हमारे पास सूत्रों से यह जानकारी भी आ रही है कि जिन लोगों ने सरिस्का जंगल में तस्करी की थी, वही गैंग ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दायरे से बहुत बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : वही गैंग गिर जंगल में तस्करी कर रहा है। क्या यह राज्य सरकार की फेल्योर है क्योंकि राजस्थान और गुजरात में यह सिंड्रोम चलता आ रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी : काफी स्ट्रिंजेंट मीजर्स के बाद कहा गया कि 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में काफी मीजर्स लगाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन स्ट्रिंजेंट मीजर्स के जरिए आज तक कितने तस्करों को दंड मिला है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उत्सुक है, हालांकि इसे राज्य सूची में रखा गया है। जैसा कि मेरे सहकर्मी ने कहा है, चाहे वह बाघ हो या शेर हो या फिर कोई अन्य जंगली जानवर हो। अवैध शिकार अक्सर विभिन्न कारणों से हो रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में जानते हुए, सभा के सदस्य इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि पहली बार हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है जिसके अन्तर्गत हमने एक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का सृजन किया है, जिसमें पुलिस, सीमाशुल्क और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। वे केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जो कुछ

भी निदेश हों, राज्य सरकारें उनके अनुपालन के लिए बाध्य हैं। व्यापक उपाय किए गए हैं, जिन्हें अतिशीघ्र कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

नदियों को परस्पर जोड़ना

382. श्री हितेन बर्मन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विशेषज्ञ समिति ने इस मुद्दे पर पूर्व कृतिक बल की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व कृतिक बल की प्रत्येक सिफारिश पर विशेषज्ञ समिति की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर समिति तथा सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) के संबंध में श्री सुरेश पी. प्रभु, तत्कालीन संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2002 के दौरान एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल की सिफारिशें संलग्न अनुबंध–I में दी गई हैं। इस कार्यबल ने अपना कार्य पूरा कर लिया और व्यवहार्यता रिपोर्टें, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की समय–सीमा, इस परियोजना की अनुमानित लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, वास्तविक लाभ की रूपरेखा देते हुए अप्रैल, 2003 के दौरान कार्रवाई योजना–I प्रस्तुत की। इन परियोजनाओं के वित्तपोषण और निष्पादन के लिए विकल्प देते हुए और लागत वसूली के लिए विधियां सुझाते हुए कार्यवाही योजना–II भी अप्रैल, 2004 के दौरान प्रस्तुत की गई। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफ–आरईएलआर) को इसका अधिदेशित कार्य पूरा होने पर 31.12.2004 से समाप्त कर दिया गया। टीएफ–आईएलआर के बचे हुए नेमी कार्य को देखने के लिए और नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

आईएलआर संबंधी कार्यवाहियों की प्रक्रिया को परामर्शी बनाने के दृष्टिकोण से जल संसाधन मंत्रालय ने 28.12.2004 को पर्यावरणविदों, सामाजिक वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति की भूमिका सलाहकार स्वरूप की है और इसके द्वारा अपने विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर समय–समय पर सरकार को सलाह देना अपेक्षित है। इस समिति के विचारार्थ विषय संलग्न अनुबंध–II में दिए गए हैं। इस समिति की तीन बैठकें 18.01.2005, 28.10.2005 और 04.09.2006 को आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान विशेषज्ञों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने और केन–बेतवा संपर्क की डीपीआर को तैयार करने के लिए तौर–तरीकों संबंधी विचारार्थ विषयों और इसके व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के लिए विचारार्थ विषयों पर विभिन्न सुझाव दिए। विशेषज्ञों की समिति के विचारों को शामिल करते हुए सरकार द्वारा केन–बेतवा संपर्क की डीपीआर तैयार करने के लिए विचारार्थ विषयों को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 10 अप्रैल, 2007 को इस संपर्क के ईआईए अध्ययनों के लिए विचारार्थ विषयों के संबंध में अपने अनुमोदन की सूचना दी है।

अनुबंध-I

(i) अलग परियोजनाओं के मूल्यांकन के मानकों पर दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के वास्ते मेसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ईआईएल) के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्य बल ने विचारार्थ विषय (टीओआर) तैयार कराए।

(ii) राज्यों के बीच शीघ्र सर्वसम्मति बनाने हेतु उपयुक्त प्रक्रिया/तंत्र के मुद्दे पर कार्यबल ने, इस बात पर जोर देते हुए कि बकाया मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि उन पर डीपीआर अवस्था में ध्यान दिया जा सके, तकनीकी स्तर विचार विमर्शों पर सहमति के पश्चात उच्चतम स्तर पर बैठक का सुझाव दिया है।

(iii) टीएफ–आईएलआर ने बताया है कि प्रायद्वीपीय संपर्कों की शुरूआत के लिए यह उपयुक्त घटक है। टीएफ–आईएलआर द्वारा पहचाने गए प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त संपर्क हैं:–

(क) केन–बेतवा संपर्क उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश

(ख) पार्बती–कालीसिंध–चम्बल संपर्क मध्य प्रदेश एवं राजस्थान

(iv) आईआईएम, अहमदाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक द्विस्तरीय संस्थागत/संगठनात्मक ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जिसके साथ "राष्ट्रीय नदी जल

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विकास परिषद (एनआरडब्ल्यूडीसी)" नामक परिषद प्रस्तावित ढांचे के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तावित (एनएआईएलआर) दो चरणों वाली संगठनात्मक संरचना के प्रथम चरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है और क्षेत्रीय अथवा शाखा कार्यालय या उप शाखाएं संपर्क साधन के रूप में कार्य करेंगे तथा इन्हें संगठनात्मक ढांचे के द्वितीय चरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

(v) वित्तपोषक विकल्पों के लिए टीएफ–आईएलआर ने आईसीआईसीआई से परामर्श किया है। आईसीआईसीआई ने प्रस्ताव किया है वित्तपोषक आंशिक रूप से सार्वजनिक, सार्वजनिक–निजी और निजी निवेशों के द्वारा किया जाना चाहिए। सभी संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के बाद ही वास्तविक आधार पर सही आवश्यकता का पता चलेगा।

एनडब्ल्यूडीए के अध्ययनों के आधार पर अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान पर राष्ट्रीय परिषद (एनसीएईआर) ने आकलन किया है कि आईएलआर परियोजना की लागत 4,44,331.20 करोड़ रुपये होगी जो कि वर्तमान मोटे अनुमान से 21–22% कम है। एनसीएआईआर का यह मानना है कि इस कार्यक्रम में लगभग 35–40 वर्ष लगेंगे। तथापि, नवीन निर्माण तथा दूरस्थ संवेदन तकनीकों का प्रयोग करके यह कार्यक्रम कम से कम 25 वर्षों में पूरा किया जा सकेगा।

(vi) आईएलआर पर कार्य बल द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय उपायों संबंधी एक कार्य समूह ने यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान स्थिति में नेपाल सरकार के साथ उच्च राजनीतिक स्तरों पर मामले पर आगे कार्यवाही करना जल्दबाजी होगी। बंग्लादेश के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि ढाका आईएलआर मुद्दे को संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) तथा संभवतः अन्य द्विपक्षीय मंचों पर उठाता रहेगा। जेआरसी में उठाई गई बात अर्थात् आईएलआर एक अवधारणा है, न कि एकल परियोजना, को पुनः दोहराकर भारत को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

अनुबंध-II

विचारार्थ विषय :

यह समिति प्रस्तावित परियोजना के निम्नलिखित पहलुओं पर सरकार को सलाह देगी।

- कार्यबल द्वारा अंतिम रूप दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआरएस) को तैयार करने के लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) में शामिल पर्यावरणीय और सामाजिक–आर्थिक मुद्दे।
- राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए अभिकरण की संरचना को ध्यान में रखते हुए आईएलआर कार्यक्रम द्वारा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) पैकेज।
- आईएलआर कार्यक्रम में चिंता के किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने के लिए किए जाने के वास्ते आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन।
- डीपीआर तैयार करते समय जल सम्पर्कों के प्रस्तावित अंतर बेसिन अंतरण का आवासों, व्यवसायों और अन्य सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों पर प्रभाव।
- विभिन्न डीपीआरएस तैयार करते समय विशेष रूप से जल की कमी वाले बेसिनों में अंतरित जल के अधिकतम उपयोग के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना।
- डीपीआरएस तैयार करते समय उपरोक्त मुद्दे/पहलुओं पर विचार करना ताकि अंतःराज्य नदी सम्पर्क प्रस्तावों के प्रभाव अध्ययनों को शामिल किया जा सके।

श्री हितेन बर्मन : नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की संकल्पना हिमालय क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जोड़ना है – अर्थात् उत्तरी नदियों से एक श्रृंखला आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से दक्षिणी नदियों को जल आपूर्ति मुहैया कराना। उत्तरी नदी बेसिन में ब्रह्मपुत्र, गंगा और अन्य नदियां हैं, जिनका स्वरूप प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में भिन्न है। उन नदियों का मार्ग प्रत्येक एक अथवा दो किलोमीटर के पश्चात् प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है और ये काफी मात्रा में रेत और गाद भी बह जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री हितेन बर्मन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

उत्तरी बेसिन की नदियां अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी हैं; यह परियोजना कृषि, वन और चाय बागान भूक्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। यह परियोजना व्यवहार्य नहीं हैं, आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं है और अव्यावहारिक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की क्या योजना है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। माननीय सदस्य ने कुछ बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है, जो कि मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : पहले तो एक कृतिक बल की सिफारिश की गई थी; तत्पश्चात् विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की एक समिति गठित की गई। मुख्य प्रश्न उस समिति के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के हिमालयी घटक के रूप में, यह प्राथमिकता में शामिल नहीं है। मंत्रालय ने प्रायद्वीपीय स्थलों पर ध्यान केन्द्रित किया है, जहां काफी आशा है। केन–बेतवा भाग को पूरा कर लिया गया है; डी पी आर तैयार की जा रही है। जल्दी ही, राष्ट्र सुनेगा कि केन–बेतवा में प्रगति हो रही है; और इसकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अन्य स्थल भी हैं। जहां तक हिमालयी घटक का संबंध है, कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां थीं। लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि अब यह संभव है और उत्तर में हमारे पड़ोसी देशों के साथ समझौता करने में हमें सुविधा होगी और निश्चित तौर पर इस घटक पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

श्री हितेन बर्मन : हमारे देश में वर्ष 1951 से, 1300 सिंचाई परियोजनाओं में से 400 परियोजनाएं पैसे के अभाव में लंबित हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं, जिन पर 4,44,331, 20 करोड़ रु. खर्च आने की संभावना है, के बजाय लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा है?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : यह प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से नहीं जुड़ा है। माननीय सदस्य ने नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। मुख्य प्रश्न विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की समिति से जुड़ा है; क्या समिति ने कृतिक बल द्वारा पहले तैयार किए गए विचारार्थ विषय आदि पर चर्चा की है। माननीय सदस्य ने सिंचाई के बारे में पूछा, जो कि एक जुदा प्रश्न है। आज कार्यसूची में ए.आई. बी.पी. के संबंध में एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब यहां दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश की नदियों का केवल एक परसैन्ट पानी राजस्थान को प्राप्त होता है और पानी के मामले में राजस्थान की हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका कौन–कौन सी नदियां राजस्थान से जोड़ने का विचार है और यह कब तक हो पायेगा। क्योंकि राजस्थान में पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के संबंध में है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : माननीय सदस्य का प्रश्न विशिष्ट रूप से राजस्थान के संदर्भ में है। जैसा कि सभा को जानकारी दी गई है, मंत्रालय वर्ष 2004 में कृतिक बल द्वारा निर्धारित प्राथमिकता पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसलिए केन–बेतवा को जोड़ने की प्राथमिकता शीर्ष पर है। इसकी डी.पी.आर. का कार्य शुरू किया गया है। हम पार्बती–कालीसिंध–चंबल नदियों के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बहती है। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि केन्द्रीय जल आयोग के अलावा सचिव स्तर पर दस्तावेजों आदि का आदान–प्रदान हुआ है। मैंने मुख्यमंत्रियों को निजी रूप से लिखा है और मैंने उनसे कहा है कि उन्हें इस क्षेत्र में कुछ आशा उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। समझौता ज्ञापन के मसौदे का पहले ही आदान–प्रदान किया जा चुका है; यह दोनों सरकारों के पास उपलब्ध है और वे इस पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक के संबंध में कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने मेरे मंत्रालय से तकनीकी सलाह ली है। यह देश के लिए आशा की दूसरी स्थिति होगी। हां, राजस्थान बेहतर सुविधा का हकदार है और यह स्थिति राजस्थान के लिए बहुत ही आशाप्रद होगी। पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक की प्राथमिकता पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जानना चाहूंगा कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है:

[अनुवाद]

"प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने प्राक्कलन किया है कि वन्यजीव परियोजना 4,44,331.2 करोड़ की होगी जो वर्तमान प्राक्कलन से 20–21 प्रतिशत कम है।"

[हिन्दी]

मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि ये रिकमेंडेशंस टॉस्क फोर्स से नदी

लिंक करने की कोशिश की गई है। मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि महाराष्ट्र में इससे क्या कुछ लाभ होगा? दूसरी बात यह थी कि रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि जहां पानी नहीं होता है, वहां पानी देना होता है, इसलिए नीचे से पानी जाता है तो ऊपर के राज्य को कोई पानी देने की सुविधा है या नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि जहां से नदी बहती है, वहां शुरू में ही पानी की जरूरत होती है, वहां डैफिसिट होता है। इसके लिए कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। नेशनल वॉटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए क्या कुछ आदेश दिए हैं या देने वाले हैं? भारत सरकार की नीति सन् 2002 में बनायी गई थी कि दो साल के अंदर सभी राज्यों में इंटर स्टेट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, कितने राज्यों में रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसके बारे में भी हम सूचना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वाद–विवाद नहीं है। सुस्पष्ट प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही कठिन है। कहना आसान है और करना मुश्किल है लेकिन हम कोशिश में हैं और पेनिनसुला सिचुएशन में साउथ में 14 लिंकों की फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है और जो टॉस्क फोर्स थी, उसने केन–बेतवा लिंक, पार्बती–कालीसिंध–चंबल लिंक को प्राथमिकता देने को कहा था लेकिन हमने तीन प्रोजेक्ट और जोड़ दिये हैं और पेनिनसुला पर पूरा ध्यान है। उसमें महाराष्ट्र भी है। नर्मदा–पारतापी लिंक गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो है,

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़: جناب عارضی لنکنگ پروجیکٹ اپنی جگہ بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے۔ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے لیکن ہم کوشش میں ہے اور پینن سلا پوزیشن میں ساؤتھ میں 14 لنکوں کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہے اور جو ٹاسک فورس تھی اس نے کین بیتوا لنک، پاربتی۔ کالی سندھ۔ چمبل لنک کو کہا تھا، لیکن ہم نے تین پروجیکٹ اور جوڑ دیے ہیں اور پینن سلا پر پورا دھیان دیا ہے۔ اس میں مہاراشٹر بھی ہے نرمدا۔ پارتاپی لنک گجرات اور مہاراشٹر کے بیچ میں جو ہے

[अनुवाद]

अब समझौता ज्ञापन दोनों सरकारों को भेज दिया गया है। यह उन पांच लिंक में से एक है जिसे पर्याप्त ध्यान देने हेतु चुना गया है।

श्री अबु अशीश मंडल : मैं माननीय मंत्री जी से हिमालयन कंपोनेंट में मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : यदि माननीय सदस्य इसे मेरे सामने रखते हैं तो मैं उन्हें यह सूचना उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, सभा इस बात से भली–भांति अवगत है कि तमिलनाडु देश में जल की कमी वाला एक राज्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में उठाया है। उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि सभी प्रायद्वीपीय नदियों के साथ कंपोनेंट शुरू किया जाएगा। इन्होंने दो नदियों अर्थात् यूपी–एमपी और एमपी–राजस्थान की पहचान भी की है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दक्षिण राज्यों की प्रायद्वीपीय नदियों की पहचान क्यों नहीं की गई है। इनकी कब पहचान की जाएगी और इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, कृतक बल के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2004 में बैठक की और अन्य निर्णयों के साथ नदियों को जोड़ने संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया को परामर्शदात्री बनाने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। बाद में मंत्रालय ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, समिति से परामर्श भी किया अब हमारे पास पांच प्राथमिक लिंक हैं। ये उ.प्र. और म.प्र. में केन–बेतवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक, गुजरात और महाराष्ट्र में पर–तापी–नर्मदा लिंक, गुजरात और महाराष्ट्र में दमनगंगा–पिंजल लिंक और गोदावरी (पोलवरम)–कृष्णा (विजयनगर) हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तो मैं कहूंगा कि राज्य को भी पालन करना होगा क्योंकि आखिरकार यह राज्य का विषय है। मंत्रालय इस पर विचार करने और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, पंबा अचनकोविल–वाइपर लिंक परियोजना से तमिलनाडु और केरल जुड़े हैं। अब तमिलनाडु कहता है कि इसे आप पहले कीजिए परंतु केरल को इस पर कड़ी आपत्ति है। अतः, हमें राज्यों की आकांक्षाओं, उनकी मांगों और आवश्यकताओं का सम्मान करना होगा। हम केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वे एक दूसरे से सहमत हों।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री प्रश्न से आगे जाने को चिंतित हैं तो और अनुपूरक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक राज्य की कुछ समस्या है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, कृतक बल का गठन दिसंबर 2002 में किया गया था कार्य योजना I और II को क्रमशः अप्रैल 2003 और अप्रैल 2004 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था। कृतक

बल पहले ही दो लिंकों की पहचान कर चुका है। भारत सरकार के पास पहले से कार्य योजनाएं हैं। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश के आधार पर क्या भारत सरकार ने किसी सहमति पर पहुंचने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है या नहीं? अन्यथा, राज्य के मुख्यमंत्रियों की किसी सहमति के बिना सारी नदियों को जोड़ना कैसे संभव है? यह अच्छी परियोजना है क्योंकि आप नदियों को जोड़ने से बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं और आप सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध करा सकते हैं। नदियों को जोड़कर इन तीन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जल संसाधन से संबंधित कोई मामला इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आ सकता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कोई प्रश्न अपने तरीके से नहीं रख सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं यह जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाई गई है या नहीं? यदि बुलाई गई है तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अनेक माननीय सदस्य कई प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मंत्री जी उत्तर देने के इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दिक्कत यह है कि आप इस विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जल संबंधी अनेक मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री की माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कराने का प्रयास कर रहा हूं। नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना की प्रगति की रिपोर्ट उस समय दी जाएगी। अतः यदि कोई मुख्यमंत्री कोई सुझाव देते हैं तो उनका स्वागत है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, माननीय मंत्री जी पंबा अचनकोविल–वाइपार लिंक परियोजना का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। वास्तव में, केरल सरकार ने इस तथ्य के आधार पर आपत्ति की थी कि लाखों व्यक्ति पंबा–अचनकोविल नदियों के अधोप्रवाह क्षेत्रों में रह रहे हैं। अतः, इससे उनकी जल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं प्रभावित होंगी। केरल सरकार ने इन पंबा और अचनकोविल नदियों से जुड़ी लघु जल परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। इस विशेष इंटर–बेसिन जल स्थानांतरण से लाखों व्यक्ति प्रभावित होंगे और इससे कुट्टनाद की आर्द्र भूमि प्रणाली भी प्रभावित होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इस प्रश्न को गृहीत नहीं करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह बहुत आवश्यक है। परंतु आप इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि हम इस प्रश्न को यहां इस सभा में नहीं उठा सकते हैं तो फिर कहां उठा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ से बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, हमारे किसी विषय को इस सभा में नहीं उठाया जा सकता है। हम इस सभा में अपना मुंह भी नहीं खोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात का क्या अर्थ है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विषय उठा सकते हैं?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यदि हम अपनी जनता और अपने राज्य से संबंधित किसी विषय पर बोलने के लिए खड़े होते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, तो कोई बाधा डालेगा और हमें बिल्कुल भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है। आज मैं किसी और को इस कुर्सी पर बैठने के लिए कहूंगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मुझे खेद है। मैं बैठ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया देखिए कि कार्यवाही वृत्तांत में क्या सम्मिलित किया गया है। आप कृपया स्वयं देखिए कि आपने क्या कहा है। यह मामला एक विशेषज्ञ समिति विशेष के बारे में है। हर कोई वह जानना चाहता है जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ठीक है, माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं यदि यह प्रश्न से जुड़ा हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, वह परियोजना पर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। यह उनका मत है। किंतु हम उस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि दो राज्यों के भिन्न–भिन्न मत हैं। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब दोनों राज्य आपस में सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं यह सब कहता हूं तो अध्यक्षपीठ के विरूद्ध सभी प्रकार के आरोप लगा दिए जाएंगे।

नौ अनुपूरक पहले ही पूछे जा चुके हैं। उनमें से पांच मुख्य प्रश्न की सीमा से परे हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यदि मैंने अध्यक्षपीठ के विरूद्ध कोई आरोप लगाया हो तो मुझे खेद है। मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे के समय में केवल डेढ़ प्रश्न पर चर्चा की गई है। मुझे नहीं पता आप किसकी सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्य में जब केन–बेतवा गठजोड़ समझौते पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए, तो शुरुआती दौर में दोनों प्रदेशों के लोगों में खुशी आई कि इससे दोनों प्रदेशों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन विशेषज्ञों द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा में इस गठजोड़ को लेकर बाढ़ और सूखे के समय भारी तबाही की आशंका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पर उनका क्या रुख होगा? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केन–बेतवा गठजोड़ का कार्य कब शुरू होगा, कब पूर्ण होगा तथा इस पर कितनी लागत आएगी?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं मुअज्ज़िज़ मैम्बर को बताना चाहता हूं कि केन–बेतवा एक कामयाब प्रोजैक्ट है। दोनों प्रांतों की सरकारों में इस पर इत्तेफाक़ हो गया है और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरैन्स बन गई हैं जो बहुत कठिन काम होता है। डीपीआर बनने जा रही है। केन–बेतवा पहला प्रोजैक्ट होगा जहां दो एरिया मिलेंगे और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को उससे राहत होगी। यह पहला प्रोजैक्ट है जिसमें डीपीआर प्रोसैस में है। अभी एक वर्ष और लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी टर्म्स ऑफ रैफरेन्स बन गई हैं। समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी एनवायर्नमेंटल आस्पैक्ट देखा गया है क्योंकि इन प्रोजैक्ट्स में एनवार्यमैंटल सिचुएशन को देखना पड़ता है इस विषय में टर्म्स ऑफ रैफरेन्स पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदित हो कर भी पहुंच गए हैं। अभी 17 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमैंट ने हमें चिट्ठी लिखी है। केन–बेतवा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इर्रीगेशन का मसला हल होगा और राहत मिलेगी।

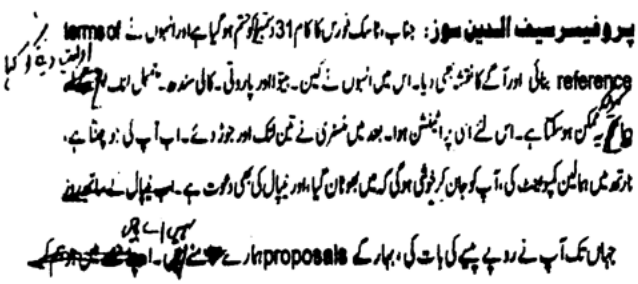
प्रो. सैफुद्दीन सोज़: جناب، میں معزز ممبر کو بتانا چاہتا ہوں کہ کین بیتوا ایک کامیاب پروجیکٹ ہے۔ دونوں پرانتوں کی سرکاروں میں اس پر اتفاق ہو گیا ہے اور اس کی terms of reference بن گئی ہے جو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ڈی۔ پی۔ آر۔ بنے جاری ہے۔ کین بیتوا پہلا پروجیکٹ ہوگا جہاں دو ایریاز ملیں گے اور اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کو اس سے راحت ملے گی۔ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں ڈی۔ پی۔ آر۔ پروسیس میں ہے۔ ابھی ایک سال اور لگے گا کیونکہ ڈی۔ پی۔ آر۔ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی terms of reference بن گئی ہیں۔ کمیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ابھی environmental aspect دیکھا گیا ہے کیونکہ ان پروجیکٹس میں environmental situation کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں جو کمی کی گئی تھی اس کے terms of reference بھی بنائے گئے ہیں۔ ابھی 17 اپریل کو Ministry of environment نے ہمیں خط لکھا ہے۔ کین بیتوا کین۔ بیتوا سے اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں اریگیشن کا مسئلہ حل ہوگا اور راحت ملے گی۔

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नदियों को जोड़ने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। जिस समय एनडीए की सरकार थी, सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उसमें कई तरह के प्रस्ताव आए जो अनुबंध में लगाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कागज़ को पढ़ने से लगता है कि नदियों को जोड़ने का केन्द्र सरकार का उद्देश्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक नेपाल और बंगलादेश से वार्ता सफल नहीं होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि वे अपने स्तर पर कुछ करें। कुछ ऐसे प्रांत हैं जैसे बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश, जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। माननीय मंत्री जी के पत्र के आलोक में बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में नदियों को जोड़ने का एक प्रस्ताव अलग से तैयार किया है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आप क्या केन्द्र से धनराशि देकर सहायता करना चाहते हैं ताकि बिहार की नदियां जुड़ सकें?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, टास्क फोर्स का काम 31 दिसम्बर, 2004 को समाप्त हो गया और उन्होंने टर्म्स ऑफ रैफरेन्स बनाईं और आगे का नक्शा भी दिया। उसमें उन्होंने केन–बेतवा और पार्वती–काली सिंध–चम्बल लिंक को प्राथमिकता देने को कहा क्योंकि यह मुमकिन हो सकता है। इसलिए उसी पर अटैन्शन हुआ। बाद में मिनिस्ट्री ने तीन लिंक और जोड़ दिए। अब आपकी जो चिन्ता है नॉर्थ में हिमालयन कंपोनैंट की, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं भूटान गया और नेपाल की भी दावत है।

जहां तक आपने रुपये पैसे की बात की, बिहार के प्रपोजल्स हमारे सामने नहीं आये हैं। जय प्रकाश जी का ध्यान इस मुद्दे पर है।



[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 383 – श्री विजय कुमार खंडेलवाल – उपस्थित नहीं

श्री कैलाश मेघवाल – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 384 – श्री रायापति सांबासिवा राव – उपस्थित नहीं

श्री गणेश सिंह – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 385 – श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे – उपस्थित नहीं

श्री श्रीचंद कृपलानी – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 386 – श्री काशीराम राणा – उपस्थित नहीं

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 387 – श्री रवि प्रकाश वर्मा – उपस्थित नहीं

श्री सुग्रीव सिंह – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 388 – श्री धर्मेन्द्र प्रधान – उपस्थित नहीं

श्री कीरेन रिजीजू – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 389 – श्री चेंगरा सुरेन्द्रन – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 390 – श्री एल. राजगोपाल – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 391 – श्रीमती पी. सतीदेवी – उपस्थित नहीं

प्र.सं. 392 – डा. सत्यनारायण जटिया

इस प्रश्न पर अनुपूरकों के लिए हमारे पास काफी समय है।

क्या हम भारत की जनता से कुछ कठोर टिप्पणियां आमंत्रित नहीं कर रहे हैं?

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संवितरित की गई वस्तुएं

+

*392. **डा. सत्यनारायण जटिया :**

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली', 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' और 'अंत्योदय अन्न योजना' के अंतर्गत खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं महीनेवार तथा राज्य–वार कितनी–कितनी मात्रा में संवितरित की गईं;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल किया गया है और उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने परिवार वास्तव में इस संवितरण में राज्य–वार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का राज्य–वार 'सेन्ट्रल इश्यू प्राइस' और 'फाइनल सेलिंग प्राइस' कितना था?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनवरी, फरवरी और मार्च, 2007 के महीनों के लिए खाद्यान्नों, चीनी और राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के माहवार और राज्यवार आबंटन की मात्रा के ब्यौरे संलग्न अनुबंध–I, II, III, IV, और V, में दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है।

(ख) योजना आयोग के 1993–94 के गरीबी अनुमानों और महापंजीयक के आबादी अनुमानों (1.3.2000 की स्थिति के अनुसार) परिवारों की कुल संख्या 18.04 करोड़ थी, जिसमें : गरीबी रेखा के ऊपर – 11.52 करोड़; गरीबी रेखा से नीचे – 4.02 करोड़ और अंत्योदय अन्न योजना के 2.50 करोड़ परिवार शामिल हैं, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के उठान की मात्रा

और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाभार्थियों को उचित दर दुकानों के जरिए उनके वितरण की मात्रा पर निर्भर करती है।

(ग) खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य और राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्गम मूल्य के ब्यौरे संलग्न अनुबंध I–VI और VII के रूप में संलग्न हैं।

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन लाभार्थियों को खाद्यान्न अर्थात् 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर जारी किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण लागत वहन करनी होती है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मूल्य पर लाभार्थियों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने होते हैं।

देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 1.3.2002 से 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल पर केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा लगभग 16 रुपए प्रति लीटर की राजसहायता दी जा रही है। तेल कंपनियां भण्डारण डिपु तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के मूल्य तय करती है, जबकि संबंधित राज्य सरकार उपभोक्ता के लिए अंतिम खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित करती हैं। फिलहाल दिल्ली के बाजार के लिए लागू डिपु मूल्य 8356 रुपए प्रति किलोलीटर है और दिल्ली में खुदरा विक्रय मूल्य 9.09 रुपए प्रति लीटर है।

अनुबंध-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना सहित) के अधीन गेहूं के राज्यवार आबंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 2007				फरवरी, 2007				मार्च, 2007			
		अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.000	2.754	2.754	0.000	0.000	2.754	2.754	0.000	0.000	2.754	2.754
2	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.256	0.530	0.786	0.000	0.256	0.530	0.786	0.000	0.256	0.530	0.786
3	असम	0.000	0.000	18.697	18.697	0.000	0.000	18.697	18.697	0.000	0.000	18.697	18.697
4	बिहार	21.004	50.308	1.034	72.346	21.004	50.308	1.034	72.346	33.788	37.524	1.034	72.346
5	छत्तीसगढ़	0.000	2.610	3.104	5.714	0.000	2.610	3.104	5.714	0.000	2.610	3.104	5.714
6	दिल्ली	1.388	8.660	18.346	28.394	1.388	8.660	18.346	28.394	1.388	8.660	18.346	28.394
7	गोवा	0.000	0.000	0.201	0.0201	0.000	0.000	0.201	0.201	0.000	0.000	0.201	0.201
8	गुजरात	15.373	21.377	6.402	43.152	15.373	21.377	6.402	43.152	15.373	21.377	6.402	43.152
9	हरियाणा	10.235	11.591	7.421	29.247	10.235	11.591	7.421	29.247	10.235	11.591	7.421	29.247
10	हिमाचल प्रदेश	2.957	1.153	6.748	10.858	2.957	1.153	6.748	10.858	2.957	1.53	6.748	10.858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	जम्मू और कश्मीर	1.762	4.181	11.193	17.136	1.762	4.181	11.193	17.136	1.762	4.181	11.193	17.136
12	झारखण्ड	9.921	15.289	1.375	26.585	9.921	15.289	1.375	26.585	9.921	15.289	1.375	26.585
13	कर्नाटक	7.282	11.712	7.734	26.728	7.282	11.712	7.734	26.728	7.282	11.712	7.734	26.728
14	केरल	0.000	6.963	11.777	18.740	0.000	6.963	11.777	18.740	0.000	6.963	11.777	18.740
15	मध्य प्रदेश	46.179	61.510	4.740	112.429	46.179	61.510	4.740	112.429	46.179	61.510	4.740	112.429
16	महाराष्ट्र	35.205	82.299	5.154	122.658	35.205	82.299	5.154	122.65	35.205	82.299	5.154	122.658
17	मणिपुर	0.000	0.106	0.500	0.606	0.000	0.106	0.500	0.606	0.000	0.106	0.500	0.606
18	मेघालय	0.000	0.000	0.430	0.430	0.000	0.000	0.430	0.430	0.000	0.000	0.430	0.430
19	मिजोरम	0.000	0.000	0.624	0.624	0.000	0.000	0.624	0.624	0.000	0.000	0.624	0.624
20	नागालैण्ड	0.326	0.517	1.873	2.716	0.326	0.517	1.873	2.716	0.326	0.517	1.873	2.716
21	उड़ीसा	0.000	0.000	7.793	7.793	0.000	0.000	7.793	7.793	0.000	0.000	7.793	7.793
22	पंजाब	3.904	5.912	1.306	11.122	3.904	5.912	1.306	11.122	5.041	4.775	1.306	11.122
23	राजस्थान	31.410	35.735	16.959	84.104	31.410	35.735	16.959	84.104	31.410	35.735	16.959	84.104
24	सिक्किम	0.000	0.000	0.245	0.245	0.000	0.000	0.245	0.245	0.000	0.000	0.245	0.245
25	तमिलनाडु	0.000	0.000	3.783	3.783	0.000	0.000	3.783	3.783	0.000	0.000	3.783	3.783
26	त्रिपुरा	0.000	0.000	1.337	1.337	0.000	0.000	1.337	1.337	0.000	0000	1.337	13371
27	उत्तरांखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.582	4.043	1.566	7.191
28	उत्तर प्रदेश	47.156	75.862	1.451	124.469	47.156	75.862	1.451	124.46	47.156	75.862	1.451	124.469
29	पश्चिम बंगाल	22.716	49.758	49.040	121.514	22.716	49.758	49.040	121.51	22.716	49.758	49.040	121,514
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.021	0.061	0.247	0.329	0.021	0.061	0.247	0.329	0.021	0.061	0.247	0.329
31	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	दादरा और नगर हवेली	0.013	0.016	0.015	0.044	0.013	0.016	0.015	0.044	0.013	0.016	0.015	0.044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	दमन और दीव	0.005	0.007	0.000	0.012	0.005	0.007	0.000	0.012	0.005	0.007	0.000	0.012
34	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000	0.100	0.100
	जोड़	256.857	445.883	192.913	895.653	256.857	445.883	192.913	895.653	272.360	436.005	194.479	902.844

अनुबंध-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना सहित) के अधीन चावल के राज्यवार आबंटन

(हजार टन में)

		जनवरी, 2007				फरवरी, 2007				मार्च, 2007			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	54.524	87.674	176.089	318.287	54.524	87.674	176.089	318.287	54.524	87.674	176.089	318.287
2	अरुणाचल प्रदेश	1.331	1.871	4.474	7.676	1.331	1.871	4.474	7.676	1.331	1.871	4.474	7.676
3	असम	24.518	39.725	57.467	121.710	24.518	39.725	57.467	121.710	24.518	39.725	57.467	121.710
4	बिहार	31.507	125.497	91.350	248.354	31.507	125.497	91.350	248.354	31.507	125.497	91.350	248.354
5	छत्तीसगढ़	25.162	37.864	61.005	124.031	25.162	37.864	61.005	124.031	25.162	37.864	61.005	124.031
6	दिल्ली	0.555	3.712	24.913	29.180	0.555	3.712	24.913	29.180	0.555	3.712	24.913	29.180
7	गोवा	0.509	0.455	6.664	7.628	0.509	0.455	6.664	7.628	0.509	0.455	6.664	7.628
8	गुजरात	12.967	24.487	88.079	125.533	12.967	24.487	88.079	125.533	12.967	24.487	88.079	125.533
9	हरियाणा	0.000	5.790	24.770	30.560	0.000	5.790	24.770	30.560	0.000	5.790	24.770	30.560
10	हिमाचल प्रदेश	3.942	2.074	16.144	22.160	3.942	2.074	16.144	22.160	3.942	2.074	16.144	22.160
11	जम्मू और कश्मीर	7.187	12.627	26.117	45.931	7.187	12.627	26.117	45.931	7.187	12.627	26.117	45.931
12	झारखण्ड	15.518	43.063	12.618	71.199	15.518	43.063	12.618	71.199	15.518	43.063	12.618	71.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	कर्नाटक	34.709	55.820	119.868	210.397	34.709	55.820	119.868	210.397	34.709	55.820	119.868	210.397
14	केरल	20.855	26.566	113.420	160.841	20.855	26.566	113.420	160.841	20.855	26.566	113.420	160.841
15	मध्य प्रदेश	8.578	28.106	58.570	95.254	8.578	28.106	58.570	95.254	8.578	28.106	58.570	95.254
16	महाराष्ट्र	34.230	76.958	137.488	248.676	34.230	76.958	137.488	248.676	34.230	76.958	137488	248.676
17	मणिपुर	1.765	3.940	2.769	8.474	1.765	3.940	2.769	8.474	1.765	3.940	2.769	8.474
16	मेघालय	1.946	4.459	3.104	9.509	1.946	4.459	3.104	9.509	1.946	4.459	3.104	9.509
19	मिजोरम	0.910	1.470	2.841	5.221	0.910	1.470	2.841	5.221	0.910	1.470	2.841	5.221
20	नागालैण्ड	1.338	2.159	4.369	7.866	1.338	2.159	4.369	7.866	1.338	2.159	4.369	7.866
21	उड़ीसा	44.260	97.131	56.938	198.329	44.260	97.131	56.938	198.329	44.260	97.131	56.938	198.329
22	पंजाब	0.955	5.607	36.831	43.393	1.239	5.323	36.831	43.393	1.239	5.323	36.831	43.393
23	राजस्थान	1.069	16.871	67.578	85.518	1.069	16.871	67.578	85.518	1.069	16.871	67.578	85.518
24	सिक्किम	0.578	0.942	1906	3.426	0.578	0.942	1.906	3.426	0.578	0.942	1.906	3.426
25	तमिलनाडु	65.262	104.936	305.665	475.863	65.262	104.936	305.665	475.863	65.262	104.936	305.665	475.863
26	त्रिपुरा	2.378	7.947	13.599	23.924	2.378	7.947	13.599	23.924	2.378	7.947	13.599	23.924
27	उत्तराखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.711	8.095	17.664	29.470
28	उत्तर प्रदेश	96.134	154.613	270.585	521.332	96.134	154.613	270.585	521.332	96.134	154.613	270.585	521.332
29	पश्चिम बंगाल	29.091	79.707	228.928	337.726	29.091	79.707	228.928	337.726	29.091	79.707	228.928	337.726
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.129	0.359	1.439	1.927	0.129	0.359	1.439	1.927	0.129	0.359	1.439	1.927
31	चंडीगढ़	0.074	0.211	1.887	2.172	0074	0.211	1.887	2.172	0.074	0.211	1.887	2.172
32	दादर और नगर हवेली	0.170	0.361	0.466	0.997	0.170	0.361	0.466	0.997	0.170	0.361	0.466	0.997
33	दमन और दीव	0.048	0.080	0.698	0.826	0.048	0.080	0.698	0.826	0.048	0.080	0.698	0.826
34	लक्षद्वीप	0.013	0.020	0.280	0.313	0.013	0.020	0.280	0313	0.013	0.020	0.280	0313
35	पांडिचेरी	1.129	1.797	4.000	6.926	1.129	1797	4.000	6.926	1.129	1.797	4.000	6.926
	जोड़	523.341	1054.899	2022.919	3601.159	523.625	1084.615	2022.919	3601.159	527.336	1062.710	2040.583	3630.629

अनुबंध-III

जनवरी, 2007 से मार्च, 2007 तक के महीनों के लिए राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के तहत गेहूं का अतिरिक्त आबंटन

(टन में)

क्र.सं	राज्य	जनवरी, 2007	फरवरी, 2007	मार्च, 2007
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4000	4000	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	300	300
3.	असम	3000	3000	3000
4.	बिहार	2000	2000	2000
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	10000	10000	10000
7.	गोवा	500	500	500
8.	गुजरात	5000	5000	5000
9.	हरियाणा	1500	1500	1500
10.	हिमाचल प्रदेश#	3500+ 3000*	3500+ 3000*	3500+ 3000*
11.	जम्मू और कश्मीर	5000	5000	5000
12.	झारखण्ड	2000	2000	2000
13.	कर्नाटक	5000	5000	5000
14.	केरल	8000	8000	8000
15.	मध्य प्रदेश	5000	5000	5000
16.	महाराष्ट्र	10000	10000	10000
17.	मणिपुर	300	300	300
18.	मेघालय	300	300	300
19.	मिजोरम	300	300	300
20.	नागालैण्ड	300	300	300
21.	उड़ीसा	4000	4000	4000
22.	पंजाब	12000	12000	12000
23.	राजस्थान	6000	6000	6000
24.	सिक्किम	300	300	300
25.	तमिलनाडु	6250	6250	6250
26.	त्रिपुरा	800	800	800
27.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	5000
28.	उत्तराखंड	5000+ 5000**	5000+ 5000**	5000+ 5000**
29.	पश्चिम बंगाल	5000	5000	5000
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300	300	300
31.	दादर और नगर हवेली	50	50	50
32.	पांडिचेरी	150	150	150
33.	चंडीगढ़	50	50	50
34.	लक्षद्वीप	50	50	50
35.	दमन और दीव	50	50	50
	कुल	1,19,000	1,19,000	1,19,000

* माह जनवरी, फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान 3000 टन गेहूं का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन

** माह जनवरी, फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान 5000 टन गेहूं का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन

अनुबंध-IV

जनवरी, फरवरी और मार्च 2007 के दौरान लेवी चीनी का माहवार/राज्यवार आबंटन

(आंकड़े टन में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 2007	फरवरी, 2007	मार्च, 2007
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	9727.2	9727.2	9727.2
2	अरुणाचल प्रदेश	842.5	842.5	842.5
3	असम	19162.1	18438.1	18438.1
4	बिहार	7041.7	7041.7	7041.7
5	छत्तीसगढ़	2480	2480	2480

1	2	3	4	5
6	दिल्ली	2826.8	2826.8	2826.8
7	गोवा	120	120	120
8	गुजरात	5876.2	5876.2	5876.2
9	हरियाणा	959.8	959.8	959.8
10	हिमाचल प्रदेश	3803	4303	4703
11	जम्मू और कश्मीर	7167	7601	7167
12	झारखण्ड	13.3	13.3	13.3
13	कर्नाटक	5325	5325	5325
14	केरल	4113.2	4113.2	4113.2
15	मध्य प्रदेश	12509.4	12509.4	12509.4
16	महाराष्ट्र	10000	10000	10000
17	मणिपुर	1807.9	1807.9	1807.9
18	मेघालय	1727.9	1727.9	1727.9
19	मिजोरम	691.6	691.6	691.6
20	नागालैण्ड	1204.4	1204.4	1204
21	उड़ीसा	8732.8	9732.8	8732.8
22	पंजाब	1141	1141	1141
23	राजस्थान	3122.4	3122.4	3122.4
24	सिक्किम	391	391	391
25	तमिलनाडु	10012.3	10012.3	10012.3
26	त्रिपुरा	2718.6	2718.6	2719
27	उत्तर प्रदेश	35574.3	27997.3	27997.3
28	उत्तराखंड	6313.7	5922.7	5922.7
29	पश्चिम बंगाल	14218.8	14218.8	14218.2
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	389	389	389
31	चंडीगढ़	62.3	62.3	62.3
32	दादर और नगर हवेली	48.7	48.7	48.7
33	दमन और दीव	11	11	11
34	लक्षद्वीप	115	115	115
35	पांडिचेरी	178	178	178
	जोड़	180427.9	173669.9	172635.3

अनुबंध-V

2006–07 की चौथी तिमाही के दौरान आबंटित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल की राज्यवार मात्रा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2006–07 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च, 2007)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1454
आन्ध्र प्रदेश	129290
अरुणाचल प्रदेश	2315
असम	64502
बिहार	161858
चंडीगढ़	3267
छत्तीसगढ़	36735
दादर और नगर हवेली	696
दमन और दीव	530
दिल्ली	42121
गोवा	4803
गुजरात	185940
हरियाणा	36405
हिमाचल प्रदेश	12635
जम्मू और कश्मीर	21733
झारखण्ड	52794

1	2	1	2
कर्नाटक	115370	पांडिचेरी	3065
केरल	54077	पंजाब	59298
लक्षद्वीप	000	राजस्थान	99729
मध्य प्रदेश	122153	सिक्किम	1396
महाराष्ट्र	319219	तमिलनाडु	139733
मणिपुर	4977	त्रिपुरा	7708
मेघालय	5101	उत्तर प्रदेश	310443
मिजोरम	1555	उत्तराखण्ड	22463
नागालैण्ड	3328	पश्चिम बंगाल	188026
उड़ीसा	78745	जोड़	2293464

अनुबंध-VI

खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

चावल

अवधि	गरीबी रेखा से ऊपर		गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
	साधारण	ग्रेड–ए	साधारण/ग्रेड–ए	
12.7.2001 से 31.3.2002	795 ($)	830	565	300
1.4.2002 से 30.6.2002	695 ($)	730	565	300
1.7.2002 से आज की तारीख तक	795 ($)	830	565	300

गेहूं

अवधि	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीच	अंत्योदय अन्न योजना
12.7.2001 से 31.3.2002	610	415	200
1.4.2002 से 30.6.2002	510	415	200
1.7.2002 से आज की तारीख तक	610	415	200

$ केवल जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर–पूर्व राज्यों, सिक्किम और उत्तराखण्ड पर लागू।

मोटे अनाज

गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
*70%	*50%	200/– रुपए प्रति क्विंटल

(*) आर्थिक लागत का प्रतिशत जो राज्य–दर–राज्य भिन्न–भिन्न है।

अनुबंध-VII

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य

(प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार)

(रुपए प्रति किलोग्राम)

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे			गरीबी रेखा से ऊपर		
		गेहूं	चावल	गेहूं	साधारण **	चावल ग्रेड ए	निम्न तारीख के पत्र द्वारा सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश*	7.00	5.25	7.00	–	9.00	10.9.2006
2	अरुणाचल प्रदेश	4.65	6.15	6.60	7.45	8.80	4.2.2003
3	असम #	–	6.27–6.67	6.76–7.01	7.69–7.95	9.17–9.43	17.2.2003 और 10.9.06
4	बिहार	4.73	6.29	6.62	8.62	9.22	27.12.2002 और 10.9.06
5	छत्तीसगढ़	4.75	6.25	6.81		9.04	14.9.06
6	दिल्ली	4.65	6.15	6.80	–	9.00	29.9.2006
7	गोवा	–	6.15	6.60	–	8.95	16.10.2002
8	गुजरात *	2.00	3.00	7.00	–	10.00	25.9.2002
9	हरियाणा	4.84	6.40	6.86	–	9.15	30.11.2005
10	हिमाचल प्रदेश	5.25@	7.00	7.28–7.50	9.20–9.55	9.60–9.95	7.10.2002 @31.10.04
11	जम्मू और कश्मीर #	4.75	6.25	6.60	8.60	9.00	24.10.2002
12	झारखण्ड	4.62	6.15	6.10		8.30	3.1.2003
13	कर्नाटक*	3.00@	3.00@	6.70	–	9.00	31.7.2002 @ सितम्बर, 04
14	केरल	3.00	3.00	6.70	–	8.90	10.9.06
15	मध्य प्रदेश #	5.00	6.50	7.00	–	9.20	29.7.2002
16	महाराष्ट्र #	5.00	6.00	7.00	–	9.50	6.10.2004
17	मणिपुर	–	6.21	6.33	–	8.95	16.11.2002

1	2	3	4	5	6	7	8
18	मेघालय #		6.15	6.60–7.00		8.30 –8.80	10.9.06
19	मिजोरम		6.15	7.78	–	9.50	10.9.06
20	नागालैण्ड	4.75	6.15	6.70 (आटा)	–	8.90	4.2.2003
21	उड़ीसा		6.30–4.75	7.00	–	9.30	10.9.06
22	पंजाब	4.54	6.12	6.59	–	8.90	16.9.06
23	राजस्थान	4.70	6.30	6.80	–	9.00	11.8.2005
24	सिक्किम	–	4.00	6.75	–	9.00	10.9.06
25	तमिलनाडु *	7.50	6.00	7.50	–	6.00	12.11.2002
26	त्रिपुरा	8.75	6.15	8.75	8.65	9.50	19.9.2002
	(पुष्प आटा)	(पुष्प आटा)					और 10.9.06
27	उत्तर प्रदेश	4.65	6.15	6.60		8.45	10.9.2006
28	उत्तरांचल	4.65	6.15	6.60@	8.45	8.80	21.12.2002 @10.9.06
29	पश्चिम बंगाल	4.65	6.15	6.75	–	9.00	12.3.2003
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.45	6.05	6.50	–	8.80	8.10.2002
31	चंडीगढ़	4.50	6.02	6.54	–	8.79	1.1.2003
32	दादर और नगर हवेली	4.65	6.00	6.50	–	8.50	9.10.2002
33	दमन और दीव	5.00	6.40	6.70 (दमन)	–	9.00 (दमन)	4.4.2003
				7.20 (दीव)	–	9.55 (दीव)	
34	लक्षद्वीप	–	6.15	6.60	–	8.80	11.11.2002
35	पांडिचेरी	–	4.00(20 कि.ग्रा. तक) 6.00 (20 कि.ग्रा. से ऊपर और 35 कि.ग्रा. तक)	6.80	–	9.00	3.8.2004 और 2.6.06

* अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा वहन की गई।

** केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित उत्तर–पूर्व के पहाड़ी राज्यों और उत्तर प्रदेश के लिए लागू

\# क्षेत्र–दर–क्षेत्र भिन्न–भिन्न

@ तारीखें जब से दरें लागू हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण विधा है जिसके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न देने का काम और लोगों को राहत देने का काम होता है। इसको सुव्यवस्थित करने के लिए जो अपेक्षित कोटा है, उसके न मिलने के कारण उन लोगों तक वह सहायता नहीं पहुंच पाती जिनको उसकी जरूरत होती है। इसलिए जो खाद्य पदार्थ हैं और बाकी वितरण की वस्तुएं हैं, केन्द्र सरकार नियमित रूप से उनको प्रदान करने के

उपाय करे। इस वर्ष भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले जो लक्षित ग्रुप हैं, अंत्योदय अन्न योजना आदि हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और उन उपायों की दर आने वाले समय में क्या होगी जिससे महंगाई न बढ़े?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विस्तार से उत्तर दे दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है, जो सैन्ट्रल इश्यू प्राइस है, खासकर गरीबों के लिए, उसके प्राइस में सन् 2000 से कोई इजाफा नहीं हुआ है। सन् 2000 में जो रेट था, वही आज भी है। यूपीए सरकार के आने के बाद अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों में एक करोड़ लोगों की वृद्धि की गई। आज जहां एपीएल परिवारों की संख्या देश में 11.52 करोड़ है, बीपीएल परिवारों की संख्या 4.02 करोड़ है। अंत्योदय अन्न योजना में जहां पहले 1.5 करोड़ परिवार थे, वहीं यूपीए सरकार आने के बाद उसको 2.5 करोड़ किया गया और कुल 18.04 करोड़ परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के नैट में लाया गया है। अगर एवरेज जोड़ा जाए और एक परिवार में 5.5 हो, तो लगभग 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के नैट में लाया गया है और उनको हम लोग अनाज मुहैया करा रहे हैं।

यह हो सकता है कि पिछली बार गेहूं की कमी के चलते हम लोगों ने चावल से उसकी प्रतिपूर्ति की, लेकिन कहीं कोई वैसी कटौती नहीं की गई है। एपीएल में जरूर हमने 35 किलो की जगह 20 किलो किया है। बाकी बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों में कोई कटौती नहीं की गई, रैशनलाइजेशन जरूर किया गया है

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गेहूं की कमी के कारण पूर्ति का कोटा कम कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां गेहूं खाया जाता है, वहां निश्चित रूप से गेहूं ही खाया जाता है और जहां चावल खाया जाता है, वहां चावल ही खाया जाता है। लोगों के खाने की आदत एकदम बदलती नहीं है। जहां व्हीट खाने वाले लोग हैं, यदि आप वहां चावल देंगे, तो वह सारा चावल उस स्थान पर चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा प्रश्न है कि इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए और इसका रिजर्व बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे? मेरा अगला प्रश्न है कि इस वर्ष जो प्रक्योरमेंट किया जा रहा है, वह हो नहीं रहा है, तो इसकी पूर्ति करने के क्या उपाय करेंगे? खाद्यान्न का ठीक प्रकार से प्रदाय हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए जितनी अपेक्षित मांग है, उसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं, इसका उत्तर मैं निश्चित रूप से चाहता हूं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि जहां राइस की डिमांड है वहां राइस और जहां व्हीट की डिमांड है, वहां व्हीट ही भेजना चाहिए। व्हीट की जगह पर राइस से कंपेन्सेट किया गया है वे ऐसेंश्यल राइस इटिंग स्टेट्स हैं।

महोदय, जहां तक प्रक्योरमेंट का सवाल है, हालांकि वह इस क्वैश्चन के मुताबिक नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि यह बात सच है कि प्रक्योरमेंट की स्थिति गम्भीर है। देश में गेहूं का उत्पादन पिछले तीन–चार सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। लास्ट ईयर के 69 मिलियन टन के मुकाबले इस साल 73.6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है।

[अनुवाद]

गत वर्ष के 69 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में इस साल 73.5 मिलियन टन उत्पादन हुआ है।

[हिन्दी]

इसलिए उत्पादन में कमी नहीं है, क्षेत्र अच्छा है और फसल भी अच्छी हुई है। मगर कुछ ऐसी कैम्पेनिंग की गई कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम और गवर्नमेंट की प्रक्योरिंग एजेंसियों को व्हीट नहीं देना है। उसका थोड़ा–बहुत असर हुआ है। कल तक जो टोटल प्रक्योरमेंट हुआ है वह 71–72 लाख मिलियन टन के आसपास हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 6–7 लाख टन कम है।

महोदय, एक बात साफ है कि यह पहला अवसर है, जब गेहूं का खरीद मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इस साल 850 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल ही बढ़ाए जाते थे। इससे अधिक वृद्धि कभी नहीं हुई है। इस साल कीमत ज्यादा दी है, फिर भी गेहूं मिलने में कठिनाई आ रही है। जो माल मिल रहा है, वह हरियाणा एवं पंजाब से ही मिल रहा है। बाकी राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, जहां गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है, वहां बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। यही स्थिति राजस्थान की है। वहां गेहूं की अच्छी क्रॉप हुई है, लेकिन क्रॉप अच्छी होने के बावजूद वहां प्रक्योरमेंट नहीं हो रही है। इसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश की है। वहां भी क्रॉप अच्छी हुई है, लेकिन प्रक्योरमेंट के लिए अच्छा रेस्पांस नहीं मिल रहा है।

महोदय, यदि यही परिस्थिति कंटीन्यू रही, तो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसे पूरा करने के लिए और जहां फूड सिक्योरिटी का सवाल है, जहां उसे

ठीक प्रकार से संभालने का सवाल है, इसके लिए यदि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम वह भी करेंगे। हमने इम्पोर्ट करने की तैयारी की हुई है, लेकिन हमारी आखिर तक कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा कीमत पर भी यदि हमें अपने देश में गेहूं खरीदना पड़े, तो हम यहीं खरीदने की कोशिश करेंगे। मगर जब तक हमारा प्रोक्योरमेंट का कोटा पूरा नहीं होगा और फूड सिक्योरिटी का सवाल हल नहीं होगा, तब तक हमें दुनिया में कहीं से भी गेहूं इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हम इम्पोर्ट करेंगे और आम जनता को अनाज देने का प्रबन्ध करेंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे समर्थन मूल्य और बढ़ाकर अपने देश में ही गेहूं का प्रक्योरमेंट करने पर विचार करेंगे।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस साल 150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम बढ़ाकर प्राक्योरमेंट कर रहे हैं। इससे पहले कभी इतना पैसा नहीं बढ़ाया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रकांत खैरे – उपस्थित नहीं।

श्री एन. एन. कृष्णदास

श्री एन. एन. कृष्णदास : हाल ही में सरकार ने उन वस्तुओं के कोटे में भारी कटौती करने का निर्णय लिया है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को प्रदान की जानी थी। हर कोई इस बात से अवगत है कि पूरे देश में केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर रूप से कार्य करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने कई वस्तुओं विशेषकर गेहूं, चीनी और चावल के कोटे में भारी कटौती करने का निर्णय लिया है।

कल कुछ टेलीविजन चैनलों ने दिखाया था कि केरल को बहुत घटिया गुणवत्ता का गेहूं वितरित किया गया है। टेलीविजन चैनलों में राजधानी त्रिवेन्द्रम की राशन दुकानों को दिखाया गया था।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु घटे हुए कोटे को बहाल करेंगे? क्या सरकार इस बात की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वितरित वस्तुएं बेहतर गुणवत्ता की हों?

श्री शरद पवार : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों (एपीएल) के कोटे में अवश्य कमी की गई है। हमने अध्ययन किया कि गत तीन वर्षों में कितना राशन उठाया गया और यह पाया कि कोई राशन नहीं उठाया गया। यही कारण है कि हमने गत तीन वर्षों के उठान का औसत लिया और हमनें उतना ही आबंटन किया। ऐसा इसलिए है कि राशन के अन्यत्र उपयोग का गंभीर प्रश्न है। वास्तव में, कई अध्ययन किए गए और उन अध्ययनों से भी यह संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से एपीएल कोटा खुले बाजार में भरपूर रूप से जा रहा है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : केरल में ऐसा नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। मैं केरल के बारे में नहीं कह रहा हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत प्रभावी है। यही कारण है कि मुझे इस राज्य विशेष के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मैं केवल एक सामान्य बात कह रहा हूं। यहां, केरल की स्थिति थोड़ी भिन्न है। केरल सरकार से अन्त्योदय अन्न योजना और बीपीएल के बारे में कोई समस्या नहीं है और कोई शिकायत नहीं है। किन्तु निश्चित तौर पर एपीएल के लिए अतिरिक्त मांग है। हम गेहूं के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तरफ उन्होंने अपने जवाब में यह कहा कि सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का इस वर्ष हुआ है, जो हम सब के लिए खुशी की बात है। दूसरे उन्होंने कहा कि 700 से 850 रुपए प्रति क्विंटल हम लोगों ने समर्थन मूल्य रखा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है, 700 से 850 रुपए हमने कर दिया, जिसकी हम वाहवाही ले रहे हैं कि हमने बहुत अधिक कर दिया, इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ। हम बात करते हैं कि हमारे यहां गेहूं की कमी आ रही है, हम लोग शॉर्टेज़ हो रहे हैं, हम लोग बी.पी.एल., और ए.पी.एल. के गेहूं का जितने हमें कोटा देना था, उससे हमने कोटा कम कर दिया। आप यह भी साथ–साथ कह रहे हैं कि हम विदेश से और गेहूं लाना पड़ा तो लाएंगे, जो पिछली बार इन्होंने किया। हम अभी यहां कि किसान को 850 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहते हैं, विदेशी गेहूं देना चाहते हैं, विदेश से हम जो गेहूं लाएंगे, वह 1100 और 1200 रुपए प्रति क्विंटल हमें पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज बाजार में जो गेहूं मिल रहा है, वह 13 से 14 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह सवाल है कि क्या इस सिस्टम के अन्दर, क्योंकि हम हमारे किसानों को उसके गेहूं की कम कीमत दे रहे

हैं तो क्या हम अपने किसानों के लिए गेहूं की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहां जिस तरीके से किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आप विदेश से गेहूं लाना चाहते हैं, आप आरोप लगाते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कोआपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रिक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं, किसान जो बाजार में गेहूं बेचता है, तो उसे ज्यादा धन मिल रहा है, सरकार कम पैसों में ले रही है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार विदेश से गेहूं लाना चाहती है तो क्यों नहीं हमारे किसानों को ज्यादा पैसा देकर गेहूं खरीदना चाहती, यही मेरा सवाल है?

श्री शरद पवार : मैंने साफ किया है कि इससे पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने दस रुपए पर ईयर राइज़ किया है।

[अनुवाद]

गेंहूं के लिए दस रुपए की वृद्धि के प्रति हमने 150/– रु. दिए हैं। अतः निश्चित तौर पर दृष्टिकोण बदला है और एक कृषि अनुकूल नीति अंगीकार की गई है। किन्तु अन्ततोगत्वा भारतीय खाद्य निगम के पास सीमित तंत्र हैं। जब तक राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग खरीद के समर्थन के लिए आगे नहीं आते, मैं नहीं समझता कि हम खरीद के लिए समर्थ हो पाएंगे। मैंने जिन राज्यों का उल्लेख किया उन सब ने मिलाकर 25,000 टन की भी खरीद नहीं की है। यही स्थिति सर्वत्र विद्यमान है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी, जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र और सबसे ज्यादा फसल होती है, वहां भी कोई खरीद नहीं है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के मामले में यह लगभग 2,000 से 3,000 करोड़ के बीच कहीं है। इन राज्यों से मुझे जो भी आवश्यकता संबंधी अनुमान प्राप्त हुए हैं, वे उसके अनुसार भी खरीद के लिए तैयार नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निबटने का यह तरीका नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि यदा कदा मतभेद हो सकते हैं किन्तु किसी को भी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मतभेद नहीं लाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : जो मैंने पूछा था, मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाने का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : 150 रुपए बढ़ा दिया है।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो पी.डी.एस. सप्लाई है, वह मेनली कोर्स ग्रेन की ही है, जैसे गेहूं और चावल।

दालों के दामों को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है कि दालों को भी पीडीएस में रखा जाए?

श्री शरद पवार : महोदय, जहां तक दाल की बात है, दाल कभी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नहीं होती है। दाल की कुछ कमियां हैं। यह देखकर दाल इंपोर्ट करने के लिए कुछ संगठनों को कहा है। यहां सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, वह खुद जिस संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं, उस संगठन को हमने इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी है और उन्होंने इस पर ध्यान दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्र.स. 393, श्री के. सी. सिंह बाबा – उपस्थित नहीं।

प्र. सं. 394 – श्री रामजी लाल सुमन

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन क्या आप अपने अनुपूरकों के साथ तैयार हैं?

[हिन्दी]

चीनी के निर्यात हेतु राजसहायता

+

394. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी का कितना अतिरिक्त भंडार दर्ज किया गया है;

(ख) इसमें से कितनी चीनी का निर्यात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के निर्यात हेतु राजसहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्तमान चीनी मौसम 2006–07 में अनंतिम रूप से 250 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

पिछले चीनी मौसम 2005–06 से लगभग 44 लाख टन के कैरी–ओवर स्टाक को ध्यान में रखते हुए इस चीनी मौसम में चीनी की कुल उपलब्धता लगभग 294 लाख टन होगी जबकि अनुमानित खपत लगभग 190 लाख टन है। तीन महीनों की बफर आवश्यकता के लिए 48 लाख टन को पूरा करने के बाद इस चीनी मौसम में चीनी का अधिशेष स्टाक 56 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। इस अधिशेष स्टाक में से इस चीनी मौसम के दौरान लगभग 15 लाख टन चीनी के निर्यात किए जाने की संभावना है। तथापि, यह वैश्विक बाजार स्थितियों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) सरकार ने यह निर्णय किया है कि आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों की लागत की अदायगी करने के लिए तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से घरेलू तौर पर उत्पादित चीनी के निर्यात पर 1350 रुपए प्रति टन और तटीय राज्यों से इतर राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से निर्यातित चीनी पर 1450 रुपए प्रति टन की समान दर पर निर्यात सहायता प्रदान की जाए। 19 अप्रैल, 2007 को तथा इसके बाद 18 अप्रैल, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो केवल खुले सामान्य लाइसेंस (और 'अग्रिम लाइसेंसों' के तहत नहीं) के तहत किए गए निर्यात इस सहायता के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग गन्ना किसानों पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए भी किया जाना है। सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को निर्यात सहायता देने का निर्णय किया है क्योंकि चीनी के निर्यात से प्राप्ति लेवी चीनी के फैक्ट्री निकासी मूल्यों से कम थी और निर्यात से प्राप्ति के उस स्तर पर चीनी फैक्ट्रियां केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित चीनी के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थीं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वर्तमान चीनी मौसम वर्ष 2006–07 में अंतिम रूप से 250 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले चीनी मौसम वर्ष 2005–06 से लगभग 40 लाख टन कैरी ओवर स्टॉक को ध्यान में रखते हुए, चीनी मौसम में चीनी की कुल उपलब्धता लगभग 294 लाख टन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 2006 में हमारे देश में लगभग 44 लाख टन कैरी ओवर स्टाक चीनी का था। इस समय अनुमानित उपलब्धता 294 लाख टन है और हमारे देश में 190 लाख टन चीनी खपत का अनुमान है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश में चीनी की जितनी उपलब्धता है, उससे कहीं ज्यादा चीनी का उत्पादन हम करते हैं। चूंकि इस साल चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ और हमारे पास पहले से भी स्टॉक था, इसलिए बाजार में चीनी का निर्यात करने का फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत बहुत कम है, इसलिए सरकार वहां चीनी पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन चीनी पर जो सब्सिडी है, वह हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है, वह सब्सिडी विदेशी उपभोक्ताओं को मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से जानना चाहूंगा कि जब दुनिया के बाजार में चीनी का भाव कम है और आप विदेशी उपभोक्ता को सब्सिडी दे रहे हैं, तो चीनी के बजाय इथेनॉल पैदा करने के लिए क्या हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? जब इथेनॉल पैदा करने के लिए हम किसान को प्रोत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश के उपभोक्ता को लाभ होगा। चीनी के सस्ता होने की वजह से जो उसके विकल्प हो सकते हैं, उसके उत्पादन के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे पता चलता है कि आप कितने अनुभवी संसद सदस्य हैं कि आपने उत्तर जाने बगैर अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, यह सच है कि इस वर्ष अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सही उल्लेख किया है। 190 लाख टन की आवश्यकता की तुलना में उत्पादन 260 लाख टन होने जा रहा है; साथ ही पिछले स्टॉक का 300 लाख टन बचा हुआ है। यही वजह है कि अतिरेक की स्थिति है। अतः हमारे सामने विकल्प क्या हैं? हमारे पास विकल्प है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करें। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मूल्य हमारे अनुकूल नहीं हैं। हमारे उत्पादक उन अनेक अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं जो अपना माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ला रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने समुद्र के निकट वाले कतिपय राज्यों को 1350 रु. प्रति टन परिवहन राजसहायता देने का सुविचारित निर्णय लिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सामुद्रिक पत्तन से दूर है। इसलिए उन्हें हमने 100 रु. अतिरिक्त राशि दी है और इस प्रकार कुल राशि 1450 रु. प्रति टन है। यही हमारी वर्तमान स्थिति है।

अब एक सुझाव है कि हम एथॉनोल के बारे में विचार क्यों नहीं करते। हां, कपितय चीनी मिलों ने एथॉनोल का उत्पादन शुरू किया है। परन्तु यदि साफ तौर पर कहा जाए तो एथॉनोल के मामले में आपको ब्राजील के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तथा, ब्राजील ऐसा देश है जो एथॉनोल के विनिर्माताओं को 40 रु. प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मुहैय्या करा रहा है।

भारत में, हमारे किसानों को 80 रु. से 110 रु. प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य प्राप्त हो रहा है। मूल्य के मामले में भारी अंतर है। यही कारण है कि हमारे विनिर्माता ब्राजील के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। स्थिति यह है।

इसके अलावा, तीन प्रकार का गन्ना–रस होता है। गुणवत्ता के आधार पर दूसरे स्तर के रस से निम्न स्तर की चीनी तैयार होती है। इसलिए एक सोच है कि क्या हमें मिलों को इस प्रकार के दूसरे स्तर के रस का प्रयोग एथॉनोल बनाने के लिए करने हेतु अनुमति देनी चाहिए। परन्तु काफी कम इकाइयों के पास एथॉनोल बनाने वाले संयंत्र हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने मिलों को एथॉनोल बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह मुद्दा एक दिन में नहीं सुलझाया जा सकता है, परन्तु प्रक्रिया शुरू हो गई है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. चिन्ता मोहन – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जहां एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वहां देश में चीनी के भाव बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी में जो कड़वापन आया है, सरकार उसे कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है? चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ाने की जगह देश के लोगों को मीठी चीनी देने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : लगता है कि आप बहुत दिनों से मार्किट नहीं गए हैं, क्योंकि चीनी के दाम इतने नीचे आ गए हैं जितने पिछले कई सालों में कभी नहीं आए थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 395, श्री मोहन रावले – उपस्थित नहीं

प्रश्न सं. 396, श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ – उपस्थित नहीं

श्री साईं प्रताप – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 397, श्री अनंत कुमार हेगड़े – उपस्थित नहीं

प्रश्न सं. 398, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

[हिन्दी]

प्रतिबंध के पश्चात दलहनों का निर्यात

\+

398. श्री राजीव सिंह 'ललन' :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों की कमी के मद्देनजर इसके निर्यात पर 22 जून, 2006 को लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी देश से दलहनों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी से जून, 2006 के बीच तथा आज की तिथि तक महीनेवार दलहनों का कितना निर्यात किया गया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.5 में की गई अनुवर्ती व्यवस्था के अनुसार भूटान और श्रीलंका को दालों के निर्यात के लिए दिए गए प्रावधान के तहत और 22.06.2006 के पूर्व 19.4.2007 तक जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकार पत्र के प्रति काबुली चने के निर्यात के लिए दी गई अनुमति के तहत 9.3.2007 तक कुछ दलहनों का निर्यात किया गया।

(ख) जनवरी, 2006 से अप्रैल, 2007 तक की अवधि के दौरान दालों के माहवार निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं:–

माह	मात्रा (टनों में)
जनवरी, 2006	27693
फरवरी, 2006	24120
मार्च, 2006	45029
अप्रैल, 2006	31358
मई, 2006	44704
जून, 2006	38965
जुलाई, 2006	13765
अगस्त, 2006	21579
सितम्बर, 2006	17906
अक्तूबर, 2006	13091
नवम्बर, 2006	18990
दिसम्बर, 2006	12255
जनवरी, 2007	10819
फरवरी, 2007	9268
मार्च, 2007	11200
अप्रैल, 2007	7148

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यहां दालों का जो अभाव और कमी है, उसे पूरा करने के लिए आयात करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है, उसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि यहां निर्यात पर पूरा जोर डाला गया है। हमारे देश में दालों की कमी है, उसके बावजूद सरकार निर्यात कर रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आकलन किया है कि इस देश में कितनी दाल की आवश्यकता है, उसके अनुपात में हम कितना उत्पादन कर रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए कौन से उपाय कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात साफ करनी है कि जून, 2006 के बाद निर्यात करने की इजाजत नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है। इसलिए, दालों का निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात सरकार की जानकारी में लायी गयी है कि प्रतिबंध के बावजूद कुछेक पार्टियों ने रिकार्ड के साथ छेड़-छाड़ करके दालों का निर्यात किया है। इसलिए इस सम्पूर्ण मामले को जांच हेतु सी.बी.आई. को सौंप दिया गया है। प्राथमिक जांच से यह पता चलता है कि तीन कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो रिकार्ड बंद कर दिए अथवा मुझे पता नहीं वस्तुतः क्या हुआ क्योंकि यह मामला जांच के अधीन है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ निर्यात किया है तथा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, यह तो और गंभीर सवाल है कि किसी ने कानून और प्रावधान को मैनीपुलेट करके दाल का एक्सपोर्ट किया जबकि हमारे देश में दाल की कमी है। उस दिशा में अभी सरकार द्वारा कहा गया कि सीबीआई इन्क्वारी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसे परस्यू करके इस तरह के लोगों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उसकी रोकथाम करने के लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं?

श्री शरद पवार : जो पार्टी सामने आयी है, उसका इन्वेस्टीगेशन पूरा होने के बाद यदि उन्होंने गलत काम किया है और वह साबित हो जाएगा, तो उन पर किसी भी प्रकार के निर्यात व्यवसाय करने पर स्थायी रोक लगा दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ई.एस.आई. पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

***383. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं (ई एस आई एस) पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) की न्यासी बैठक में कोई चर्चा हुई थी और कोई निर्णय लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) चिकित्सा देख–रेख सुविधाओं के प्रावधान पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 1,000/–रुपये की निर्धारित अधिकतम सीमा के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 900/– रुपये चिकित्सा देख–रेख की अधिकतम सीमा को दिनांक 1.4.2007 से बढ़कर प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 1000/– रुपये करने का अनुमोदन कर दिया है। 1,000/– रुपये के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा स्कीम में सुधार के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों को पूरा करने पर राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 50/–रुपये का प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिनांक 23.12.2006 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोई विचार नहीं किया गया था। राज्य सरकारों के लिये अधिकतम सीमा बढ़ाने से संबंधित अनुदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 24.1.2007 को जारी कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

एआईबीपी के अंतर्गत लाभ

***384. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सृजित कुल सिंचाई क्षमता के संदर्भ में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरूआत से लेकर अब तक प्राप्त हुए लाभ तथा अभी तक कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की कुल लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : एआईबीपी से सहायता प्राप्त वृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से मार्च, 2006 तक 37.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से मार्च, 2006 तक सृजित कुल सिंचाई क्षमता 1.52 लाख हेक्टेयर है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। वर्ष 2006–07 के संबंध में एआईबीपी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।

मार्च, 2006 तक इस कार्यक्रम में शामिल की गई वृहद और मध्यम परियोजना के एआईबीपी घटकों की कुल अनुमानित लागत 54097.4 करोड़ है जिसकी तुलना में मार्च, 2006 तक 33610.9 करोड़ रुपये व्यय हुए है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

मार्च, 2006 तक एआईबीपी में शामिल की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 1272.9 करोड़ रुपये है जिसकी तुलना में मार्च, 2006 तक 702.4 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

एआईबीपी के तहत सहायता प्राप्त वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए अनुमानित लागत, किया गया व्यय और सृजित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(लागत करोड़ रुपए में, क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संपूर्ण परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत	एआईबीपी घटकों की नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च, 2006 तक एआईबीपी पर कुल व्यय	मार्च, 2006 तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	14499.092	5834.3700	2152.3220	229.3100
2	असम	879.728	586.3550	310.0333	69.2610
3	बिहार	2238.545	1715.2310	1510.7697	346.4590
4	छत्तीसगढ़	3208.7900	610.6200	512.7171	93.9500
5	गोवा	967.0140	252.1100	214.6372	9.7460
6	गुजरात	48599.0700	13654.0540	8238.4790	426.3250
7	हरियाणा	2164.3600	245.1060	204.7660	109.0860
8	हिमाचल प्रदेश	261.9900	258.3600	128.9530	2.6550

1	2	3	4	5	6
9	जम्मू और कश्मीर	358.3140	200.0680	146.4720	14.4460
10	झारखण्ड	507.3030	279.1530	220.2758	13.0300
11	कर्नाटक	11684.9000	5340.5600	3950.7670	388.9250
12	केरल	1179.0000	360.9650	263.1750	34.2900
13	मध्य प्रदेश	17091.9200	4796.865	3356.7530	105.1460
14	महाराष्ट्र	14678.8070	4447.2960	2284.9981	207.7840
15	मणिपुर	702.3200	489.9600	370.1980	0.0000
16	मेघालय	61.9700	44.4900	5.4280	0.0000
17	उड़ीसा	11583.1600	2642.7270	1570.7149	100.7890
18	पंजाब	8376.5300	1289.2340	933.6270	116.1560
19	राजस्थान	7846.1400	4495.4320	2524.3260	413.5440
20	त्रिपुरा	178.0000	91.7200	71.6245	6.6990
21	तमिलनाडु	1143.3000	0	10.5100	0.0000
22	उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल	12468.6700	5086.8800	4270.1988	980.1580
23	पश्चिम बंगाल	2182.4650	1375.8820	359.1426	74.5400
	कुल योग	162861.3880	54097.4380	33610.8880	3742.2990

विवरण-II

सतही लघु सिंचाई स्कीमों की अनुमानित लागत, किया गया व्यय और सृजित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा (मार्च, 2006 तक)

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर में)	राज्यों द्वारा किया गया व्यय (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4	5
क.	**विशेष श्रेणी राज्य**			
1	अरुणाचल प्रदेश	140.43	28.074	105.9934
2	असम	136.2498*	16.783	64.04
3	मणिपुर	42.94	6.5	18.98

1	2	3	4	5
4	मेघालय	22.08	3.636	16.629
5	मिजोरम	46 68	3.682	41.6533
6	नागालैण्ड	56.1603	22.31	51.7752
7	सिक्किम	14.19	2.433	9.43
8	त्रिपुरा	172.56	31.397	130.554
9	हिमाचल प्रदेश	61.59	5.48	32.8524
10	जम्मू और कश्मीर	59.9901	0.193	38.5949
11	उड़ीसा (केबीके)	82.9206	6.391	60.565
12	उत्तरांचल	437.145	25.636	128.33351
	कुल	1272.9358	152.515	702.40071

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

***385. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :**
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी वित्तपोषण से राज्य–वार कितनी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इन वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार की उक्त परियोजनाओं को पूरा करने तथा उन्हें चालू करने की राज्य–वार क्या कार्य योजना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को सुधारने हेतु की गई कार्यवाही का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) विभिन्न राज्यों की कार्यान्वयनाधीन विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को परस्पर सहमत परियोजना दस्तावेज के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है जिसमें विस्तृत कार्रवाई योजना शामिल होती है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की परिकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, भारत सरकार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2005 में "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की है। भारत सरकार कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंध संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत भी सहायता उपलब्ध कराती है।

विवरण

विदेशी सहायता से कार्यान्वयनाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	राज्य	वित्तपोषण अभिकरण
1	2	3	4
1.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक	विश्व बैंक
2.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	मध्य प्रदेश	विश्व बैंक
3.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	महाराष्ट्र	विश्व बैंक

1	2	3	4
4.	लघु सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	केएफडब्ल्यू, जर्मनी
5.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	विश्व बैंक
6.	राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	राजस्थान	जेबीआईसी, जापान
7.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक
8.	छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास क्षेत्र परियोजना	छत्तीसगढ़	एशियन डेवलपमेंट बैंक
9.	कुरनूल–कुडप्पा नहर (ट्रैंच–II) का आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	जेबीआईसी, जापान
10.	आंध्र प्रदेश सिंचाई और आजीविका सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	जेबीआईसी, जापान
11.	रेंगाली सिंचाई परियोजना (ट्रैंच–II)	उड़ीसा	जेबीआईसी, जापान
12.	ग्रामीण जल आपूर्ति और लघु सिंचाई (तकनीकी सहायता)	हिमाचल प्रदेश	जीटीजेड, जर्मनी
13.	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार तथा प्रबंधन	तमिलनाडु	विश्व बैंक

नई उपभोक्ता नीति

*388. **श्री काशीराम राणा :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई उपभोक्ता नीति बनाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों और संबंधित अन्य स्टेक होल्डरों के साथ विचार–विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) उपभोक्ता मामले विभाग ने पणधारियों, जिनमें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, संघ राज्य क्षेत्र और सरकारें शामिल हैं, के साथ परामर्श और चर्चा के बाद एक प्रारूप राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति दस्तावेज तैयार किया है। इसके अधिकारिक अनुमोदन और अपनाए जाने की प्रक्रिया केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतिम अभिमत प्राप्त करने के लिए 22.11.2006 को उनको दस्तावेज परिचालित करके शुरू की जा चुकी है।

(ग) निर्णय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतिम अभिमत प्राप्त हो जाने के बाद लिया जाएगा।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए समय–सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता

*387. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है जैसा कि दिनांक 26 मार्च, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने 107 व्यवसायों को अनुमोदित किया है जिनमें से ये संस्थान केवल 2 से 38 व्यवसायों में ही प्रशिक्षण देते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) द्वारा शेष अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की गिरती स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओंकार रणजीत सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारें संबंधित राज्यों में स्थापित औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीसी) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित राज्य सरकारों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। राज्य सरकारों के पास मुख्य रूप से पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले तथा उद्योग द्वारा अपेक्षित कौशलों के प्रकार के मध्य असमानता के विषय में अभी हाल ही में विभिन्न वर्गों द्वारा चिंता जताई गई है।

(ग) और (घ) यद्यपि प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 107 अनुमोदित व्यवसाय उपलब्ध हैं, किन्तु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा व्यवसायों का चयन उस क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता पर निर्भर करता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने भी अनुमोदित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु उद्योग की आवश्यकता तथा प्रशिक्षुओं की रोजगारपरकता के कारण राज्य सरकारें आवश्यकताओं तथा चयनित व्यवसायों में प्रशिक्षण आयोजित करने की उनकी क्षमताओं पर अपनी सोच के आधार पर कार्रवाई करती हैं।

(ङ) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- पिछले 10 वर्षों में, 46 व्यवसायों की पाठयक्रम में संशोधन किया गया, उद्योग के परामर्श से 47 नए व्यवसाय आरंभ किए गए तथा जिन 11 व्यवसायों की मांग नहीं रही उन्हें समाप्त कर दिया गया।

- चरणबद्ध रूप में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की एक योजना वर्ष 2005–06 में आरंभ की गई। योजना के तहत् वर्ष 2005–06 और 2006–07 प्रत्येक वर्ष में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन हेतु चुना गया। वर्ष 2006–07 एवं उससे अगले वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु निधिकरण के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है।

- वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2007–08 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसार अगले पांच वर्षों में राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2.5 करोड़ रु. की लागत से निजी–सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थों की स्थापना तथा 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने संबंधी एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रक्रियाधीन है तथा इस योजना के तहत् जम्मू व कश्मीर राज्य में एक नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है तथा 37 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भी उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गंगा को खतरा

***388. श्री धर्मेन्द्र प्रधान :**
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व पर्यावरण संगठन की रिपोर्ट में गंगा नदी को विश्व की उन दस नदियों में शामिल किया गया है जो भारी खतरे का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के मद्देनजर क्या कदम उठाए गए हैं और अभी तक उठाए गए ऐसे कदमों के क्या परिणाम निकले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार को विश्व पर्यावरण संगठन नामक किसी संगठन के होने की जानकारी नहीं है। विश्व की मुख्य दस नदियों को खतरा में गंगा नदी शामिल है के बारे में रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि द्वारा प्रकाशित प्रकाशन की जानकारी है जिसमें विश्व की खतरे में पड़ी दस मुख्य नदियों में गंगा नदी भी एक है। केन्द्र सरकार को उक्त गैर–सरकारी संगठन द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनाए गए डाटा बेस और पद्धति की जानकारी नहीं है। केन्द्र सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रयास को जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है। रिपोर्ट में गंगा की जैव विविधता, और कृषि के लिए अत्यधिक जल निष्कर्षण पर विचार और अत्यधिक जल का दिशापरिवर्तन, जो प्राकृतिक बहाव को प्रभावित करना है, का ब्यौरा दिया गया है जो कि नदी के मुख्य खतरें हैं। रिपोर्ट में अन्य के अलावा जल प्रयोग और फसलों की सिंचाई में दक्षता में सुधार करने, दुरूपयोग हो रही आर्थिक सहायता को समाप्त करना, जल निष्कर्षन स्तरों की कैपिंग, और अधिक सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता और एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं की जानकारी है। रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं से निपटने की कार्य नीति तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न राष्ट्रीय हितों के गुणदोषों के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा।

जहां तक भू–जल निष्कर्षण और सतही जल के अधिकतम

उपयोग की आवश्यकता की समस्या है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग सतही और भू–जल संसाधनों और उनके संयुक्त प्रयोग के एकीकृत और समन्वित विकास के लिए एक दृष्टिकोण की तलाश कर रहा है। केन्द्रीय जल आयोग ने देश में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय भावी योजना तैयार की है जिसमें देश में जल के अधिकतम उपयोग के लिए जिन जल बेसिनों में फालतू जल है उसे कम जल बेसिनों में अंतरित करके नदियों को आपस में जोड़ने के लिए परिकल्पना की है।

जल संसाधन मंत्रालय ने सतही और भू–जल संरक्षण के लिए अभिवर्धक और विनियामक दोनों उपाय किए हैं। अभिवर्धक उपायों में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ ही साथ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, रेजिडेन्ट कल्याण एसोसिएशन आदि जैसी प्राइवेट एजेंसियों को वर्षा कृषि पर तकनीक मार्गदर्शन प्रदान, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों से अपने नियंत्राधीन भवनों में छत पर जलकृषि ढांचे उपलब्ध करवाने का अनुरोध, राज्यों को भू–जल का आर्टिफिशल रीचार्ज को अपनाने, वर्षा जल कृषि को बढ़ावा देने और भवन निर्माण कानून में छत के ऊपर जल कृषि को शामिल करना; राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भू–जल स्तर में कमी की प्रवृत्ति की जांच के लिए क्षेत्र विशिष्ट आर्टीफिशल रीचार्ज स्कीमें तैयार करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए मैनुअल/मार्गनिर्देश प्रचालित करना; आर्सेनिक मिश्रित क्षेत्रों में केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा आर्सेनिक मुक्त जल क्षेत्रों की टेपिंग करके समन्वेषी कुओं का निर्माण करना और प्रयोग के लिए राज्य सरकारों को सौंपना; देश में भू–जल के आर्टिफिशिल रीचार्ज कि; अपेक्षा वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 'मास्टर प्लान फार आर्टिफिशल रीचार्ज टू ग्राउंड वाटर' नामक पहलू रिपोर्ट परिचालित करना और इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय करना शामिल है। विनियामक उपायों में देश में कतिपय अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों के लिए भू–जल विकास और प्रबंधन के विनियनम के लिए केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना और विभिन्न राज्यों के भूजल निष्कर्षण ढांचों, जिनमें भू–जल स्तर में बड़ी तेजी से कमी दिखाई पड़ रही हो, के पंजीकरण के लिए अधिसूचना और विनियमन के लिए अपेक्षित कार्रवाई शामिल है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत गंगा सहित मुख्य नदियों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए मलजल के अवरोधन और दिशा परिवर्तन और सीवेज शोधन संयंत्रों और अल्प लागत शौचालयों के निर्माण के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इस समय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में 20 राज्यों के 160 शहरों में 34 मुख्य नदियां शामिल है। गंगा कार्य योजना चरण–I और II के अंतर्गत अब तक 1743 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत अब तक पूरे हो चुके प्रदूषण निवारण कार्यों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्र संस्थानों द्वारा की गई जल गुणता निगरानी के अनुसार मुख्य स्थानों में गंगा नदी की जल गुणता में गंगा कार्य योजना से पहले की तुलना में सुधार हुआ है। इस समय 158 जलगुणता निगरानी स्थल है जहां प्रसिद्ध स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से नदियों की जल गुणता की मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है। आंकड़ों को सभी संबंधित एजेंसियों को छमाही बुलेटिनों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 321 स्थलों पर भूमिगत जलगुणता निगरानी के साथ–साथ नदियों और जल निकायों पर 698 स्थलों पर जल गुणता निगरानी करता है। वर्ष 1995–97 में हार्वड इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल डैवलपमेंट द्वारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर गंगा कार्य योजना पर किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि गंगा कार्य योजना–I ने भारत को विशेष लाभ प्रदान किए हैं; इससे प्रयोक्ता और गैर–प्रयोक्ता दोनों को ही लाभ पहुंचा है; और गंगा कार्य योजना की लागत और लिया गया समय थेम्स, रीन और डैनयूब जैसी विश्व स्तर की नदियों की तुलना में बेहतर है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत मुख्य झीलों के संरक्षण और पुररूद्धार के कार्य आरंभ किए गए हैं। इस समय इसमें 13 राज्यों की 46 झीलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय नमभूमियों के कैचमेंट क्षेत्र सुधार, जैव विविधता संरक्षण, गाद नियंत्रण आदि के कार्य आरंभ किए गए हैं। इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत 94 नमभूमियों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में भी संबंधित नदी प्राधिकारियों द्वारा नदी बेसिनों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत एपरोच का सुझाव दिया गया है जिससे सभी मौसमों में पर्याप्त बहाव को बनाए रखने और नदी के पूरे जल मार्ग में जल गुणता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

'फैक्ट' का अन्य कंपनियों में विलय

***389. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) का अन्य कंपनियों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संगठन को पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स

ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) का मुनाफा कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उर्वरक उपक्रम के साथ विलय करने या उसकी सहायक कंपनी बनाने के प्रस्ताव की जांच कर रही है। इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) के पुनरूद्धार के लिए दिनांक 30.3.2006 को एक वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी गई थी जिसे दिनांक 31.3.2005 से लागू किया गया। ऐसा होने के कारण कंपनी अपने घाटे को कम कर सकी और यह बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार से बाहर आ सकी। तथापि, कंपनी को अभी भी प्रति माह लगभग 10–12 करोड़ रु. का घाटा हो रहा है। सरकार, कंपनी के प्रचालन को जारी रखने के लिए व्यावहारिक विकल्पों की तलाश कर रही है।

उर्वरकों के आबंटन में वृद्धि

*390. **श्री एल. राजगोपाल :**

श्री अनन्त नायक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–07 के दौरान राज्यों को उर्वरकों के केन्द्रीय आबंटन में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटन में की गई वृद्धि के बावजूद कुछ राज्यों में उर्वरकों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की राज्य–वार मांग, आपूर्ति और खपत कितनी रही;

(ङ) क्या सरकार ने चालू रबी मौसम के दौरान किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने के लिए यूरिया की ढुलाई और संवितरण की लागत स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में 'अलघ' समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी सिफारिशों को मंजूर और क्रियान्वित किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उर्वरक विभाग कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा आकलित आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डाईअमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) तथा म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) की आपूर्ति की निगरानी करता है।

(ख) और (घ) वर्ष 2006–07 और वर्ष 2005–06 में उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) जी नहीं, उर्वरक विभाग द्वारा राज्य स्तर पर 2006–07 में खरीफ और रबी के प्रत्येक माह में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। तथापि, कुछ राज्यों से स्थानीय स्तरों पर कमियों की सूचना मिली थी। यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसका संचलन और वितरण भारत सरकार के आंशिक नियंत्रण में है। भारत सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य में स्थानीय मांग के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ङ) और (च) नई मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार यूरिया की ढुलाई और वितरण लागत की निम्नानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :

(i) प्राथमिक भाड़े की प्रतिपूर्ति रेल संचलन की वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी;

(ii) रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार होगी।

(iii) प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक के लिए सड़क दूरी प्राथमिक गोदाम तक वास्तविक दूरी के अनुसार होगी तथा प्रति टन कि. मी. दरों में मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक (एचएसडी तेल, मोटर टायर, ट्रक चेसीस और सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की भारित औसत) द्वारा वृद्धि की जाएगी;

(iii) सड़क वाहनों पर 9 मी.टन. की अधिकतम ट्रक भार सीमा संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रभाव को दूर करने के लिए प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक पर 33% की एक–बारगी वृद्धि की जाएगी।

(iv) टैरिफ कमीशन से गौण संचलन के मामले में सड़क परिवहन के लिए औसत दूरी तथा सड़क परिवहन के लिए प्रति टन कि.मी. आधार दरों को निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा। इन दरों को डब्ल्यूपीआई (मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक) द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा;

(v) टैरिफ कमीशन द्वारा दूरी और दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक गौण भाड़ा, जिसे एनपीएस के चरण–I और II के दौरान 2002–2003 की दरों पर स्थिर कर दिया गया था, को 2002–2003 से डब्ल्यूपीआई (मिश्रित सूचकांक) में वृद्धि/कमी के अनुसार बढ़ाया जाएगा;

(i) नीति के अनुसार परिकलित और दिया गया भाड़ा इकाइयों द्वारा खर्च किए गए वास्तविक भाड़ा व्यय से अधिक नहीं होगा; और

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर को आपूर्तियां करने के लिए विशेष भाड़ा राजसहायता की मौजूदा योजना जारी रहेगी।

(छ) इस संबंध में अलघ समिति द्वारा की गई सिफारिशें तथा लागू की गई सिफारिशों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 के दौरान यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की उपलब्धता और बिक्री का राज्य-वार ब्यौरा

मात्रा (एल.एम.टी. में)

उत्पाद / राज्य का नाम	यूरिया			डी.ए.पी.			एम.ओ.पी.		
	आवश्यकता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी उपलब्धता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी बिक्री 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	आवश्यकता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी उपलब्धता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी बिक्री 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	आवश्यकता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी उपलब्धता 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07	संचयी बिक्री 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07
आन्ध्र प्रदेश	27.00	24.52	22.13	6.69	6.15	5.97	5.21	3.90	3.72
कर्नाटक	11.20	11.55	10.92	5.00	5.25	4.88	3.90	3.14	2.76
केरल	1.46	1.33	1.27	0.17	0.23	0.23	1.40	1.13	1.12
तमिलनाडु	10.00	9.59	9.18	3.85	3.98	3.84	4.85	3.48	3.48
गुजरात	15.00	15.22	15.03	5.75	5.79	4.56	1.65	1.46	1.42
मध्य प्रदेश	12.10	13.89	13.16	6.20	5.76	4.96	0.50	0.75	0.67
छत्तीसगढ़	4.90	5.93	5.53	1.38	1.59	1.27	0.52	0.67	0.59
महाराष्ट्र	19.00	20.70	19.87	6.25	7.06	6.49	3.00	2.48	2.34
राजस्थान	13.20	12.80	12.26	5.60	4.30	4.05	0.22	0.07	0.07
हरियाणा	17.50	18.04	17.33	5.60	5.04	4.46	0.40	0.32	0.23
पंजाब	25.00	26.16	25.74	7.90	7.60	7.12	0.90	0.52	0.47
जम्मू और कश्मीर	1.42	1 15	1.05	0.71	0.55	0.51	0.21	0.10	0.10
उत्तर प्रदेश	50.00	53.50	51.83	14.50	14.42	12.94	2.30	1.34	1.22
उत्तरांचल	1.65	2.17	2.10	0.32	0.24	0.23	0.12	0.06	0.04
बिहार	17.50	16.32	16.01	4.50	3.29	2.65	2.50	1.04	1.00
झारखण्ड	1.74	1.63	1.60	1.10	0.71	0.68	0.07	0.01	0.01
उड़ीसा	4.70	4.44	4.21	0.98	1.16	1.03	0.92	0.85	0.75
पश्चिम बंगाल	12.00	12.28	11.94	4.10	3.99	3.54	3.58	2.78	2.51
असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	3.08	2.67	2.47	0.51	0.27	0.24	0.82	0.59	0.54
अन्य योग	1.10	0.90	0.90	0.20	0.17	0.12	0.20	0.13	0.13
अखिल भारत	249.55	254.79	244.52	81.31	77.57	69.75	33.27	24.82	23.17

विवरण-II

यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री (लाख मी.टन)

2005-06	यूरिया			डी.ए.पी.			एम.ओ.पी.		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	23.50	23.53	22.18	7.05	6.12	5.96	3.86	4.61	4.13
कर्नाटक	9.55	11.03	10.67	4.60	5.00	4.57	2.85	3.79	3.36
केरल	1.55	1.26	1.18	0.20	0.17	0.16	1.30	1.29	1.19
तमिलनाडु	9.50	9.06	8.78	3.50	3.87	3.64	4.50	3.76	3.67
गुजरात	12.50	13.81	13.26	5.20	6.65	5.41	1.30	1.89	1.55
मध्य प्रदेश	11.55	10.97	10.20	5.95	5.76	4.66	0.50	0.91	0.57
छत्तीसगढ़	4.70	4.67	4.45	1.16	1.38	1.27	0.49	0.79	0.49
महाराष्ट्र	16.75	18.19	17.21	5.85	5.84	5.13	2.45	2.92	2.47
राजस्थान	12.30	12.35	11.59	4.90	5.41	4.14	0.20	0.32	0.17
हरियाणा	16.00	18.00	16.44	5.60	6.64	5.10	0.30	0.55	0.36
पंजाब	24.70	24.55	23.72	7.65	9.54	7.32	0.65	1.25	0.85
उत्तर प्रदेश	52.00	50.36	45.95	15.50	15.89	12.34	2.60	3.01	1.66
उत्तरांचल	1.77	2.01	1.75	0.27	0.31	0.23	0.11	0.07	0.05
जम्मू और कश्मीर	1.20	1.30	1.11	0.70	0.65	0.56	0.17	0.09	0.07
बिहार	14.30	14.24	7.32	3.00	2.12	1.78	1.40	1.64	1.23
झारखण्ड	1.75	1.56	1.51	1.16	0.73	0.68	0.26	0.05	0.05
उड़ीसा	4.75	4.31	1.09	0.90	0.92	0.81	1.00	1.16	0.96
पश्चिम बंगाल	11.90	10.97	10.41	4.10	3.53	3.43	3.90	3.06	2.52
असम	1.95	1.95	1.76	0.43	0.27	0.20	0.75	0.75	0.53
अखिल भारत	234.26	235.65	221.37	78.06	79.76	67.53	28.89	32.11	26.08

विवरण-III

यूरिया की ढुलाई और वितरण के संबंध में अलघ समिति की सिफारिशें तथा यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण–III के अंतर्गत उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

अलघ समिति की सिफारिशें	की गई कार्रवाई
(i) 50% विनियंत्रण की मौजूदा पद्धति को नियंत्रणमुक्त घटक पर भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक युक्तिसंगत योजना के साथ अगले चार वर्षों के लिए जारी रखा जाए।	सरकार स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर उत्पादन के 50 प्रतिशत तक के यूरिया स्टॉक के प्रत्यक्ष संचलन के अधिकार को बनाए रखेगी।
(ii) हालांकि उर्वरक उद्योग दूर–दराज और दुर्गम क्षेत्रों में वितरण के लिए बफर स्टॉक रखने के लिए तैयार है लेकिन उर्वरक विभाग को उपयुक्त और उचित योजनाओं के माध्यम से सहायता देनी होगी और इस प्रयास की सराहना करनी होगी।	विभाग राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के जरिए अपनी मौसमी आवश्यकता के 5 प्रतिशत की सीमा तक बफर स्टॉक का संचलन करेगा।
(iii) विनियमित मात्राओं के लिए समेकित भाड़ा दर में से 100 रुपए प्रति मी.टन की मौजूदा कमी को समेकित भाड़ा दर में से 20% की कमी लेकिन अधिकतम 100 रुपए प्रति मी.टन की सीमा तक करके युक्तिसंगत बनाना चाहिए।	भाड़ा राजसहायता के भुगतान के अनुसार नियंत्रित और विनियंत्रित यूरिया में कोई अंतर नहीं किया जाएगा।

समुद्र में जल प्रदूषण

***391. श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल प्रदूषण और संबंधित समस्याओं के कारण समुद्र में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय की सूचना के अनुसार, मछलियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु संबंधी किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं है। तथापि, देश के दक्षिण–पश्चिमी तट पर समुद्र में मछलियों के मरने की कुछ इक्का–दुक्का घटनाएं हुई हैं। सितम्बर, 2004 में मछलियों की मौत की दो घटनाएं, एक कोल्लम के निकट टंगेसेरी और दूसरी, केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट विजीन्जम पर हुई थी। मछलियों की मौत की अन्य घटना की सूचना अक्तूबर, 2005 के दौरान, मुम्बई तट के संबंध में प्राप्त हुई थी। इन घटनाओं के वास्तविक कारण का पता नहीं लगाया जा सका है।

(ग) और (घ) महासागर विकास विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तटीय राज्य विश्वविद्यालयों सहित विख्यात राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं की सक्रिय सहभागिता के साथ "तटीय महासागर निगरानी और पूर्व सूचना प्रणाली (सी ओ एम ए पी एस)" पर राष्ट्रीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत तटीय जल गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करता है। जहां भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई), नागपुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), केन्द्रीय मेरीन फिशरीज़ रिसर्च अनुसंधान (सी एम एफ आर आई), कोची, केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सी आई एफ ई), मुंबई जैसे संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा भी जांच की जाती है। भारत, समुद्री प्रदूषण (एम ए आर पी ओ एल) अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पक्षकार है, जिसके तहत सभी पोतों द्वारा विभिन्न कार्रवाइयां किया जाना अपेक्षित है।

हाथियों की मृत्यु

***393. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन संबंधी क्रियाकलापों, शिकार करने, बिजली का करंट लगने अथवा क्रोधित किसानों द्वारा बदले की कार्यवाही के कारण राज्य–वार, पृथक–पृथक, कितने हाथी मारे गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा हाथियों को मारने की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हाथियों के मारे जाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में खनन क्रियाकलापों के अनुज्ञप्ति धारकों (लाइसेंस धारकों) को तथा विद्युतीकृत बाड़ लगाने वाले किसानों को इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करना शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अवैध शिकार, करंट लगने, मानव–जानवर भिडंतों और खनन संबंधी गतिविधियों के कारण पिछले तीन वर्षों में मारे गए हाथियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित है :

(i) हाथियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में शामिल किया गया है और इस प्रकार इन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन कर्मियों द्वारा नियमित गश्त।

(iii) संरक्षण कार्य के बेहतर संचार के लिए मोबाइल सुविधा के साथ वायरलेस सिस्टम लगाना।

(iv) शिकाररोधी मोबाइल दस्तों का गठन।

(v) रणनीतिक और संवेदनशील स्थलों पर शिकार रोधी चैक गेट लगाना।

(vi) अवैध शिकारियों और उनकी गतिविधियों के संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिए गुप्त निधियां का प्रावधान।

(vii) हाथी दांत के लिए हाथियों के शिकार को हतोत्साहित करने के लिए हाथी दांत व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(viii) वन्य प्राणी और वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सी आई टी ई एस), जो एशियाई हाथी दांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, के परिशिष्ट–I में एशियाई हाथी को भी शामिल किया गया है।

(ix) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'हाथी परियोजना' के तहत, हाथी और उनके वास–स्थलों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन के विकास सहित हाथियों द्वारा प्रयोग में लाये गए प्रवासी मार्गों और गलियारों की सुरक्षा और पुनः बहाली हेतु प्रयास किए गए हैं।

(x) 'हाथी परियोजना' स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथी रेंज के राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

(xi) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव–हाथी भिडंत की रोकथाम और महत्वपूर्ण हाथी वास–स्थलों पर मानव और पशुधन के दबाव को कम करने के लिए उपायों को बढ़ावा दिया गया है।

(ग) से (ङ) सामान्य रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में खनन कार्य गतिविधियां अनुमति नहीं है और महत्वपूर्ण प्रजातियों के वास–स्थलों के आस–पास इन्हें हतोत्साहित किया जाता है। तथापि वन्यजीवों की संभावना वाले वन क्षेत्रों में खनन कार्य करने के मामले में खनन लीज होल्डर्स को यह निदेश दिए जाते हैं कि वह मुख्य वन्यजीव वार्डन के परामर्श से उपर्युक्त कदम उठाएं जिससे कि वन्यजीवों के नुकसान को रोका जा सके। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत हाथियों को करंट लगाकर मारने सहित, किसी भी तरह से मारा जाना प्रतिबंधित है। तथापि, मानव–पशु भिडंत के लिए शमनकारी उपायों के भाग के रूप में मानवों और खड़ी फसलों, दोनों पर, हाथी के हमले से रोकथाम के लिए सोलर फेंसेज का निर्माण किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवैध शिकार				करंट लगना मानव–हाथी भिड़त				मानव–हाथी भिड़त				खनन संबंधी
		2003–04	2004–05	2005–06	कुल	2003–04	2004–05	2005–06	कुल	2003–04	2004–05	2005–06	कुल	गतिविधि 2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	असम	16	7	16	39	4	4	–	8	1	–	–	1	–
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	झारखण्ड	2	1	–	3	4	3	–	7	–	–	–	–	–
4	कर्नाटक	6	3	10	19	10	13	9	32	1	–	–	1	–
5	केरल	6	4	1	11	7	1	–	8	1	–	–	1	–
6	मध्य प्रदेश	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	तमिलनाडु	–	–	1	1	3	8	–	11	–	–	–	–	–
8	उत्तरांचल	–	2	1	3	4	–	2	6	–	–	–	–	–
9	उत्तर प्रदेश	2	–	–	2	2	2	–	4	–	–	–	–	–
10	पश्चिम बंगाल	1	1	–	2	2	2	–	4	–	–	–	–	–
11	मेघालय	7	2	1	10	6	3	–	9	–	–	–	–	–
12	उड़ीसा	11	5	7	23	10	15	1	26	–	2	2	4	2
13	मिजोरम	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	कुल	53	25	39	117	52	54	12	118	3	2	2	7	2

[हिन्दी]

खरीफ फसल उत्पादन हेतु रणनीति

*395. **श्री मोहन रावले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीफ की फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए 3 और 4 अप्रैल, 2007 को राज्यों के कृषि सचिवों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में हुई चर्चा और इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खरीफ की फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी और इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) इसके अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। खरीफ अभियान 2007 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 3 और 4 अप्रैल, 2007 को आयोजित किया गया। संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कृषि सचिवों और अन्य विशेषज्ञों ने अन्य बातों के साथ–साथ आगामी मौसम में अधिक से अधिक खरीफ उत्पादन करने के लिए कार्यनीति और कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए इसमें भाग लिया।

(ख) से (घ) कृषि विकास को तेज करने और अधिक से अधिक खरीफ उत्पादन करने के लिए कार्यनीति पर विस्तृत विचार–विमर्श किए गए। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अन्य बातों के साथ–साथ पहले से क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाते हुए आगामी खरीफ मौसम के दौरान फसलों जैसे चावल, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगी :–

(i) राज्यों के कृषि–जलवायुवीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की प्रमुख खाद्य फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता का विस्तार करना जिसमें दलहन और तिलहन क्षेत्र पर मुख्य जोर देना शामिल है।

(ii) उपयुक्त कृषि और आजीविका प्रणाली दृष्टिकोणों के साथ–साथ बेहतर पनधारा प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर वर्षासिंचित और शुष्क भूमि क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देना।

(iii) पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ताप्रद बीजों की समय पर उपलब्धता और विशेषकर दलहन के गुणवत्ताप्रद बीजों का विकास संबंधी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना ताकि निश्चित और संधारणीय ढंग से बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार किया जा सके।

(iv) अन्य कृषि आदानों जैसे उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृमिनाशियों आदि की पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्धता।

(v) सबसे निचले स्तर पर वितरण तंत्र को सुधारने के लिए विस्तार प्रणाली का तत्काल पुनरूद्धार करना।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को राहत पैकेज

***396. श्री जशुभाई धानाभाई बारड़ :**

श्री ए. साई प्रताप :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीनी मिलों के लिए 850 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैकेज का उपयोग किस प्रकार करने का प्रस्ताव है तथा इससे मिलों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) उक्त पैकेज की घोषणा में हुए विलम्ब के कारण चीनी उद्योग को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(घ) उक्त पैकेज को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए चीनी के अधिक उत्पादन से गन्ना मूल्य बकाया की भारी राशि जमा हो जाने की स्थिति पैदा न हो केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2007 को निम्नलिखित निर्णय किए हैं

(i) एक वर्ष की अवधि (1.5.2007 से 30.4.2008 तक) के लिए 20 लाख टन का बफर स्टाक सृजित करना, जिसके अधीन बफर स्टाक के रूप में ली गयी मात्रा के लिए ब्याज प्रभार, बीमा और भांडागारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति चीनी फैक्ट्रियों को की जाएगी। इस राजसहायता की लागत एक वर्ष के लिए 378 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, बैंक 20 लाख टन के बफर स्टाक के सृजन पर 420 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्रदान करेंगे। इस प्रकार, पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया सहित चीनी मौसम 2006–07 के लिए गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों के पास 798 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। बफर राजसहायता और अतिरिक्त ऋण का उपयोग केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

(ii) आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों की तटीय राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से घरेलू रूप से उत्पादित चीनी के निर्यात पर 1350 रुपये प्रति टन की एक–समान दर पर और तटीय राज्यों से इतर राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों से निर्यातित चीनी पर 1450 रुपये प्रति टन की एक–समान दर पर प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्यात सहायता प्रदान करना। इस सहायता के लिए केवल 19 अप्रैल, 2007 को अथवा इसके बाद और 18 अप्रैल, 2008 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन (और अग्रिम लाइसेंस के अधीन नहीं) किए गए निर्यात पात्र होंगे। इसके अलावा, इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग भी गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किया जाना होगा।

(ग) और (घ) यद्यपि केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त निर्णय 24 मार्च, 2007 को किए थे तथापि, इन निर्णयों की घोषणा तत्काल नहीं की जा सकी क्योंकि उस समय तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भारत के चुनाव आयोग को 26 मार्च, 2007 को एक पत्र भेजा गया था जिसमें सरकार के निर्णयों को अधिसूचित करने के लिए उनका अनुमोदन मांगा गया था। 15 अप्रैल, 2007 को विभाग में चुनाव आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। निर्यात सहायता के लिए 19 अप्रैल, 2007 को आदेश जारी किया गया है। 1 मई, 2007 से 30 अप्रैल, 2008 तक 20 लाख टन के बफर स्टाक को सृजित करने तथा इसे बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इसलिए उक्त निर्णयों की घोषणा में केन्द्र सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

***397. श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य–वार कुल कितनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात वास्तविक और वित्तीय संदर्भों में आकलित ऐसी प्रयोगशालाओं के कार्य निष्पादन का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित ऐसी प्रयोगशालाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को सस्ती दरों पर मृदा परीक्षण संबंधी 'मिनी किट्स' प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्तमान में देश में 609 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) (487 स्थिर और 122 चल) कार्य कर रही हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान कार्यरत एसटीएल की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सभी एसटीएल के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा रहा है और वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान एसटीएल की उपयोगिता क्षमता क्रमशः 70.5%, 73.2%, 71.53% और 74.50% है।

(ग) और (घ) देश में एसटीएल की संख्या बढ़ाने के लिए, सरकार कृषि के वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारें 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि के वृहत प्रबंधन की स्कीम के अन्तर्गत एसटीएल की क्षमता को बढ़ा रही हैं।

(ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(च) सरकार देश में स्थिर एसटीएल की स्थापना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रही है ताकि प्रमुख, गौण और सूक्ष्म पोषकों का विश्लेषण सुनिश्चित किया जा सके जो मृदा परीक्षण मिनिकिटों से नहीं किया जा सकता।

विवरण

वर्ष 2005–06 के दौरान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या, विश्लेषण क्षमता और उपयोगिता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या			वार्षिक विश्लेषण क्षमता (000 में)	विश्लेषण नमूने (000 में)	क्षमता उपयोगिता (%)
		स्थिर	चल	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. दक्षिण जोन							
1.	आन्ध्र प्रदेश	81	4	85	526.0	474.2	90.2
2	कर्नाटक	22	3	25	329.5	254.4	77.2
3.	केरल	15	9	24	372.0	221.1	59.4
4.	तमिलनाडु	21	17	38	848.0	669.7	79.0
5.	पांडिचेरी	2	0	2	6.0	5.2	86.7
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	2	12.0	10.6	88.3
7.	लक्षद्वीप	0	0	0	–	–	–
	कुल	142	34	176	2093.5	1635.2	78.1

1	2	3	4	5	6	7	8
II. पश्चिम क्षेत्र							
8.	गुजरात	21	3	24	254.0	309.1	121.7
9.	मध्य प्रदेश	23	3	26	313.5	190.4	60.7
10.	महाराष्ट्र	35	5	40	168.0	166.8	93.3
11.	राजस्थान	10	12	22	278.0	285.4	102.7
12.	छत्तीसगढ़	4	0	4	40.0	35.1	87.8
13.	गोवा	1	1	2	24.0	22.5	93.8
14.	दमन और दीव	0	0	0	–	–	–
15	दादर और नगर हवेली	1	0	1	1.0	शून्य	–
	कुल	95	24	119	1078.5	1009.3	93.6
III. उत्तरी जोन							
16.	हरियाणा	30	1	31	313.0	237.7	75.9
17.	पंजाब	53	14	67	601.0	214.5	35.7
18.	हिमाचल प्रदेश	11	2	13	100.0	88.3	88.3
19.	उत्तर प्रदेश	51	21	72	1627.0	1364.7	83.9
20.	जम्मू और कश्मीर	6	4	10	64.0	44.2	69.1
21.	उत्तरांचल	13	3	16	85.0	68.8	80.9
22.	दिल्ली	1	0	1	5.0	0.4	7.1
23.	चंडीगढ़	0	0	0	–	–	–
	कुल	165	45	210	2795.0	2018.6	72.2
IV. पूर्वी जोन							
24.	बिहार	23	0	23	200.0	46.3	23.2
25.	उड़ीसा	11	0	11	120.0	106.4	88.7
26.	पश्चिम बंगाल	24	7	31	147.0	51.4	35.0
27.	झारखण्ड	7	3	10	67.0	18.4	27.5
	कुल	65	10	75	534.0	222.5	41.7

1	2	3	4	5	6	7	8
V. उत्तर-पूर्वी जोन							
28.	असम	8	4	12	106.0	59.5	56.1
29.	त्रिपुरा	2	4	6	21.0	17.7	84.3
30.	मणिपुर	3	0	3	20.0	7.0	35.0
31.	नागालैण्ड	3	0	3	45.0	12.5	27.8
32.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	5.0	1.7	34.0
33.	मेघालय	1	1	2	10.00	8.0	80.0
34.	सिक्किम	1	0	1	8.0	7.9	98.8
35.	मिजोरम	1	0	1	8.0	8.0	100.0
	कुल	20	9	29	223.0	122.3	54.8
	सकल योग	487	122	609	6724.0	5007.9	74.5

मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत धनराशि

*399. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों, विशेषकर केरल, को दिए जाने वाले अपने हिस्से की धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सहायता राशि में से कुछ धनराशि अभी जारी की जानी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त धनराशि कब तक जारी की जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना को केरल राज्य सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया है। प्रस्तावों के प्राप्त होने पर संपूर्ण देश में मछुआरों के लिए कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नौवीं और दसवीं योजना के दौरान जारी की गई 22.50 करोड़ रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता में से, केरल राज्य को 26.05 करोड़ रुपये की राशि जो कुल आबंटन का 11.15% है, जारी की गई है।

विगत तीन वर्षों (2004–07) के दौरान संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि और मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत शेष देयताओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 2004–07 के दौरान कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को संस्वीकृत 95.57 करोड़ रुपए में से, कुल 78.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और 17.46 करोड़ रुपए शेष प्रतिबद्ध देयता है।

(ङ) और (च) कल्याण योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकता के आधार पर, राज्य बजट में समान अंशदान की उपलब्धता और योजना के कार्यनिष्पादन यानि, पहले जारी की गई धनराशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध होने की शर्त पर उक्त सूचना प्रस्तुत करने के बाद शेष धनराशि प्राप्त करने के पात्र हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004–07) के दौरान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संस्वीकृत/जारी की गई केन्द्रीय सहायता/शेष देयताएं

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004–2007		
		स्वीकृत	जारी	बकाया
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	284.47	284.47	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	64.00	64.00	0.00
3	असम	23.65	14.60	9.05
4	बिहार	176.51	127.48	49.03
5	छत्तीसगढ़	160.82	71.72	89.10
6	हिमाचल प्रदेश	13.70	13.70	0.00
7	गोवा	1.05	1.05	0.00
8	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	100.00	0.00
9	झारखण्ड	802.90	701.90	101.00
10	कर्नाटक	991.89	991.89	0.00
11	केरल	544.24	544.24	0.00
12	मध्य प्रदेश	77.97	77.97	0.00
13	महाराष्ट्र	113.62	113.62	0.00
14	मणिपुर	50.77	46.52	4.25
15	नागालैण्ड	186.80	155.55	31.25
16	उड़ीसा	446.57	223.99	222.58
17	राजस्थान	68.56	68.56	0.00
18	तमिलनाडु	2656.86	2040.28	616.58
19	त्रिपुरा	36.45	36.45	0.00
20	उत्तर प्रदेश	1307.90	914.40	393.50
21	उत्तरांचल	6.45	6.45	0.00
22	पश्चिम बंगाल	843.20	641.20	202.00
23	अंडमान एवं निकोबार	7.31	7.31	0.00
24	दमन एवं दीव	30.00	30.00	0.00
25	पांडिचेरी	561.59	533.76	27.83
	कुल	9557.28	7811.11	1746.17

कृषि की वृद्धि दर

***400. श्री एन.एस. वी चित्तन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वर्ष–वार और राज्य–वार कृषि विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा वांछित विकास दर प्राप्त करने के लिए राज्य–वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) दसवीं योजना (2002–07) के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए लक्षित अखिल भारतीय वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर की शर्तों में 4% पर निर्धारित थी। राष्ट्रीय लेखों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े, दसवीं योजना (2002–07) के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, 1999–2000 के मूल्यों पर 2.3% है।

कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1993–94 के मूल्यों पर) की शर्तों में राज्य–वार तथा वर्ष–वार उपलब्धियां, जोकि 2004–05 तक उपलब्ध हैं नीचे सारणी में दी गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्ति के राज्यवार ब्यौरे

(प्रतिशत में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के लिए वृद्धि लक्ष्य	वार्षिक वृद्धि दर (%)		
		2002–2003	2003–2004	2004–2005
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3.05	–9.9	14.2	3.4
अरुणाचल प्रदेश	4.00	4.8	1.3	–2.2
असम	3.82	1.4	–1.6	–0.5
बिहार	3.75	22.7	–19.4	17.1

1	2	3	4	5
झारखण्ड	3.00	5.3	2.4	5.0
गोवा	–0.90	1.1	15.9	5.4
गुजरात	4.03	–13.5	56.6	–10.1
हरियाणा	4.07	–0.2	9.0	3.7
हिमाचल प्रदेश	4.55	0.0	8.1	9.4
जम्मू और कश्मीर	4.20	3.5	5.0	4.9
कर्नाटक	4.99	–7.7	–14.7	14.7
केरल	3.05	1.4	3.9	–2.8
मध्य प्रदेश	4.00	–17.9	36.4	–2.4
छत्तीसगढ़	3.00	–26.7	46.5	–15.0
महाराष्ट्र	3.56	–1.8	–6.6	–2.3
मणिपुर	3.59	–2.6	2.6	3.3
मेघालय	4.00	3.6	2.6	3.0
मिजोरम	2.00	–8.1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नागालैण्ड	4.00	12.8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	4.07	–18.5	23.8	3.5
पंजाब	4.07	–3.5	6.2	4.8
राजस्थान	4.50	–34.3	80.2	–10.9
सिक्किम	5.00	16.0	6.2	2.7
तमिलनाडु	3.54	–21.9	–2.7	15.1
त्रिपुरा	3.90	–4.1	2.0	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	4.67	1.9	2.8	1.0
उत्तरांचल	3.50	2.3	4.6	2.4
पश्चिम बंगाल	5.09	–4.1	3.7	1.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	7.5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	–2.00	16.1	–11.3	–2.8
दिल्ली	–12.21	–1.2	–2.3	0.9
पांडिचेरी	1.10	–4.3	–0.9	–15.9
अखिल भारत	4.00	–7.0	9.6	1.1

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सी.एस.ओ.)

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों में कृषि और सहकारिता विभाग के 2007–08 (बजट अनुमान) के लिए 5,560 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय, वर्षा प्रभावित क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से निपटने हेतु राष्ट्रीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के गठन का अनुमोदन, दालों के लिए मिशन पर अधिक ध्यान देना, खेती ऋण के लिए 225,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्रस्तावित करना तथा बजट 2007–08 की गई घोषणा के अनुसार 2007–08 के दौरान बैंकिग प्रणाली के लिए 50 लाख नए किसानों को जोड़ना कृषि बीमा योजना को जारी रखना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ए.टी.एम.ए.) का और अधिक जिलों में विस्तार तथा बागवानी विकास शामिल हैं।

कृषि उत्पादन में 4.1 प्रतिशत की वांछित वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु 11वीं योजना के अप्रोच पेपर में प्रस्तावित प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं :

- सिंचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दोगुना करना;
- जल प्रबंधन, वर्षा जल संचय तथा जलाशय विकास मे सुधार;
- बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना तथा भूमि की गुणवत्ता पर ध्यान देना;
- प्रभावपूर्ण विस्तार के माध्यम से जानकारी के अभाव को पूरा करना;
- उच्च मूल्य उत्पादनों, फलों, सब्जियों, फूलों, वनस्पतियों तथा मसालों, औषधीय पौधों, बांस जैव डीजल इत्यादि में विविधिकरण परन्तु खाद्य सुरक्षा हेतु समुचित उपायों सहित;
- वहनीय दरों पर ऋण की सहज उपलब्धता का प्रावधान;
- प्रोत्साहन ढांचे तथा बाजार के क्रियाकलापों का सुधार;
- भू–सुधार मुद्दों पर पुनः ध्यान देना;
- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को ऊर्जावान बनाना तथा वर्तमान विषयों एवं आवश्यकताओं से संबंधित नवीनतम व प्रभावपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास एवं वितरण हेतु इसकी क्षमता में सुधार।

कर्नाटक में कैटर पिलर की समस्या

3743. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक ने हमेशा कैटर पिलर की समस्या का सामना किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है और दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार राज्य सरकार/बागवानी/कृषि विभाग को विभिन्न फसलों में कीट एवं रोग स्थिति को मॉनीटर करने की सलाह देती है। ताकि राज्य, फसल हानियों को रोकने के लिए उचित नियंत्रण उपाय कर सके। पुनः राज्यों को सहायता देने के लिए, केन्द्र सरकार ने "भारत में कीट प्रबंधन अवधारणा के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों का कार्य कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) गठित करके कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और निचले स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षण देकर कीट/रोग

मॉनीटरिंग करना, जैव नियंत्रण एजेंटों/जैव–कृमिनाशियों का उत्पादन और निर्मुक्ति, जैव–नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा समेकित कृमि प्रबंधन (आईपीएम) में मानव संसाधन विकास करना है। स्कीम के अंतर्गत, पूरे वर्ष में 544 एफएफएस गठित किए गए, जबकि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न फसलों में नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी से 2232 कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारी और 16,670 किसान प्रशिक्षित किए गए हैं। कृषि/बागवानी/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से 77 प्रमुख फसलों में कीट/रोग प्रबंधन के लिए व्यवहार्य आईपीएम पैकेज तैयार किए गए हैं तथा उनके उपयोग के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परिचालित किए गए हैं।

पुनः गुलबरगा में राज्य जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला (एसबीसीएल) और राज्य में राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए 101.84 लाख रु. की अनुदान सहायता दी गई है।

चीनी का आयात

3744. श्री नरहरि महतो : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चीनी का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मात्रा क्या है तथा इसे किन देशों से आयात किया गया था और उक्त आयात में कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और सरकारी निगम शामिल थे;

(ग) ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में किस तिथि को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा अनुबंध किए गए थे;

(ङ) जब चीनी आयात करने का निर्णय लिया गया था तब चीनी का अनुमानित घरेलू उत्पादन कितना था;

(च) अन्य देशों से इन पीएसयू और सरकारी निगमों द्वारा आयातित चीनी की मात्रा और मूल्य क्या था;

(छ) क्या आयातित चीनी की गुणवत्ता घटिया पायी गयी है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) घटी हुई दर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी घटिया गुणवत्ता वाली आयातित चीनी की बिक्री से अनुमानतः कितना घाटा हुआ/घाटा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (झ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नकदी फसलों के लिए विशेष उद्देश्य निधि

3745. श्री देविदास पिंगले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कतिपय नकदी फसलों के लिए विशेष उद्देश्य निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त निधि के अंतर्गत सभी राज्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार के समक्ष कुछ नकदी फसलों के लिए विशिष्ट उद्देश्य कोष के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा चाय के पुनर्रोपण और पुनरूद्धार के लिए पहले ही एक विशिष्ट उद्देश्य चाय कोष शुरू किया गया है।

खाद्यान्नों के निर्यात और आयात में घाटा

3746. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2004 और जनवरी 2007 के बीच सरकार द्वारा निर्यातित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है तथा किन देशों को ये निर्यात किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयातित खाद्यान्नों की मात्रा और दर का ब्यौरा क्या है तथा किन देशों से ये आयात किए गए;

(ग) उन खाद्यान्नों के नाम क्या हैं जो निर्यात की दर से उच्च दर पर आयात किए गए और इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस प्रकार के घाटे वाले आयात के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जनवरी, 2004 और जनवरी, 2007 के बीच केन्द्रीय पूल से निर्यात किए गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख टन में)

	गेहूं	चावल
जोड़	19.67	2.01

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अफगानिस्तान और इराक को मानवीय सहायता के रूप में देने के लिए क्रमशः 1.88 लाख टन और 0.15 लाख टन गेहूं का उठान किया गया है।

सरकार द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ प्रभावी निर्यात मूल्य के रूप में समय–समय पर घोषित गेहूं और चावल के मूल्यों को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा जनवरी, 2004 और जनवरी, 2007 के बीच आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, रूस, हंगरी, चेक गणराज्य, यूक्रेन, रोमानिया, बुलगारिया, अर्जेन्टीना और स्लोवाकिया से केन्द्रीय पूल खाते के लिए 205.31 यूएस डालर के भारित औसत मूल्य पर 49.10 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है।

(ग) सरकार खाद्यान्नों का निर्यात/आयात साथ–साथ नहीं करती है। तथापि, स्थिति पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों के आयात अथवा निर्यात करने का निर्णय लिया जाता है। इसलिए सरकार को इस पर कोई हानि नहीं होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

सरकार द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ समय–समय पर घोषित गेहूं के मूल्य

(आंकड़े रुपये प्रति टन में)

क्र.सं.	अवधि	दर
1	2	3
1.	1.1.2004 से (31.3.2004 तक वैध) वैधता अवधि का 30.6.2004 तक विस्तार किया गया	
	(क) फसल वर्ष 1998–1999 और पूर्व के वर्ष	5,485/–
	(ख) फसल वर्ष 1999–2000	5,885/–
	(ग) फसल वर्ष 2000–2001	6,085/–
	(घ) फसल वर्ष 2001–2002	6,085/–
	(ङ) फसल वर्ष 2002–2003	6,225/–
	(च) फसल वर्ष 2003–2004	6,525/–
2.	अवधि (1.7.2004 से 30.9.2004) 31.12.2004 तक वैधता अवधि में विस्तार सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	
	(क) फसल वर्ष 1998–1999 और पूर्व के वर्ष	5,700/–
	(ख) फसल वर्ष 1999–2000	6,100/–
	(ग) फसल वर्ष 2000–2001	6,300/–
	(घ) फसल वर्ष 2001–2002	6,400/–

1	2	3
	(ङ) फसल वर्ष 2002–2003	6,500/–
	(च) फसल वर्ष 2003–2004	7,000/–
3.	अवधि (1.1.2005 से 31.3.2005) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	9,350/–
4.	अवधि (1.4.2005 से 30.6.2005) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	9,350/–
5.	अवधि (1.7.2005 से 30.9.2005) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	10,223/–
6.	अवधि (1.10.2005 से 31.12.2005) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2005–06 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	10,223/–
7.	अवधि (1.1.2006 से 31.3.2006) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2005–06 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	10,223/–
8.	अवधि (1.4.2006 से 30.6.2006) और 1.7.2006 से 30.9.2006 सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	11,276.30
9.	अवधि (1.10.2006 से 31.12.2006) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	11,973.30
10.	अवधि (1.1.2007 से 31.3.2007) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	11,973.30

विवरण-II

सरकार द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ समय–समय पर घोषित चावल के मूल्य

(आंकड़े रुपये प्रति टन में)

क्र.सं.	अवधि	सेला	दर
1	2	3	4
1.	1.1.2004 से (31.3.2004 तक वैध) वैधता अवधि का 30.6.2004 तक विस्तार किया गया		
	(क) फसल वर्ष 1998–1999	7,550/–	7,350/–
	(ख) फसल वर्ष 1999–2000	7,600/–	7,400/–
	(ग) फसल वर्ष 2000–2001	7,650/–	7,450/–
	(घ) फसल वर्ष 2001–2002	7,725/–	7,725/–
	(ङ) फसल वर्ष 2002–2003	7,800/–	7,600/–
2.	1.7.2004 से 30.9.2004 – 31.12.2004 तक वैधता अवधि में विस्तार किया गया। सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए		
	(क) फसल वर्ष 1998–1999 और पूर्व के वर्ष	8,600/–	8600/–

1	2	3	4
	(ख) फसल वर्ष 1999–2000	8,600/–	8,600/–
	(ग) फसल वर्ष 2000–2001	8,600/–	8,600/–
	(घ) फसल वर्ष 2001–2002	8,600/–	8,600/–
	(ङ) फसल वर्ष 2002–2003	8,600/–	8,600/–
	(च) फसल वर्ष 2003–2004	शून्य	शून्य
3.	(1.1.2005 से 31.3.2005) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	13,600/–	13,100/–
4.	1.4.2005 से 30.6.2005 सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	13,600/–	13,100/–
5.	1 7.2005 से 30.9.2005 सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए	13,376/–	12,856/–
6.	1.10.2005 से 31.12.2005 (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2005–06 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	13,376/–	12,856/–
7.	अवधि (1.1.2006 से 31.3.2006) सरकारी सहायता/विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2005–06 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	13,376/–	12,856/–
8.	अवधि (1.4.2006 से 30.6.2006) और 1.7.2006 से 30.9.2006 सरकारी सहायता/ विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	13,950/–	
9.	अवधि (1.10.2006 से 31.12.2006) (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	14,327.70/–	
10.	अवधि (1.1.2007 से 31.3.2007) (वेट और अन्य स्थानीय कर सहित और 2006–07 सहित सभी फसलों वर्षों के स्टाक के लिए लागू होगा)	14,327.70/–	

[अनुवाद]

नगरपालिकाओं के वर्तमान नियमों को बदला जाना

3747. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नगर पालिकाओं के लिए लगभग 2000 वर्तमान नियमों को हटाकर नए नियम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नियमों को कब तक तैयार/कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यथा प्रतिष्ठापन के अनुसार नागरिकों के लिए अच्छी शहरी शासकीय और सुदृढ़ सेवाएं मुहैया करवाने और शहरी सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने लेखा सुधार, संसाधन एकत्रीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों की सहायता के लिए नमूना नगरीय कानून तैयार किया है। अन्य बातों के साथ–साथ नमूना नगरीय कानून का उद्देश्य नगरीय कानूनों को सरल बनाने, ऋणों को बढ़ाने का प्रावधान, निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति और बकाया राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को दण्ड देने के लिए ग्राहियों को प्राधिकृत करना है।

शहरी विकास मंत्रालय ने इस नमूना नगरीय कानून का प्रारूप इंडो–यूएसए आई डी–एफ आई आर ई परियोजना के अंतर्गत तैयार किया है। इससे राज्य सरकारों को अपने नगरीय कानूनों को लागू/ संशोधन करने में सुविधा और सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

क्षारीय मृदा का सुधार

3748. श्री महावीर भगोरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए क्षारीय मृदा पुनरूद्धार (आरएएस) तथा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरियाज (डब्ल्यूडीपीएससीए) योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसमें कितनी सफलता मिली;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार कितनी राशि आबंटित जारी और उपयोग की गयी;

(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) भारत सरकार क्षारीयता से प्रभावित मृदा के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत आबंटित राशि कृषि में वृहत प्रबंधन के तहत कोष की समग्र निर्मुक्ति में शामिल है। विगत तीन वर्षों (2004–07) के लिए राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जहां जनजातीय आबादी की प्रमुखता है, झूम खेती वाले निम्नीकृत क्षेत्रों के विकास के लिए झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय राज्य प्लान स्कीम भी क्रियान्वित कर रही है। विगत तीन वर्षों (2004–07) के लिए राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना के गत तीन वर्षों के दौरान क्षारीय मृदा का सुधार तथा झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाओं के तहत राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि तथा व्यय

क. आरएएस — भौतिक क्षेत्र लाख हैक्टे. में और वित्तीय लाख रु.

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05			2005–06			2006–07		
		भौतिक		वित्तीय	भौतिक		वित्तीय	भौतिक		वित्तीय
		लक्ष्य	उप.	व्यय	उप.	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	उप.*	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	0.004	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.015	0.015	158.00
2	बिहार	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00
3	गुजरात	0.013	0.172	253.35	0.063	0.085	447.55	0.112	0.112	708.47
4	हरियाणा	0.120	0.104	200.00	0.100	0.132	260.00	0.170	0.170	400.00
5	कर्नाटक	0.007	0.006	71.00	0.050	0.006	73.15	0.010	0.010	133.33
6	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00
7	महाराष्ट्र	0.000	0.000	0.00	0.002	0.000	0.00	0.010	0.010	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	पंजाब	0.015	0.000	0.00	0.050	0.000	0.00	0.030	0.030	200.00
9	राजस्थान	0.014	0.051	50.97	0.120	0.031	86.36	0.010	0.010	293.00
10	तमिलनाडु	0.005	0.012	31.13	0.050	0.030	62.90	0.100	0.100	113.31
11	उत्तर प्रदेश	0.010	0008	0.00	0.000	0.000	0.00	0.008	0.008	10.00
	कुल	0.188	0.345	606.450	0.435	0.284	929.96	0.465	0.465	2116.11

*प्रत्याशित

ख. डब्ल्यूडीपीएससीए

भौतिक क्षेत्र लाख हैक्टे. में और वित्तीय लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05				2005–06				2006–07			
		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उप.	परि–परिव्यय	व्यय	लक्ष्य	उप.	परि–परिव्यय	व्यय	लक्ष्य	उप.*	परि–व्यय	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	0.010	0.010	100.00	100.51	0.030	0.015	300.00	150.00	0.0350	0.0350	350.00	350.00
2	असम	0.025	0.024	250.00	250.00	0.045	0.030	400.00	315.00	0.0550	0.0550	550.00	550.00
3	मणिपुर	0.020	0.026	200.00	250.00	0.040	0.035	350.00	350.00	0.0600	0.0600	600.00	600.00
4	मेघालय	0.030	0.048	300.00	300.00	0.050	0.132	500.00	500.00	0.0550	0.0550	550.00	550.00
5	मिजोरम	0.050	0.036	500.00	350.00	0.060	0.054	550.00	700.80	0.0550	0.0550	550.00	550.00
6	नागालैण्ड	0.045	0.043	450.00	450.00	0.060	0.052	600.00	600.00	0.1050	0.1050	1050.00	1050.00
7	त्रिपुरा	0.020	0.023	200.00	226.74	0.030	0.030	300.00	300.61	0.0350	0.0350	350.00	350.00
	कुल	0.200	0.210	2000.00	1927.25	0.315	0.348	3800.00	2915.61	0.4000	0.4000	4000.00	4000.00

* प्रत्याशित

परि– परिव्यय

वन भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग

3749. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन भूमि के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में राज्य–वार दी गई अनुमतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वन भूमि के बदले में कोई अन्य भूमि दी गई है या प्रतिपूरक वनरोपण कार्य के लिए कोई राशि प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त भूमियों पर वनरोपण कार्य किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान करती है।

(ख) अब तक लगभग 1,119,017 हेक्टेयर वन भूमि को शामिल करते हुए लगभग 14580 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण –I में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करते समय शर्तें जैसे परियोजना की लागत पर वनेतर प्रयोग के लिए दी गई वन भूमि के बदले समकक्ष गैर–वन भूमि पर वनीकरण जैसी शर्तें निरपवाद रूप से अनुबद्ध हैं।

(ङ) और (च) अब तक किए प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र: केन्द्रीय वर्ग: सभी वर्ग 31/03/2007
मामले की स्थिति : 25/10/1980 से तक
अनुमोदित/सिद्धांत रूप में 31/03/2007 तक

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित मामलों की संख्या	वनेतर उपयोग के लिए प्रयोग की गई कुल भूमि
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73	2,725.65
आन्ध्र प्रदेश	440	36.655.72
अरुणाचल प्रदेश	120	44,043.33
असम	202	7,003.88
बिहार	40	1,965.29
चंडीगढ़	20	43,307
छत्तीसगढ़	356	86,915.04
दादर और नगर हवेली	169	274.842
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	3	3.965
गोवा	86	1,574.34
गुजरात	1063	65,574.14
हरियाणा	863	8,371.20
हिमाचल प्रदेश	1037	14,215.57
जम्मू और कश्मीर	8	1,500.09
झारखण्ड	202	14,218.55
कर्नाटक	618	42,158.06
केरल	208	40,889.80
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	822	388.854.98
महाराष्ट्र	1396	85,699.37
मणिपुर	20	1,051.07
मेघालय	81	396.034
मिजोरम	24	25,214.81
नागालैण्ड	0	0
उड़ीसा	408	42,442.29
पांडिचेरी	1	0.96
पंजाब	2145	76,590.37
राजस्थान	492	19,339.80
सिक्किम	223	1,865.34
तमिलनाडु	383	4,847.28
त्रिपुरा	197	7,922.45
उत्तर प्रदेश	303	40,635.42
उत्तरांचल	2493	51,930.46
पश्चिम बंगाल	78	3,988.84
कुल	14580	1,119,017.25

विवरण-II

25.10.1980 से 31.03.2007 तक

31.03.2007 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. प्रदेश	अनुमोदित मामलों की संख्या	वनेतर प्रयोग के लिए क्षेत्र (है.)	प्रतिपूरक वनीकरण (हैक्टेयर)							प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण का (%)
				अनुबद्ध			प्राप्त				
				वन भूमि	गैर वन भूमि	वन भूमि पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण	कुल	वन–भूमि	गैर–वन भूमि	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73	2,725.65	617.90	1,979.14	1.00	2,598.03	189.70	1,715.73	1,905.43	73.34
2	आन्ध्र प्रदेश	442	36,663.12	5,351.90	23,628.72	2,948.81	31,929.43	4,587.77	15,805.96	20,393.73	63.87
3	अरुणाचल प्रदेश	120	44,048.33	9,711.40	4,544.20	6,163.00	20,418.60	5,388.21	86.00	5,474.21	26.81
4	असम	202	7,003.88	6,924.73	1,524.23	328.95	8,777.91	1,163.06	536.96	1,700.03	19.37
5	बिहार	46	1,965.29	1,254.62	556.68	69.20	1,880.50	846.56	0.00	846.56	45.02
6	चंडीगढ़	20	43,3072	6.48	18.26	0.00	24.74	0.00	0.12	0.12	0.47
7	छत्तीसगढ़	354	86,891.62	33,158.88	58,539.67	16,238.11	107,936.66	27,284.00	3,317.00	30,601.00	28.35
8	दादर और नगर हवेली	169	274,8423	356.15	273.35	0.00	629.51	269.15	210.15	479.30	76.14
9	दिल्ली	3	3,965	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	86	1,574.34	852.94	458.12	266.77	1,577.82	1,131.44	18.00	1,149.44	72.85
11	गुजरात	1062	65,673.96	6,403.67	51,249.53	23,765.80	81,419.00	17,233.29	27,054.23	44,287.52	54.39
12	हरियाणा	864	8,371.21	2,586.51	1,536.75	21.41	41,44.67	2,251.83	1,091.69	3,343.51	80.67
13	हिमाचल प्रदेश	1032	14,203.29	16,147.33	523.34	3,971.23	20,641.90	5,739.98	137.00	5,876.98	28.47
14	जम्मू और कश्मीर	8	1,500.09	1,124.94	0.00	0.00	1,124.94	288.00	0.00	288.00	25.60
15	झारखण्ड	203	14,395.16	11,476.94	4,729.53	4,176.89	20,383.36	36.00	0.00	36.00	0.18
16	कर्नाटक	618	42,158.06	6,476.97	30,001.50	5,575.22	42,053.69	9,210.92	27,150.99	36,361.91	86.47
17	केरल	208	40,889.80	42,961.42	15,220.64	29.96	58,212.02	49,448.53	762.28	50,210.81	86.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	मध्य प्रदेश	815	388,805.62	119,804.95	213,502.73	89,982.89	423,290.57	129,559.84	38,134.11	167,693.95	39.62
19	महाराष्ट्र	1397	85,700.87	28,909.09	34,401.89	19,120.70	82,431.68	43,919.36	27,653.00	71,572.36	86.83
20	मणिपुर	20	1,051.07	247.77	741.27	0.00	989.03	181.16	0.00	181.16	18.32
21	मेघालय	81	396.034	112.03	344.90	0.00	456.93	258.45	4.80	263.25	57.61
22	मिजोरम	24	25,214.81	19,263.17	10,439.25	227.57	29,930.00	38.15	5,520.65	5,558.81	18.57
23	उड़ीसा	407	42,430.72	8,993.60	38,148.13	8,934.19	56,075.91	9,777.84	20,649.33	30,427.26	54.26
24	पांडिचेरी	1	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	पंजाब	2141	76,570.53	7,166.93	1,797.66	28,315.94	37,280.52	3,478.51	929.23	4,407.74	11.82
26	राजस्थान	492	19,339.80	2,584.15	14,433.59	10,323.39	27,341.13	3,066.01	7,252.77	10,318.78	37.74
27	सिक्किम	220	1,844.24	2,267.22	150.67	95.91	2,513.80	2,012.97	17.78	2,030.75	80.78
28	तमिलनाडु	383	4,847.28	595.59	1,651.53	1,069.95	3,317.07	1,210.03	717.90	1,927.93	58.12
29	त्रिपुरा	197	7,922.45	3,611.99	734.42	2,049.39	6,395.79	2,591.55	58.21	2,649.75	41.43
30	उत्तर प्रदेश	303	40,635.42	54,060.54	6,405.94	2,067.42	62,533.90	2,457.57	4,687.50	7,145.07	11.43
31	उत्तरांचल	2493	51,930.46	52,338.07	13,331.84	1,390.71	67,060.61	8,333.53	6,558.00	14,891.53	22.21
32	पश्चिम बंगाल	78	3,988.84	1,848.90	3,854.89	4.66	5,708.45	1,237.35	2,628.27	3,865.62	67.72
	कुल	14562	1,119,065.03	447,216.77	534,727.81	227,139.07	1,209,083.65			525,888.52	43.49

पी डी एस के अंतर्गत कल्याण संस्थाओं हेतु आबंटन

3750. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों में कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्न आबंटित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से कल्याण संस्थाओं हेतु खाद्यान्न आबंटन की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कल्याण संस्थाओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए गए आवंटन के अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 हेतु इस योजना के तहत खाद्यान्नों के आवंटन/उठान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा तथा संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि उनकी कल्याण संस्थाओं के लिए उन्हें आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ा दी जाए। चूंकि पूर्व के वर्षों में इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया उठान स्कीम के तहत आवंटित खाद्यान्नों से कम रहा है, अतः खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

वर्ष 2006–07 के दौरान कल्याण संस्थाओं और छात्रावासों की स्कीम के तहत किए गए आबंटन और उठान को दर्शाने वाला ब्यौरा

(आंकड़े हजार टन में)

		आबंटन			उठान		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावन	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	202.93	0.00	202.93	201.75	0.56	202.31
2	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0,08	0.32	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.06	0.02	0.08	0.01	0.00	0.01
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1.44	0.60	2.04	0.09	0.00	0.00
6	दिल्ली	0.20	0.32	0.52	0.01	0.03	0.04
7	गोवा	0.36	0.12	0.48	0.00	0.00	0.0
8	गुजरात	3.36	7.80	11.16	0.02	6.07	6.09
9	हरियाणा	0.07	0.13	0.20	0.00	0.02	0.02
10	हिमाचल प्रदेश	0.60	0.59	1.19	0.43	0.07	0.50
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	झारखण्ड	0.10	0.04	0.14	0.26	0.03	0.29
13	कर्नाटक	44.17	21.01	65.18	13.27	4.37	17.64
14	केरल	1.80	0.73	2.53	0.54	0.19	0.73
15	मध्य प्रदेश	2.28	5.28	7.56	0.78	2.64	3.42
16	महाराष्ट्र	7.56	17.64	25.20	5.71	9.68	15.39
17	मणिपुर	0.36	0.12	0.48	0.31	0.10	0.41
18	मेघालय	1.44	0.00	1.44	1.34	0.00	1.34
19	मिजोरम	0.96	0.00	0.96	0.61	0.00	0.61
20	नागालैण्ड	1.20	0.49	1 69	1.40	0.64	2.04

1	2	3	4	5	6	7	8
21	उड़ीसा	13.44	0.00	13.44	10.52	0.03	10.55
22	पंजाब	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00
23	राजस्थान	0.12	0.36	0.48	0.04	0.25	0.29
14	सिक्किम	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
25	तमिलनाडु	38.64	0.00	38.64	37.55	0.47	38.02
26	त्रिपुरा	0.68	0.00	0.68	0.41	0.00	0.41
27	उत्तर प्रदेश	0.48	0.18	0.66	0.03	0.09	0.12
28	उत्तराखण्ड	0.02	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	2.28	0.96	3.24	0.09	0.00	0.09
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.02	0.07	0.01	0.00	0.01
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली	0.06	0.01	0.07	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.24	0.12	0.36	0.08	0.00	0.08
	जोड़	326.27	56.72	382.99	276.26	25.24	301.50

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना की निगरानी

3751. श्री नवीन जिन्दल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) की निगरानी के लिए नई प्रक्रिया तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'नेशनल मानिटर्स' तैनात किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने उक्त योजना से खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग की रिपोर्ट दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई राष्ट्रीय मानीटर नहीं है जिसे विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए तैनात किया गया हो।

(घ) और (ङ) तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और ओआरजी–मार्ग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों (जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भाग के रूप में अंत्योदय अन्न

योजना भी कवर की गई है) के बाद देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों के 5 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इसके बाद 29.3.2006 को राज्य खाद्य मंत्रियों और सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इन सम्मेलनों में प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नानुसार एक 9–सूत्री कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु तैयार किया गया था :–

1. राज्यों को तीन माह के अंदर जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खंड 9 के अधीन मांगी गई सूचना भी भेजी जाए।

3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाए, लाइसेंस स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिए जाएं।

4. सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिएं।

5. खाद्यान्नों का जिला–वार और उचित दर दुकान–वार आवंटन वैबसाइट और अन्य प्रमुख स्थानों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता इसकी समीक्षा कर सके।

6. जहां कहीं संभव हो, राज्यों द्वारा सामान की ढुलाई करने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों/थोक विक्रेताओं को अनुमति देने के बजाय खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

7. उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और राशन कार्डधारकों के लिए वितरण की निर्धारित तारीखें सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए।

इस मुद्दे पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा समय–समय पर होने वाली राज्य खाद्य सचिवों की बैठकों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा की जाती है।

कर्नाटक की कलसा और बन्दुरीनाला योजनाएं

3752. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत कलसा और बन्दुरीनाला योजनाएं, परियोजना प्रस्ताव लम्बे समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) हुबली/धारवाड़ नगरों की पेय जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कलसा तथा बन्दुरीनाला योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा महादायी/मदेई बेसिन से मालप्रभा बेसिन में 7.56 टीएमसी जल के विपणन के लिए अन्तर्राज्यीय दृष्टि से प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कर्नाटक सरकार ने अप्रैल, 2002 में अनुरोध किया है। हुबली/धारवाड़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2002 को इस प्रस्ताव को जल उपलब्धता की दृष्टि से स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय द्वारा दी गई इस स्वीकृति पर गोवा सरकार ने जुलाई, 2002 में कड़ी आपत्ति व्यक्त की तथा विवाद के निपटान के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय दल विवाद अधिकरण के गठन की मांग की है। इसको देखते हुए मंत्रालय द्वारा दी गई "सैद्धांतिक" स्वीकृति को सितम्बर, 2002 में आस्थगित रखा गया जिससे कि इस मामले को दोनों राज्यों के बीच समझौते द्वारा हल किया जा सके, जिसके न होने पर अधिकरण के फैसले द्वारा हल किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस विवाद को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

डेयरी विकास प्रस्ताव

3753. डा. वीरेन्द्र अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास हेतु राज्य सरकारों विशेषतः झारखंड से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान झारखंड राज्य सरकार से रांची, सिंघभूम और सरायकेला–खरसवान जिलों के लिए "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, परियोजना की व्यवहार्यता को देखते हुए, रांची जिले के लिए प्रस्ताव को 294.29 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था और 31.3.2007 तक इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 166.89 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को सहायता

3754. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को उनकी आय सृजन के लिए सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) "ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास योजना" नामक कोई योजना प्रचालन में नहीं है।

[अनुवाद]

सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल्स

3755. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) द्वारा राज्य–वार कितने सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटलस प्रशासित/प्रत्यक्षतः चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल्स खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ई एस आई सी के राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या राज्य तथा केन्द्र सरकार इन दोनों के दोहरे नियंत्रण के कारण ई एस आई सी द्वारा उचित ढंग से सेवाएं उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) :(क) शून्य

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी 133वीं बैठक में चार मण्डलों में उच्च विशेषज्ञता वाले चार अस्पतालों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, अस्पताल सेवाएं परामर्श निगम, भारत सरकार को हैदराबाद (दक्षिण मण्डल) में उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अस्पताल सेवाएं परामर्श निगम की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया था और रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि उच्च विशेषज्ञता अस्पताल की स्थापना के संबंध में विशेष रूप से इसकी साध्यता और वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में नए सिरे से विचार किया जाए।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ङ) और (च) बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा सीधे चलाए जा रहे अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देख–रेख प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली चिकित्सा देखरेख के प्रावधानों पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के व्यय का हिस्सा, समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का 87.5 प्रतिशत तक है। शेष व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे चिकित्सा देखरेख सेवाओ को प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य में अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए अपने अधिकार में लिया है।

आदिनांक, देश में 21 आदर्श अस्पताल हैं। आदर्श अस्पतालों पर होने वाले कुल व्यय का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जहां कहीं राज्य सरकार विशेष अनुरोध करती है उन राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को अपने अधिकार में लेने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है बशर्ते की वह रूपात्मकताएं, साध्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

(iv) परिक्रामी कायिक निधि स्कीम आरंभ की गई है जिसमें राज्य सरकार के अनुरोध पर निधियां क्षेत्रीय निदेशक के पास रखी जाती हैं और उच्च विशेषज्ञता इलाज, दवाइयों और मरहम–पट्टी के संबंध में राज्य चिकित्सा आयुक्त और क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है।

विवरण

राज्य द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की सूची

क्रम संख्या	राज्य	अस्पताल (2005–06)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	–
3.	बिहार	2
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	–
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	दिल्ली	–
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	11
9.	हरियाणा	05
10.	हिमाचल प्रदेश	01
11.	कर्नाटक	08
12.	केरल	12
13.	मध्य प्रदेश	06
14.	महाराष्ट्र	13
15.	मेघालय	–
16.	उड़ीसा	05
17.	पांडिचेरी	01
18.	पंजाब	06
19.	राजस्थान	04
20.	तमिलनाडु	08
21.	उत्तर प्रदेश	15
22.	उत्तरांचल	–
23.	पश्चिम बंगाल	13
24.	जम्मू और कश्मीर	–
25.	झारखंड	02
	योग	123

धनश्री तथा चम्पामति बहुद्देशीय परियोजना

3756. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार असम में धनश्री और चम्पामति सिंचाई बहुद्देशीय परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना का निर्माण किस तिथि से शुरू किया गया और वास्तविक अनुमानित लागत कितनी थी अब तक इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए अब तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, धनश्री सिंचाई परियोजना की समग्र वास्तविक प्रगति 76% है चम्पावती सिंचाई परियोजना की प्रगति 60% है।

(ख) विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	शुरू करने का वर्ष	योजना आयोग द्वारा मूल स्वीकृत लागत/ (स्वीकृति का वर्ष)	अद्यतन अनुमानित लागत (2004 के मूल्य स्तर पर)
1.	धनश्री	1975–76	15.83(1975)	401.24
2.	चम्पावती	1980	15.32(1980)	147.24

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, धनश्री सिंचाई परियोजना प्रथम चरण में है और चम्पावती सिंचाई परियोजना के 2009 में पूरा होने की संभावना है।

(घ) संघ सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मार्च, 2007 तक केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में धनश्री सिंचाई परियोजना को 34.69 करोड़ रुपये तथा चम्पावती सिंचाई परियोजना को 13.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम

3757. श्री रमेश बर्मन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठित कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक किन राज्यों में यह कार्य पूरा किया गया है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी नहीं। 150 क्यूसेक क्षमता वाली वितरिकाओं तक की प्रणालीगत कमियों के सुधार और लघु सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के नए घटकों को छोड़कर पुनर्संरचित कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति संतोषजनक रही है।

(ख) 150 क्यूसेक क्षमता वाली वितरिकाओं तक की प्रणालीगत कमियों के सुधार और लघु सिंचाई टैंकों के पुनरुद्धार के नए घटकों के क्रियान्वयन हेतु वैध जल प्रयोक्ता संघों के गठन की पूर्वापेक्षा है जिसमें समय लग रहा है क्योंकि कई राज्यों में अभी तक नया सहभागिता सिंचाई प्रबंधन अधिनियम नहीं बनाया है या फिर जल प्रयोक्ता संघों के गठन को सुकर बनाने हेतु विद्यमान सिंचाई अधिनियम में संशोधन नहीं किए हैं।

(ग) पुनर्संरचित कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं, गोवा को छोड़कर जहां सभी सीएडी परियोजनाएं कार्यक्रम की पुनर्संरचना से पहले पूरी कर ली गई थीं, सभी राज्यों में जारी हैं।

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन की आवधिक रूप से मानीटरिंग और समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

बीहड़ों में भूमि कटाव

3758. श्री अशोक अर्गल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बीहड़ों में भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा भूमि कटाव के कारण कितनी अनुमानित कृषि भूमि बीहड़ में बदल गई है;

(घ) क्या चंबल नदी के किनारे बसे गांव भी भूमि कटाव का शिकार हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण (एनआरएसए) द्वारा 2003 में किए गए आकलन के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 16,469 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि विद्यमान बीहड़ों में मिलती जा रही है।

(घ) और (ङ) चम्बल नदी अथवा इसकी सहायक नदियों के लगभग 2 कि.मी. विस्तार के अंदर स्थित गांव खड्ड कटाव की चपेट में

हैं। कोटा (राजस्थान) में स्थित केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीएसडब्ल्यूसीआर एंड टीआई) के अनुसंधान केन्द्र ने चम्बल बीहड़ों के सुधार हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए हैं। इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा विभिन्न वाटर शैड/परतीभूमि विकास कार्यक्रमों के अन्तग्रत मध्य प्रदेश में चम्बल बीहड़ की लगभग 3 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार किया गया है।

[अनुवाद]

दवाओं के मूल्य

3759. श्री सुव्रत बोस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दवाओं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार से किसी दवा के मूल्य में वृद्धि करने हेतु अनुमति मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो इन दवाओं के नाम सहित मूल्य वृद्धि के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनके मूल्य उक्त अवधि के दौरान कम हुए हैं या कम किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। इन औषधों को सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया है। अनुसूचीबद्ध औषधों एवं फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन डीपीसीओ, 95 के तहत एक सतत प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य, उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

भारत में दवाओं की कीमतों में सामान्य-वस्तुओं की तुलना में कम वृद्धि हुई है जो कि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है।

पिछले वर्ष की तुलना में डब्ल्यूपीआई में % परिवर्तन

(स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

वर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
औषधें एवं दवाएं	5.85	3.48	0.71	2.55	2.37	4.10*
सभी वस्तुएं	7.16	3.60	3.41	5.46	6.48	4.41*

* अनन्तिम

नोट – वर्ष 2006–07 के लिए डब्ल्यूपीआई को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एनपीपीए, अपने मूल्य मानीटरिंग कार्यकलाप के अंग के रूप में गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की इस प्रयोजन के लिए तैयार आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर नियमित रूप से जांच करता है। अनुभव के आधार पर एनपीपीए द्वारा इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन दिशानिर्देशों का पूरे फार्मा उद्योग हेतु समान रूप से अनुसरण किया जाता है।

वर्षवार ब्यौरा और 2004–05 से अनुसूचीबद्ध दवाओं की कीमतों में वृद्धि निम्नानुसार है:

	2004–05		2005–06		2006–07	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मूल्य वृद्धि	42	12.65	99	9.72	131	12.84
मूल्य कटौती	133	40.06	398	39.10	340	33.33
प्रथम बार निर्धारित मूल्य	144	43.37	480	47.15	522	51.18
कीमत में कोई परिवर्तन नहीं	13	3.92	41	4.03	27	2.65
योग	332	100	1018	100	1020	100

बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सा योजना

3760. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों के लिए व्यापक चिकित्सा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार पहले से ही पूरे देश में श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए एक व्यापक चिकित्सा योजना तैयार कर चुकी है। हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के मामले में निम्नानुसार प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है :

(i) हृदय रोग हेतु 1.30 लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति,

(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु 2 लाख रुपये,

(iii) छोटी शल्य चिकित्सा हेतु 30,000/-रुपये,

(iv) कैंसर उपचार के मामले में पूर्ण प्रतिपूर्ति।

पेनगंगा परियोजना

3761. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पेनगंगा परियोजना को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण तथा वन मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध विभागों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त मंजूरी प्राप्त होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 14.11.2006 को लोअर पेनगंगा परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई। राज्य सरकार को अभी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। केन्द्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार को मूल्यांकन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) और (ग) परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय एवं वन संबंधी स्वीकृति और पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के लिए जनजातीय मामला मंत्रालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जानी है।

(घ) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करने में लग रहा समय इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करने में कितनी तत्परता दिखाती है।

कृषि अनुसंधान हेतु धनराशियों की कमी

3762. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कृषि अनुसंधान परियोजनाएं धनराशियों की कमी के कारण प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि अनुसंधान के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निधि का आबंटन प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

वर्ष	बजट आकलन (रु. करोड़ में)
2005-06	1150.00
2006-07	1350.00
2007-08	1620.00

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार का बंद होना

3763. श्री एस. के. सारवेलनथन :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार के बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हुए;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इसके पुनरुद्धार का प्रस्ताव किस चरण में है;

(ग) इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा तथा इसके लिए किस प्रकार की पद्धतियों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) किस प्रकार बेरोजगार कर्मचारियों के दावों को निपटाया गया/निपटाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली के परिसमापक ने सूचित किया है कि सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा सुपर बाजार को बंद किए जाने के आदेश जारी किए जाने के बाद 897 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के विकल्प को अपनाया और 12 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया।

(ख) और (ग) 4 अप्रैल, 2007 को हुई सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और इंडियन पोटाश लिमिटेड व इंडियन लेबर कोआपरेटिव सोसायटी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा उनको कानून के अनुसार प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की अनुमति दी। कृषि और सहकारिता विभाग ने 24.4.2007 को इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और इंडियन लेबर कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने के लिए क्रियाविधियों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति तथा स्कीम/प्रस्ताव की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया। जिसमें अन्य बातों के अलावा सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार किए जाने वाले निवेश को दर्शाया गया हो ताकि सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकें। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 10.5.2007 तय की गई है।

(घ) सुपर बाजार के परिसमापक ने सूचित किया है कि जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के विकल्प को अपनाया था उन सभी के सेवांत लाभों का भुगतान कर दिया गया है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में ऐसे कर्मचारियों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।

विशेष बागान जोनों को स्थापित करना

3764. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में विशेष बागान जोनों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसके लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कब तक उक्त जोनों को स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में विशेष बागवानी अंचलों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शीतागारों को स्थापित करना

3765. श्री एम. शिवन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की स्थापना हेतु राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने के लिए शीतागारों को स्थापित करने हेतु सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की स्थापना के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने कृषि उत्पादों की बरबादी में कमी लाने के लिए शीतागारों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से कोई मांग नहीं की है। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान 54,696 मी.टन क्षमता वाले 9 शीतागारों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य में उद्यमियों को 363.89 लाख रु. की राशि प्रदान की गई है।

(घ) चूंकि वित्तीय वर्ष 2007-08 अभी शुरू हुआ है, अतः राज्यों को सहायता देना अभी बाकी है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान शीतागारों की स्थापना के लिए दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा

2004–2005 से 2006–07 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	क्षमता (मी.टन)	सहायता (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	42	247311	1443.85
2.	असम	10	46400	513.30
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00
4.	बिहार	48	181942	1310.24
5.	छत्तीसगढ़	9	40313	335.22
6.	दिल्ली	1	1000	5.00
7.	गोवा	0	0	0.00
8.	गुजरात	20	77636	569.99
9.	हरियाणा	8	16479	112.69
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00
11.	झारखण्ड	9	38664	258.38
12.	जम्मू और कश्मीर	1	114	1.14
13	कर्नाटक	27	141571	1158.22
14	केरल	3	9850	98.50
15.	मध्य प्रदेश	18	60849	446.86
16.	महाराष्ट्र	93	86709	637.38
17.	नागालैण्ड	0	0	0.00
18	उड़ीसा	4	21500	193.53
19.	पंजाब	43	121141	1019.57
20.	राजस्थान	15	43226	324.99
21.	तमिलनाडु	22	59343	776.58
22	त्रिपुरा	0	0	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	305	1541445	9878.59
24.	उत्तरांचल	0	0	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	24	103074	781.35
	योग	702	2838567	19865.38

पर्यावरण क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग

3766. श्री परशुराम माझी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पर्यावरण क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पर्यावरण के कौन–कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नचोनारायन मीना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने युनाइटेड स्टेट्स पर्यावरण सुरक्षा अभिकरण के साथ वर्ष 2002 में एक समझौता ज्ञापन किया है जिसके अंतर्गत विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों जैसे, वायु और जल गुणवत्ता प्रबंधन, विषैले रसायनिकों और संकटमय, अपशिष्टों का प्रबंधन, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय गवर्नेन्स, पर्यावरणीय निगरानी और आंकलन आदि में द्विपक्षीय सहयोग चल रहा है। हाल ही में, 2 अप्रैल, 2007 को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और यू एस ई पी ए द्वारा आपसी सहमति से इस समझौता ज्ञापन को पांच वर्षों की और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

एच एफ सी एल कर्मचारियों को क्वार्टर सौंपा जाना

3767. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एच एफ सी एल) के क्वार्टर कर्मचारियों को नहीं सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी नहीं।

(ख) दुर्गापुर इकाई के पुनरुद्धार की संभावना को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं सौंपे गए हैं।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमि. की नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित किए गए हैं। कंपनी के 230 पूर्व–कर्मचारियों को भी पट्टा योजना (लीजिंग स्कीम) के अंतर्गत दुर्गापुर में आवासीय क्वार्टर आबंटित किए गए हैं। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कर्मचारियों को सीधी बिक्री के आधार पर क्वार्टर नहीं सौंपने के निर्णय को देखते हुए, उपचारात्मक कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समेकित वन योजना

3768. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–07 के लिए केन्द्रीय समेकित वन योजना के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) केन्द्रीय समेकित वन योजना (सी आई एफ एस) नाम की कोई योजना नहीं है। तथापि वर्ष 2006–07 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत तीस वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन वार्षिक कार्यक्रमों की जांच की गई थी। इनमें से दो प्रस्ताव, योजना के दिशा निर्देशों और लागत मानकों के अनुरूप नहीं थे और संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस बारे में सूचित किया गया था। अठारह राज्यों के लिए कार्य योजना मंजूर की गई थी और पहली किश्तें जारी की गई थी। शेष दस मामलों में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावों की जांच की गई थी। तथापि, गत वर्षों में जारी निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र और प्रगति रिपोर्टें न भेजने के कारण, दस राज्यों को नई निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

दूध तथा डेयरी उत्पादों का आयात

3769. श्री तूफानी सरोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूध उत्पादन में कमी के कारण दूध तथा डेयरी उत्पादों का आयात अभूतपूर्व तेजी से बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान इनके आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 2003–04 से 2005–06 तक के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात में धीरे–धीरे कमी आई जबकि 2003–04 से 2006–07 की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन 2006–07 में 88.1 मिलियन टन से बढ़कर 100 मिलियन टन तक हो गया था (अनन्तिम)। तथापि, अप्रैल, 2006 से नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान वर्ष 2005 की समरूप अवधि की तुलना में दुग्ध उत्पादों का आयात बढ़ा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

जिन्स	वर्ष	मात्रा	% वृद्धि
आईटीसी (एचएस कोड 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 के अधीन दुग्ध और	2005–06 (अप्रैल–नवम्बर)	3232.83	–
अन्य डेयरी उत्पाद	2006–07 (अप्रैल से नवम्बर)	9929.99	207.16

[अनुवाद]

जायफल का उत्पादन

3770. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जायफल का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इसका उत्पादन कितना दर्ज किया गया है;

(ग) क्या किसान जायफल के निम्न मूल्य के कारण कठिनाई में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां।

(ख) मसाला बोर्ड कोचीन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जायफल के राज्यवार उत्पादन इस प्रकार हैं :

(उत्पादन मीट्रिक टन में)

राज्य	2003–04	2004–05	2005–06 (पी)
केरल	2427	2700	2746
कर्नाटक	120	151	151
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	3	5	5
कुल	2550	2856	2902

(पी) अनन्तिम

(ग) केरल में कोचीन मार्किट में पिछले तीन वर्षों में जायफल छिलके सहित के औसत मूल्य में गिरावट की प्रवृति दिखी है जबकि 2006–07 में जायफल छिलके रहित की कीमत में वृद्धि हुई है। इस मामले में आधारभूत आंकड़े सारणी में दर्शाए गए हैं :

(मूल्य रुपए/किलोग्राम में)

वर्ष	औसत मूल्य	
	जायफल छिलके सहित	जायफल छिलके रहित
2004–05	106.62	187.79
2005–06	102.34	179.55
2006–07	96.26	188.89

(घ) नष्ट होने वाली कृषि तथा बागवानी जिन्सों जिनमें जायफल शामिल है, के उत्पादकों को अलाभकारी मूल्यों से बचाने हेतु, एक योजना नामतः बाज़ार हस्तक्षेप योजना है जोकि राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है। इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मसाला बोर्ड, मसालों जिसमें जायफल शामिल है के निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से निर्यात वृद्धि कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

गैर-बागान उत्पादों के लिए भंडारण सुविधाएं

3771. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में गैर–बागान उत्पादों के समुचित भंडारण के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता के संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में गैर–बागान उत्पादों के लिए राज्यवार वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए भंडारण क्षमता की राज्यवार आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) 28.2.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध वर्तमान राज्यवार भंडारण क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) 2007–08 के दौरान 25,000 टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 2007–08 के लिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण की योजना स्कीम के लिए 18.40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता (आंकड़े लाख टन में)
1	2
बिहार	2.10
झारखण्ड	1.42
उड़ीसा	2.60
पश्चिम बंगाल	4.46
सिक्किम	0.02
असम	2.94
अरुणाचल प्रदेश	0.20
मेघालय	0.24
मिजोरम	0.16
त्रिपुरा	0.42
मणिपुर	0.16

1	2
नागालैण्ड	0.28
दिल्ली	0.96
हरियाणा	0.62
हिमाचल प्रदेश	0.64
जम्मू व कश्मीर	1.20
पंजाब	0.40
चंडीगढ़	0.00
राजस्थान	2.40
उत्तर प्रदेश	7.72
उत्तराखंड	0.54
आन्ध्र प्रदेश	12.36
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04
केरल	1.74
कर्नाटक	4.34
तमिलनाडु	6.32
पांडिचेरी	0.02
गुजरात	1.68
महाराष्ट्र	4.86
गोवा	0.06
मध्य प्रदेश	3.80
छत्तीसगढ़	1.46
दमन व दीव	0.00
दादर और नगर हवेली	0.00
जोड़	131.02

विवरण-II

28.02.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप), रखे गए स्टाक को दर्शाने वाला ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ढकी हुई भंडारण क्षमता			कैप (खुली) भंडारण क्षमता			जोड़ ढकी हुई और कैप	कुल स्टाक	उपयोग प्रतिशत
		अपनी	किराए की	जोड़	अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिहार	3.66	1.55	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	2.15	41
2	झारखण्ड	0.66	0.52	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.99	84
3	उड़ीसा	2.93	3.43	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36	4.15	65
4	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	8.74	1.35	10.09	0.00	0.00	0.00	10.09	3.48	34
	पूर्व जोन का जोड़	15.99	6.85	22.84	0.00	0.00	0.00	22.84	10.77	47
5	असम/अरुणाचल प्रदेश	2.17	0.56	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.95	35
6	मेघालय	0.14	0.15	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.19	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	मिजोरम	0.17	0.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.04	22
8	त्रिपुरा	0.22	0.13	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.23	66
9	दीमापुर	0.40	0.12	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.17	33
	उत्तर–पूर्व जोन का जोड़	3.10	0.97	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	1.58	39
10	दिल्ली	3.36	0.00	3.36	0.34	0.00	0.34	3.70	1.14	31
11	हरियाणा	7.70	10.65	18.35	3.17	0.00	3.17	21.52	7.50	35
12	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.13	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	67
13	जम्मू और कश्मीर	0.96	0.16	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.85	76
14	पंजाब/चंडीगढ़	22.24	36.85	59.09	6.41	0.09	6.50	65.59	39.35	60
15	राजस्थान	7.06	0.29	7.35	1.58	0.10	1.68	9.03	3.59	40
16	उत्तर प्रदेश	14.96	6.12	21.08	4.19	0.00	4.19	25.27	5.53	22
17	उत्तराखण्ड	0.66	0.69	1.35	0.09	0.02	0.11	1.46	0.90	62
	उत्तर जोन का जोड़	57.08	54.89	111.97	15.78	0.21	15.99	127.96	59.04	46
18	आन्ध्र प्रदेश	12.73	20.06	32,79	1.97	0.00	1.97	34.76	17.87	51
19	केरल	5.12	0.00	5.12	0.21	0.00	0.21	5.33	2.16	41
20	कर्नाटक	3.73	0.81	4.54	1.37	0.00	1.37	5.91	2.92	49
21	तमिलनाडु/पांडिचेरी	6.25	1.10	7.35	0.68	0.00	0.68	8.03	4.81	60
	दक्षिण जोन का जोड़	27.83	21.97	49.80	4.23	0.00	4.23	54.03	27.76	51
22	गुजरात	5.00	0.56	5.56	0.81	0.00	0.81	6.37	3.97	62
23	महाराष्ट्र/गोवा	11.92	2.69	14.61	1.42	0.00	1.42	16.03	7.20	45
24	मध्य प्रदेश	3.37	1.70	5.07	0.35	0.00	0.35	5.42	4.91	91
25	छत्तीसगढ़	5.12	1.47	6.59	0.76	8.18	8.94	15.53	13.30	86
	पश्चिम जोन का जोड़	25.41	6.42	31.83	3.34	8.18	11.52	43.35	29.38	68
	सकल जोड़ (समस्त भारत)	129.41	91.10	220.51	23.35	8.39	31.74	252.25	128.53	51

धनराशि का दुरुपयोग

3772. श्री एम. अप्पादुरई : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार गैर–सरकारी संगठनों को बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए सरकार ने कितनी राशि आबंटित की;

(ख) क्या सरकार ने धनराशियों के दुरुपयोग हेतु गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) सरकार उन जिलों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता–अनुदान स्कीम चला रही है जो बाल श्रम परियोजना स्कीम और इंडस परियोजनाओं द्वारा कवर नहीं होते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों के कल्याण के लिए विशेष स्कूल चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को आबंटित राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई विशेष शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गत राशि		
		2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	असम	3,65,906	4,57,650	4,57,650
2.	बिहार	2,46,285	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	4,57,588	1,14,412	शून्य
4.	हरियाणा	1,70,100	शून्य	शून्य
5.	झारखण्ड	4,57,650	शून्य	शून्य
6.	जम्मू और कश्मीर	11,44,267	शून्य	3,43,238
7.	मध्य प्रदेश	13,17,491	2,16,112	2,28,825
8.	महाराष्ट्र	16,67,377	22,80,342	9,10,766
9.	मणिपुर	5,59;350	23,71,658	18,68,737
10.	नागालैण्ड	शून्य	2,91,669	6,86,475
11.	नई दिल्ली	101742	1774050	6,04,710
12.	उड़ीसा	2618650	3300986	20,54,928
13.	राजस्थान	3252446	968284	17,25,265
14.	त्रिपुरा	68,456	शून्य	2,28,825
15.	तमिलनाडु	1,16,841	शून्य	शून्य
16.	उत्तर प्रदेश	3640640	2950538	19,01,257
17.	पश्चिम बंगाल	1803889	654477	8,19,037

नागार्जुन सागर परियोजना

3773. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से नागार्जुन सागर बांध के माध्यम से गुंटूर जिले के लोगों को जलापूर्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एफ सी आई तथा एच एफ सी एल का पुनरुद्धार

3774. श्री किशनभाई वी. पटेल :
श्री जुएल ओराम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एफ सी आई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी एल) के किन–किन संयंत्रों को बंद किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आर पी एस ई) ने एफ सी आई तथा एच एफ सी एल को बन्द किये जाने के पूर्ववर्ती निर्णय की समीक्षा करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताए गए हैं तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन संयंत्रों में उत्पादन कब से पुनः शुरू हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के जिन संयंत्रों को बंद किया गया था उनके नाम और उनको बंद करने की तारीखे नीचे दी गई हैं :

एफसीआईएल		एचएफसीएल	
संयंत्र/इकाई का नाम	बंद करने के सरकारी निर्णय की तारीख	संयंत्र/इकाई का नाम	बंद करने के सरकारी निर्णय की तारीख
सिंदरी (झारखंड)	05.09.2002	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	05.09.2002
गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	18.07.2002	बरौनी (बिहार)	05.09.2002
रामागुंडम (आंध्र प्रदेश)	18.07.2002	हल्दिया (पश्चिम बंगाल) (प्रारंभ नहीं किया गया था)	18.07.2002
तालचर (उड़ीसा)	18.07.2002		
कोरबा (छत्तीसगढ़)	30.07.2002		

इन इकाइयों को बंद करने के कारणों में अन्य कारणों के साथ–साथ प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, क्षमताओं में मेल न होना, फीडस्टॉक से जुड़े मुद्दे, अधिक ऊर्जा खपत शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) बीआरपीएसई को यूरिया की मांग–आपूर्ति में अन्तर, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, मौजूदा अवसंरचना के उपयोग और फीडस्टॉक के रूप में गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एफसीआईएल और एचएफसीएल बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए विकल्प की खोज करने के तर्क में औचित्य नजर आता है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने गैस की सुनिश्चित उपलब्धता की शर्त पर एफसीआईएल और एचएफसीएल के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की 'सिद्धांत रूप में' जांच करने का निर्णय लिया है। इस स्तर पर इन संयंत्रों द्वारा उर्वरक के उत्पादन के लिए कोई निश्चित समय–सीमा तय नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

वर्षा तथा ओला-वृष्टि के कारण फसल की क्षति

3775. श्री मो. ताहिर :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री हंसराज ग. अहीर :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री देविदास पिंगले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फरवरी तथा मार्च, 2007 के महीनों में अप्रत्याशित वर्षा, ओला–वृष्टि तथा तेज हवाओं के कारण गेहूं, दालों तथा अनाजों जैसी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी अनुमानित क्षति की रिपोर्ट की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को राज्य–वार कितनी सहायता प्रदान की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी तथा मार्च, 2007 के दौरान वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण विभिन्न मात्रा में फसलों की हानि की रिपोर्ट दी हैं। राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार/उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रभावित फसल क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है –

राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र
हरियाणा	5.78 लाख एकड़
मध्य प्रदेश	1.74 लाख हैक्टेयर
पंजाब	2.15 लाख एकड़
राजस्थान	2.85 लाख हैक्टेयर
उत्तराखंड	1.54 लाख हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश	4.12 लाख हैक्टेयर

(ग) ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। आवश्यक उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष के तहत राज्यों के पास तत्काल रूप से कोष उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने पर सी.आर.एफ. के अलावा, एनसीसीएफ से अतिरिक्त सहायता पर यदि आवश्यक होता है, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में विचार किया जाता है जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। हरियाणा सरकर ने ओलावृष्टि की स्थिति में एनसीसीएफ से सहायता प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। तथापि, यह आकलित किया गया कि मौजूदा मानकों के अनुसार आवश्यकता सीआरएफ में उपलब्ध कोष से पूरी की जा सकती है और राज्य सरकार को इसके अनुसार सलाह दी गई है। उपरोक्त किसी अन्य राज्य ने हाल की ओलावृष्टि की स्थिति में एनसीसीएफ से सहायता के लिए अब तक कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

वन/पर्यावरण के विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव

3776. श्री अनवर हुसैन :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन तथा पर्यावरण के विकास के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वनों और पर्यावरण के विकास के लिए असम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना प्रस्ताव	की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई
1	2	3
1.	डीप्रर बील नमभूमि संरक्षण	नमभूमियों को वर्ष 1994 में अभिनिर्धारित किया गया तब से डीपर बील के लिए कार्य योजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है डीपर बील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए असम सरकार को अब तक 311.68 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
2.	अरपड बील	संरक्षण और प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित की गई नमभूमियां। नमभूमि को नमभूमि के स्थल दौरा की शर्त पर शामिल किया गया और इस नमभूमि के संरक्षण की प्रबंधन कार्य योजना की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है इसलिए असम में अरपड बील के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की गई।
3.	29 वन विकास एजेंसी परियोजना प्रस्ताव	यह वन विकास प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और दसवीं योजना के दौरान 26,955 हैक्टेयर क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 43.14 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2007 तक 32.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
4.	मानस बाघ रिजर्व के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव	272.41 लाख रुपए के प्रस्ताव के लिए 125.31 लाख रुपए की स्वीकृत वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किश्त 30 लाख रुपए
5.	नामेरी बाघ रिजर्व के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव	126.216 लाख रुपए के प्रस्ताव के लिए 61.86 लाख रुपए के स्वीकृत वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किश्त 57.431 लाख रुपए

1	2	3
6.	एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम	600.00 लाख रुपए के प्रस्ताव (540/– केन्द्र और 40 लाख राज्य की हिस्सेदारी) वर्ष 2006–07 के दौरान जारी राशि 190.26 लाख रुपए
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक असम द्वारा प्रस्तुत सिंगरीहिल्स असम में वनस्पति उद्यान के लिए सहायता	प्रस्ताव की जांच की गई है और प्रस्ताव में सुधार के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक असम को अपनी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।
8.	असम में डिबु साईकोवा जैव मण्डल रिजर्व की प्रबंधन कार्य योजना का कार्यान्वयन 2006–2007	78.60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और वर्ष 2006–07 के दौरान 13.796 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
9.	असम के मानस जीव मण्डल रिजर्व की प्रबंधन कार्य योजना का कार्यान्वयन 2006–2007	प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ठीक नहीं था और प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन नहीं था।

[हिन्दी]

यमुना कार्य योजना-III

3777. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) – III का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित/पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) कार्य योजना के प्रथम दो चरणों के दौरान कितनी निधि खर्च की गई तथा इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस समय, समयसीमा बताना संभव नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा पूरी हो चुकी यमुना कार्य योजना चरण–I और यमुना कार्य योजना–II के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर 31 दिसम्बर, 2006 तक कुल 686.39 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

यमुना कार्य योजना–I के अंतर्गत पूरे हो चुके कार्यों के साथ 753.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन की मलजल शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है और योजना के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रदूषण निवारण की 269 स्कीमें पूरी हो चुकी है। यमुना कार्य योजना–II के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को क्रमशः 387.17 करोड़ रुपए, 124.13 करोड़ रुपए और 62.50 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में 29.40 करोड़ रुपए 15.50 करोड़ रुपए और 10.05 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है जिसमें सीवर लाइन बिछाने, ट्रंक सीवरों का पुर्नरुद्धार, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना और विद्यमान सीवेज शोधन संयंत्रों आदि की क्षमता में सुधार करने जैसे कार्य शामिल है।

[अनुवाद]

शुष्क गन्ने की बिक्री

3778. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2006–07 के दौरान भूजल स्तर में कमी के कारण शुष्क गन्ने का उत्पादन किया;

(ख) यदि हां, तो क्या अब उन्हें अपने उत्पाद बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त गन्ने की खरीद के लिए चीनी कारखानों को निदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी खरीद कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) इन किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) चीनी और गन्ना आयुक्त, आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की सभी चीनी फैक्ट्रियां, गन्ने की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, गन्ना स्वीकार कर रही हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एफ.सी.आई. डिपों को बंद किया जाना

3779. श्री पी. करूणाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंगदीपुरम, केरल में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) डिपो बंद किए जाने के लिए कौन–से कारण उत्तरदायी हैं;

(ख) क्या सरकार ने तदन्तर उक्त डिपो के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त डिपो के कब तक चालू होने की संभावना है;

(घ) क्या मंत्रालय को एफ.सी.आई. के अंगदीपुरम गोदाम में पूरा रेक देने के लिए रेल मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अंगदीपुरम (केरल) में माल–शेड बंद कर दिए जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम अंगदीपुरम डिपु में अपने प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो गया।

(ख) और (ग) रेलवे द्वारा अंशकालिक/पूर्णकालिक मालगाड़ी लगाने पर भारतीय खाद्य निगम केरल में अंगदीपुरम डिपु में अपने प्रचालन पुनः शुरू कर सकता है।

(घ) जी, हां। रेलवे बोर्ड ने सुझाव दिया है कि उनके द्वारा पूरी मालगाड़ी का संचालन किया जा सकता है बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम रेलवे स्टेशन के साथ लगी अपनी भूमि पर पूरी मालगाड़ी को हैंडल करने की साइडिंग का विकास करे।

(ङ) भंडारण गोदामों का निर्माण करने की योजना स्कीम के अधीन भंडारण गोदामों का निर्माण फिलहाल सिक्किम और जम्मू व कश्मीर राज्य सहित केवल उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि जैसे वसूली करने वाले नए उभरते हुए राज्यों को शामिल करने के लिए 11वीं योजना में इस स्कीम के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है। अन्य राज्यों के प्रस्ताव पर संशोधित योजना स्कीम के संदर्श में कार्रवाई की जाएगी।

एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत यूनिट के रूप में गांव को आरंभ किया जाना

3780. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत देश के 100 जिलों में गांव को एक यूनिट के रूप में आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) "समरूप क्षेत्र" दृष्टिकोण आधार पर क्रियान्वित की जाती है। क्रियान्वयक राज्य/संघ शासित प्रदेश राज्य की अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) करने की क्षमता और पर्याप्त विगत उपज आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बीमा के किसी भी यूनिट क्षेत्र अर्थात् तहसील, तालुका, ब्लॉक, मंडल, फिरका, ग्राम पंचायत/ग्राम को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तथापि सरकार द्वारा विद्यमान एनएआईएस में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त दल की सिफारिशों के आधार पर विद्यमान एनएआईएस को आशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बीमा के यूनिट क्षेत्र को कम करके ग्राम पंचायत/ग्राम तक करना शामिल है।

[हिन्दी]

फल के रोगों को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान

3781. श्री मनसुखभाई डी. वसावा
श्री धी.के. हुम्मर

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगों से प्रभावित होने के कारण फल बर्बाद हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रोगों के नियंत्रण के लिए कोई अनुसंधान करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। यदि सावधानी नहीं बरती जाती है तो रोगों की चपेट में आने के कारण फल बर्बाद हो जाते हैं।

(ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, विभिन्न फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और नेटवर्क कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए अनुसंधान किया गया है।

(ग) और (घ) अनुसंधान के परिणामस्वरूप विभिन्न फलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों से जुड़े कवक, जीवाण्विक, रोगाणुक और फफूंदी की पहचान कर ली गई है। फल तुड़ाई पूर्व की स्थितियों सहित पूर्व निपटान कारकों का विवरण, जो रोगों के गंभीर कारक हैं, उनका भी परिकलन किया गया है। फलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोग हैं–ऐन्थ्रोक्नोज, काला विगलन, केले में सिगार–सिरा विगलन, डिप्लोडिया तना–सिरा विगलन, ऐस्पर्जिलस काला विगलन, नीली फफूंदी, जीवाण्विक विगलन, राइजोपस विगलन/काली फफूंदी, फाइटोफ्थोरा विगलन आदि। सामान्य कारक जिनका रोगों के लिए पूर्व–निपटान करना होता है उनमें फलोद्यान में संक्रमण, तुड़ाई और परिवहन के समय घटिया सार–संभाल, अनुपयुक्त दशाओं में भंडारण तथा मौसम संबंधी स्थितियां शामिल हैं। फलों में रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनुसंधान पर आधारित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन सिफारिशों में शामिल हैं–तुड़ाई पूर्व उपचार, उचित सार–संभाल, पूर्व–शीतलन, ग्रेडिंग, निराविषी रसायनों से फलों का पूर्व–उपचार, लीची के मामले में गन्धक का धुआं करना, ग्रेडिंग, उपयुक्त पैकेजिंग तथा फलों के लिए उपयुक्त कूल चेन तापमान बनाए रखना अर्थात् उष्णकटिबंधीय फलों के लिए 12 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं तथा शीतोष्ण फलों के लिए 0–6 डिग्री सेल्सियस।

[अनुवाद]

खनन पट्टे के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु मानदण्ड

3782. श्री जुएल ओराम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन पट्टे की स्वीकृति देने के लिए निर्दिष्ट मानदण्ड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मानदण्डों के अंतर्गत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में कितनी स्वीकृतियां दी गई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे खनन पट्टे प्राप्त करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लंबित परियोजनाओं के लिए इन्हीं मानदण्डों को लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के उपबंधों के अंतर्गत 5 हैक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र के पट्टा क्षेत्र में खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है। यद्यपि एंस्बेस्टोज के खनन से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए खनन पट्टा क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है। नई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के 14 सितम्बर, 2006 को लागू होने से पूर्व केवल 5 हैक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र की मुख्य खनिजों के खनन से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित था।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों की 93 खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। इनमें केन्द्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी कंपनियों तथा निजी व्यक्तियों की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है।

कंपनियों/निजी व्यक्तियों का ब्यौरा	वर्ष			कुल
	2004	2005	2006	
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	05	10	28	43
निजी कंपनियां/ निजी व्यक्ति	09	25	16	50
कुल	14	35	44	93

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुमोदन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए समिति

3783. श्री राकेश सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लोक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र की प्रबंध योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक समिति के गठन का कोई प्रस्ताव महानिदेशक, वन से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन

3784. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वन्यजीवों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधनों में कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना और वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कन्वेंशन (साइटस) का कार्यान्वयन तथा पालतू हाथियों की बिक्री पर एक नए अध्ययन को प्रमुखता से लागू करना शामिल है।

(ग) वन्य पशुओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :–

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय–समय पर संशोधन किए गए हैं और इसे अधिक सख्त बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा बढ़ाई गई है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और व्यापारिक दोहन के प्रति कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण और संकटापन्न प्रजातियों के पर्यावासों को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) बाघ और उनके पर्यावासों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के अधिकार दिए गए हैं।

(vi) भारत सरकार ने वन्य पशुओं और उनके उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव संरक्षण के लिए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(vii) अवसंरचना विकास, अवैध शिकार रोधी कैम्पों की स्थापना, वायरलैस सेटों, वाहनों और आग्नेय आस्त्रों आदि की खरीद के लिए 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(viii) वन्यजीव के सीमापार अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए भारत का नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय करार है।

[हिन्दी]

हड़ताल एवं तालाबंदी

3785. श्री रामदास आठवले :
श्री अबु अयीश मंडल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार हड़ताल तथा तालाबंदी की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) गुजरात सहित देशभर में इस कारण राज्य–वार तथा वर्ष–वार कितने श्रम दिवस बर्बाद हुए हैं;

(ग) इन घटनाओं के कारण विभिन्न राज्यों में रोजगार खोने वाले कामगारों/कर्मचारियों की संख्या राज्य–वार तथा वर्ष–वार कितनी है; और

(घ) औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्यवार संख्या दर्शाने

वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) हड़तालों और तालाबंदियों की घटनाओं के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान गुजरात सहित देश में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण बेकार गए श्रम दिवसों और प्रभावित हुए कामगारों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए एक कार्यढांचे का प्रावधान है। अधिनियम में औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप, मध्यस्थता तथा सुलह कार्रवाई की व्यवस्था है।

विवरण-I

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004			2005			2006 (अनंतिम)		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	(ह. और ता.)	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	(ह. और ता.)	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	(ह. और ता.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	12	12	24	12	11	23	10	13	23
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	1	5	6	1	3	4	0	0	0
बिहार	0	1	1	0	0	0	9	0	9
छत्तीसगढ़	1	5	6	1	0	1	4	0	4
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	3	33	36	10	24	34	8	14	22
हरियाणा	0	11	11	1	16	17	0	15	15
हिमाचल प्रदेश	1	4	5	1	10	11	0	1	1
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	1	–	–	–
झारखंड	0	0	0	0	0	0	4	0	4
कर्नाटक	1	5	6	6	10	16	6	14	20
केरल	3	25	28	4	13	17	8	3	11
मध्य प्रदेश	3	0	3	1	0	1	4	0	4
महाराष्ट्र	5	4	9	4	4	8	9	5	14
मणिपुर	1	0	1	2	0	2	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	1	5	6	2	5	7	7	0	7
पंजाब	0	9	9	2	4	6	0	10	10
राजस्थान	3	12	15	2	18	20	4	14	18
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	74	74	0	65	65	9	41	50
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	1	3	4	0	3	0	0	1	1
उत्तर प्रदेश	9	14	23	2	7	9	5	3	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	2	203	205	3	205	208	14	195	209
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	2	3	5	2	1	3	3	0	3
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	7	0	7
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	49	428	477	57	399	456	111	329	440

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

ह. : हड़ताल

ता. : तालाबंदियां

विवरण-II

हड़तालों और तालाबंदियों की घटना के कारण प्रभावित हुए कामगारों और बेकार हुए श्रम दिवसों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004		2005		2006 (अनंतिम)	
	बेकार गए श्रम दिवस (हजारों में)	प्रभावित कामगार	बेकार गए श्रम दिवस (हजारों में)	प्रभावित कामगार	बेकार गए श्रम दिवस (हजारों में)	प्रभावित कामगार
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	957	100394	1012	198010	2358	68132
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	68	38476	112	19484	0	0
बिहार	146	72227	23	23163	118	40793
छत्तीसगढ़	29	18196	10	7700	23	3405
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	163	27428	187	79469	168	49537
हरियाणा	158	3415	494	21403	406	7944
हिमाचल प्रदेश	25	4247	23	6394	@	48
जम्मू और कश्मीर	0	0	@	145	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखण्ड	0	0	0	उपलब्ध नहीं	32	13404
कर्नाटक	217	160142	458	146295	239	84432
केरल	469	103339	3619	563324	227	107753
मध्य प्रदेश	55	41358	85	84773	70	13263
महाराष्ट्र	1346	854002	1433	931291	435	49091
मणिपुर	52	1077	19	600	0	0

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	72	4714	122	24639	135	48568
पंजाब	310	7200	33	8544	36	2561
राजस्थान	1332	37367	1927	59298	1150	39068
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	538	25189	661	33195	510	94072
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	33	13830	39	4824	@	213
उत्तर प्रदेश	185	53596	133	46951	456	20561
पश्चिम बंगाल	17565	461531	19216	599482	15649	298498
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	12	12034	47	44204	102	22680
दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	32	32459	10	10413	111	78059
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	23865	2072221	29665	2913601	22230	1042082

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला, @ 500 से कम

सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

3786. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :**
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कतिपय प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन तिथियों से सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) लोअर पेनगंगा और जिगांव मुख्य सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः 10.1.2007 और 9.3.2007 को प्राप्त हुई थी। इन दोनों परियोजनाओं पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अंतर्गत यथाअनुमत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रस्तावों पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा 22 मार्च, 2007 को विचार किया गया और कुछ स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी, जो अप्रैल 2007 के मध्य में प्राप्त हुए थे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अनुसार मूल्यांकन को अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के 90 दिनों की अवधि के दौरान भीतर पूरा किया जाना होता है

और उसके बाद तीस दिनों के भीतर निर्णय सूचित किया जाता है। इन प्रस्तावों के संबंध में इसी तरह निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

बागवानी तथा पुष्पकृषि को प्रोत्साहन

3787. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में परम्परागत फसलों से बागवानी तथा पुष्पकृषि की और अग्रसर होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी तथा पुष्पकृषि फसलों के अंतर्गत हेक्टेयर में राज्य–वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) देश में बागवानी तथा पुष्पकृषि को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देशभर में बागवानी तथा पुष्पकृषि उत्पाद के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधायुक्त मंडी खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां, बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है जो कि पुष्प कृषि सहित परम्परागत फसलों के स्थान पर बागवानी फसलों की ओर रुझान का संकेत है।

(ख) वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 के दौरान पुष्प कृषि सहित बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 10वीं योजना के दौरान वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है जिसमें सभी स्टॉक होल्डरों की सक्रिय भागीदारी से क्षैतिज और उर्ध्वाधर सम्पर्क सुनिश्चित किए गए हैं। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल राज्यों सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम एन ई) के अधीन कवर किया गया है, को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस मिशन के अधीन कवर किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत मंडियों, ग्रामीण मंडियों और शीतागारों की स्थापना सहित बागवानी व मुख्य कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों जैसे क्षेत्र कवरेज, जराजीर्ण फलोद्यान्नों के पुनरुद्धार, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित पोषक तत्व प्रबंध/समेकित कीट प्रबंध के संवर्धन तथा मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए किसानों को सहायता मुहैया कराई जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने बागवानी व पुष्पकृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ए ई जेड की अवधारणा शुरू की गई।

(ii) देश में 20 राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्र अनुमोदित किए गए हैं।

(iii) अपेडा निम्नलिखित सहायता स्कीमों के माध्यम से बागवानी तथा पुष्पकृषि के निर्यात को बढ़ावा देता है :–

- अवसंरचना विकास स्कीम।
- मण्डी विकास स्कीम।
- कृमिनाशी अवशेष के परीक्षण हेतु गुणवत्ता विकास स्कीम।
- अनुसंधान एवं विकास स्कीम।
- परिवहन सहायता स्कीम।

(घ) और (ङ) देश में कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में विपणन अवसंरचना के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ताकि बागवानी उत्पाद सहित विभिन्न फार्म उत्पादों के अधिशेष के संभाल, मूल्य वर्धन और विपणन की फसल पश्चात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आधुनिक टर्मिनल मण्डियों की स्थापना का घटक कवर किया जाता है। टर्मिनल मण्डियों को किसानों के उत्पाद के विपणन के लिए किसानों की पहुंच को सुगम बनाने हेतु सुविधाजनक जगह पर स्थित बहुत से संग्रहण केन्द्रों से जोड़ा जाएगा। मण्डियों द्वारा कवर किए जाने वाली जिंसों में फल, सब्जियां, पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, जड़ी–बूटियां, मांस और कुक्कुट शामिल हैं। टर्मिनल मण्डी परियोजनाओं के लिए परिकल्पित सार्वजनिक साझेदारी माडल में जहां निजी उद्यम पूंजी जुटाते हैं और प्रबंधन करते हैं वहां राज्य सरकार विनियामक मंजूरी देती है तथा केन्द्र सरकार परियोजना की साम्या पूंजी के अंश को मंजूरी प्रदान करती है। दसवीं योजना (2005–06 और 2006–07) के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत टर्मिनल मण्डियों के अतिरिक्त 3855 शीतागारों और 846 मण्डियों को अनुमोदित किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न बागवानी फसलों का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

क्षेत्र '000' हैक्टे. में
उत्पादन '000' एमटी में

राज्य	फल		सब्जी		पुष्प		बादाम/अखरोट			मसाले		बागानी फसलें		खुम्भी व शहद		कुल	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
						खुले		तराशे									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अंडमान और निकोबार	3.9	22.1	4.0	23.3							1.4	1.9	29.8	101.9		39.1	149.2
आन्ध्र प्रदेश	656.00	7580 1	248.0	2882.3	12.9	49.1	43.9				333.4	722.8	248.3	1290.8		1498.6	12525.1
अरुणाचल प्रदेश	48.4	101.2	20.2	80.9				3.1	0.1		6.6	36.7				78.3	218.9
असम	94.3	1181.2	198.8	1958.9							27	18.1	95.3	223.3		415.4	3158.2
बिहार	307.2	3454.8	815.0	13296.9	0.1	1.8	10.8				99.8	68.7				1222.1	16822.2
चंडीगढ़	0.1	1.1	0.1	1.7												0.2	2.8
छत्तीसगढ़	17.0	401.1	61.1	1554.1	0.0	0.1					56.9	23.9				135.0	1979.2
दादरा और नागर हवेली	0.7	7.1	1.5	13.5												2.2	20.6
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0										0.0	0.1
दिल्ली	0.1	1.0	43.7	626.8	4.5	25.0										48.3	652.8
गोवा	10.3	81.6	7.8	74.7									81.7	156.9		99.8	313.2
गुजरात	201.3	2957.4	248.3	3515.2	4.9	30.2					416.9	366.8	16.0	111.7		887.4	6981.3
हरियाणा	31.6	257.2	203.9	2703.3	4.3	58.3	460.5									239.8	3018.8
हिमाचल प्रदेश	201.8	588.2	59.3	877.2	0.3	1.5	379.9	10.4	3.4							271.8	1470.3
जम्मू और कश्मीर	157.6	1180.4	34.7	462.9	0.1	0.2	2.5	84.6	107.8		4.3	1.4				281.3	1752.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
झारखण्ड	31.8	296.3	110.6	1197.2												142.4	1493.5
कर्नाटक	242.5	3833.4	363.3	4176.9	18.2	143.3	5591.6				24275	217.8	624.9	1776.5		1491.4	10147.9
केरल	170.5	1002.2	99.2	2602.9							292.2	158.3	119.0	5689.7		1680.9	9453.1
लक्षद्वीप	0.3	1.1	0.2	0.2									2.7	53.61		3.2	54.3
मध्य प्रदेश	47.2	910.2	164.7	2377.0							502.7	366.2				714.6	3653.4
महाराष्ट्र	1265.0	9769.7	370.0	4132.1	8.4	48.5		2.9	6.0		112.5	106	168.0	398.4		1926.8	14460.7
मणिपुर	51.2	320.9	13.4	86.0	0.5	0.7					14	9.4				79.1	417.0
मेघालय	23.8	199.6	32.7	270.5							17.5	71.5	11.2	14.2		85.2	555.8
मिजोरम	21.2	42.5	5.7	24.0	0.1	0.0	0.6				6.8	35.3	2.0	5.3		35.8	107.1
नागालैण्ड	13.3	48.9	11.9	88.1							3.5	24.2	1.1	2.5		29.8	163.7
उड़ीसा	227.2	1353.4	655.3	8030.9	0.3	0.1	11.0				235.8	216.5	179.4	314.4		1298.0	9915.3
पांडिचेरी	1.0	21.2	4.4	71.9									20.4	46.0		25.8	139.9
पंजाब	43.6	628.2	153.0	2588.1	0.6	3.0					11	30.2				208.2	3249.5
राजस्थान	23.4	221.6	116.5	527.6	1.9	2.2					2447.9	2127.8				2589.7	2878.6
सिक्किम	10.0	8.1	16.1	75.0	0.0		9.0				32.1	29.6				58.2	112.7
तमिलनाडु	221.0	3609.4	187.1	4672.7	20.3	161.7					144.6	191.8	453.3	2616.6		1026.3	11252.2
त्रिपुरा	30.8	487.4	32.0	352.2							4.5	17.6	6.7	13.9		74.0	871.1
उत्तर प्रदेश	269.4	2320.4	819.5	14862.0	6.3	9.8	2650.0				49.3	133.1				1144.5	17325.3
उत्तरांचल	79.0	644.6	41.0	447.3	0.1	0.6		4.9	4.1		5.9	33.4				130.9	1130.0
पश्चिम बंगाल	172.9	2111.6	1165.9	18510.6	17.3	43.6	8766.6				86.1	104.4	42.6	1345.0		1484.8	21115.2
कुल	4675.4	45644.6	6308.9	93165.0	101.1	579.7	17925.8	105.9	121.4		5155.3	5113.3	3102.4	13160.9	50.0	19449.0	157834.9

उत्पादन (तराशे)= उत्पादन (लाख संख्या में)

कुल योग में उत्पादन के आंकड़ों के तराशे गए पुष्पों का उत्पादन शामिल नहीं है।

जहां वर्तमान आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान विभिन्न बागवानी फसलों का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

क्षेत्र '000' हैक्टे. में
उत्पादन '000' एमटी में

राज्य	फल		पुष्प		बादाम/अखरोट		मसाले		बागानी फसलें		सुगंधित		खुम्भी व शहद		कुल	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अंडमान और निकोबार	4.1	23.4	7.1	30.8						1.4	1.9	29.8	101.9				42.4	158.1
आन्ध्र प्रदेश	652.0	7735.4	258.5	3861.9	15.7	57.9	83.6			350.5	960.8	298.4	220.2	6.5	6.5		1575.2	12842.7
अरुणाचल प्रदेश	507	103.2	20.4	78.8				3.1	0.1	6.6	36.7						80.8	218.8
असम	93.3	1151.0	194.5	2020.4						27.0	18.1	95.3	223.3				410.1	3412.9
बिहार	276.1	2769.5	812.1	13285.2	0.1	1.8	11			99.8	68.7	0.4	3.6				1188.5	16128.8
चंडीगढ़	0.1	1.1	0.1	1.7													0.2	2.8
छत्तीसगढ़	48.7	343.2	125.1	1266.3	1.5	2.8				56.9	23.9						232.2	1636.2
दादरा और नागर हवेली	0.7	7.1	1.5	13.5													2.2	20.6
दमन और दीव	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	00											0.1	0.2
दिल्ली	0.1	1.0	43.7	626.8	4.5	25.0											48.3	652.8
गोवा	10.3	81.6	7.8	74.7								81.7	150.9				99.8	307.2
गुजरात	251.9	4014.4	331.5	4867.9	7.0	41.8	1969			416.9	366.8	16.0	111.7				1023.3	9402.6
हरियाणा	24.1	232.2	207.8	2980.4	4.8	55.6	508										236.6	3268.2
हिमाचल प्रदेश	207.3	720.6	59.1	1013.5	0.4	2.2	181.7	10.4	3.4								277.2	1739.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
जम्मू और कश्मीर	167.5	1217.6	52.1	843.0	0.2	0.9	110	84.6	107.8	4.3	1.4						308.8	2170.7
झारखण्ड	33.2	403.4	223.6	3394.9													256.8	3798.3
कर्नाटक	255.3	4078.7	371.0	4513.1	20.4	142.6	12655			251.5	596.1	730.8	495.7				1629.0	9826.2
केरल	314.3	1518.7	55.5	2490.1						322.4	167.8	1097.7	4244.8				1789.6	8421.4
लक्षद्वीप	0.3	0.8	0.2	0.2								2.7	53.0				3.2	54.0
मध्य प्रदेश	47.9	1033.0	185.0	2621.0	1.7	1.0				265.8	315.0			15.6	93.0		516.0	4063.0
महाराष्ट्र	1346.5	10586.3	372.2	4044.4	8.7	51.7		2.9	6.0	112.5	106.0	180.0	452.4				2022.8	15246.8
मणिपुर	51.2	320.9	13.4	86.0	0.5	0.7				14.0	9.4						79.1	417.0
मेघालय	23.8	199.6	32.7	270.5		0.0				17.5	71.5	11.2	14.2				85.2	555.8
मिजोरम	21.2	42.5	5.7	24.0	0.1	0.0	0.6			6.8	35.3	2.0	5.3				35.8	107.1
नागालैण्ड	13.3	48.9	11.9	88.1		0.0				3.5	24.2	1.1	2.5				29.8	163.7
उड़ीसा	233.4	1404.0	655.9	8045.6	0.3	17.3	12.05			235.8	216.5	181.4	317.4				1306.9	10000.7
पांडिचेरी	1.0	21.1	4.5	74.7		0.0						20.4	44.8				25.9	140.6
पंजाब	47.1	679.5	158.6	267.7	0.6	3.1				11.0	30.2						217.3	3390.2
राजस्थान	23.8	257.0	122.9	623.2	3.3	2.6				417.1	424.3			104.9	52.3		567.2	1359.3
सिक्किम	8.2	12.2	17.0	76.5	0.1	0.0	27.7			32.1	29.6						57.4	118.3
तमिलनाडु	224.6	4467.6	215.3	6218.3	23.2	187.3				144.6	191.8	463.7	2618.6				1071.5	13683.6
त्रिपुरा	32.4	503.4	32.7	373.4						4.5	17.6	6.7	13.9				76.2	908.3
उत्तर प्रदेश	274.9	2912.8	840.9	15792.8	8.0	11.9	3527			49.3	133.1						1173.1	18850.6
उत्तरांचल	201.3	788.7	72.8	951.8	0.5	0.6		4.9	4.1	5.9	33.4						285.5	1778.5
पश्चिम बंगाल	166.3	2128.3	1189.0	18103.2	17.9	44.7	8963			86.1	104.4	42.6	344.0				1501.9	20724.6
कुल	5107.1	49808.7	6701.9	101434.3	119.6	651.5	28048.7	105.9	121.4	5155.3	3984.5	3261.9	9418.2	127.0	151.8	50.0	20451.6	165620.3

विवरण

वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न बागवानी फसलों का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

क्षेत्र '000' हैक्टे. में

उत्पादन '000' एमटी में

राज्य/संशा. क्षेत्र	फल		सब्जी		पुष्प			सुगंधित		बादाम/अखरोट		मसाले		बागानी फसलें		खुम्भी व शहद		कुल	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
						खुले	तराशे												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
अंडमान और निकोबार	2.9	20.2	1.3	8.8								1.4	1.9	29.8	101.9		35.4	132.9	
आन्ध्र प्रदेश	652.0	7735.4	258.4	3861.9	32.0	88.0	88.5	7.8	16.0			333.4	722.8	248.3	1290.8		1532.0	13706.9	
अरुणाचल प्रदेश	51.6	106.2	20.4	78.8						3.7	0.1	14.0	38.1				89.8	222.2	
असम	93.3	1151.0	194.5	2020.4								27.0	18.1	95.3	223.3		410.1	3412.9	
बिहार	276.4	3068.4	780.6	12932.4	0.1	1.8	11					99.8	68.7				1157.0	16071.3	
चंडीगढ़	0.1	1.1	0.1	1.7													0.2	2.8	
छत्तीसगढ़	75.8	646.8	195.6	2432.3	1.6	3.3		1586	7.093			29.1	168.3				303.6	3257.7	
दादरा और नागर हवेली	0.7	7.1	1.5	13.5													2.2	20.6	
दमन और दीव	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0											0.1	0.2	
दिल्ली	0.0	0.0	39.1	420.0	4.5	25.0											43.6	445.3	
गोवा	10.5	91.9	8.1	82.6								0.7	0.1	80.3	86.2		99.7	260.9	
गुजरात	269.8	4677.6	380.2	6308.3	7.1	42.2						426.1	505.7	20.5	140.0		1103.7	11673.8	
हरियाणा	24.1	232.2	207.8	2980.4	4.8	55.6	508										236.6	3268.2	
हिमाचल प्रदेश	180.1	695.4	64.9	1090.0	0.4	2.2	181.7			10.4	3.4						255.8	1791.1	
जम्मू और कश्मीर	167.5	1217.6	52.1	843.0	0.2	0.9	110			84.6	107.8	4.3	1.4				308.8	2170.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
झारखण्ड	33.3	388.6	224.1	3401.3													257.5	3789.9
कर्नाटक	263.0	4241.8	382.2	4697.4	21.1	148.3	13161	1.901	6.877			259.1	619.9	752.7	515.6		1679.9	10229.9
केरल	218.2	1309.8	96.0	2597.1								268.1	124.5	1082.0	4066.5		1664.2	8097.9
लक्षद्वीप	0.3	0.7	0.2	0.3										2.7	53.0		3.2	54.1
मध्य प्रदेश	45.9	1043.5	210.5	2986.1	1.8	1.1		17.14	102.841			292.4	346.7				567.8	4480.3
महाराष्ट्र	1618.6	11721.3	398.5	4739.7	9.3	56.1				2.9	6.0	112.5	106.0	180.0	452.4		2321.8	17081.5
मणिपुर	53.1	353.3	11.1	73.7	0.5	0.7						14.0	9.4				78.7	437.1
मेघालय	28.2	231.6	41.7	340.3		0.0						18.6	73.6	18.9	22.7		107.3	668.2
मिजोरम	21.2	42.4	5.7	24.1	0.1	0.0	0.6					6.8	35.3	2.0	5.3		35.8	107.1
नागालैण्ड	13.3	48.8	10.7	83.6		0.0						3.5	24.2	1.1	2.5		28.6	159.1
उड़ीसा	237.5	1403.4	656.7	8051.7	0.6	19.3	129.64					145.0	195.5	50.8	189.2		1090.7	9859.0
पांडिचेरी	1.0	21.1	4.5	74.7		0.0								20.4	46.8		25.9	142.6
पंजाब	51.6	746.3	152.1	2434.9	0.8	4.1		2.3	1.09			11.0	30.2				217.8	3216.5
राजस्थान	24.8	248.7	122.9	755.1	3.0	2.3		107.1	36.5			347.5	297.2				605.2	1339.7
सिक्किम	8.9	13.1	17.5	79.1	0.1	0.0	33.086					27.2	40.7				53.7	132.9
तमिलनाडु	255.0	4856.0	232.0	6800.0	25.0	202.0		6.0	11.0			154.0	868.0	467.2	2868.9		1139.2	15605.9
त्रिपुरा	33.2	525.1	31.5	365.0								4.6	9.6	6.7	13.9		76.0	913.7
उत्तर प्रदेश	279.3	3009.2	895.5	17337.3	8.3	12.2	3668	77.7	7.77			91.1	283.9				1351.8	20650.4
उत्तरांचल	181.7	692.5	72.9	911.7	0.6	0.6				4.9	4.1	6.6	49.9				266.7	1658.8
पश्चिम बंगाल	172.7	2301.7	1276.2	19382.3	17.9	42.3	9347.9					108.2	226.8	53.5	314.4		1628.4	22267.4
कुल	5345.9	52849.2	7047.4	108210.0	139.6	699.9	27239.4	221.5	189.2	106.5	121.4	2805.8	4866.5	3112.2	10393.4	50.0	18779.0	177379.5

अग्रिम संविदा विनियमन संशोधन विधेयक 2006 में संशोधन

3788. श्री के. एस. राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अग्रिम संविदा विनियमन संशोधन विधेयक, 2006 में संशोधनों से संबंधित स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिशें तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कृषि उत्पाद मूल्यों का नियमन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) स्पॉट तथा कमोडिटी बाजार के लिए एकल विनियामक ढांचे की व्यवस्था करने, विनियामक प्राधिकरण में विपणन तथा कृषि क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त करने तथा कृषि वस्तुओं के मूल्यों के नियमन तथा उनके स्थिरीकरण के लिए, कृषि जिंसों में सट्टेबाजी को नियंत्रित करने तथा किसानों के हितों के संरक्षण के लिए अधिनियम हेतु प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने अन्य बातों के अलावा, अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 के वायदा बाजार आयोग के संघटन, वायदा बाजार आयोग के सदस्यों की अर्हता और चयन, वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति के गठन, एक पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन, जुर्माने की मात्रा, वायदा बाजार आयोग को सम्पत्तिकर और आयकर से छूट प्रदान करने संबंधी उपबंधों में परिवर्तन करने की सिफारिश की। स्थायी समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) कृषि–जन्य वस्तुओं संबंधी सरकार की मूल्य नीति में मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करने की बात है। इस संबंध में सरकार प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों से किसानों को ऐसे समय में अपने उत्पाद को लाभकारी मूल्यों पर बेचने में सहायता मिलती है जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर रहे होते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत नहीं आने वाली कृषिजन्य वस्तुओं के संबंध में बाजार दखल स्कीम को भी कार्यान्वित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीददारी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. द्वारा अथवा राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्य के विनिर्दिष्ट एजेंसियों के द्वारा किए जाने की अनुमति दी जाती है ताकि किसानों को अत्यधिक उत्पादन होने पर अपने उत्पाद को मजबूरी में न बेचना पड़े, किन्तु संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे प्रचालनों में होने वाले घाटे में भागीदारी करनी होगी। कृषि विपणन को अधिक संवेदनशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इसमें सुधार की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में केन्द्र सरकार ने कृषि विपणन पर एक मॉडल अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के अलावा, उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर बिक्री के लिए प्रत्यक्ष खरीद केन्द्रों और किसान बाजारों की स्थापना का प्रावधान है। इसके अलावा, इस प्रकार की विपणन प्रणाली से मूल्य निर्धारण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। कुछ राज्य सरकारों ने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं और कुछ अन्य राज्यों ने अधिनियम में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि स्पॉट बाजार और भावी सौदा बाजार को एक ही विनियामक ढांचे के तहत रखे जाने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि स्पॉट व्यापार और भावी सौदा व्यापार के बीच बेहतर समन्वय और सहक्रिया के लिए इस विषय को भारत के संविधान में उपयुक्त संशोधन करके संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में रखे जाने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक मदें

3789. श्री मनोरंजन भक्त : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित दर दुकानों के माध्यम से रसोई गैस, डाक टिकट आदि जैसी अन्य मदों की बिक्री के लिए कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन–किन वस्तुओं की बिक्री किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं पर कम मार्जिन होने के बारे में उचित दर दुकानों के मालिकों से शिकायतें मिली हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन का एक निष्कर्ष यह भी था कि केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं पर अनुमत मार्जिन के साथ उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य

नहीं बनाया जा सकता है। अतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय जरूरत के अनुसार दैनिक उपयोग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं की बिक्री के लिए अतिरिक्त रूप से शामिल करके वस्तुओं का दायरा बढ़ाने के लिए उचित दर दुकानों के मालिकों को अनुमति दें। कुछ राज्य अभ्यास पुस्तिकाओं, दालों, आयोडीनयुक्त नमक, चाय आदि जैसी जन उपभोग की अतिरिक्त वस्तुएं उचित दर दुकानों के जरिए वितरित करते हैं ताकि उन्हें वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके। उचित दर दुकानों के जरिए खाने पकाने की गैस जैसी अन्य वस्तुएं बेचने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है क्योंकि उचित दर दुकान में खाने पकाने की घरेलू गैस (एलपीजी) को रखना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि खाना पकाने की गैस (एलपीजी) एक पूर्णतया वाणिज्यिक वस्तु है जिसका विपणन सरकारी तेल कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार नियुक्त वितरकों के जरिए किया जाता है। उचित दर दुकानों के जरिए डाक–सामग्री की बिक्री शामिल करने के मुद्दे को हाल ही में डाक विभाग के साथ उठाया गया है ताकि उचित दर दुकानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

[हिन्दी]

गन्ने की बकाया धनराशि पर ब्याज का भुगतान

3790. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान यदि 14 दिनों की निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो इस पर 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भुगतान निर्धारित समय अवधि में नहीं किया गया;

(ग) इन मामलों में से कितने मामलों में निर्धारित अवधि के बाद गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद भी आवश्यक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया; और

(घ) ब्याज का भुगतान न करने वाले चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, अतः यदि गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में कोई विलम्ब होता है तो उसकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती है। केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य का विलम्ब से किए गए भुगतान पर ब्याज की अदायगी के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(घ) नवम्बर, 2000 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई चीनी उत्पादक अथवा उसका एजेंट गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिन के अंदर गन्ना किसान को अथवा किसान सहकारी समिति को गन्ने के मूल्य का पूर्ण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में चूक करता है, अथवा यदि एक निर्दिष्ट समय के अंदर मूल्य के भुगतान लिए पार्टियों के बीच लिखित रूप में करार हुआ हो और कोई उत्पादक या उसका एजेंट करार में निर्दिष्ट सम्मत समय के अंदर भुगतान करने में चूक करता है, तो चीनी उत्पादक अथवा उसके एजेंट से गन्ने के मूल्य तथा उस पर देय ब्याज की राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जा सकती है।

गेहूं की कमी

3791. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए विश्व–स्तर पर हेजिंग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, नहीं। रबी विपणन मौसम 2007–08 में विपणन करने के लिए रबी फसल में 73.75 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने के कारण देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों में गेहूं के उपोत्पाद बाजार का उपयोग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को परामर्श देने हेतु विशेषज्ञों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाए। शक्ति प्राप्त समिति का संघटन निम्नानुसार है :–

1.	श्री यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूटीआई, एएमसी, मुम्बई	अध्यक्ष
2.	डा. सुसान थॉमस, इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	सदस्य
3.	श्री भरत रामास्वामी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली	सदस्य

शक्ति प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं –

(i) कानूनी संविदा तैयार करने में संभावित ओटीसी विक्रेताओं के साथ बातचीत करना, जिस पर अंततः भारत सरकार के नामिति और सफल विक्रेताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ii) अनुभव सिद्ध साक्ष्य और भूमंडलीय उद्योग के साथ बातचीत पर आधारित कारोबार के आकार का हिसाब लगाना जिसकी संविदा बाजार पर अवांछित प्रभाव डाले बिना की जा सकती है। शक्ति प्राप्त समिति उपयुक्त समझे जाने पर इस कार्य में उन्हें सहायता करने के लिए वाणिज्यिक शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय अथवा घरेलू सलाहकार नियुक्त करेगी।

(iii) इससे विकल्प क्रय करने के लिए एक अथवा अधिक ओटीसी विक्रेता का चयन करने हेतु एक पारदर्शी वसूली प्रक्रिया पर कार्रवाई करने के लिए पूरी शक्ति प्राप्त होगी।

(iv) न्यूनतम तकनीकी मानदंड अर्थात न्यूनतम आकार और विकल्प संविदा के संदर्शी लेखक के पिछले रिकार्ड को स्थापित करना जो बोली में विकल्पों के मूल्य कोट कर सकें।

(v) अपने निर्णय के आधार पर यदि शक्ति प्राप्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक स्वीकार्य मूल्य पर इन विकल्पों पर ही विश्वास करना व्यवहार्य नहीं है तो यह फ्यूचर संविदाएं खरीद सकती है और बाजार परिस्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से निर्णय कर सकती है कि इसका उपयोग किया जाए अथवा इसे समाप्त कर दिया जाए।

3. शक्ति प्राप्त समिति का कार्यकाल सितम्बर, 2007 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

[अनुवाद]

मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत औषधियां

3792. श्री उदय सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक आवश्यक औषधियां शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) एलएसपी सं. 3668/2003 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में गरीबी को उचित मूल्यों पर आवश्यक व जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के सरकार के घोषित उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय औषध नीति 2006 के मसौदे में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रस्ताव है कि मूल्य नियंत्रण हेतु सूची में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत मूल्य नियंत्रणाधीन मौजूदा 74 औषधों के अलावा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 में यथा सन्निहित आवश्यक दवाएं होंगी।

खरीद पर व्यय

3793. श्री अनिल बसु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग चावल, धान, गेहूं सहित खाद्यान्नों की की गई कुल खरीद की मात्रा का राज्य–वार तथा वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त खरीद के लिए राज्य सरकारों की तुलना में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रति मीट्रिक टन की खरीद के लिए किए गए व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) खरीफ विपणन मौसम 2003–04 से 2006–07 तक और रबी विपणन मौसम 2004–05 से 2006–07 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग चावल, धान और गेहूं की राज्यवार और वर्षवार वसूली बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन विपणन मौसमों के लिए भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत वसूली योजना चलाने वाले राज्यों में गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के तुलनात्मक आंकड़े दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 2003–04 से 2005–06 तक के लिए भारतीय खाद्य निगम और एजेंसीवार चावल और धान

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/वर्ष	भा.खा.नि.			राज्य एजेंसियां			जोड़ (चावल के रूप में)		
	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003–04									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				0		192	नगण्य		नगण्य
आन्ध्र प्रदेश	3972	99	4038		286	0	3972	385	4230
अरुणाचल प्रदेश			0			0			0
असम	17		17			253	17		17
बिहार		164	110		378	0		542	363
चंडीगढ़			0			1819			0
छत्तीसगढ़	555		555		2715	0	555	2715	2374
दिल्ली			0			0			0
गुजरात			0			657			0
हरियाणा	650	41	677		980	0	650	1021	1334
हिमाचल प्रदेश	3		3			0	3		3
जम्मू और कश्मीर			0			0			0
झारखण्ड		3	2			0		3	2
कर्नाटक			0			0			0
केरल			0			43			0
मध्य प्रदेश	12	84	68		64	125	12	148	111
महाराष्ट्र	183		183		186	0	183	186	308
नागालैण्ड			0			70			0
उड़ीसा	1273	45	1303		104	0	1273	149	1373
पांडिचेरी			0			5514			0
पंजाब	2057	1629	3148		8230	0	2057	9859	8663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	28	20	41			207	28	20	41
तमिलनाडु			0		309	700		310	208
उत्तर प्रदेश			0	1853	1045	1858	1853	1045	2553
उत्तरांचल	197		197	121	7	299	318	7	323
पश्चिम बंगाल	630		630	118	265	296	748	265	926
जोड़	9577	2085	10974	2092	14569	11853	11669	16655	22828

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/वर्ष	भा.खा.नि.			राज्य एजेंसियां			जोड़ (चावल के रूप में)		
	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2004–05									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	1	–	1	1	–	1
आन्ध्र प्रदेश	3891	10	3898	0	12	8	3891	22	3906
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	नगण्य	नगण्य	–	–	–	–	नगण्य	नगण्य
बिहार	–	72	48	295	–	295	295	72	343
चंडीगढ़	19	–	19	–	–	–	19	–	19
छत्तीसगढ़	890	–	890	–	2906	1947	890	2906	2837
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	646	100	713	–	1417	949	646	1517	1662
हिमाचल प्रदेश	2	–	2	–	–	–	2	–	2
जम्मू और कश्मीर	1	–	1	–	–	–	1	–	1
झारखण्ड	–	2	1	–	–	–	–	2	1
कर्नाटक	–	–	–	–	31	21	–	31	21
केरल	–	–	–	–	49	33	–	49	33
मध्य प्रदेश	7	20	20	–	33	22	7	53	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	157	–	157	–	72	48	157	72	205
नागालैण्ड	1	–	1	–	16	11	1	16	11
उड़ीसा	1314	84	1370	–	327	220	1314	411	1590
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	2368	1149	3138	–	8908	5968	2368	10057	9106
राजस्थान	17	7	22	–	–	–	17	7	22
तमिलनाडु	–	–	–	–	973	652	–	973	652
उत्तर प्रदेश	849	–	849	1602	776	2121	2451	776	2971
उत्तरांचल	186	–	186	122	11	130	308	11	316
पश्चिम बंगाल	318	–	318	148	714	626	466	714	944
जोड़	10666	1444	11633	2168	16245	13052	12834	17689	24685

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/वर्ष	भा.खा.नि.			राज्य एजेंसियां			जोड़ (चावल के रूप में)		
	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़	लेवी चावल	धान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005–06									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आन्ध्र प्रदेश	4653	192	4782		284	190	4653	476	4972
अरुणाचल प्रदेश									
असम	1		1				1		1
बिहार	73	85	131		587	394	73	673	524
चंडीगढ़	2	16	13				2	16	13
छत्तीसगढ़	860		860		3589	2404	860	3589	3265
दिल्ली									
गुजरात									
हरियाणा	475	95	538		2262	1515	475	2356	2053
हिमाचल प्रदेश									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	3		3				3		3
झारखण्ड	1	1	2				1	1	2
कर्नाटक	47		47		2	1	47	2	48
केरल					140	94	–	140	94
मध्य प्रदेश	24	93	86		75	50	24	168	136
महाराष्ट्र	92		92		151	101	92	151	193
नागालैण्ड									
उड़ीसा	966	384	1223		839	562	966	1223	1785
पांडिचेरी									
पंजाब	1074	1042	1772		10571	7083	1074	11613	8855
राजस्थान	23	नगण्य	23				23	नगण्य	23
तमिलनाडु					1382	926		1382	926
उत्तर प्रदेश	526		526	1924	1047	2625	2450	1047	3151
उत्तरांचल	198		198	126	18	138	324	18	336
पश्चिम बंगाल	264	813	809	97	552	467	361	1365	1276
जोड़	9282	2721	11106	2147	21499	16550	11429	24220	27656

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं की राज्यवार और विपणन मौसमवार वसूली

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05			2005–06			2006–07		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	नगण्य	14	14	नगण्य	1	1	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	नगण्य	नगण्य	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	2	–	2	2	–	2	–	–	–
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	880	4235	5115	617	3912	4529	269	1960	2229
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	–	नगण्य	नगण्य	–	नगण्य	–	–	
जम्मू और कश्मीर	नगण्य	–	नगण्य	नगण्य	–	नगण्य	–	–	
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	35	315	350	15	469	484	नगण्य	नगण्य	नगण्य
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	2147	7093	9240	1428	7582	9010	1063	5883	6946
राजस्थान	178	101	279	119	40	159	2	नगण्य	2
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	15	1725	1740	41	519	560	5	44	49
उत्तरांचल	9	46	55	6	34	40	नगण्य	नगण्य	नगण्य
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	3266	13529	16795	2228	12557	14785	1339	7887	9226

नगण्य : 500 टन से कम

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत वसूली योजना चलाने वाले राज्यों की गेहूं और चावल की आर्थिक लागत की तुलना

भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत अखिल भारत आधार पर निर्धारित की जाती है और ढुलाई लागत, श्रम प्रभार, प्रशासनिक ऊपरी व्यय आदि जैसी भारतीय खाद्य निगम की खर्च की कई मदों का संविभाजन अखिल भारत आधार पर किया जाता है। अतः यदि विकेन्द्रीकृत वसूली योजना वाले राज्यों की आर्थिक लागत की तुलना भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत के साथ की जाती है तो आर्थित लागत के राज्यवार कई घटक तुलनीय नहीं हो सकेंगे। तथापि, चावल और गेहूं दोनों के लिए वर्ष 2004–05 से 2006–07 हेतु भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत और वर्ष 2004–05 से 2006–07 हेतु विकेन्द्रीकृत वसूली योजना वाले राज्यों की आर्थिक लगात (अनंतिम) दर्शाने वाली सारणी निम्नानुसार है:–

(I) **2004-05** (रुपए प्रति टन)

राज्य/निगम	रॉ चावल		गेहूं
	साधारण	ग्रेड–ए	
1	2	3	4
भा.खा.नि. (2004–05 अनंतिम)	13295.90		10495.90
छत्तीसगढ़	11231.60	11744.30	–
कर्नाटक	10813.90	11311.70	–
केरल*	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	8033.60

1	2	3	4
उड़ीसा	11282.00	11796.80	–
तमिलनाडु	10577.90	11064.00	–
उत्तर प्रदेश	11646.10	12167.40	8718.20
उत्तराखण्ड	11306.10	11827.40	8411.50
पश्चिम बंगाल	10526.80	11013.00	–

* केरल में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना 2005-06 से शुरू हुई है।

(ii) 2005-06

राज्य/निगम	रॉ चावल		गेहूं
	साधारण	ग्रेड–ए	
भ.खा.नि. (2005–06 अनंतिम)	13372.90		10444.20
छत्तीसगढ़	11746.50	12266.80	–
कर्नाटक	10962.80	11460.70	–
केरल	11771.40 (सेला)	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	8538.70
उड़ीसा	11514.50	12029.20	–
तमिलनाडु	10421. 50	10907. 80	–
उत्तर प्रदेश	11922.30	12443.70	8672.90
उत्तराखण्ड	11571.50	12092.80	8411.50
पश्चिम बंगाल	10712.60	11201.20	

(iii) 2006-07

राज्य/निगम	रॉ चावल		गेहूं
	साधारण	ग्रेड–ए	
1	2	3	4
भ.खा. (2006–07 अं.)	13859.20	12325.80	–
छत्तीसगढ़	12672.00	13198.20	–
कर्नाटक	11800.20	12299.40	–
केरल	12706.70 (सेला)	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	9111.00
उड़ीसा	12483.50	13003.80	–
तमिलनाडु	11544.50	12036.80	–
उत्तर प्रदेश	12753.50	113276.30	9353.80
उत्तराखण्ड	12450.70	12975.60	9018.20
पश्चिम बंगाल	11790.40	12282.70	–

भूमि उपयोग सर्वेक्षण

3794. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में अन्य प्रकार के उपयोगों के मद्देनजर भूमि उपयोग सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त भूमि उपयोग सर्वेक्षण कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) अखिल भारतीय मृदा और भू–उपयोग सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय मृदा संरक्षण और भू उपयोग नियोजन ब्यूरो ऐसे दो सरकारी संगठन हैं जो मृदा और भू–उपयोग सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। अखिल भारतीय मृदा और भू–उपयोग सर्वेक्षण विभिन्न संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्य प्रयोक्ता विभागों को मृदा और भूमि विशेषताओं पर आधारित विस्तृत वैज्ञानिक आंकड़ों को तैयार करने और मुहैया कराने के उद्देश्य से मृदा और भू–उपयोग सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण और भू उपयोग नियोजन ब्यूरो, देश के विभिन्न भागों में भूमि गुणवत्ता के निर्धारण हेतु कृषि क्षेत्रों के अधीन मृदाओं के विशेष संदर्भ में मृदा सर्वेक्षण करता है तथा आकृति विज्ञान, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के संबंध में गुणों का अध्ययन करता है तथा भू–उपयोग नियोजन हेतु आंकड़े का उपयोग करता है।

इन भू–उपयोग सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य सरकारों को अपने राज्य में कृषि विविधीकरण शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2007–08 हेतु कार्य योजना में 10.75 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 208 लाख हैक्टेयर में त्वरित टोही सर्वेक्षण, 2 लाख हैक्टेयर में विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, 156 लाख हैक्टेयर में भूमि अवक्रमण मानचित्रण और 220 लाख हैक्टेयर में मृदा संसाधन मानचित्रण करना प्रस्तावित है।

इस्पात उद्योग के लिए सुविधाएं बढ़ाया जाना

3795. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.आई. ने इस्पात उद्योग के लिए बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने तथा इस्पात उद्योग के लिए बुनियादी संरचना का कार्य दर्जा बढ़ाने तथा एस.ई.जेड. को दी जा रही वित्तीय सुविधाओं के बराबर सुविधाएं देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) कनफैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने और इस्पात उद्योग के लिए अवसंरचना का दर्जा बढ़ाने तथा एसईजैड को दी जा रही वित्तीय सुविधाओं के बराबर सुविधाएं देने के बारे में पूर्व में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। तथापि, उन्होंने दिनांक 26.4.2007 को इस्पात मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा है जिस पर विचार किया जा रहा है।

चावल की खरीद

3796. श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान उड़ीसा तथा अन्य चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा राज्य–वार कुल कितनी मात्रा में चावल खरीदा गया;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अगली खरीफ फसल मौसम की शुरूआत तक उक्त राज्यों से राज्य–वार कितनी मात्रा खरीदे जाने की संभावना है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किन–किन जिलों में तथा कितनी मात्रा में चावल का भण्डारण किया जा रहा है;

(घ) राज्यों में निजी गोदामों में भण्डारण किए गए चावल के लिए गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना भण्डारण प्रभार का भुगतान किया गया; और

(ङ) ऐसे चावल के भण्डारण पर खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार खरीफ विपणन मौसम (अक्तूबर, 2006 से मार्च, 2007 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए चावल की कुल मात्रा और अगले खरीफ मौसम की शुरूआत होने तक वसूल की जाने वाली चावल की संभावित मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे जिलावार स्टॉक का हिसाब इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध खाद्यान्नों की राज्यवार स्टॉक स्थिति बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) प्राइवेट पार्टियों को अदा किए गए जिन्सवार भण्डारण प्रभारों के आंकड़े लेखा बहियों में नहीं रखे जाते हैं। प्राइवेट गोदामों में भण्डारित चावल के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए राज्यवार भण्डारण प्रभारों के ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(ङ) भण्डारण खर्चों को कम करने के लिए फील्ड कार्यालयों को पहले ही अनुदेश हैं, अर्थात् (i) अधिशेष पाई गई क्षमता को किराए से खाली करने के लिए नियमित अंतराल पर भण्डारण जरूरत की समीक्षा करना, (ii) भारतीय खाद्य निगम की अपनी अधिशेष पाई गई क्षमता को अन्य उपयोगकर्ताओं को किराए पर देना (iii) हैंडलिंग और दुलाई ठेकों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपयोग करना/इन्हें अंतिम रूप देना, ताकि खाद्यान्नों की भण्डारण/हैंडलिंग लागत कम की जा सके।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2006–07 (अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2007 तक) के दौरान वसूल किए गए चावल और अगले खरीफ मौसम की शुरूआत होने तक वसूल की जाने वाली चावल की सम्भावित मात्रा

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम द्वारा	राज्य एजेंसी द्वारा	जोड़	खरीफ विपणन मौसम 2006–07 के दौरान और वसूल की जाने वाली चावल की संभावित मात्रा
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	26.05	0.70	26.75	22.50
बिहार	1.02	3.23	4.25	0.50
चंडीगढ़	0.10	–	0.10	–

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	9.74	15.39	25.13	4.00
हरियाणा	4.08	13.63	17.71	0.10
झारखण्ड	0.05	–	0.05	–
कर्नाटक	0.20	0.01	0.21	–
मध्य प्रदेश	0.49	0.24	0.73	–
महाराष्ट्र	0.11	0.85	0.96	0.70
उड़ीसा	6.74	6.85	13.59	8.70
पंजाब	8.77	69.25	78.02	2.00
पांडिचेरी	0.03	–	0.03	–
राजस्थान	0.10	–	0.10	–
तमिलनाडु	–	9.95	9.95	3.00
उत्तर प्रदेश	2.07	18.94	21.01	5.00
उत्तराखण्ड	0.64	1.08	1.72	0.10
पश्चिम बंगाल	1.63	3.26	4.89	3.00
अखिल भारत	61.82	144.19	206.01	49.60

विवरण-II

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल का कुल स्टाक

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	भा.खा.नि. के पास	राज्य एजेंसियों के पास	केन्द्रीय पूल में कुल चावल
1	2	3	4	5
1.	बिहार	2.20	0.47	2.67
2.	झारखण्ड	0.37	–	0.37
3.	उड़ीसा	4.99	0.31	5.30
4.	पश्चिम बंगाल	2.20	–	2.20
5.	असम	0.39	–	0.39
6.	अरुणाचल प्रदेश	001	–	0.01
7.	त्रिपुरा	0.20	–	0.20
8.	मिजोरम	004	–	0.04
9.	मेघालय	0.13	–	0.13
10.	मणिपुर	0.05	–	0.05
11.	नागालैण्ड	0.12	–	0.12
12.	दिल्ली	0.34	–	0.34
13.	हरियाणा	3.76	0.23	3.99
14.	हिमाचल प्रदेश	013	–	0.13
15.	जम्मू और कश्मीर	0.45	–	0.45
16.	पंजाब	37.99	11.06	40.05
17.	राजस्थान	0.26	–	0.26
18.	उत्तर प्रदेश	2.87	11.08	13.95
19.	उत्तराखण्ड	0.76	0.49	1.25
20.	आन्ध्र प्रदेश	16.88	–	16.88
21.	केरल	1.71	0.39	2.10
22.	कर्नाटक	3.16	–	3.16
23.	तमिलनाडु	4.52	4.16	8.68
24.	गुजरात	0.46	–	0.46
25.	महाराष्ट्र	1.97	0.37	2.34
26.	मध्य प्रदेश	0.76	–	0.76
27.	छत्तीसगढ़	8.40	4.79	13.19
	जोड़	95.11	33.47	128.58
	मार्गस्थ स्टाक	3.13	–	3.13
	जोड़ अखिल भारत	98.24	33.47	131.71

विवरण-III

प्राइवेट पार्टियों को अदा किए गए जिन्सवार भण्डारण प्रभारों के आंकड़े लेखा बहियों में नहीं रखे जाते हैं। प्राइवेट गोदामों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए राज्यवार कुल भण्डारण प्रभार निम्नानुसार हैं:–

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2003–04	2004–05	2005–06
1	बिहार	47.26	60.90	57.21
2.	झारखण्ड	44.28	29.15	23.66
3	उड़ीसा	20.97	19.73	22.91
4.	पश्चिम बंगाल	121.42	134.24	63.90
5.	असम	53.37	42.71	48.70
6.	उत्तर पूर्वी सीमांत	1.11	0.88	25.05
7.	एन एंड एम	–	0.89	–
8.	हरियाणा	155.79	113.59	105.29
9.	हिमाचल प्रदेश	1.10	0.15	0.11
10.	जम्मू और कश्मीर	–	1.50	0.83
11.	पंजाब	1029.88	566.02	339.35
12.	राजस्थान	18.11	12.32	23.11
13.	उत्तर प्रदेश	26.80	15.07	18.67
14.	उत्तरांचल	3.95	3.95	31.59
15.	आन्ध्र प्रदेश	38.81	20.78	–
16.	केरल	0.98	–	–
17.	तमिलनाडु	–	0.56	–
18.	गुजरात	85.11	–	–
19.	महाराष्ट्र	33.56	72.72	83.15
20.	मध्य प्रदेश	70.90	93.89	73.32
21.	छत्तीसगढ़	17.04	15.91	31.58
	जोड़	1764.44	1204.96	948.73

इच्छामति नदी का विकास

3797. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में इच्छामति नदी के विकास सहित उसकी गहराई बढ़ाने तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस नदी में बार–बार आने वाली बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सितम्बर, 2005 में भारत और बांग्लादेश के बीच साझी सीमा पर अंग्रैल बीएसएफ ब्रिज से कालांची बीएसएफ ब्रिज तक लगभग 20 कि.मी. की लंबाई में बेहतर जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के लिए इच्छामती नदी में गाद निकालने/तल कर्षण के लिए 23.59 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना तैयार की है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि इच्छामती नदी भारत और बांग्लादेश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का भाग है इसलिए भारत सरकार द्वारा गाद निकालने/तल कर्षण कार्य करने के लिए तौर तरीके करने के वास्ते सितम्बर, 2005 में ढाका में हुई भारत बंगलादेश, संयुक्त नदी आयोग को 36वीं बैठक के दौरान बंगलादेश के साथ मामले को पहले ही उठाया जा चुका है। जमीनी स्थिति की जांच करने के लिए सितम्बर, 2006 में दोनों देशों (भारत और बंगला देश के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय दौरा भी किया गया था।

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत धनराशि का दुरुपयोग

3798. श्री अबु अयीश मंडल :

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंगा कार्य–योजना (जी.ए.पी.) के लिए धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 5.5.1998 आदेश के तहत एक जनहित याचिका के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा टीम को नियुक्त किया है। 10.9.1999 को प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी न्यायाधीन है। 28.2.2003 को प्राप्त एक अन्य शिकायत पर मुख्य इंजीनियर, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा की गई विस्तृत जांच के आधार पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद में प्रतिदिन 29 मिलीयन लीटर सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए दी गई निविदा के संबंध में एक अन्य शिकायत पर अभी जांच की कार्रवाई चल रही है।

पर्यावरण अधिकरण से संबंधित अधिसूचना

3799. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अभी भी अधिकरण को अधिसूचित करना है जिसके बिना राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1955 कार्यशील नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकरण को, अब तक अधिसूचित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गठित अधिकरण को अधिसूचित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने अपनी 186वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक राज्य (अथवा राज्यों के समूह) में अलग–अलग पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है। आयोग ने राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण (एन ई पी) अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (एन ई ए ए) अधिनियम, 1997 को रद्द करने तथा पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियमन में उन अधिनियमों में निहित ट्रिब्यूनल और अपीलीय प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों के संबंध में प्रावधानों के हस्तांतरण की भी सिफारिश की है।

उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखकर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, सैद्धान्तिक रूप से एक राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकरणों की स्थापना के लिए लेजिसलेशन के अधिनियमन के प्रस्ताव का निणर्य लिया है। किसी खतरनाक पदार्थ की हैण्डलिंग के समय किसी दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए कठोर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रस्तावित लेजिसलेशन के अंतर्गत ट्रिब्यूनलों का अधिदेश एन ई टी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों तक सीमित नहीं होगा, अपितु उन सभी सिविल मामलों, जिनमें पर्यावरण से संबंधित किन्हीं कानूनी अधिकारों को लागू करने सहित पर्यावरण सुरक्षा का पर्याप्त प्रश्न शामिल हो, में न्याय निर्णयन का प्रावधान होगा।

[हिन्दी]

नदी जल संरक्षण परियोजना की समीक्षा

3800. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री देविदास पिंगले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण परियोजना की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान खामियों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नदियों के प्रदूषित जल के कारण बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने से संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने विद्यमान संरक्षण परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाई है/बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नदियों के प्रदूषण निवारण कार्यों के कार्यान्वयन को प्रभावी करने वाले कतिपय व्यवस्थित मुद्दों को अभिनिर्धारित किया है। अन्य के अलावा अभिनिर्धारित मुख्य मुद्दों में योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए अपर्याप्त निधियां, राज्यों के हिस्से के लिए अपर्याप्त बजट आबंटन, अन्यों के अलावा भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब शामिल है।

(ग) और (घ) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार परियोजना कार्यान्वयन की प्रभाविकता

को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पुनरीक्षा बैठकें करती है और फील्ड दौरे करती है। केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को अंत–क्षेत्रीय समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित करने का भी अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

रणनीतिक कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना किया जाना

3801. श्री असादूद्दीन आवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग ने 50 करोड़ रुपये की श्रमिक निधि के साथ रणनीतिक कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके तीव्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस निधि के लिए धनराशि के अपर्याप्त प्रावधानों के मद्देनजर इस संबंध में विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक आदि जैसी बहुपक्षीय एजेन्सियों के साथ समझौता करने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) निधि की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वित्त मंत्री ने वर्ष 2006–07 के अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय निधि के परिचालन हेतु 50 करोड़ रु. के आरंभिक प्रावधान की घोषणा की। इसके बाद माननीय कृषि मंत्री द्वारा निधि के कार्यकरण हेतु 2006–07 में अति प्रतिष्ठित अध्यक्ष तथा सदस्यों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निधि का परिचालन कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अब छः वर्षों तक बड़ी परियोजनाओं को सहायता देने के लिए 56 मिलियन यूएस डालर (करीब 250 करोड़ रु.) के बजट से विश्व बैंक से वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना चला रही है जिसका एक घटक शीर्षक "कृषि विज्ञानों के अग्रवर्ती क्षेत्रों में मूल तथा नीतिगत अनुसंधान है"।

(च) अभी तक निधि के तहत 24.76 करोड़ रु. से 14 नवोन्मेषी उच्च क्वालिटी की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कुछ परियोजनाएं चयन और मंजूरी की प्रक्रिया में हैं।

केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों का कार्यनिष्पादन

3802. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों (सी सी बी एफ) विशेष रूप से सूरतगढ़ (राजस्थान), अलमाधी (तमिलनाडु), तथा चिपलिमा (उड़ीसा) में घटते कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए फार्म तकनीकी सलाहकार समितियों का गठन किया है;

(ख) क्या उक्त समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन प्रत्येक फार्मों के कार्यनिष्पादन में अब तक किस सीमा तक सुधार हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ङ) फार्मों का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

फार्म तकनीकी सलाहकार समितियों की अनुमोदित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

	सिफारिशें	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
1.	अच्छी नस्ल के थारपरकर प्रजनन सांडों को केन्द्रीय पशुयुथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) के जरिए खरीदा जाए तथा उन्हें हिमित वीर्य के उत्पादन एवं केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), सूरतगढ़ की थारपरकर सांड़ माता में उसके उपयोग के लिए केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपीएंडटीआई) में रखा जाएगा।	सीएचआरएस के जरिए पांच अच्छी नस्ल के सांड थारपरकर प्रजनन ट्रेक्ट से खरीदे गए हैं तथा उन्हें केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), सूरतगढ़ में रखा गया है। प्रजनन योग्य आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें हिमित वीर्य के उत्पादन के लिए सीएफएसपीएंडटीआई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
2.	सांडों के उत्पादन के लिए 25 थारपरकर गायों को सीसीबीएफ सूरतगढ़ से सीसीबीएफ अलामाधी को स्थानांतरित किया जाए। 25 साहीवाल गायों को भी खरीदा जाए तथा उन्हें सीसीबीएफ अलामाधी में रखा जाए।	सिफारिश की विभाग द्वारा समीक्षा की गई थी क्योंकि दक्षिणी राज्यों की प्रजनन नीति स्थानीय गायों के उन्नयन के लिए थारपरकर एवं साहीवाल के उपयोग पर विचार नहीं करती है। संबंधित राज्यों द्वारा प्रजनन नीति के संशोधन के बाद सिफारिशों पर पुनः विचार किया जाएगा।
3.	सीसीबीएफ, चिपलीमा की रैड सिंधी सांड माता के प्रजनन के लिए उच्च नस्ल के रैड सिंधी सांडों का हिमित वीर्य पाकिस्तान से आयात किया जा सकता है। संबंधित पशुयूथ में उपयोग के लिए उच्च नस्ल के साहीवाल, थारपरकर तथा सांडों के हिमित वीर्य को भी आयात किया जा सकता है।	हिमित वीर्य की खरीद के लिए प्रस्ताव को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न मंचों के जरिए उठाया गया है।
4.	विदेशी तथा वर्ण–संकरित गायों को रखने वाले फार्मों के परिसर में पशुओं को चारा चराने की पहले दी गई अनुमति को रोका जाए।	बाहर के पशुओं से संक्रमण के स्थानांतरण को रोकने के लिए सभी केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों में पशुओं की चराई पर रोक लगा दी गई है।
5.	विभिन्न एजेंसियों द्वारा रोटेशन आधार पर विशिष्ट स्थानांतरित यौन रोगों का परीक्षण किया जाए। एलीसा टेस्ट द्वारा टीबी तथा जोहन रोग का परीक्षण किया जाए।	फार्मों द्वारा रोगों के लिए पशुओं का स्क्रीनिंग टेस्ट नियमित रूप से किया जा रहा है।
6.	विशिष्ट पोषण की कमी का पता लगाने के लिए नियमित रूप से मिट्टी की जांच करनी चाहिए तथा कमी को पूरा करने के लिए तदनुसार रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए।	सभी सीसीबीएफ ने मिट्टी की जांच की है तथा वे फार्मयार्ड खाद का प्रयोग करने के अलावा कमी को दूर करने के लिए उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं।

विवरण-II

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों का कार्यनिष्पादन (2006–07)

क्र.सं.	पैरामीटर	अलामाधी	अंदेशनगर	चिपलीमा	धामरोड	हैस्सरघट्टा	सुनाबेड़ा	सूरतगढ़	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सांड बछड़ों का उत्पादन	33	50	43	23	31*	85*	61*	326*
2	बेचे गए सांड बछड़े	13*	70*	33	14	26*	84*	15	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	मृत्युदर %	4.07	3.60*	3.44	4.80*	5.22*	5.94	4.37*	4.42*
4.	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	372*	356*	567*	243	549*	781*	281*	3149*
5.	दुग्ध उत्पादन (लाख किलोग्राम)	1.19*	5.28*	1.83	0.74	2.96*	3.88*	2.01*	17.89*
6.	राजस्व (लाख रुपए में)	19.24*	66.51	23.23	22.15*	35.39*	54.45	45.01*	265.98*

* कार्यनिष्पादन में सुधार को दर्शाता है।

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

3803. श्री हरिसिंह चावड़ा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु कल्याण बोर्ड ने पशुओं की तस्करी के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। इसके अधिदेश में जीव जन्तु कल्याण और पालतू पशुओं और बंधक अवस्था में रखे गए पशुओं सहित, पशुओं पर अनावश्यक पीड़ा और कष्ट निवारण से संबंधित मामलों को निपटाना है। भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड ने इस मंत्रालय को पशुओं की तस्करी के विषय से संबंधित कोई प्रेषण नहीं दिया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्र तट संरक्षण/प्रबंधन के लिए एकीकृत परियोजना

3804. डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने समुद्र तट संरक्षण/प्रबंधन के लिए स्वीकृत परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या–क्या विदेशी सहायता हेतु परियोजना पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकर ने प्रो. एम एस स्वामीनाथन समिति, जिन्होंने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 की पुनरीक्षा की थी, के द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण के आधार पर एक एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना शुरू की है। गुजरात परियोजना के लिए अभिनिर्धारित राज्यों में से एक है। गुजरात सरकार ने भी गुजरात में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय दानकर्ता एजेंसियों से तकनीक और वित्तीय सहायता मांगी है। परियोजना में अति–संवेदनशील रेखा का सीमांकन, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग, संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण, भू–आधारित कार्यों से प्रदूषण का नियंत्रण तथा गुजरात राज्य सहित अभिनिर्धारित राज्यों के तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन की तैयारी शामिल है।

चारे का उत्पादन

3805. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **कृषि मंत्री** चारे की कमी के बारे में 26 फरवरी, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म में कितनी मात्रा में चारे का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त फार्म स्थापित करने एवं चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना अवधि के दौरान चारे का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र और केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म में उत्पादित चारे की मात्रा संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र तथा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म में हुए उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा

फार्म	चारा प्रकार	2004–05	2005–06	2006–07
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	1211	831	814
गांधी नगर, गुजरात	सूखा	284	973	750
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	35	–	–
गांधी नगर, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	सूखा	75	64	70
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	300	75	225
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	सूखा	100	50	50
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	1157	1600	3810
सूरतगढ़, राजस्थान	सूखा	2793	2800	2280
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	908	696	192
हिसार, हरियाणा	सूखा	603	–	313
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा	2310	2340	6910
चेन्नई, तमिलनाडु	सूखा	855	860	2485
क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र,	हरा		–	–
कल्याणी, पश्चिम बंगाल	सूखा		208	247
केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म,	हरा	70	60	130
हैस्सरघट्टा, बंगलौर, कर्नाटक	सूखा	180	150	170

[हिन्दी]

मजदूरों को वी.आर.एस.

3806. श्री रशीद मसूद : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न विभागों के अंतर्गत बड़ी संख्या में कार्यरत मजदूरों को 1998–99 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) का प्रस्ताव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1998–99 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर.एस.) प्राप्त कुछ मजदूरों की कतिपय बकाया धनराशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बकाया धनराशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कोई विभाग नहीं है। तथापि, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :–

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल में दिनांक 1.3.1998 से 31.8.1998 तक चलाई गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना – 1998 में 5975 कर्मचारियों (658 कार्यपालक तथा 5317 गैर कार्यपालक) को स्वैच्दिक सेवा निवृत्ति की आफर दी गई/ने स्वैच्छिक सैवा निवृत्ति ली और दिनांक 1.6.1999 से 31.10.1999 तक चलाई गई स्वैच्दिक सेवा निवृत्ति योजना – 1999 में 13617 कर्मचारियों (2011 कार्यपालक तथा 11606 गैर कार्यपालक) को पृथक किया गया था।

इस्को, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी थी, के मामले में वर्ष 1998 तथा 1999 में 260 गैर कार्यपालक कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल)

बीआरएल में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चलाई जा रही थी और वर्ष 1998–1999 में 7 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प चुना।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल)

वर्ष 1998–99 में 9 कार्यपालकों तथा 18 गैर कार्यपालकों सहित कुल 27 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प चुना।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 1998–99 में 70 कार्यपालकों तथा 43 गैर कार्यपालकों तथा 294 मजदूरों सहित एचएससीएल के कुल 407 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प चुना।

(ग) और (घ) वर्ष 1998/1999 के दौरान सेल आस्थगित भुगतान आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चला रहा था जिसके तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान मासिक/त्रैमासिक आधार पर किया गया था। केवल दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) में कुछ मामले हैं जिनमें कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नामिती उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः उनके दावों का निपटारा नहीं हो सका। डीएसपी में कुछ अन्य मामले भी हैं जिनमें भुगतान निर्मुक्त नहीं किए गए हैं क्योंकि पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी के आवास खाली नहीं किए हैं अथवा दावों से संबंधित विवाद में एक पार्टी द्वारा न्यायालय से निषेधादेश प्राप्त कर लिया गया है। इस्पात लाइमस्टोन क्वैरी, सतना में, कुछ मामलों में, जुलाई, 2004 में लागू किए गए 1997 के मजदूरी/वेतन संशोधन के चलते कर्मचारियों के उपदान और छुट्टी नकदीकरण की बकाया धनराशि कर्मचारियों द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकी। तथापि, जैसे ही संबंधित कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती हैं, भुगतान निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। अन्य सभी मामलों में भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

जहां तक बीआरएल, सिल और एचएससीएल जैसे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का संबंध है, वर्ष 1998–99 में स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई बकाया दावा कंपनियों के पास लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

यमुना नदी का घटता हुआ जल स्तर

3807. श्री रघुनाथ झा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है जिससे दिल्ली में पेयजल की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पेयजल की कमी को दूर करने के लिए यमुना नदी के जल स्तर को बनाए रखने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने 1963 से वजीराबाद बैराज के अनुप्रवाह में पुरानी दिल्ली रेलवे पुल पर यमुना नदी पर एक गेज एवं निस्सरण प्रेक्षण स्थल बना रखा है। स्थल पर प्रेक्षित आंकड़ों के अध्ययन से यह पता नहीं चलता कि वर्ष कि संगत अवधियों के दौरान पिछले वर्षों में यमुना नदी में जल स्तर में कमी की कोई प्रवृत्ति पाई गई है।

यमुना, दिल्ली में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। यमुना नदी

का जल दिल्ली में वजीराबाद बैराज को भी आपूर्ति किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.12.1998 के आदेशों के अनुसार वजीराबाद बैराज पर पूर्ण तालाब स्तर बनाए रखना होता है। यमुना नदी के जल की निर्मुक्ति तथा नहर तंत्र का नियमन हथनीकुंड बैराज (दिल्ली से लगभग 240 कि.मी.) तथा मुनाक पर एक नियामक द्वारा किया जाता है, जोकि दोनों हरियाणा सिंचाई विभाग के तहत आते हैं। दिल्ली पहुंचने तक जल को एक लम्बी दूरी तय करनी होती है। इसलिए वजीराबाद बैराज पर जल स्तर में उतार–चढ़ाव की संभावना रहती है। जब भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल स्तर में गिरावट की सूचना दी जाती है तो तालाब स्तर को बनाए रखने के लिए हरियाणा सिंचाई विभाग को और अधिक जल निर्मुक्ति करने का अनुरोध किया जाता है जिससे कि यमुना नदी से दिल्ली को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 165 लाख (लगभग) है तथा दिल्ली जल बोर्ड 720 एमजीडी जल की आपूर्ति कर रहा है। पिछले रुख को देखते हुए 2021 तक जनसंख्या लगभग 230 लाख होने की संभावना है। इसके साथ ही पेय जल मांग 2021 तक 1380 एमजीडी होने की संभावना है। जल उपचार संयंत्रों की वर्तमान संस्थापित क्षमता निम्नानुसार है :

जल उपचार संयंत्र	क्षमता
चन्द्रावल	90 एमजीडी
वजीराबाद	120 एमजीडी
हैदरपुर	200 एमजीडी
नांगलोई	40 एमजीडी
बवाना	20 एमजीडी
भागीरथी	100 एमजीडी
सोनिया विहार	140 एमजीडी
रैन्नी वेल्स/ट्यूबवैल	100 एमजीडी
कुल	810 एमजीडी

उपर्युक्त में से सोनिया विहार तथा नांगलोई जल उपचार संयंत्र अपरिष्कृत जल की कम आपूर्ति के कारण अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं और बवाना जल उपचार संयंत्र जोकि तैयार है परन्तु अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं कर रहा है। आपूर्ति तथा मांग के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. सोनिया विहार जल आपूर्ति संयंत्र को अपरिष्कृत जल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
2. नांगलोई जल उपचार संयंत्र को अपरिष्कृत जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल वाहक नहरों का सुदृढ़ीकरण।
3. मुनाक से हैदरपुर जल उपचार संयंत्र तक समान्तर लाइन चैनल के निर्माण की एक योजना हरियाणा द्वारा दिल्ली सरकार से 315 करोड़ रुपये जमा करने पर निष्पादित की जा रही है। इससे वर्तमान नहर में रिसन जल क्षतियों में बचत करके अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाएगा।
4. चार पुनः चक्रण बैक वाश/अशुद्ध जल उपचार संयंत्र भी निर्माणाधीन हैं तथा ये 45 एमजीडी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराएंगे।
5. दिल्ली में घटती भूजल तालिका का पुनर्भरण करने के लिए जल संचयन योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
6. दिल्ली को अपरिष्कृत जल उपलब्ध कराने के लिए यमुना बेसिन में रेणुका, किशाऊ और लखवर व्यासी पर तीन भण्डारण बांध बनाने का प्रस्ताव है। ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों (दिल्ली, राजस्थान, हरियाण, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के बीच मई, 1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार ओखला तक यमुना के 11.983 बीसीएम वार्षिक उपयोज्य प्रवाह में से दिल्ली को 0.724 बीसीएम जल प्राप्त होना है। मई 1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक चिन्हित भण्डारण परियोजना के संबंध में पृथक करार निष्पादित किया जाएगा। जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग के सहयोग से लाभों तथा लागत के बंटवारे के संबंध में प्रत्येक भण्डारण परियोजना पर एक संकल्प तैयार करने में मदद कर रहा है। इन तीन बांधों में से हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन के अंतिम चरण में है।

इन उपायों से 2021 तक दिल्ली को अपरिष्कृत जल की आपूर्ति 1380 एमजीडी की मांग की तुलना में 1380 एमजीडी से अधिक होने की संभावना है।

तिलहन के बुआई क्षेत्र में कमी

3808. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती सिवेदिता माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल फसल के बुआई क्षेत्र में बहुत कमी आई है जैसाकि दिनांक 09 अप्रैल, 2007 को बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 9 अप्रैल, 2007 के बिजनेस स्टैण्डर्ड में, अन्य बातों में, बताया है कि तिलहन का बुआई क्षेत्र 5.47% घटा है। 2006–07 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ तथा रबी तिलहनों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 2005–06 के दौरान 27.86 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में 25.99 मिलियन हैक्टेयर रहा जोकि 1.87 मिलियन हैक्टेयर की कमी दर्शाता है। खरीफ का क्षेत्र 2005–06 में 17.37 मिलियन हैक्टेयर से 16.55 मिलियन हैक्टेयर कम हो गया तथा रबी का क्षेत्र 10. 49 मिलियन हैक्टेयर से 2006–07 में 9.44 मिलियन हैक्टेयर हो गया। तिलहन का क्षेत्र संकुचन मुख्य रूप से खरीफ मौसम में मूंगफली तथा रबी मौसम में रेपसीड एवं सरसों के कारण हुआ है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मूंगफली के क्षेत्र में कमी बुआई के समय सूखे जैसी स्थिति के कारण तथा गुजरात में मूंगफली क्षेत्र का कपास क्षेत्र में प्रवर्तन के कारण है। रेपसीड एवं सरसों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में गेहूं के क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश में चने के क्षेत्र में परिवर्तित हो गए हैं।

(ग) तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम (आईसोपाम) देश में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1.4.2004 से लागू है। स्कीम के अंतर्गत बोए जाने वाले बीजों, फाउंडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिट का वितरण, ढांचा विकास, संशोधित प्रौद्योगिकी पर ब्लाक निरूपण, एकीकृत कीट प्रबंध, वीडीसाइड, छिड़काव सेट का वितरण तथा किसानों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट 2007–08 में आईसोपाम को विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

लेवी चीनी के आबंटन हेतु मानदंड

3809. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री चन्द्र भणि त्रिपाठी :
श्रीमती करूणा शुक्ला :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के आबंटन हेतु कतिपय मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों को लेवी चीनी के आबंटन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रभावित राज्यों में नियमित आबंटन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) 1.2.2001 से लेवी चीनी का आबंटन 13.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी हेतु प्रति व्यक्ति न्यूनतम 500 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) चूंकि लेवी की प्रतिशतता को 1.2.2001 से कम कर घरेलू उत्पादन का 10 प्रतिशत कर दिया गया है, इसलिए लेवी आबंटन हेतु चीनी की उपलब्धता घरेलू उत्पादन के स्तरों पर निर्भर रहते हुए अलग–अलग होती है और इस तरह प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निर्धारित लेवी कोटा के अनुसार लेवी चीनी की आपूर्ति करना संभव नहीं रहा है। तदनुसार, 2003–04 तथा 2004–05 चीनी मौसमों में चीनी उत्पादन में गिरावट के कारण अगस्त, 2005 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों सहित अनेक राज्यों को लेवी कोटा कम कर दिया गया था।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने लेवी कोटा को बहाल करने का अनुरोध किया था और उनका पूर्ण राज्य कोटा बहाल कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गंगा से जल निकासी

3810. श्री नवीन जिन्दल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी से अधिक जल निकासी के कारण उसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि दिनांक 21 मार्च, 2007 के द हिन्दू में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष गंगा से सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों हेतु कितना जल निकाला जाता है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग का गंगा बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों का एक नेटवर्क है। 1983–84 से 2002–03 तक की अवधि के दौरान गंगा नदी में पांच महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना में प्रवाह आंकड़ों का एक अध्ययन, जिसमें पांच वर्षीय औसत प्रवाह दर्शाया गया है, नीचे दिया गया है :

(इकाई–क्यूमेक)

अवधि	ऋषिकेश	कानपुर	इलाहाबाद	वाराणसी	पटना
1983–84 से 1987–88 हेतु औसत वार्षिक प्रवाह	689.176	846.234	3071.465	3253.642	6843.685
1988–89 से 1992–93 हेतु औसत वार्षिक प्रवाह	729.388	727.431	2609.051	2509.868	6964.158
1993–94 से 1997–98 हेतु औसत वार्षिक प्रवाह	783.132	720.003	3079.797	3079.797	8715.034
1998–99 से 2002–03 हेतु औसत वार्षिक प्रवाह	751.563	998.990	2860.950	2860.950	8511.401

उपरोक्त आंकड़ों से गंगा नदी के जल प्रवाह में कमी होने संबंधी कोई उल्लेखनीय प्रवृति दिखाई नहीं देती है।

बाघ अभ्यारण्यों का पुनर्स्थापन

3811. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ बाघ अभ्यारण्यों को पुनर्स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने तथा बाघों के संरक्षण के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। राजस्थान राज्य सरकार ने सरिस्का बाघ रिजर्व और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान तथा निकट के क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4264.50 लाख रु. और 6248.75 लाख रु. के विशेष वित्तीय पैकेज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बीड़ी कामगार

3812. श्री नरहरि महतो : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार कितने बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि योजना का लाभ मिल रहा है;

(ख) श्रम कानूनों के अंतर्गत सभी कामगारों को सभी लाभ सुनिश्चित करने हेतु सरकारी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भविष्य निधि कार्यालय में कतिपय बेईमान तत्वों की गतिविधियों की जानकारी है, जो कि कतिथ रूप से कामगारों का शोषण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कामगारों के शोषण को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले बीड़ी कामगारों की संख्या 19,88,257 थी, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अपनी निहित शक्तियों के अनुसार लागू होता है तथा इसे लागू होने की शर्तों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। ऐसे प्रतिष्ठान जो कवर होने के पात्र हैं तथा अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें दायरे में लाने के लिए समय–समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, दायरे में लाए गए प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है, जिससे कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के लाभों का विस्तार पात्र कर्मचारियों तक सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) धोखाधड़ी में लिप्त लोगों की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों के कार्यचालन पर सख्ती से निगरानी रखी जाती है। पीड़ित सदस्य/नियोक्ता के शिकायतों के निपटान हेतु एक पूर्ण अधिकार प्राप्त शिकायत निवारण तंत्र पहले से मौजूद है। धोखाधड़ी में लिप्त रोगों की गतिविधियों का पता चलने पर शिकायत दर्ज करने, अनुशासनिक कार्रवाई करने जैसी समुचित कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ की जाती है।

विवरण

बीड़ी प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य–वार सदस्यता

(31.03.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रतिष्ठान	सदस्य
1	2	3	4
1	दिल्ली	0	0
2	हरियाणा	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	0	0
4	पंजाब	0	0
5	उत्तरांचल	0	0
6	उत्तर प्रदेश	169	9954
7	आन्ध्र प्रदेश	571	452802
8	कर्नाटक	299	238832
9	केरल	127	69985
10	तमिलनाडु	2097	580868
11	बिहार	37	30102
12	झारखण्ड	51	33348
13	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	23	1340
14	उड़ीसा	254	88596
15	पश्चिम बंगाल	1303	207399
16	छत्तीसगढ़	48	10820
17	गोवा	0	0
18	गुजरात	60	1102
19	मध्य प्रदेश	281	146512
20	महाराष्ट्र	192	102443
21	राजस्थान	150	14154
	कुल	5662	1988257

[हिन्दी]

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

3813. श्री महावीर भगोरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी–एमएम–II) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा इसमें कितनी सफलता मिली;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य–वार कितनी निधियां आबंटित और जारी की गई तथा कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(ग) इसके अंतर्गत निधियों के आबंटन करने का क्या आधार है;

(घ) यदि उक्त मिशन के अंतर्गत आबंटित/जारी निधियों से अधिक व्यय होने पर क्या अतिरिक्त निधियों का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने का प्रस्ताव है तथा उक्त निधियों को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादन हेतु लक्ष्य और उपलब्धि निम्नलिखित हैं :

(उत्पादन : 170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठे)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004–05	150	164
2005– 06	165	185
2006–07	185	210 (अनंतिम)

(ख) निधियों का राज्यवार आबंटन, निर्मुक्ति और उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) क्षेत्र उत्पादन, राज्यों से मांग, पिछले वर्षों में इस स्कीम के कार्यनिष्पादन और उत्पादन बढ़ाने की क्षमता के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(घ) और (ङ) वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उपलब्ध निधियों के उपयोग के आधार पर इस स्कीम क्रियान्वयक राज्यों को अतिरिक्त निधियां दी जाती हैं। फिलहाल इस स्कीम के अधीन अतिरिक्त निधियों की निर्मुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–II के अधीन आबंटन, निर्मुक्तियां और प्रयुक्त

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004–05			2005–06			2006–07		
		आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आबंटन	निर्मुक्ति	उपयोग (अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	623.62	571.16	554.14	440.00	570.52	547.99	1320.00	1227.91	994.23
2	गुजरात	750.00	773.04	800.18	750.00	812.42	658.11	1200.00	1095.11	1095.47
3	हरियाणा	225.00	112.50	186.96	280.00	270.43	203.72	300.00	223.17	207.7
4	कर्नाटक	486.03	478.58	420.79	500.00	500.00	416.21	560.00	438.62	448
5	मध्य प्रदेश	607.59	483.28	406.42	400.00	302.35	427.70	450.00	377.30	228.05
6	महाराष्ट्र	784.79	771.44	775.81	786.00	763.00	765.62	1000.00	989.93	625.62
7	उड़ीसा	80.00	40.00	100.94	78.00	78.95	75.16	125.00	120.41	80.35
8	पंजाब	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	264.00	10.00	0.00	0
9	राजस्थान	719.21	231.25	189.55	500.00	392.87	457.98	580.00	548.11	242
10	तमिलनाडु	339.41	342.94	234.08	350.00	338.45	400.26	245.00	291.54	237.6
11	त्रिपुरा	25.00	22.00	15.07	50.00	15.00	20.00	200.00	32.00	7.5
12	उत्तर प्रदेश	80.00	40.00	58.15	65.00	35.00	39.38	80.00	40.00	36.85
13	पश्चिम बंगाल	50.00	38.59	49.60	75.00	92.77	66.00	80.00	40.00	17.16
	कुल	4771.650	3904.780	3791.690	4275.000	4171.760	4342.13	6150.00	5424.10	4220.53

[अनुवाद]

कृषि जलवायु क्षेत्र

3814. श्री जी. एन. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने कृषि–जलवायु क्षेत्र हैं

(ख) क्या एक क्षेत्र में प्रयुक्त बीज, उर्वरक और कृषि प्रक्रियाओं/तकनीकों का दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों का राज्यवार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में जलवायु, मृदा एवं खेती करने की अवधि के संदर्भ में अलग–अलग विशेषताएं होती हैं। इसलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बीज, उर्वरकों जैसी निवेश मांगों में विविधता होती है। तथापि, एक जैसे समीपवर्ती कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुछ फसल प्रजातियां/किस्में एक जैसी हो सकती हैं। कृषि प्रक्रियाएं/तकनीकें विशिष्ट पण्यों पर निर्भर करती हैं।

(ग) और (घ) श्री एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट समिति ने तीन कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है;

(i) राष्ट्रीय जैविक दबाव प्रबंध संस्थान

(ii) राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंध संस्थान

(iii) राष्ट्रीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

विभाग ने अपनी 11वीं योजना में शामिल प्रस्ताव को योजना आयोग को प्रस्तुत किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

योजना आयोग के अनुसार कृषि जलवायु क्षेत्र

क्रम सं.	कृषि जलवायु क्षेत्र		शामिल राज्य
1.	पश्चिम हिमालयी क्षेत्र	क्षेत्र 1	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल
2.	पूर्वी हिमालयी क्षेत्र	क्षेत्र 2	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम
3.	गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र	क्षेत्र 3	पश्चिम बंगाल
4.	गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र	क्षेत्र 4	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार
5.	ऊपरी गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र	क्षेत्र 5	उत्तर प्रदेश
6.	गंगा पार के मैदानी क्षेत्र	क्षेत्र 6	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़
7.	पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्र 7	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल
8.	केन्द्रीय पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्र 8	मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
9.	पश्चिमी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्र 9	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान
10.	दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्र 10	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु
11.	पूर्वी तटवर्ती मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र	क्षेत्र 11	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी
12.	पश्चिमी तटवर्ती मैदानी और घाट क्षेत्र	क्षेत्र 12	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा
13.	गुजरात के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र	क्षेत्र 13	गुजरात
14.	पश्चिमी शुष्क क्षेत्र	क्षेत्र 14	राजस्थान
15.	प्रायद्वीपीय क्षेत्र	क्षेत्र 15	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप

[हिन्दी]

कुनोपालपुर अभ्यारण्य पर हुआ व्यय

3815. श्री अशोक अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में स्थित कुनोपालपुर अभ्यारण्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) कुनो अभ्यारण्य के लिए कितने गांवों को खाली कराया गया है;

(ग) क्या विस्थापित ग्रामीणों का पुनर्वास कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गिर के शेरों को उक्त अभ्यारण्य में कब तक लाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) चालू वित्त वर्ष अर्थात 2007–08 के दौरान कुनो पालपुर अभ्यारण्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। तथापि, पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2006–07 के दौरान कुनो पालपुर अभ्यारण्य को 249.84 लाख रु. की धनराशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 24 गांवों के 1545 परिवारों का अभयारण्य से बाहर पुनर्वास किया गया है।

(घ) कुनो–पालपुर अभयारण्य में शेरों के स्थानान्तरण के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ना

3816. श्री गणेश सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ने के लिए सड़क संपर्कों को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तथा सिंधी स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को सड़क संपर्कों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन दोनों उद्यानों के राष्ट्रीय महत्व के मद्देनज इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकार को निदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ने के लिए सड़क संपर्कों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाटा बेस तथा सूचना नेटवर्किंग को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता

3817. श्री सुग्रीव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मत्स्यन क्षेत्र हेतु डाटा बेस और सूचना नेटवर्किंग को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 के दौरान राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई तथा वर्ष 2007–08 के दौरान कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना तकनीकी के सुदृढ़ीकरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को 363.21 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 2007–08 के लिए इस योजना के तहत 280.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण

2006–07 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता

राशि लाख रुपए में

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश/ अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां	2006–07
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.45
3.	गोवा	4.00
4.	हरियाणा	10.50
5.	हिमाचल प्रदेश	6.15

1	2	3
6.	कर्नाटक	19.93
7.	महाराष्ट्र	49.37
8.	मिजोरम	3.89
9.	राजस्थान	9.07
10.	त्रिपुरा	4.87
11.	उत्तर प्रदेश	31.20
12.	पश्चिम बंगाल	6.00
13.	पांडिचेरी	4.50
14.	छत्तीसगढ़	0.23
15.	उत्तरांचल	14.00
16.	केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	151.42
17.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	10.37
18.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	15.53
19.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग मुख्यालय, भारत सरकार	5.18
	कुल	363.21

उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की स्थापना

3818. श्री ए. वी. बेल्लारमिन : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कन्याकुमारी जिले में एक उप–क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव की आज की तारीख के अनुसार स्थिति क्या है; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कन्याकुमारी और नागरकोइल जिलों को कवर करते हुए नागर कोइल में उप–क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 24.07.2006 को आयोजित बैठक में रखा गया था। यह मामला आस्थगित कर दिया गया था और इस पर अभी समिति द्वारा विचार किया जाना है।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर

3819. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर कितनी ब्याज दर का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2006–07 और 2007–08 हेतु क्या दर निर्धारित की गई है;

(ख) क्या ई.पी.एफ. पर ब्याज के भुगतान में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ई.पी.एफ. निधियों पर अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशियों पर ब्याज दर 9.5% थी जबकि वर्ष 2005–06 के लिए यह 8.5% थी। तथापि, वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा ब्याज दर की संस्तुति अभी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि खातों में किसी विशेष वर्ष में नामे डाले जाने के लिए ब्याज की दर इस तरह से निर्धारित की जाती है कि सदस्यों में खातों में नामें डाले गई ब्याज से संबंधित डेबिट के परिणामस्वरूप ब्याज उचंत खाते से अधिक आहरण नहीं होना चाहिए।

(घ) किए गए निवेशों का अनुवीक्षण केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है और बेहतर लाभ, सुरक्षा तथा परिसमापन के लिए समय–समय पर सिफारिशें की जाती हैं।

यवतमाल हेतु उर्वरकों का विशेष कोटा

3820. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रबी फसल को बचाने के लिए महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के किसानों हेतु उर्वरकों के विशेष कोटे की स्वीकृति हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी हां।

(ख) यूरिया के स्वदेशी उत्पादन का केवल 50% संचलन और वितरण सरकार के नियंत्रणाधीन है। अन्य सभी उर्वरक अर्थात् डीएपी और एमओपी आदि नियंत्रणमुक्त उर्वरक हैं और इन उर्वरकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतों पर निर्भर करती है। रबी मौसम के दौरान महाराष्ट्र में यूरिया की उपलब्धता आकलित मांग से अधिक थी। राज्य के अन्दर उर्वरकों का वितरण और संचलन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

भंडागारों की स्थापना

3821. श्री एन. शिवन्ना : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने तथा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भंडागारों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरिस्का में शेरों का अवैध शिकार

3822. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सरिस्का अभ्यारण्य में कितने शेर हैं;

(ख) क्या मार्च, 2007 माह में सरिस्का में अवैध शिकार की दो घटनाओं में छह शेर मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) अवैध शिकारियों को गिरफ्तार करने और शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) इस समय तक सरिस्का रिजर्व में शेरों के मौजूद होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड की जल परियोजनाएं

3823. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् झारखंड की अलग-अलग कौन सी सिंचाई परियोजनाएं और पेयजल योजनाएं प्राप्त हुईं और स्वीकृत की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान कितना है;

(ग) निर्धारित समय में कितनी परियोजनाएं पूरी की गईं;

(घ) इनमें से कितनी चालू परियोजनाएं अभी भी कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) उन्हें पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य की बुराही जलाशय परियोजना नामक एक सिंचाई योजना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है। इस संबंध में टिप्पणियों/प्रेक्षणों को अनुपालन हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरूआत की। इस योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान झारखंड राज्य की छः परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान प्रदान किया गया है। इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं हेतु जारी की गई सीएलए/अनुदान और राज्य द्वारा उन पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जल आपूर्ति, जल-मल और स्वच्छता क्षेत्र में राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को बढ़ाये हेतु केन्द्र सरकार द्वारा

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) आरंभ किया गया जिसके अन्तर्गत 1991/2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में जलापूर्ति बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकारें 50:50 आधार पर एयूडब्ल्यूएसपी योजनाओं को निधि मुहैया करा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य की सात परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इन परियोजनाओं हेतु जारी की गई केन्द्रीय सहायता और राज्य द्वारा उन पर किए गए कुल व्यय के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) एआईबीपी के अंतर्गत इन योजनाओं को शामिल करने का वर्ष इनको पूरा करने के नियत वर्ष और पूरा करने के संशोधित वर्ष संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

एयूडब्ल्यूएसपी परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि सामान्यतः 2–3 वर्ष है। विवरण–II में उल्लिखित योजनाओं को जनवरी से मार्च, 2005 तक संस्वीकृत किया गया था। उनके पूरा होने की निर्धारित तारीख 31.3.2008 है।

विवरण-I

2004–05 से 2006–07 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत झारखंड राज्य को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सीएलए/अनुदान					वर्ष जिसमें एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया	पूरा होने का निर्धारित वर्ष	पूरा होने का संशोधित वर्ष
		2004–05			2005–06	2006–07			
		ऋण	अनुदान	कुल	अनुदान	अनुदान			
1	गुमानी				1.3620	0.3900	1997–98	2001–02	2008–09
2	कंसजोर				0.4800		1997–98	2001–02	2007–08
3	सोनुआ	4.1965	1.7985	5.9950	0.7080		1997–98	2001–02	2008–09
4	सुरंगी	1.7675	0.7575	2.5250			1997–98	2001–02	2008–09
5	ऊपरी शंख	5.7890	2.4810	8.2700	1.4400	0.9000	2004–05	2008–09	2008–09
6	पंचखेरो	3.1465	1.3485	4.4950	1.0470		2004–05	2008–09	2008–09
	कुल	14.8995	6.3855	21.2850	5.0370	1.2900			

विवरण-II

एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत वित्तपोषित योजनाएं

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	जिला	परियोजना लागत	केन्द्रीय हिस्सा	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	मार्च, 2006 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	दुम्का	बोकारो	215.63	107.82	80.85	48.36
2	हुसैनाबाद	डाल्टनगंज	277.45	138.73	138.73	23.14
3.	मनोहरपुर	पश्चिमी सिंहभूम	152.00	76.00	76.00	2.48

1	2	3	4	5	6	7
4	बासुकीनाथ	दुमका	553.77	276.89	207.66	0.00
5	मेरू	हजारीबाग	72.85	36.43	38.43	15.34
6	पंचेट	धनबाद	279.63	139.81	139.81	169.89
7	बल्लारपुर	धनबाद	192.82	96.41	96.41	13497
	कुल		1744.15	872.09	775.89	394.18

नोट: मार्च, 2001 तक अविभाजित बिहार राज्य को 606.72 लाख रुपए जारी किए गए थे। बिहार और झारखंड से अलग-अलग भाग का कुल योग क्रमशः 307.27 लाख रुपए और 299.35 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गिरावट

3824. श्री परसुराम माझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष पश्चिमी तट पर समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने वर्ष 2006-07 के लिए सीफूड उत्पादन से संबंधित आंकड़ों का संकलन नहीं किया है। विगत तीन वर्षों में समुद्री मत्स्य उत्पादन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। पश्चिम तट में सीफूड के उत्पादन में कोई भारी गिरावट नहीं देखी गई है।

विवरण

पश्चिमी तट पर समुद्री मत्स्य उत्पादन की स्थिति

(000 टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	609.14	584.78	663.88
2.	महाराष्ट्र	420.01	417.77	445.34
3	गोवा	83.76	94.81	100.91
4.	दमन और दीव	13.77	12.51	17.72
5.	कर्नाटक	187.00	171.23	176.97
6.	केरल	608.52	601.86	558.91
7.	लक्षद्वीप	10.03	11.96	11.96
	कुल	1932.23	1894.92	1975.69

शीतागार

3825. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कृषि उत्पाद के लिए शीतागार अवसंरचना के बड़े पैमाने पर संवर्धन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन हैं और कृतिक बल की शर्तें क्या हैं; और

(घ) कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, शीत श्रृंखला सम्मेलन, 2007 नई दिल्ली में 20-21 मार्च, 2007 को हुआ जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने निम्नलिखित अधिदेश

के साथ देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), आदि को शामिल करके एक कार्य बल गठित करने की सिफारिश की :

(i) नीति निष्पादन हेतु और देश में शीत श्रृंखला विकसित करने में महत्वपूर्ण स्टेक होल्डरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित किए जाने वाले केन्द्रीय और राज्य शीर्ष अभिकरणों के लिए विचारार्थ विषय तैयार करना।

(ii) लक्ष्यों के साथ एक रोड मैप तैयार करना।

(iii) निवेश परिमाण और कार्य निष्पादन समय सीमा का ब्यौरा देना।

(iv) कार्य निष्पादन मॉडल का लगातार अनुसरण करना।

आशा है कि कार्यबल अपने गठन की तारीख से तीन माह के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेगा।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों के लिए आश्रय स्थल

3826. श्री देविदास पिंगले :
श्री मो. ताहिर :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बच्चों को आश्रय स्थलों पर भोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस समय राज्य–वार ऐसे कितने आश्रय स्थल विद्यमान हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना क्रियान्वित कर रही है। योजनान्तर्गत कार्यमुक्त कराये गये बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में डाला जाता है जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, वजीफा और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन विद्यालयों में आवासीय सुविधा नहीं है। तथापि, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के लिए उपलब्ध आश्रय स्थलों को बाल श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

(घ) देश में फिलहाल मौजूद आश्रय स्थलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में मौजूद आश्रय स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त आश्रय स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	–
2.	आंध्र प्रदेश	28
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	7
5.	बिहार	13
6.	चंडीगढ़	–
7.	छत्तीसगढ़	7
8.	दादरा और नागर हवेली	–
9.	दमन और दीव	–
10.	दिल्ली	19
11.	गोवा	3
12.	गुजरात	55
13.	हरियाणा	7
14.	हिमाचल प्रदेश	–
15.	जम्मू और कश्मीर	–
16.	झारखंड	–
17.	कर्नाटक	62
18.	केरल	23
19.	लक्षद्वीप	–
20.	मध्य प्रदेश	26

1	2	3
21.	महाराष्ट्र	273
22.	मणिपुर	–
23.	मेघालय	3
24.	मिजोरम	4
25.	नागालैण्ड	2
26.	उड़ीसा	5
27.	पांडिचेरी	15
28.	पंजाब	15
29.	राजस्थान	9
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	19
32.	त्रिपुरा	7
33.	उत्तर प्रदेश	47
34.	उत्तरांचल	28
35.	प. बंगाल	33
	कुल	711

[अनुवाद]

लौह अयस्क उत्पादन में वृद्धि

3827. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) का लौह अयस्क उत्पादन का विस्तार करने और इसमें वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा विभिन्न राज्यों में अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित नई खानों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) की योजना है कि वर्ष 2006–07 में लौह अयस्क के 27 मिलियन टन के उत्पादन को 2014–2015 तक बढ़ाकर 50 मिलियन टन वार्षिक किया जाए।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएमडीसी के लौह अयस्क के उत्पादन हेतु लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मात्रा : मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2004–05	19.69	20.74
2005–06	21.00	22.92
2006–07	23.10	27.07

(घ) एनएमडीसी खनन पट्टों की मंजूरी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को समय–समय पर आवेदन करता है। तथापि, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि संबंधित राज्य सरकारें एनएमडीसी द्वारा खनन पट्टों के लिए किए गए आवेदनों के संबंध में अंतिम निर्णय कब (किस वर्ष के दौरान) लेंगी।

औषधों के ब्रांड नामों का हटाया जाना

3828. श्री हितेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधियों के ब्रांड नाम को हटाने और औषधियों का उनके जैनेटिक नामों से विपणन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि औषधियों की मौजूदा बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रांड नाम और जैनेटिक नाम से बेची जा रही औषधियों की कीमतों में कितने प्रतिशत का अधिकतम अंतर है; और

(घ) औषधियों के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अधिकतम अंतर की अनुमति की नियंत्रण प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रस्ताव है कि आम जनता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सस्ती दवाएं

उपलब्ध कराने का एक तरीका देश में जेनेरिक दवाओं के उत्पादन व विपणन को बढ़ावा देना हो सकता है। इसे सार्वजनिक खरीद व वितरण हेतु जेनेरिक औषधों को प्राथमिकता देने और जेनेरिक औषधों के लिए निःशुल्क गुणवत्ता अधिप्रमाणन के जरिए हासिल किया जा सकता है।

यह नीति, मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस पर विचार किया और इस मामले को मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। अब मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई थी। फार्मा नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ग) और (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के पैरा 7 में दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

डीपीसीओ, 1995 के पैरा 8 के तहत सरकार/एनपीपीए को समय-समय पर निर्माता विशेष के अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के खुदरा मूल्य निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। डीपीसीओ, 1995 के पैरा 9 के तहत सरकार को समय-समय पर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है तथा ये अधिकतम मूल्य जेनेरिक नाम के अन्तर्गत बेची जाने वाली दवाओं सहित ऐसे सभी पैकों तथा ऐसे फार्मूलेशनों के सभी विनिर्माताओं पर लागू होना।

फिलहाल घरेलू रूप से विनिर्मित अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के लिए कारखाना मूल्य पर 100% और आयातित अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के लिए अवतरित लागत पर अधिकतम 50% तक अनुमत्य विनिर्माणोत्तर व्ययों (एमएपीई) की अनुमति है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य, उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुददों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जनभागीदारी योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

3829. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999 से 2002 तक क्रमशः इंदौर, भोपाल, विदिशा, मांदीद्वीप, जबलपुर, उज्जैन, नागडा, बुरहानपुर, सिवनी, छप्पारा, केवलाडी प्रत्येक के लिए 103.73 लाख धनराशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन्हें अभी तक स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1999 से 2002 तक की अवधि के दौरान "जनभागीदारी योजना" नामक किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात से बनी बैल-गाड़ियों का वितरण

3830. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री आनंद राव विठोबा अडसूल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांववासियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के बीच इस्पात से बनी बैलगाड़ियां वितरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गांववासियों के बीच बैलगाड़ियों के वितरण हेतु क्या मानदंड अपनाया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भी इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के माध्यम से अनेक योजनाएं शुरू की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न एक संस्थान इंस्टीटयूट ऑफ स्टील डवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी)

ने प्रायोजक इस्पात कंपनियों के माध्यम से वितरण हेतु लगभग 600 इस्पात बैलगाड़ियों को डिजाइन और फैब्रिकेट किया है।

(ग) बैलगाड़ियों के वितरण हेतु मापदंड स्वयं प्रायोजक कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, वितरण में समाज के कमजोर वर्गों को तरजीह दी जाती है।

(घ) और (ङ) इस्पात के उपयोग के संबंध में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में अधिक जागृति लाने के लिए और देश में इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), जेएसडब्ल्यू लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), एस्सार लिमिटेड जैसे प्रमुख इस्पात उत्पादकों और इस्पात मंत्रालय की भागीदारी सहित एक राष्ट्रीय इस्पात अभियान दिनांक 20 मार्च, 2007 को शुरू किया गया है।

बाघ अभयारण्यों को आपस में जोड़ना

3831. श्री के.सी. सिंह "बाबा" : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन–कौन से बाघ अभयारण्य आपस में जुड़े हुए हैं और कौन–कौन से बाघ अभयारण्य आपस में जुड़े हुए नहीं है;

(ख) क्या आपस में नहीं जुड़े हुए बाघ अभयारण्यों में बाघों के बीच प्रजनन में आनुवांशिक समस्या पैदा हो रही है, जिसके फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) देश के सभी बाघ रिजर्वों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। देश में सभी बाघ रिजर्व प्राकृतिक वन मार्गों से एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में पेंच बाघ रिजर्व के साथ और पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ रिजर्व असम में मानस बाघ रिजर्व के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) भारत के जंगलों में बाघों के अन्तः प्रजनन के कारण आनुवांशिक समस्या के संबंध में इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य
1	2	3
1.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
2.	बांदीपुर	कर्नाटक
3.	भद्रा	कर्नाटक
4.	बक्सा	पश्चिम बंगाल
5.	कॉर्बेट	उत्तरांचल
6.	दम्पा	मिजोरम
7.	दुधवा	उत्तर प्रदेश
8.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
9.	कालाकड मुन्डनथुराई	तमिलनाडु
10.	कान्हा	मध्य प्रदेश
11.	मानस	असम
12.	मेलघाट	महाराष्ट्र
13.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश
14.	नामदाफा	अरुणाचल प्रदेश
15.	नामेरी	असम
16.	पक्की	अरुणाचल प्रदेश
17.	पलामऊ	झारखण्ड
18.	पन्ना	मध्य प्रदेश
19.	पेंच	मध्य प्रदेश
20.	पेंच	महाराष्ट्र
21.	पेरियार	केरल
22.	रणथम्भोर	राजस्थान
23.	सरिस्का	राजस्थान
24.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
25.	सिमलीपाल	उड़ीसा
26.	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल
27.	ताडोबा–अंधेरी	महाराष्ट्र
28.	वाल्मिकी	बिहार

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि में जमा धन

3832. श्री मोहन रावले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) लेखा में राज्य वार कर्मचारियों की कितनी धनराशि जमा कराई गई;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रतिभूतियों में धनराशि के निवेश का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों को उनकी जमा राशियों पर वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए भविष्य निधि अंशदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार निधि से किए गए निवेशों का ब्यौरा निम्नवत है :

(करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	निवेश की श्रेणियां	प्रत्यक्ष मूल्य पर हिस्सा	प्रतिशत हिस्सा
1.	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां (सी टी जी)	14,778.24	15.27
2.	(क) राज्य विकास ऋण (एस डी एल)	10,751.13	11.11
	(ख) सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियां (एस टी जी)	1,532.50	1.58
3.	विशेष जमा योजना (एस डी एस)	52,230.93	53.97
4.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/वित्तीय संस्थान (पी एस यू/पी एस एफ आई)	17,481.80	18.06
	कुल	96,774.60	100

(ग) से (च) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से निर्धारित दर पर प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज की राशि जमा कर दी जाएगी। योजना से बाहर जाने वाले सदस्य के खाते में विद्यमान धनराशि का आदिनांक ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। तथापि, वर्ष 2006–07 के लिए ब्याज दर की घोषणा लम्बित रहने के कारण ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संबंध में प्राप्त अंशदान का विवरण
(उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनकी छूट/रियायत समाप्त/वापस कर दी गई थी, प्रतिभूतियों के स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त अंशदान सहित)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	वित्त वर्ष 2003–04 के दौरान	वित्त वर्ष 2004–05 के दौरान	वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश–हैदराबाद	58,697.78	70,935.45	62,482.03
2	आन्ध्र प्रदेश–गुन्टूर	–	–	21,914.36
3	बिहार–पटना	5,139.38	7,859.90	7,304.25
4	छत्तीसगढ़–रायपुर	7,710.54	6,708.10	7,357.17

1	2	3	4	5
5	दिल्ली–उत्तर	62,754.41	76,253.81	46,454.67
6	दिल्ली–दक्षिण	–	–	47,153.95
7	गोवा	5,749.44	6,652.96	7,710.72
8	गुजरात–अहमदाबाद	54,891.89	60,974.18	38,353.94
9	गुजरात–बड़ोदा	–	–	35,842.56
10	हरियाणा–फरीदाबाद	34,481.94	43,388.77	54,949.62
11	हिमाचल प्रदेश–शिमला	5,140.16	5,915.51	8,625.63
12	झारखण्ड–रांची	4,677.24	6,142.74	6,786.75
13	कर्नाटक–बंगलौर	85,919.16	112,048.88	126,748.61
14	कर्नाटक–मंगलौर	–	–	26,297.77
15	केरल–त्रिवेन्द्रम	28,543.15	31,182.85	34,589.95
16	मध्य प्रदेश–इन्दौर	24,300.41	25,667.12	28,288.89
17	महाराष्ट्र–I (बान्द्रा)	188,159.76	231,139.32	103,624.46
18	महाराष्ट्र–II (थाणे)	–	–	81,399.10
19	महाराष्ट्र–नागपुर	–	–	33,841.24
20	महाराष्ट्र–पुणे	–	–	60,654.58
21	उत्तर पूर्वी क्षेत्र–गुवाहाटी	6,121.84	6,496.27	7,765.26
22	उड़ीसा–भुवनेश्वर	11,998.42	11,881.11	14,393.28
23	पंजाब–चंडीगढ़	36,134.94	40,201.97	23,596.81
24	पंजाब–लुधियाना	–	–	20,380.44
25	राजस्थान–जयपुर	19,053.52	21,265.39	24,478.77
26	तमिलनाडु–चेन्नई	97,251.86	112,449.23	83,745.60
27	तमिलनाडु–कोयम्बटूर	–	–	34,730.33
28	तमिलनाडु–मदुरई	–	–	17,657.31
29	उत्तरांचल–देहरादून	4,388.43	5,231.16	6,095.45
30	उत्तर प्रदेश–कानपुर	41,398.07	47,438.78	53,544.09
31	पश्चिम बंगाल–कोलकाता	47,679.07	46,100.36	41,666.95
32	पश्चिम बंगाल–जलपाईगुड़ी	–	–	10,832.04
	कुल	830,191.42	975,933.86	1,179,266.59

[अनुवाद]

सुपारी के उपयोगिता मूल्य पर अध्ययन

3833. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपारी और इसके उप–उत्पादों के पान और गुटका में इस्तेमाल के अलावा उपयोगिता मूल्य के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सुपारी उत्पादकों की बेहतरी के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) के क्षेत्रीय केन्द्र, विट्ठल (कर्नाटक) में सुपारी और इसके उपोत्पादों के पान और गुटका में इस्तेमाल के अलावा उपयोगिता के महत्व पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सुपारी का प्रयोग टैनिंग में किया जा सकता है, सुपारी से वसा को निकाला जा सकता है और वसारहित सुपारी के चूरे का प्रयोग कंपाउंड फीड फार्मूलेन्शस और उर्वरकों में किया जा सकता है। अनेक मिठाइयों में सुपारी का उपयोग पाया गया है। सुपारी की पत्तियों की शीथ से कप और प्लेट तैयार करने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। अनेक उद्यमियों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है और सुपारी की पत्तियों की शीथ से कप और प्लेट बना रहे हैं।

(ग) संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां हैं : (i) कप और प्लेट तैयार करने के लिए सुपारी की पत्तियों की शीथ का प्रयोग, (ii) वसारहित और टैन रहित (डिटैंड) सुपारी के चूरे का प्रयोग कंपाउंड फीड फार्मूलेशंस और उर्वरकों में करना, (iii) खुम्बी उत्पादन के लिए सूखी पत्तियों की शीथ्स का उपयोग।

(घ) सरकार सुपारी सहित बागवानी फसलों के सस्योत्तर प्रबंधन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। सुपारी की पत्तियों की शीथ से कप और प्लेटों का व्यावसायिक उत्पादन उद्यमियों द्वारा किया गया है जिससे अब सुपारी उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात

3834. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान गेहूं का पुनः आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान खरीद और स्टॉक कितना है और वर्ष 2007–08 के दौरान कितना आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) किस–किस एजेंसी/एजेंसियों को उक्त आयात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आयात के लिए क्या समय–सीमा तय की गई है तथा क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) आम आदमी को सस्ती कीमतों पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) रबी विपणन मौसम 2007–08 जो फिलहाल चल रहा है में 26.4.2007 स्थिति के अनुसार 73.8 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 45.63 लाख टन गेहूं का स्टाक था। सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा जुलाई, 2007 तक उपयुक्त भागों में एक मिलियन टन गेहूं के आयात की कार्रवाई शुरू की जाए क्योंकि खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

(घ) गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चला रही है ताकि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। किसानों के हित की रक्षा करने के लिए रबी विपणन मौसम 2007–08 के लिए गेहूं हेतु 750 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2006–07

के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 100 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। रबी विपणन मौसम 2007–08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है।

विवरण

गेहूं के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

i) किसानों को और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2007–08 के लिए घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। अब कृषि और सहकारिता विभाग के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2006–07 में गेहूं का अनुमानित उत्पादन 72.5 मिलियन टन होगा जबकि फसल वर्ष 2005–06 में 69.3 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

ii) 2006–07 में 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है; और रबी विपणन मौसम 2007–08 की शुरूआत के समय गेहूं का स्टाक (1.4.2007 की स्थिति के अनुसार) 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक था।

iii) 31.12.2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

iv) बाजार मूल्यों को संयत करने के लिए फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों को गेहूं 986.06 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर उपलब्ध कराया गया था। गेहूं के निर्गम मूल्य में आर्थिक लागत अर्थात 1232.30 रुपये प्रति क्विंटल पर 20 प्रतिशत राजसहायता घटक शामिल है। राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे उपभोक्ताओं को लाभ न हानि आधार पर वितरण सुनिश्चित करें ताकि राजसहायता का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

v) सरकार गेहूं के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कड़ी नजर रख रही है।

vi) 1.3.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007–08 के दौरान 50 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को एक रिर्टन भरेगा जिसमें कंपनी का नाम/पता, खरीदे गए गेहूं की मात्रा और स्टाक में रखे गेहूं की मात्रा दर्शायी जाएगी।

vii) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2007 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

viii) 31.12.2007 तक निजी खाते पर गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

डेयरी किसानों को सहायता

3835. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले गरीब डेयरी किसानों को 250 रुपए की दर से मासिक पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने के लिए केरल डेयरी किसान कल्याण निधि की स्थापना हेतु एक कानून लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार वृद्ध डेयरी किसानों की मदद करने के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके गरीब डेयरी किसानों को 250 रुपए प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन देने सहित विभिन्न कल्याण उपायों को करने के लिए केरल डेयरी किसान कल्याण कोष की स्थापना करने के लिए केरल क्षीर कर्षक सेमानिधि अधिनियम, 2007 (केरल डेयरी किसान कल्याण कोष अधिनियम, 2007) पारित किया है। केरल डेयरी किसान कल्याण कोष अधिनियम, 2007, 13.4.2007 को अधिसूचित हो चुका है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु कानून

3836. श्री पी. करुणाकरन :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु एक व्यापक कानून लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कृषि मजदूरों हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी योजना लाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स), संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग के परामर्श से कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने और केन्द्रीय विधान बनाने पर विचार कर रही है। इस योजना की रूपात्मकताएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) और (घ) इस समय कृषि कामगारों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी योजना लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कृषि कामगारों पर भी लागू है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

3837. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान श्रम से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों के साथ-साथ अतिरिक्त श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित हैं और उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) चंडीगढ़, दिल्ली, एर्णाकुलम गुवाहाटी और अहमदाबाद में वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 5 नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु दसवीं योजना में वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालतों की एक नई योजना शुरू की गई है। मंत्रालय सी जी आई टी को यथासंभव अधिक से अधिक लोक अदालतों की एक नई योजना शुरू की गई है। मंत्रालय सी जी आई टी के यथासंभव अधिक से अधिक लोक अदालतों के आयोजन के लिए प्रोत्साहन देता है। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रमशः 357, 234 और 282 औद्योगिक विवादों का निपटान लोक अदालतों के माध्यम से किया गया।

(ग) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, सी जी आई टी में लंबित मामलों की संख्या तथा 1.4.2006 से 31.3.2007 के दौरान निपटाए गए मामलों के बारे में विवरण निम्नवत् है :-

	लम्बित (31.3.2007 तक संचयी आंकड़े)	निपटाए गए (1.4.2006 से 31.3.2007 के दौरान)
मामले	12405**	2319**

** इन आंकड़ों में सी जी आई टी जयपुर, कोलकाता और अहमदाबाद के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(घ) सरकार ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु निम्नांकित कदम उठाये हैं :-

(i) औद्योगिक विवादों के निपटान में तेजी लाने के लिए विद्यमान 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के अलावा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान एर्णाकुलम, गुवाहाटी, चंडीगढ़, नई दिल्ली और अहमदाबाद में 5 नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय स्थापित किए गए थे।

(ii) लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक नई स्कीम वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है।

(iii) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा भेजी गई मासिक लम्बित कार्य रिपोर्टों के माध्यम से कार्य का नियमित अनुवीक्षण किया जाता है।

खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाओं की असफलता

3838. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों

को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों में अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण अपने उद्देश्य पूरे करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन अप्रभावी योजनाओं के स्थान पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सीधे राहत पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाई है/बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई और इसमें कितनी सफलता मिली?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाएं विफल नहीं हुई हैं। वर्ष 2006–07 के लिए ऐसी स्कीमों के अधीन आबंटन और उठान निम्नानुसार हैं –

(आंकड़े लाख टन में)

	योजना	आबंटन	उठान	प्रतिशत उठान
1.	मध्याह्न भोजन योजना	21.59	16.54	76.60
2.	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	5.12	4.59	89.65
3.	कल्याणकारी संस्थाएं	3.83	3.01	78.59
4.	अन्नपूर्णा	1.67	0.90	53.69
5.	संपर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना	16.93	16.43	97.04
6.	संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना का विशेष घटक	6.64	6.23	93.82
7.	किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	0.48	0.52* (*बैकलॉग कोटा का उठान किया गया)	> 100.00
8.	इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम	0.16	0.14	87.50
9.	ग्रामीण अनाज बैंक	0.44	0.18	40.91

ये कल्याण योजनाएं राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। जब कभी इस मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भेजा जाता है और मामलों को उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विमान की दुर्घटना

3839. श्री रामदास आठवले : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के कितने विमान दुर्घटना में नष्ट हुए हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान अब तक प्रत्येक दुर्घटना में हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3840. श्री सुबोध सुरेशचंद्र देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक राज्यों विशेष रूप से पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चावल की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या उक्त उपलब्धता राष्ट्रीय औसत उपलब्धता के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेष रूप से पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 में प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धता, अखिल भारतीय स्तर पर 2005 में 64.7 किलोग्राम के अनुमान की तुलना में, 72.5 किलोग्राम रही है। ऐसे अनुमान राज्यवार या क्षेत्रवार तैयार नहीं किए जाते हैं।

उत्पादन तथा उत्पादकता तदनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अक्तूबर, 2000 से कृषि का व्यापक प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल के लिए एक प्रमुख केन्द्र प्रायोजित एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल ड्रग अथोरिटी ऑफ इंडिया

3841. श्री के. एस. राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि सेन्ट्रल ड्रग अथोरिटी ऑफ इंडिया औषधियों के उत्पादन, मूल्य-निर्धारण तथा विपणन को विनियमित करेगा तथा भेषज उद्योग में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय औषध प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

उर्वरकों पर राजसहायता

3842. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री के. सी. पल्लानी शामी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर कितनी राजसहायता जारी की गई तथा वर्ष 2007-08 के लिए कितनी राजसहायता निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उर्वरकों पर राजसहायता किसानों तक उचित रूप से नहीं पहुंच रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उर्वरक उत्पादक कंपनियों को राजसहायता देने की बजाय सीधे किसानों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान राजसहायता के रूप में 25,952.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 का बजट अनुमान 22,451.01 करोड़ रुपए है।

(ख) उर्वरकों की मानकीय सुपुर्दगी लागत तथा न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमपीआर), जिस पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है, के बीच के अन्तर को कम करने के लिए उत्पादकों/आयातकों को उर्वरकों पर राजसहायता जारी की जाती है। किसानों को राजसहायता प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में राजसहायता प्राप्त होती है।

(ग) और (घ) उर्वरक उद्योग ने किसानों को राजसहायता की सुपुर्दगी के वैकल्पिक मॉडल का पता लगाने संबंधी अध्ययन कराने के लिए उर्वरक विभाग के साथ कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने किसानों को सीधे उर्वरक सहायता का वितरण करने के लिए एक मॉडल सुझाने हेतु टाटा कंसलटेंसी लिमिटेड (टीसीएस) को एक अध्ययन सौंपा है। एफएआई रिपोर्ट का प्रारूप अप्रैल, 2007 में तैयार होने की संभावना है।

वर्ष 2007-08 के लिए ई.पी.एफ. संबंधी ब्याज दर का मुद्दा

3843. श्री अधीर चौधरी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर के मुद्दे पर सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवाद का हल निकालने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) ब्याज दर संबंधी मामले पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अपनी बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है, जिसमें ब्याज दर के संबंध में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इस मामले पर पुनः विचार–विमर्श किया जाना है।

चिल्का झील का संरक्षण

3844. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में रामसर स्थल में चिल्का झील के संरक्षण हेतु उड़ीसा सरकर से कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में चिल्का झील, एक रामसर स्थल, के कैचमैंट क्षेत्र उपचार कार्यों के लिए वर्ष 2005–06 और 2006–07 के लिए 820 लाख रु. की कुल लागत पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र और पूर्व में किए गए कार्यों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाती है। उड़ीसा सरकार को वर्ष 2006–07 के दौरान कैचमैंट क्षेत्र उपचार के लिए जारी किए गए 54.95 लाख रु. का उपयोगिता प्रमाण–पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह दस्तावेज जब और जैसे ही प्राप्त हो जाएंगे तब प्रस्ताव की जांच की जाएगी और वित्तीय सहायता जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

असंगठित क्षेत्रों में कामगार

3845. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री के. एस. राव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान में असंगठित क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण अलग–अलग से कामगारों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : वर्ष 2004–05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में 45.90 लाख (459 मिलियन) लोग नियोजित हैं जिनमें से 433 मिलियन लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कामगारों की संख्या के बारे में अलग तथा राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

'प्रोजेक्ट टाइगर' के लिए धनराशि

3846. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'प्रोजेक्ट टाइगर' संरक्षण कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बढ़ोत्तरी पूरे देश में फैले 28 बाघ अभ्यारण्यों में 65,000 परिवारों वाले लगभग 1,500 गांवों को पुनर्स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी;

(घ) यदि नहीं, तो यह आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार की बाघ अभ्यारण्यों से सभी परिवारों का पुनर्वास कब तक करने की योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007–08 के दौरान बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 65 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है जो निश्चित तौर पर स्कीम के अंतर्गत अब तक वर्ष में प्राप्त आबंटनों में एक बढ़ोत्तरी है।

(ग) से (ङ) भारतीय वन्यजीव संस्थान को समय सीमा के भीतर देश के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के अलावा बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों, जहां पर ग्राम का पनुर्वास किया जाना है, का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही साथ व्यवसायिक एजेंसियों के माध्यम से एक नमूना अनैच्छिक ग्राम पुर्नस्थापना/पुर्नवास पैकेज के विकास के लिए कार्रवाई की गई है। यद्यपि पुनः स्थापन/पुनर्वास पैकेज को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं लेकिन जब तक इसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्तमान मानकों के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्यों से बाघ रिजर्वों से ग्रामों के पुनःस्थापन/पुनर्वास के लिए प्रस्तावों हेतु अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

राजीव सागर परियोजना

3847. श्री कृष्ण मुरारी मोघे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव सागर परियोजना (बावनतडी) के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजना को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) मध्यप्रदेश में बावनथाडी परियोजना, जिसे राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और यह दोनों राज्यों को सिंचाई लाभ मुहैया कराती है। मुख्य कार्य में बावनथाडी नदी पर बांध शामिल है। महाराष्ट्र राज्य में जलमग्नता के कारण बहुत से गांव प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश रज्य सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 2007 तक 95% मुख्य कार्य और 85% नहर कार्य (मध्य प्रदेश में) पूरा कर लिया गया है और मार्च, 2007 तक कुल व्यय 298.9655 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश में परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता 29412 हेक्टेयर है जिसके लिए अभी तक कोई सिंचाई क्षमता उत्पन्न नहीं की गई है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और इसकी आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण के साथ–साथ निष्पादन की प्राथमिकता राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 2003–04 में परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल किया गया है और एआईबीपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश को जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता 54.1001 करोड़ रुपए है। परियोजना को जून, 2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। तथापि यह राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले पुर्नस्थापना और पुनर्वास कार्यों के पूरा होने और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त वन भूमि स्वीकृति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कार्बनिक उर्वरक तथा बायोगैस इकाइयों को राजसहायता

3848. श्री पी. सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कार्बनिक उर्वरकों तथा बायोगैस इकाइयों को राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जैव–अपरदनीय नगरीय ठोस अपशिष्ट के शहरी कम्पोस्ट (जैविक उर्वरक) में परिवर्तन के लिए यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत फल एवं सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए 40 लाख रुपये, वर्मीकल्चर हैचरियों की स्थापना के लिए 1.50 लाख रुपये और जैव–उर्वरक यूनिटों की स्थापना के लिए 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत परिवार के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2100 रुपये से 11700 रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नया गेहूं स्टॉक घोषणा आदेश

3849. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गेहूं के लिए जारी स्टॉक घोषणा आदेश को मूल्य वृद्धि रोकने के लिए दालों, चावल, खाद्य तेल आदि सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007 के दायरे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

श्रमिक आवास योजना

3850. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिक आवास योजना के राज्य–वार कितने मामले सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित हैं;

(ख) उक्त मामले के लम्बित होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन मामलों को सरकार द्वारा कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने श्रमिकों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के लिए जारी की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) सरकार द्वारा श्रमिक आवास योजना नामक कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। तथापि, सरकार बीड़ी श्रमिकों और खान श्रमिकों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 गृह निर्माण हेतु आवास सब्सिडी अनुदान के लिए 25 मई, 2005 से कार्यान्वित कर रही है। 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों, संस्वीकृत आवासों, जारी निधियों तथा लम्बित प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। 2005–06 के दौरान अपर्याप्त निधि के कारण 7569 आवास संस्वीकृत नहीं किए जा सके।

विवरण

संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 के तहत बीड़ी श्रमिकों के लिए वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान संस्वीकृत आवासों का राज्य–वार

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम	2005–06				2006–07			
		प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव	संस्वीकृत प्रस्ताव	लम्बित प्रस्ताव	जारी सब्सिडी (लाख रु. में)	प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव	संस्वीकृत प्रस्ताव	लम्बित प्रस्ताव	जारी सब्सिडी (लाख रु. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16166	9595	6571	3838.00	4914	11485	शून्य	3308.00
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	91	91	शून्य	18.20
3.	कर्नाटक	846	शून्य	846	शून्य	314	1160	शून्य	353.40
4.	मध्य प्रदेश	60	60	शून्य	शून्य	225	225	शून्य	45.00
5.	महाराष्ट्र	188	187	01	74.80	128	129	शून्य	25.80
6.	उड़ीसा	43	43	शून्य	17.20	1634	1634	शून्य	384.60
7.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	03	03	शून्य	0.60
8.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2898	2898	शून्य	615.60
9.	उत्तर प्रदेश	21	21	शून्य	8.40	128	128	शून्य	25.60
10.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	168	168	शून्य	33.60
11.	बिहार	1016	1016	शून्य	406.40	678	678	शून्य	159.40
12.	झारखंड	151	शून्य	151	शून्य	शून्य	151	शून्य	30.20
	कुल	18,491	10,922	7,569	4344.80	11,181	18,750	शून्य	5000.00

[अनुवाद]

खाद्य उपभोग में कमी

3851. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य उपभोग में वर्ष दर वर्ष निरंतर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और गत तीन योजना अवधियों के दौरान अनाज एवं अन्य कृषि उत्पादों का श्रेणी–वार तथा राज्य–वार औसत उपभोग कितना है; और

(ग) देश में खाद्यान्न उपभोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में बकरी एवं सूअर विकास हेतु विशेष पैकेज

3852. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को सहायता देने के लिए केरल में बकरी एवं सूअर विकास हेतु विशेष पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

औषधि संबंधी अनुसंधान

3853. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में औषधि एवं अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधि अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) जी, हां। अनेक सरकारी विभाग और एजेंसियां हैं जो औषध अनुसंधान को समर्थन दे रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से औषध अनुसंधान को समर्थन दे रहा है। यह कार्यक्रम, शोध प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं के सृजन और फार्मा उद्योग परियोजनाओं को 3% प्र.व. की आसान दर पर ऋण देकर उद्योग सांस्थानिक सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 217.63 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है, अर्थात 46 सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा 25 राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए 113.63 करोड़ रु. का सहायता अनुदान और 104.00 करोड़ रु. की 31 उद्योग ऋण परियोजनाएं। इसके अतिरिक्त, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस विभाग में भेषज अनुसंधान विकास कार्यक्रम (पीआरडीपी) के लिए 600 लाख रु. स्वीकृत किए गए थे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) में आर एंड डी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर उन्मुख था। औषध अनुसंधान के महत्व को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए सरकार की योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन में वृद्धि करने की है। वर्ष 2007–08 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में 118.00 करोड़ रु. के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

वैदनी/रूपकुंड का सूखना

3854. श्री रशीद मसूद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय क्षेत्र के दो विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट वैदनीकुंड और रूपकुंड सूख गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कुंडों का सूख जाना किसी पर्यावरणीय संकट का संकेत है; और

(घ) यदि हां, तो इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) जी, नहीं। हाल में वैदनीकुंड और रूपकुंड के ट्रेकिंग रूटस की मानीटरिंग के लिए कोई अधिकृत अध्ययन नहीं किया गया है और इसलिए इन कुंडों के सूखने अथवा कोई अन्य पर्यावरणीय संकट को दर्शाने वाला कोई समर्थित प्रमाण नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन भूमि के अन्यत्र उपयोग हेतु अनुरोध

3855. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार केन्द्र सरकार से खतरनाक अपशिष्टों के निपटान हेतु वन भूमि के उपयोग हेतु अनुरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वन–भूमि न दिए जाने के कारण खतरनाक अपशिष्टों के निपटान की वजह से मुश्किल में पड़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो खतरनाक अपशिष्टों के निपटान हेतु राज्य सरकारों को स्वीकृति देने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) राज्य सरकार से कर्नाटक के कोलार जिले में सिदलागहाता तालुक के अजाकदरनहाली और मैदेनचल्ली में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए 50 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर मंत्रालय में कार्रवाई की गई थी और 22.10.2002 को चरण–I मंजूरी प्रदान की गई।

स्पंज आयरन उद्योग

3856. श्री नरहरि महतो : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्पंज आयरन उद्योग के विकास हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या विधियां अपनाई गई हैं; और

(ग) स्पंज आयरन के उत्पादों हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) केन्द्र सरकार का स्पंज लोहा उद्योग के विकास हेतु कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने एक राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयरा की है जिसके तहत स्पंज लोहा उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में स्पंज लोहे के मौजूदा लगभग 13 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 30 मिलियन टन वार्षिक करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) इस्पात की तरह स्पंज लोहा पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त उद्योग है। अतः उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में की जाने वाली पहल उद्यमियों को करनी होती है।

(ग) स्पंज लोहा उत्पादों का एक सुदृढ़ी राष्ट्रीय बाजार है और इनका उपयोग अतिरिक्त मूल्य संवर्धन के लिए गलन भट्टियों में किया जाता है। चूंकि यह क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है अतः स्पंज लोहा उत्पादक अपने उत्पादों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाश करने के लिए स्वतंत्र है।

ऊतक संवर्द्धन इकाई हेतु जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

3857. श्री सुग्रीव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में ऊतक संवर्धन इकाई हेतु जैव–प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) महोदय, 5.00 करोड़ रुपये की लागत से उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद (ओयूएएंडटी), भुवनेश्वर में पादप टिश्यु कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना का एक प्रस्ताव वर्ष 2005–06 दौरान प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में भवनों, फर्नीचर और फिक्सचर, उपकरण, मशीनरी, खपत व मानव शक्ति आदि सहित बुनियादी सुविधाओं के घटक थे। कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के लिए ओयूएएंडटी को 87.50 लाख रुपए धनराशि निर्मुक्त की गई है।

जखाऊ में मत्स्यन बंदरगाह का निर्माण

3858. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा जखाऊ, गुजरात में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण हेतु 5291.00 लाख रुपए का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 27 मई, 2005 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपेक्षित धनराशि स्वीकृत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) गुजरात सरकार ने 1143.60 लाख रुपए की मूल रूप से स्वीकृत राशि में लागत वृद्धि करके 5291 लाख रुपए के संशोधित लागत प्राक्कलन (आर सी ई) प्रस्ताव को मई, 2005 में प्रस्तुत किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आर सी ई प्रस्ताव की जांच के बाद, गुजरात सरकार से संबद्ध तकनीकी–आर्थिक पहलुओं वाला व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

गिर वन के सिंहों के आंकलन हेतु समिति

3859. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में एशियाटिक शेरों के अत्यधिक अवैध शिकार के मद्देनजर गिर वन का तत्स्थानिक आकलन करने के लिए विशेष समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) पिछले एक महीने में कितने शेर मारे गए और इस समय अभयारण्य में शेरों की कुल कितनी संख्या है; और

(घ) इस अभयारण्य को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी हां। हाल ही में एशियाई शेरों के अवैध शिकार को देखने हेतु केन्द्र सरकार ने गिर में मौके पर आकलन के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समिति को अपने गठन के 30 दिनों के अंदर अर्थात 2 मई, 2007 तक रिपोर्ट सौंप देनी जरूरी है।

(ग) राज्य सरकार ने गिर अभयारण्य क्षेत्र में वर्ष 2007 के मार्च महीने के दौरान 9 शेरों की मौत की सूचना दी है। 3 शेरों की मौत प्राकृतिक कारण से हुई है और छः शेर अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2005 के संख्या अनुमानों के अनुसार गिर सुरक्षित क्षेत्र के अंदर और चारों ओर तथा पास के सेटेलाइट क्षेत्रों में शेरों की अनुमानित संख्या 359+10 है।

(घ) अभयारण्य को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. गिर में स्टाफ को सुदृढ़ किया गया है।
2. गहन पेट्रोलिंग की जाती है।
3. शेरों की सुरक्षा में राज्य रिजर्व पुलिस वन विभाग की सहायता कर रही है।
4. जन जागरूकता और जन सम्पर्क द्वारा सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी गणना

3860. श्री गणेश सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान कृषि संबंधी गणना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कराई गई कृषि संबंधी गणना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी हां। कृषि संगणना प्रत्येक पांच वर्ष पर की जाती है। पिछली कृषि संगणना वर्ष 2000–01 में की गई थी। कृषि संगणना 2005–06 चल रही है। कृषि संगणना विभिन्न आकार के वर्गों, सामाजिक समूहों, महिला–पुरूष और जोतों के प्रकारों पर आंकड़े प्रदान करती है। इसके अलावा कास्तकारी, पट्टे के निबंधन, भू–उपयोग, सिंचाई, विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र, कूपों और नल कूपों की संख्या आदि, सिंचित और असिंचित क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों और परिचालनात्मक जोतों के फैलाव पर भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी

3861. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के अंतर्गत वनरोपण कार्य में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल, मध्य प्रदेश ने वर्ष 2006–07 के लिए ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में दस प्रस्तावों की सिफारिश की है। इस मंत्रालय ने छः परियोजनाओं के लिए 54.38 लाख रुपए की धन राशि अनुमादित की है जिसमें से 21.34 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

सीमापार राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की स्थापना

3862. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों की भागीदारी से वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए सीमापार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श किया गया है/आरंभ किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे उद्यानों/अभयारण्यों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायण मीन्ना) : (क) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की दिनांक 17 मार्च, 2005 को आयोजित हुई दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राकृतिक पारिप्रणालियों की पहचान जिन पर सीमापारीय सुरक्षित क्षेत्रों के गठन हेतु विचार किया जा सकता है, के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन की अध्यक्षता में सीमापारीय सुरक्षित क्षेत्रों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सीमापारीय सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए अन्तर-मंत्रालय परामर्श और पड़ोसी देशों के संबंधित विभागों/मंत्रालयों की सहमति आवश्यक होती है। अतः कोई निश्चित समय सीमा परिकल्पित नही की गई है।

तिलहनों, दलहनों, ऑयलपॉम और मक्का की समेकित योजना

3863. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तिलहनों, दलहनों, ऑयलपाम और मक्का की समेकित योजना (आईएसओपीओएम) के अंतर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी सफलता प्राप्त की गई;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का (आईएसओपीओएम) का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान समेकित तिलहन, दलहन आयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) के तहत राज्य-वार तथा फसल-वार लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए में गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कथित स्कीम के तहत आबंटित, निर्मुक्त और प्रयोग की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन, दलहन, मक्का तथा आयलपाम के राज्यवार उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां

(उत्पादन लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
तिलहन							
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.89	22.09	28.68	20.41	30.33	12.76

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	2.02	1.17	1.76	1.36	1.86	1.10
3.	छत्तीसगढ़	1.10	1.24	1.63	1.26	1.72	1.52
4.	गुजरात	30.39	29.87	38.69	46.82	40.92	27.34
5.	हरियाणा	8.10	8.40	8.18	8.25	8.65	9.79
6.	कर्नाटक	17.61	15.70	19.11	17.15	20.20	10.85
7.	मध्य प्रदेश	64.94	47.98	64.00	57.22	67.70	54.74
8.	महाराष्ट्र	30.44	27.44	30.00	33.73	31.72	35.03
9.	उड़ीसा	1.83	1.79	1.77	1.88	1.87	1.78
10.	पंजाब	1.55	1.00	1.33	0.90	1.40	1.19
11.	राजस्थान	38.46	55.41	39.47	59.64	41.76	47.70
12.	तमिलनाडु	19.57	10.61	17.78	11.53	18.82	11.11
13.	उत्तर प्रदेश	14.44	9.52	14.85	10.66	15.71	7.36
14.	पश्चिम बंगाल	5.66	6.53	6.24	6.10	6.59	6.51
दलहन							
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.70	10.19	13.00	13.76	7.70	12.52
2.	बिहार	6.00	4.67	7.30	4.47	6.80	5.00
3.	छत्तीसगढ़	4.65	3.68	4.80	4.53	4.65	4.11
4.	गुजरात	6.20	4.79	5.10	5.47	6.20	5.88
5.	हरियाणा	5.05	1.46	2.70	1.18	5.20	1.70
6.	कर्नाटक	7.80	7.92	11.30	9.64	7.50	8.53
7.	मध्य प्रदेश	31.35	34.29	34.50	32.33	32.00	28.61
8.	महाराष्ट्र	22.50	15.64	22.75	20.05	21.50	22.54
9.	उड़ीसा	7.10	2.50	3.80	3.36	6.70	2.91
10.	पंजाब	0.95	0.32	0.60	0.26	1.10	0.41
11.	राजस्थान	17.95	13.37	15.50	8.98	20.30	11.97
12.	तमिलनाडु	3.55	2.46	4.70	1.77	3.70	3.71
13.	उत्तर प्रदेश	25.75	23.75	24.60	22.32	26.45	28.30
14.	पश्चिम बंगाल	1.70	1.67	2.00	1.74	1.70	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8
मक्का							
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.85	20.64	17.37	30.87	17.85	20.86
2.	बिहार	17.30	14.66	17.90	13.61	18.10	11.93
3.	छत्तीसगढ़	0.45	1.32	0.50	1.06	0.52	1.04
4.	गुजरात	5.55	4.12	5.85	5.60	6.15	4.62
5.	हिमाचल प्रदेश	7.60	7.36	7.90	5.43	8.50	4.88
6.	जम्मू और कश्मीर	5.60	4.92	6.00	4.53	6.32	5.12
7.	कर्नाटक	22.20	25.12	22.80	27.28	23.50	23.86
8.	मध्य प्रदेश	15.10	12.52	15.60	12.49	16.00	10.48
9.	महाराष्ट्र	4.50	7.53	4.80	9.96	5.37	10.42
10.	उड़ीसा	0.75	1.06	0.85	1.02	0.90	1.00
11.	पंजाब	4.55	4.22	4.85	4.03	5.09	4.64
12.	राजस्थान	12.35	12.63	12.75	11.02	13.06	10.98
13.	तमिलनाडु	1.60	2.95	1.90	2.41	1.93	4.17
14.	उत्तर प्रदेश	17.25	14.94	17.60	10.54	18.20	12.64
15.	पश्चिम बंगाल	0.85	1.40	1.05	1.28	1.15	1.68

*तीसरा अग्रिम अनुमान

आयल पाम (क्षेत्र है. में)

1.	आन्ध्र प्रदेश	4200	5998	4800	9563	5200	11882
2.	कर्नाटक	1500	1046	1500	1591	1800	3294
3.	तमिलनाडु	1900	1091	2000	1210	2200	1045
4.	गुजरात	450	3	500	24	550	53
5.	उड़ीसा	400	0	500	0	500	250
6.	गोवा	300	14	350	7	400	3
7.	त्रिपुरा	300	25	300	55	300	19
8.	असम	250	0	300	0	300	0
9.	केरल	400	132	400	188	400	270
10.	मिजोरम	300	12	350	24	350	185

विवरण-II

समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का स्कीम (आइसोपाम) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान आबंटित, निर्मुक्त और प्रयोग की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	2004–05			2005–06			2006–07		
		आबंटन	निर्मुक्त धनराशि	प्राप्त व्यय**	आबंटन	निर्मुक्त धनराशि	प्राप्त व्यय**	आबंटन	निर्मुक्त धनराशि	प्राप्त व्यय**
1.	आन्ध्र प्रदेश	3543.00	3559.97	3864.95	4900.00	4816.50	2649.41	4542.00	4542.00	4693.2
2	असम	8.00	4.00	139.94	15.00	3.00		30.00	0.00	0.00
3	बिहार	290.00	145.00	421.65	245.00	245.00	149.97	385.00	385.00	266.95
4	छत्तीसगढ़	625.00	625.00	523.58	400.00	400.00	505.75	675.00	675.00	286.71
5	गुजरात	1883.00	1883.00	1316.71	1850.00	1850.00	1714.06	975.00	975.00	1131.22
6	गोवा	20.00	10.00	7.75	16.50	16.50	3.69	3.00	0.00	2.12*
7	हरियाणा	559.00	497.00	495.07	434.00	434.00	339.53	411.00	411.00	522.50
8	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00	55.08	75.50	75.50	64.46	75.00	75.00	70.04
9	जम्मू और कश्मीर	170.00	85.00	29.30	142.50	142.50	87.18	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	2155.00	2155.00	1560.97	1800.00	1800.00	1764.72	2700.00	2700.00	2810.65
11	केरल	10.00	5.00	34.83	7.50	7.50	33.40	15.00	15.00	40.16
12	मध्य प्रदेश	2925.00	2925.00	2627.40	2400.00	2400.00	2455.92	3750.00	3750.00	3378.34*
13	महाराष्ट्र	1040.00	1040.00	991.41	2739.30	2739.00	1786.25	925.00	925.00	1536.92
14	मिजोरम	107.00	107.00	221.00	90.00	90.00	10.00	180.00	102.87	117.05
15	उड़ीसा	455.00	455.00	569.86	500.00	500.00	531.78	525.00	525.00	522.66
16	पंजाब	105.00	52.50	1.76	87.50	87.50	65.84	0.00	0.00	1.15
17	राजस्थान	2000.00	2000.00	1613.21	2840.00	2840.00	2906.73	2934.50	2934.50	2912.29
18	तमिलनाडु	990.00	990.00	644.14	1245.00	1245.00	1168.65	1345.00	1345.00	988.52
19	त्रिपुरा	10.00	5.00	0.0	20.00	7.00	65.07	40.00	0.00	0.00
20	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	761.43	1065.00	1065.00	1134.3	1115.00	1115.00	1295.65*
21	पश्चिम बंगाल	260.00	260.00	229.97	450.00	450.00	706.51	674.50	674.50	366.93
	कुल	17980.00	17628.47	16110.01	16462.50	21214.00	18143.22	21300.00	21149.87	20943.06

* राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आधारित

** इसमें गत वर्ष के अव्ययित अधिशेष से प्राप्त खर्च शामिल है।

टिप्पणी : वर्ष 2006–07 के लिए खर्च आंकड़े अनंतिम हैं।

केरल में दुग्ध सहकारिताओं के विकास हेतु सहायता

3864. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में दुग्ध सहकारिताओं के विकास हेतु अवसंरचना का विकास करने के लिए 74 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने केरल में डेयरी विकास के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है जिसमें 72.458 करोड़ रुपए की कुल लागत से राज्य में दुग्ध सहकारिता के विकास के लिए मूलभूत सुविधा विकसित करने संबंधी घटक शामिल किया गया है। इसमें से 2007–08 से 2011–2012 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार से 44.07 करोड़ रुपए की प्रत्याशित सहायता मांगी गई है। इस परियोजना के चार घटक हैं जो इस प्रकार हैं:–

1.	गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण	–	1205.7 लाख रुपए
2.	डेयरी सहकारिताओं द्वारा दुग्ध खरीद का आधुनिकीकरण	–	4137 लाख रुपए
3.	अंतर फसल तथा शुद्ध फसल के रूप में हरा चारा उत्पादन	–	680.6 लाख रुपए
4.	गोपशुओं को शामिल करने संबंधी कार्यक्रम	–	1221.8 लाख रुपए
	कुल		7245.6 लाख रुपए

(ग) केरल राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस परियोजना को संशोधित करे क्योंकि केन्द्र सरकार सघन डेयरी विकास कार्यक्रम तथा गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को पहले से ही सहायता प्रदान कर रही है। उन्हें यह बताया गया है कि वे पहले से कवर किए जा चुके क्षेत्रों को शामिल न करें तथा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के केवल उन्हीं क्षेत्रों के प्रस्ताव भेजें जिन्हें कवर नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पशु स्वास्थ्य सुधार

3865. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रोगों के कारण मर रहे पशुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 के दौरान रोगों के कारण पशुधन मृत्यु की कुल संख्या क्रमशः 92146, 40575, 137981 और 78016 है।

(ख) पशुधन स्वास्थ्य में सुधार के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसके लक्ष्य और मुख्य घटक अर्थात् पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम हैं। जूनोटिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों को रोकने और उनके नियंत्रण के लिए पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना के तहत राज्यों को अनुदान सहायता दी जाती है। विगत चार वर्षों के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन टीके)	उपलब्धियां (मिलियन टीके)
2003–04	14.00	40.00
2004–05	62.00	104.00
2005–06	100.00	149.22
2006–07	105.00	156.18

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश में 54 अभिज्ञात जिलों में एक एम डी टीकों के चार दौर पूरे हो चुके हैं। प्रत्येक दौर में 28 मिलियन पशुओं को टीका लगाया जाना अपेक्षित है। प्रति दौर 28.00 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 27.71 (प्रथम दौर), 28.03 (दूसरा दौर), 27.52 (तीसरा दौर), 27.45 (चौथा दौर) है। टीकाकरण का पांचवां दौर चल रहा है।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र का विकास

3866. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्पादन और विकास दर के संबंध में इस्पात उद्योग का योजना–वार कार्य–निष्पादन कैसा रहा है; और

(ख) ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में, भारत में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन तथा वृद्धि दर निम्नानुसार हैं:–

योजना अवधि	अंतिम वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)	सीएजीआर (प्रतिशत)
7वीं योजना	1991–92	14.33	
8वीं योजना	1996–97	22.72	9.7
9वीं योजना	2001–02	30.63	6.2
10वीं योजना	2006–07	49.35	10

(स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति)

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए योजना आयोग द्वारा गठित इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यदल ने 2011–12 तक 77 मिलियन टन से अधिक परिसज्जित इस्पात की उपलब्धता का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

एस सी/एस टी/ओ बी सी हेतु पद

3867. श्री राम दास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और अन्य सहकारी संगठनों जैसे सरकार द्वारा वित्तपोषित सहकारी संगठनों में पदों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की स्वीकृत संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या उक्त अनुपात आरक्षण नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने में मंत्रालय के विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोतलबंद पानी में कीटनाशक

3868. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोतल बंद पानी में कीटनाशकों की मौजूदगी संबंधी शिकायतों को देखते हुए बोतलबंद पानी की गुणवत्ता की जांच हेतु भारतीय मानक ब्यूरो निर्धारित मापदण्डों को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ सी आई द्वारा खाद्य पदार्थों को जारी करने में भेदभाव

3869. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों को वितरण हेतु खाद्यान्नों को जारी करने के मामले में भारतीय खाद्य निगम में विद्यमान भेदभाव और व्यापक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों को सीधे आपूर्ति नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार अथवा उसकी नामित एजेंसियों को खाद्यान्नों का आबंटन करता है, जो भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान करती हैं और उन्हें आगे उचित दर दुकानों को जारी करती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना

3870. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री नरहरि महतो :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में राज्य–वार कुल कितने बीड़ी कामगार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर आई एच एस), 2005 के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आवास ऋण केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर से वितरित किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों की राज्य–वार कुल अनुमानित संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आर आई एच एस), 2005, 25 मई, 2005 से लागू की जा रही है। प्राप्त किए गए पूर्ण प्रस्तावों, संस्वीकृत मकानों और लंबित प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) संघ सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर से एक मकान के निर्माण हेतु 40,000/– रुपए प्रति कामगार वित्तीय सहायता, न कि ऋण, प्रदान की जाती है।

(घ) आर आई एच एस, 2005 के अंतर्गत 2005–06 और 2006–07 के दौरान संस्वीकृत मकानों की राज्य–वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गई है।

विवरण-I

बीड़ी कामगारों की राज्य–वार कुल अनुमानित संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमानित बीड़ी कामगारों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,35,000
2.	असम	6,674
3.	बिहार	1,94,170
4.	झारखण्ड	89,124
5.	गुजरात	46,355
6.	कर्नाटक	2,50,078
7.	केरल	84,133
8.	मध्य प्रदेश	9,87,088
9.	छत्तीसगढ़	20,481
10.	महाराष्ट्र	2,56,000
11.	उड़ीसा	1,90,313
12.	राजस्थान	34,226
13.	त्रिपुरा	9,372
14.	तमिलनाडु	6,25,000
15.	उत्तर प्रदेश	4,50,000
16.	पश्चिम बंगाल	10,74,531
	कुल	50,52,545

विवरण-II

आर आई एस एच, 2005 के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के लिए वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान संस्वीकृत मकानों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम	2005–06			2006–07		
		प्राप्त किए गए पूर्ण प्रस्ताव	संस्वीकृत प्रस्ताव	लंबित प्रस्ताव	प्राप्त किए गए पूर्ण प्रस्ताव	संस्वीकृत प्रस्ताव	लंबित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16166	9595	6571	4914	11485	शून्य
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	91	91	शून्य
3.	कर्नाटक	846	शून्य	846	314	1160	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मध्य प्रदेश	60	60	शून्य	225	225	शून्य
5.	महाराष्ट्र	188	187	01	128	129	शून्य
6.	उड़ीसा	43	43	शून्य	1634	1634	शून्य
7.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	03	03	शून्य
8.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	2898	2898	शून्य
9.	उत्तर प्रदेश	21	21	शून्य	128	128	शून्य
10.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	168	168	शून्य
11.	बिहार	1016	1016	शून्य	678	678	शून्य
12.	झारखण्ड	151	शून्य	151	शून्य	151	शून्य
	कुल योग	18,491	10,922	7,569	11,181	18,750	शून्य

[हिन्दी]

कार्बन के नियंत्रित उत्सर्जन हेतु संकल्पना पत्र

3871. श्री कृष्ण मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने वाले उद्देश्यों संबंधी कोई संकल्पना पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चम्बल नदी से बालू उत्खनन

3872. श्री अशोक अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चम्बल नदी से अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध खनन से मगरमच्छों को कोई क्षति पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक की गई/की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाही क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चम्बल नदी के साथ लगे कुछ क्षेत्रों से बालू का अवैध निष्कर्षण किया जा रहा है। इस प्रकार का खनन चम्बल नदी पर बनी सड़कों/पुलों के आसपास सापेक्ष रूप से अधिक है क्योंकि ऐसे स्थानों से एकत्रण और परिवहन आसान होता है। राजस्थान के धोलपुर, बूंदी और करोली जिले और मध्य प्रदेश का मुरैना जिला ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बालू खनन की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) नदी से बालू के अवैध खनन से मगरमच्छों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है लेकिन इनके नेस्टिंग व्यवहार पर कुछ प्रभाव पड़ा है।

(ङ) राज्य सरकार अभयारण्य के भीतर से बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बालू के अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और वन कार्मिकों ने संयुक्त कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश में इस गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों के साथ भूतपूर्व सेना कार्मिकों को भी तैनात किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में दुग्ध उत्पादन

3873. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने तीन वर्षों के भीतर राज्य को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाली कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तीन वर्षों के भीतर राज्य में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

एसआईएल और जे पी ग्रुप के बीच समझौता

3874. श्री रशीद मसूद : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और जे पी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना का कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने बढ़ते हुए सीमेंट के मूल्यों को रोकने के उद्देश्य से और अधिक सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी में क्रमशः 26 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत साम्या भागीदारी सहित बाबूपुर सतना, मध्य प्रदेश तथा भिलाई, छत्तीसगढ़ में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। बिलंकर तथा आंशिक सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में बाबूपुर सतना में किया जाएगा। शेष सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भिलाई में किया जाएगा। संयंत्र की क्षमता लगभग 2 एमटी है और इसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

(ग) दिनांक 21 मार्च, 2007 को हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार सीमेंट संयंत्र को समझौते की तारीख से 37 माह के भीतर अर्थात् अप्रैल, 2010 तक चालू किया जाना है।

(घ) और (ङ) उदारीकरण के आर्थिक माहौल में सीमेंट का उत्पादन औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त है और निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी – आर्थिक पहलुओं के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाकर निजी क्षेत्र में क्षमता संवर्धन को बढ़ावा दे रही है। इस समय सीमेंट की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा मांग और आपूर्ति, उत्पाद केन्द्र से दूरी, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए स्थानीय करों आदि जैसे घटकों पर निर्भर करते हुए तय की जाती हैं।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का उत्पादन

3875. श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2006–07 के दौरान खाद्य तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्य तेल के कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2007–08 के दौरान खाद्य तेल के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) 2006–07 के दौरान सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों का उत्पादन/निवल उपलब्धता 70.62 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2005–06 के दौरान 83.16 लाख टन का उत्पादन/निवल उपलब्धता थी।

(ख) खाद्य तेलों के कम उत्पादन के कारणों में लगभग 77% तिलहन उत्पादन क्षेत्र 77% में सुनिश्चित सिंचाई की कमी, बीजों की खराब गुणवत्ता, रोग और जन्तुबाधा की मौजूदगी शामिल है।

(ग) 2007–08 के दौरान तिलहन उत्पादन के लिए 312 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के जरिए किसानों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना, देश में तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित 'तिलहन, दाल और पामतेल और मक्का की

एकीकृत स्कीम" क्रियान्वित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बेहतर किस्म के बीजों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाना शामिल है।

बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था हेतु धनराशि

3876. श्री सुग्रीव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार के लिए अनुमोदित और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अनुमोदित धनराशि की शेष राशि को जारी/पुनः अभिपुष्ट करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	घटक का नाम	2004–05	2005–06	2006–07
1.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला/ बीज प्रमाणीकरण एजेंसी/ ग्रोआउट टेस्ट का सुदृढ़ीकरण	15.00	10.00	75.00
2.	बीज विकास प्रशिक्षण	0.050	–	2.00

निधियों के पुनः वैधीकरण हेतु उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे निर्मुक्त की गई राशि के उपयोग न किए जाने के लिए औचित्य व कारण बताएं।

गिर से कुनो-पालपुर अभयारण्य से सिंहों का स्थानांतरण

3877. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गिर से कुनो–पालपुर अभयारण्य में एशियाई सिंहों के स्थानांतरण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान की सिफारिशों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि बकायों का भुगतान

3878. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कंपनियां बार–बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि बकाए का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी–वार और राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जहां तक गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का संबंध है, प्रतिष्ठानों के पात्र कर्मचारियों के संबंध में नियोजक द्वारा देय अंशदानों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेषित कर दिया जाता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्यों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। तथापि, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के न्यासी बोर्ड द्वारा उनके कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

अनेक प्रतिष्ठान भविष्य निधि देयों में चूक करते हैं और 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार 76,958 चूककर्ता प्रतिष्ठानों पर बकाया राशि 2,530.07 करोड़ रुपए थी।

जैसे ही भविष्य निधि अंशदान में चूक का पता चलता है अथवा छूट प्राप्त प्रतिष्ठान द्वारा दावों का भुगतान न किए जाने अथवा कर्मचारी

भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है, संगठन द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) चूककर्ता प्रतिष्ठान द्वारा देय देनदारियों का मूल्यांकन।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार देयों की वसूली, जिसमें चूककर्ताओं की संपत्तियों की कुर्की एवं बिक्री, उनकी गिरफ्तारी तथा नजरबंदी, चूककर्ताओं की संपत्तियों की व्यवस्था करने के लिए रिसीवर नियुक्त करना शामिल है।

(iii) छूट–प्राप्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में दावों का निपटान करवाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हस्तक्षेप।

(iv) छूट प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में, छूट निरस्त कर दी जाती है तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की ज्यादा खरीद

3879. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा व्यापार में लगी कतिपय निजी कंपनियों ने अपने निर्धारित कोटे से अधिक गेहूं की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खरीद के लिए निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उक्त कपंनी द्वारा वास्तव में कितने गेहूं की खरीद की गई है;

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों कोटे से अधिक खरीदे गए गेहूं की मात्रा को वसूलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गेहूं की जमाखोरी और स्टॉक की स्थिति की निगरानी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार ने प्राइवेट कंपनियों द्वारा गेहूं की खरीद किए जाने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की है;

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) सरकार ने 1.3.2007 को "गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2007" जारी किया है। आदेश में यह व्यवस्था की गई है कि कोइ भी कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति, जो रबी विपणन मौसम 2007–08 के दौरान 50,000 टन (सम्पूर्ण देश में की गई कुल खरीददारी) से अधिक गेहूं खरीदेगा, वह केन्द्र सरकार को खरीदी गई मात्रा और रखे गए गेहूं के स्टॉक की मात्रा के बारे में आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 29.08.2006 को जारी आदेश द्वारा राज्य सरकारों को गेहूं के संबंध में स्टॉक रखने की सीमा लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस आदेश की वैधता अवधि 27.02.2007 को और 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन छापे मारे जा रहे हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अधीन व्यक्तियों को बंदी बनाया जा रहा है।

वायु में पारे का स्तर

3880. श्री जसुभाई धालाभाई बारड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अस्पतालों के अंदर और आसपास पारे का संस्वीकृत स्तर कितना है;

(ख) क्या अस्पतालों के अंदर और आसपास वायु के नमूने में पारे का जो औसत स्तर पाया गया है वह संस्वीकृत स्तर से लगभग सात गुणा अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे कम करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) सल्फर डाइआक्साइड, नाईट्रोजन आक्साइड, निलंबित ठोस पदार्थ, श्वसनीय ठोस पदार्थ (10 यू एम से कम आकार के) और सीसा जैसे प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों सहित विभिन्न भू–उपयोगों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित किया गया है। इस समय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में पारे को शामिल नहीं किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बिखरे हुए पारे को एकत्र करें और विनिर्माता को वापिस लौटा दें और ऐसे उपाय करें कि बिखरा हुआ पारा जनित जैव चिकित्सीय या ठोस अपशिष्टों का हिस्सा न बनें।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को जैव चिकित्सीय (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1988 के अंतर्गत प्राधिकृत करते समय उपयुक्त शर्तों को शामिल किए जाने के लिए कहा गया है।

जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 1998 के अंतर्गत डिस्पोजेबल मदों से जनित पारे के साथ संदूषित अपशिष्टों सहित ठोस अपशिष्टों के भस्मीकरण की अनुमति नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ वर्ष 2002 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत वायु और जल गुणता प्रबंधन, विषाक्त रसायनों और खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन, प्रदूषण एवं नियंत्रण, पर्यावरणीय गवर्नेंस, पर्यावरणीय मानीटरिंग और मूल्यांकन आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग चल रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और यू एस ई पी ए की आपसी सहमति से समझौते ज्ञापन को 02 अप्रैल, 2007 को पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना

3881. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएटीपी के अंतर्गत निर्धारित और अभी तक हासिल किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ग) एनएटीपी के अंतर्गत शामिल जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एनएटीपी के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) एनएटीपी के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एनएटीपी की समाप्ति के पश्चात् कोई नई परियोजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो नई योजना का ब्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) मुख्य परियोजना विकास संबंधी उद्देश्य (पीडीओ) निम्न के माध्यम से उचित प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता और अंगीकरण को बढ़ाना था : (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) की संगठन एवं प्रबंधन (ओ.एंडएम.) प्रणाली की दक्षता में सुधार; (ii) किसानों की प्रौद्योगिकीय जरूरतों की पूर्ति के संबंध में प्राथमिकता वाले अनुसंधान कार्यक्रमों तथा वैज्ञानिकों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना; और (iii) अधिक जिम्मेवारी के साथ प्रौद्योगिकी प्रसार प्रणाली की प्रभावशीलता तथा वित्तीय टिकाऊपन में सुधार के लिए मॉडल विकसित करना और किसानों की प्रतिभागिता में वृद्धि करना। परियोजना के अन्य मुख्य उद्देश्य थे : (i) कम विकसित बारानी तथा सीमांत क्षेत्रों और भूमि तथा जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन पर अनुसंधान संसाधनों द्वारा ध्यान केन्द्रित करना; (ii) अनुसंधानकर्ताओं की प्रतिभागी दक्षता में वृद्धि; और (iii) प्रौद्योगिकी प्रवाह की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार।

(ख) निर्धारित लक्ष्यों में शामिल हैं – अनुसंधान प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना, प्रमुख उत्पादन प्रणाली के लिए स्थान विशिष्ट अनुसंधान करना तथा मांग आधारित प्रौद्योगिकी प्रसार प्रणाली में नवीनता लाना। सफलताओं में संगठन एवं प्रबंधन सुधार द्वारा अनुसंधान प्रणाली की दक्षता में वृद्धि, पांच कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों नामतः पर्वतीय एवं पहाड़ी, बारानी, शुष्क, सिंचित तथा तटवर्ती क्षेत्रों में कृषि आय पर इसके मुख्य प्रभाव के साथ अनुसंधान करना और लाइन विभागों के कार्यक्रम कनवरजेंस के मॉडल के रूप में अट्ठाईस जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) स्थापित करना तथा ग्रामीण फार्म हाउसहोल्ड के साथ अनुसंधान और विस्तार कार्यकलापों के बीच सम्पर्क कायम करना।

(ग) कृषि–पारिस्थितिक प्रणाली अर्थात् पहाड़ी और पर्वतीय, शुष्क, बारानी, सिंचित तथा तटीय द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम चलाये गये थे, तथापि प्रौद्योगिकी प्रसार में नवोन्मेषी पर राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के एक घटक में 28 जिले शामिल हैं, जो विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) कृपया विवरण–II देखें।

(च) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अनुसरण में तैयार किया गया है।

(छ) परियोजना की प्रमुख और नई पहल संबंधी विशेषताओं में सहयोगी विकास तथा सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों, विकास विभागों, कंसोर्टियम मोड में किसानों और

अन्य स्टेकहोल्डरों में कृषि नवीकरण का अनुप्रयोग, प्रतिस्पर्धी निधिकरण, उत्पादन से खपत तक की अवधारणा, गैर–लाभकारी जिलों में जीविकोपार्जन सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना तथा मूल तथा नीतिगत अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रसार घटक में नवोन्मेषी के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

कुरनूल
प्रकाशम
आदिलाबाद
चित्तूर

हिमाचल प्रदेश

शिमला
हमीरपुर
कांगड़ा
बिलासपुर

पंजाब

गुरदासपुर
जालंधर
संगरूर
फरीदकोट

झारखण्ड

चईबासा
दुमका
पलामू
जमतारा

बिहार

मुजफ्फरपुर
मधुबनी
मुंगेर
ग्रामीण पटना

महाराष्ट्र

अहमदनगर
अमरावती
औरंगाबाद
रत्नगिरी

उड़ीसा

खुर्द
कोरापुट
सम्बलपुर
गंजम

विवरण-II

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	2003–04	2004–05	2005–06	कुल
1	170.12	48.24	6.58	224.94

(ङ) राज्यवार एवं वर्षवार

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष			कुल
			2003–04	2004–05	2005–06	
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद	363.37	131.97	0.00	495.34
2	असम	एएयू, जोरहाट	153.21	76.98	6.81	237.01
3	बिहार	आरएयू, समस्तीपुर	215.50	26.97	0.79	243.26
4	छत्तीसगढ़	आईजीकेवी, रायपुर	220.90	70.67	1.30	292.88
5	गुजरात	एसडीएयू, दंतीवाड़ा	0.00	29.66	0.52	30.18

1	2	3	4	5	6	7
6	गुजरात	जेएयू, जूनागढ़	0.00	10.26	0.24	10.50
7	गुजरात	एएयू, आनन्द	0.00	32.81	1.65	34.45
8	गुजरात	एनएयू, नवसारी	0.00	11.02	0.37	11.38
9	गुजरात	जीएयू, बनासकांठा	311.05	0.00	0.00	311.05
10	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार	297.84	113.67	0.60	412.11
11	हिमाचल प्रदेश	एचपीकेवीवी, पालमपुर	372.32	144.90	3.36	520.57
12	हिमाचल प्रदेश	वाईएसपीयूएचएंडएफ, सोलन	172.56	53.00	6.27	231.83
13	जम्मू व कश्मीर	एसकेयूए एंड टी, श्रीनगर	193.55	57.74	0.00	251.29
14	जम्मू व कश्मीर	एसकेयूए एंड टी, जम्मू	127.86	31.62	0.95	160.44
15	झारखण्ड	बीएयू, रांची	97.51	121.69	2.66	221.86
16	कर्नाटक	यूएएस, बंगलौर	487.81	0.00	0.00	487.81
17	कर्नाटक	यूएएस, धारवाड़	338.30	161.57	2.35	502.22
18	केरल	केएयू, त्रिशूर	28761	136.41	0.00	424.02
19	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर	217.75	75.53	3.52	296.80
20	महाराष्ट्र	केकेवी, डपोली	168.89	50.68	0.00	219.58
21	महाराष्ट्र	एमए एंड एफएसयू, नागपुर	158.83	48.49	0.00	207.31
22	महाराष्ट्र	एमएयू, परभनी	181.97	74.10	1.67	257.74
23	महाराष्ट्र	एमपीकेवी, राहूरी	219.52	93.24	2.04	314.79
24	महाराष्ट्र	पीडीकेवी, अकोला	166.59	96.08	1.94	264.61
25	मणिपुर	सीएयू, इम्फाल	103.77	28.61	0.00	132.38
26	उड़ीसा	ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर	223.09	74.35	9.38	306.82
27	पंजाब	पीएयू, लुधियाना	380.48	137.10	2.06	519.64
28	राजस्थान	एचपीयूए एडं टी, उदयपुर	194.91	96.12	0.40	291.44
29	राजस्थान	आरएयू, बीकानेर	211.85	73.25	5.66	290.76
30	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयम्बटूर	317.92	147.99	0.00	465.92
31	तमिलनाडु	टीएनवी एंड एएसयू, चेन्नई	198.89	70.31	2.02	271.22
32	उत्तर प्रदेश	सीएसएयू, एंड टी, कानपुर	79.27	29.43	0.27	108.97

1	2	3	4	5	6	7
33	उत्तर प्रदेश	एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद	106.08	38.41	2.08	146.57
34	उत्तर प्रदेश	डीडीयूपीवीवी, मथुरा	114.20	17.09	0.00	131.28
35	उत्तर प्रदेश	एसवीबीयूए एंड टी, मेरठ	72.92	18.85	0.40	92.17
36	उत्तरांचल	जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर	315.55	135.00	4.90	455.45
37	पश्चिम बंगाल	बीसीकेवीवी, मोहनपुर	120.07	38.14	0.01	158.22
38	पश्चिम बंगाल	डब्यूबीयूए एंड एफएस, कोलकाता	110.49	39.56	7.67	157.73
39	पश्चिम बंगाल	यूबीकेवी, कूचबिहार	109.90	18.58	0.00	128.48
		कुल	7412.34	2611.87	71.90	10096.10

मछुआरों को आधुनिक मत्स्यन उपकरण

3882. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मछुआरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मछुआरों को आधुनिक मत्स्यन उपकरण प्रदान किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मछुआरों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनसे लाभान्वित मछुआरों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 2003 में की गई पशुधन गणना में अन्य बातों के साथ-साथ जीवनयापन के स्रोत के रूप में मात्स्यिकी और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या पर सूचना एकत्र की गई थी। जीवनयापन के स्रोत के रूप में मात्स्यिकी और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर लोगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) 2004-05 से 2006-07 के दौरान 98 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और वायरलैस सेट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 29.40 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार के अंतर्गत 2004-05 से 2006-07 के दौरान 313 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 15875 मछुआरे लाभान्वित हुए। प्रशिक्षित मछुआरों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

जीवनयापन के स्रोत के रूप में मात्स्यिकी और इससे संबद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर लोगों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	सदस्यों की कुल संख्या			कुल
		पुरुष	महिला	बच्चे	
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	249386	250877	393102	893365
2	अरुणाचल प्रदेश	1650	1376	1373	4399
3	असम	131312	97986	161082	390380

1	2	3	4	5	6
4	बिहार	1391166	1266997	2301353	4959516
5	छत्तीसगढ़	621607	529697	760064	1911368
6	गोवा	5521	4863	3586	13970
7	गुजरात	134475	129900	228880	493255
8	हरियाणा	5910	3322	7259	16491
9	हिमाचल प्रदेश	1537	1372	2713	5622
10	जम्मू और कश्मीर	9628	7593	13232	30453
11	झारखण्ड	577908	571584	781428	1930920
12	कर्नाटक	55809	52898	50245	158952
13	केरल	224007	317758	206072	747837
14	मध्य प्रदेश	213888	200607	302479	716974
15	महाराष्ट्र	63354	46603	61873	171830
16	मणिपुर	25009	24091	21368	70468
17	मेघालय	525	504	1354	2383
18	मिजोरम	5498	5312	7097	17907
19	नागालैण्ड	5762	5519	3581	14862
20	उड़ीसा	70971	48334	60721	180026
21	पंजाब	2150	1874	5061	9085
22	राजस्थान	2638	1693	2985	7316
23	सिक्किम	9893	8353	8568	26814
24	तमिलनाडु	171992	156107	148519	476618
25	त्रिपुरा	15966	13177	17590	46733
26	उत्तर प्रदेश	70373	48892	59799	179064
27	उत्तरांचल	32	23	35	90
28	पश्चिम बंगाल	587214	205198	119210	911622
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9859	7693	0	17552
30	चंडीगढ़	198	109	172	479

1	2	3	4	5	6
31	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
32	दमन और दीव	7649	7756	10080	25485
33	दिल्ली	485	475	1555	2515
34	लक्षद्वीप	10408	2621	0	13029
35	पांडिचेरी	12378	12799	12797	37974
	कुल	4696158	4033963	5755233	14485354

विवरण-II

मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 2004-05 से 2006-07 के दौरान प्रशिक्षित मछुआरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मछुआरों की संख्या
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	1680
2	अरुणाचल प्रदेश	200
3	असम	530
4	बिहार	294
5	छत्तीसगढ़	683
6	गोवा	0
7	गुजरात	0
8	हरियाणा	1565
9	हिमाचल प्रदेश	0
10	जम्मू और कश्मीर	1800
11	झारखण्ड	700
12	कर्नाटक	431
13	केरल	0
14	मध्य प्रदेश	267
15	महाराष्ट्र	0
16	मणिपुर	125
17	मेघालय	0
18	मिजोरम	600
19	नागालैण्ड	800
20	उड़ीसा	0
21	पंजाब	0
22	राजस्थान	50
23	सिक्किम	50
24	तमिलनाडु	0
25	त्रिपुरा	4100
26	उत्तर प्रदेश	1000
27	उत्तरांचल	0
28	पश्चिम बंगाल	1000
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली	0
32	दमन और दीव	0
33	दिल्ली	0
34	लक्षद्वीप	0
35	पांडिचेरी	0
	कुल	15875

सूखा राहत के लिए दिशा निर्देश

3883. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री जसवंत सिंह विश्नोई :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान ने केन्द्र सरकार से राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि के आबंटन को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन सूखा प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें खरीफ की फसल हेतु लिए गए ऋण पर एक बार ब्याज के भुगतान को माफ करने, कृषि निवेश राजसहायता की सीमा बढ़ाने और इन राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों के पास आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के तहत कोषों की तत्काल उपलब्धता रहती है। राज्य सरकार द्वारा एन सी सी एफ से सहायता हेतु ज्ञापन की प्रस्तुति पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए, यदि आवश्यक हो तो, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है जो सी आर एफ से अलग होती है। वर्ष 2006–07 के दौरान हालांकि राजस्थान ने राज्य के हिस्सों को सूखा प्रभावित घोषित किया है फिर भी राज्य सरकार से एन सी सी एफ से सहायता की मांग संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार ने जनवरी से जून, 2007 के दौरान सूखा राहत रोजगार कार्य चलाने के लिए 5.04 लाख एम टी गेहूं की निर्मुक्ति का अनुरोध किया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एन जी आर वाई) स्कीम के विशेष घटक के तहत राज्य को 1 लाख एम टी गेहूं पहले ही निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को आर बी आई की ओर से स्थायी निर्देश दिए गए हैं। इन उपायों में अल्प कालिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने और उनका पुनर्निर्धारण करने पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को अपने कृषि प्रचालनों को चलाने के लिए नए ऋण मिल सकें। इसके अलावा पुराने चूककर्ता किसानों को उचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जो अपनी विषम परिस्थितियों के कारण संचित ब्याज के साथ मूल धनराशि को चुकता कर पाने में असमर्थ हैं, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे बकाये के एकबारगी निपटान की संभावना पर विचार करें जिसमें ऋण/ब्याज का आंशिक स्थगन शामिल हो।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मक्का की खेती

3884. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के अनुसूचित और पर्वतीय जिलों में मक्का की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में विशेषकर क्योंझर जिले में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मक्का उत्पादकों को कितनी धनराशि और प्रोत्साहन दिए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मक्का लगाने वाले 15 प्रमुख राज्यों, जिनमें उड़ीसा के अनुसूचित और पहाड़ी शामिल हैं, में "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आइसोपाम)" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से मक्का की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान मक्का की खेती के तहत कवर किए गए क्षेत्र का जिला–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणीकृत बीज के उत्पादन और वितरण, मिनिकिटों के वितरण, अवसंरचना विकास, उन्नत विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शन, समेकित कृमि प्रबंधन प्रौद्योगिकी, पौध रक्षण रसायनों के वितरण, पौध रक्षण उपकरण, खरपतवारनाशी, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सैटों के वितरण, कृषक प्रशिक्षण, स्टाफ तथा आकस्मिक खर्चों, अधिकारियों के प्रशिक्षण और प्रचार आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइसोपाम के अन्तर्गत गत तीन

वर्षों के दौरान क्योंझर जिले सहित उड़ीसा राज्य को दी गई निधियों (लाख रु. में) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	उड़ीसा राज्य	क्योंझर जिला
2004–05	58.41	3.23
2005–06	45.82	3.32
2006–07	42.60	4.98

विवरण

उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) के दौरान मक्का के अन्तर्गत खेती का जिलावार क्षेत्र (000 हेक्टेयर)

क्र.सं.	जिला	2004–2005	2005–2006	2006–07 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	बालासोर	0.39	0.37	0.37
2.	भद्रक	0.09	0.09	0.12
3	बोलंगीर	3.22	3.07	3.10
4.	सोनपुर	0.31	0.33	0.30
5.	कटक	1.77	1.52	1.52
6.	जगतसिंहपुर	0.31	0.25	0.21
7.	जाजपुर	2.53	3.02	2.65
8.	केन्द्रपाड़ा	0.14	0.40	0.45
9.	धेन्कनाल	2.83	2.90	2.96
10.	अंगुल	4.23	4.15	4.29
11.	गंजम	7.70	8.80	9.22
12.	गजपति	6.94	8.06	8.60
13.	कालाहांडी	4.65	5.44	11.74
14.	नवापाड़ा	1.80	1.74	2.85
15.	किंयोझर	24.34	24.34	25.75
16.	कोरापुट	15.86	16.51	16.69
17.	मलकानगिरी	12.11	8.53	8.39
18.	नवरंगपुर	37.09	38.79	40.57
19.	रयागाडा	11.04	11.08	11.23
20.	मयूरभंज	14.22	13.43	13.64
21.	फूलबनी	14.73	15.70	16.43
22.	बौध	1.03	1.00	1.00
23.	पुरी	0.20	0.24	0.15
24.	खुर्दा	0.94	0.82	0.85
25.	नयागढ़	4.75	4.73	4.47
26.	सम्बलपुर	1.42	1.37	1.38
27.	बारगढ़	1.24	1.31	1.42
28.	दिओगढ़	0.50	1.03	1.10
29.	झारसुगुडा	0.57	0.87	0.93
30.	सुन्दरगढ़	7.82	7.50	6.98
	योग	184.76	187.39	199.36

वृक्ष निगरानी प्राधिकरण

3885. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने को कम करने के लिए नए वृक्ष निगरानी प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो वृक्ष निगरानी प्राधिकरण को क्या कार्य सौंपा जाएगा;

(ग) क्या प्राधिकरण स्थायी निकाय होगा या अस्थायी; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार किन–किन राज्यों में वृक्ष निगरानी प्राधिकरण विद्यमान हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोगरावन मीना) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 8.6.1999 की अधिसूचना के तहत "वृक्ष प्राधिकरण" का गठन किया है।

(ख) वृक्ष प्राधिकरण के दायित्व दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 7 में परिभाषित किए गए हैं। वृक्ष प्राधिकरण सरकार के किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश की शर्त पर निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:–

(i) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वृक्षों का परिरक्षण करना

(ii) मौजूदा वृक्षों की गणना करना

(iii) पौधशालाओं का विकास और रखरखाव व्यक्तियों को बीज पौध और वृक्ष देना

(iv) भवनों, नई सड़कों के निर्माण अथवा नई सड़कों को चौड़ा करने के लिए आवश्यक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का रोपण और प्रत्यारोपण

(v) प्रदर्शन और विस्तार सेवाओं को आयोजित करना

(vi) भवनों, मार्गों, फैक्टरियों के निर्माण सिंचाई कार्यों इलेक्ट्रिक, टेलीफोन और अन्य ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विभिन्न विभागों आदि के लिए निजी निकायों के प्रस्तावों का आलोचनात्मक अध्ययन करना।

(ग) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अंतर्गत वृक्ष प्राधिकरण का गठन परिभाषित किया गया है। सरकार, समय-समय आवश्यकता समझे जाने पर अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है।

(घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और संकलित करने के बाद सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मुंडेरों का निर्माण

3886. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय कॉरपोरेट घरानों ने गिर के जंगलों के खुले कुंओं जो एशियाई सिंहों के लिए मौत के कुंए बन गए हैं के चारों ओर मुंडेरों के निर्माण के पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) जी, नहीं। कॉरपोरेट घरानों से ऐसा कोई प्रस्ताव (ऑफर) प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई एस आई औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना

3887. श्री सुग्रीव सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) के राज्यवार कितने औषधालय और अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) देश में ई एस आई औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 2006-07 और 2007-08 के दौरान किन-किन राज्यों में नए औषधालय और अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अनुरोधों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) देश में कार्य कर रहे औषधालयों और अस्पतालों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना के लिए मानदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिर्शाया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के विशेष अनुरोधों और इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। औषधालयों के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार को अपना अनुमोदन प्रदान करता है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जिन औषधालयों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से इन राज्यों में अस्पतालों की स्थापना के संबंध में अनुरोध प्राप्त किया गया था। बद्दी हिमाचल प्रदेश में 50 बिस्तरों के अस्पताल की स्थापना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 10 बिस्तरों वाले नैदानिक केन्द्र की मंजूरी प्रदान की है और राज्य सरकार से रायपुर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए कहा है। बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या कम होने के कारण उत्तरांचल के लिए देहरादून में एक 10 बिस्तरों वाले नैदानिक केन्द्र की मंजूरी प्रदान की गई है।

विवरण-I

अस्पतालों और औषधालयों की आधारिक संरचना

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल 2005–06	औषधालय 2005–06
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	133
2.	असम	1	27
3.	बिहार	3	24
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	2
5.	छत्तीसगढ़	–	11
6.	दिल्ली	4	43
7.	गोवा	1	9
8.	गुजरात	12	125
9.	हरियाणा	05	57
10.	हिमाचल प्रदेश	01	9
11.	कर्नाटक	09	118
12.	केरल	13	137
13.	मध्य प्रदेश	07	47
14.	महाराष्ट्र	14	72
15.	मेघालय	–	2
16.	उड़ीसा	06	49
17.	पांडिचेरी	01	15
18.	पंजाब	07	69
19.	राजस्थान	05	64
20.	तमिलनाडु	09	187
21.	उत्तर प्रदेश	16	143
22.	उत्तरांचल	–	7
23.	पश्चिम बंगाल	14	35
24.	जम्मू और कश्मीर	01	8
25.	झारखण्ड	03	29
	कुल	144	1422

विवरण-II

औषधालयों की स्थापना के लिए मानदंड

(क) 3000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयों के लिए दो डाक्टरों के एक औषधालय की स्थापना की जाती है। 5000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयों के लिए 3 डाक्टरों का औषधालय और 10,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयों के लिए 5 डाक्टरों का औषधालय। यदि एक औषधालय 25,000–30,000 बीमाकृत व्यक्तियों को 7–8 कि.मी. की परिधि में सेवाएं प्रदान कर रहा है तो 30,000 से अधिक बीमाकृत व्यक्तियों की कवरेज होने तक नए औषधालय की स्थापना नहीं की जाएगी। वर्तमान औषधालय के उन्नयन और कार्य की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान करते हुए सामान्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं इसे ध्यान में रखते हुए औषधालयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ख) 3000 से कम जनसंख्या वाले बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयों के क्षेत्रों में बाह्य रोगी विभाग की सेवाएं चल औषधालयों/बीमा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के माध्यम से प्रदान की जाएं।

अस्पतालों की स्थापना के लिए मानदंड

1.	50 बिस्तरों वाला अस्पताल	25,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
2.	100 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
3.	150 बिस्तरों वाला अस्पताल	1,50,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
4.	200 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
5.	250 बिस्तरों वाला अस्पताल	2,50,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
6.	300 बिस्तरों वाला अस्पताल	3,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
7.	400 बिस्तरों वाला अस्पताल	4,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
8.	500 बिस्तरों वाला अस्पताल	5,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां
9.	600 बिस्तरों वाला अस्पताल	6,00,000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिवार इकाइयां

विवरण-III

2006–07 और 2007–08 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मंजूर किए गए औषधालयों और अस्पतालों का ब्यौरा

2006-07 के दौरान मंजूर किए गए औषधालय

1. करनाल, हरियाणा
2. मुरथल, हरियाणा
3. हिसार, हरियाणा
4. तोहान, हरियाणा
5. जग्गियापेट, आन्ध्र प्रदेश
6. नैनीताल, उत्तराखण्ड
7. विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश
8. गुंडला, आन्ध्र प्रदेश
9. चिता वलासा, आन्ध्र प्रदेश
10. कुन्दैन, गोवा

2007-08 के दौरान मंजूर किए गए औषधालय

11. उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

2006-07 के दौरान मंजूर किए गए अस्पताल

1. हल्दिया 50 बिस्तरों वाला अस्पताल, पश्चिम बंगाल
2. बद्दी 50 बिस्तरों वाला अस्पताल, हिमाचल प्रदेश
3. रायपुर 10 बिस्तरों वाला नैदानिक केन्द्र, छत्तीसगढ़
4. देहरादून 10 बिस्तरों वाला नैदानिक केन्द्र, उत्तराखण्ड

वर्ष 2007-08 के दौरान मंजूर किए गए अस्पताल

शून्य

[हिन्दी]

टी ए आर-आई वी एल पी और एटीआईसी के अंतर्गत कार्य

3888. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत टेक्नोलॉजी असेसमेंट एण्ड रिफाइनमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम (टी ए आर–आई वी एल पी) और कृषि प्रौद्योगिकी एवं सूचना केन्द्रों (एटीआईसी) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टी ए आर–आई वी एल पी और ए टी आई सी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और हासिल की गई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों द्वारा आबंटित, जारी और प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत महिलाओं और जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) संस्थान–ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (टीएआर–आईवीएलपी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिष्करण पर एक परियोजना है, जिसे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 70 केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरित करने से पहले उसका मूल्यांकन और परिष्करण करना है।

किसानों को प्रौद्योगिकी उत्पादों की उपलब्धता, नैदानिक सेवाओं और प्रौद्योगिकी सूचना के लिए एक ही जगह से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 44 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है।

इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत निधि प्रदान की गई और इसे 2003–04 के दौरान पूरा किया गया। टीएआर–आईवीएलपी और एटीआईसी के केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्रमशः विवरण–I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस परियोजना के तहत महिलाओं और आदिवासियों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है।

विवरण-I

टी ए आर–आई वी एल पी केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	3
3.	असम	1
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	1
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखण्ड	1
13.	केरल	6
14.	कर्नाटक	3
15.	मध्य प्रदेश	3
16.	महाराष्ट्र	6
17.	मेघालय	1
18.	उड़ीसा	3
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	5
21.	तमिलनाडु	5
22.	उत्तर प्रदेश	7
23.	उत्तरांचल	3
24.	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	70

विवरण-II

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों (एटीआईसी) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	1
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11.	झारखण्ड	1
12.	केरल	5
13.	कर्नाटक	3
14.	मध्य प्रदेश	2
15.	महाराष्ट्र	5
16.	मेघालय	1
17.	उड़ीसा	2
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	3
20.	तमिलनाडु	2
21.	उत्तर प्रदेश	4
22.	उत्तरांचल	1
23.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	44

[अनुवाद]

भू-कटाव

3889. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू–कटाव के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अभी तक भारत को कितनी भूमि की हानि हुई है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने रावी और सतलुज नदी के बहाव का रास्ता बदल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भू–कटाव को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि भूमि कटाव के कारण भूमि का कोई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जा रहा है।

(ग) पंजाब सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, सतलुज नदी का बहाव भारत की ओर करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ कार्य किए हैं। पंजाब सरकार ने आगे बताया है कि सामान्य प्राकृतिक ढलान तथा पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य करवाए जाने के कारण रावी नदी का मार्ग धीरे–धीरे भारत की ओर हो गया है और भारतीय क्षेत्र में रावी तथा सतलुज नदी के मार्ग में कोई विशेष विपथन नहीं हुआ है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले तथा बाद में सीमा जिलों के भूमि कटाव संभावित क्षेत्रों का दौरा करती है तथा इन नदियों के लिए प्रति उपचारी उपाय सुझाती है और मौजूदा वास्तविक स्थितियों की समीक्षा करती है एवं राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए बाढ़ नियंत्रण/कटाव रोधी योजनाओं की सिफारिश करती है। पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों से प्रति उपचारी उपाय शुरू किए हैं। इन कार्यों को शुरू करने के लिए संघ सरकार विशेष ऋण एवं सहायता अनुदान के साथ–साथ तकनीकी विशेषता के रूप में पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

बाजार हस्तक्षेप योजना

3890. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाजार हस्तक्षेप योजनाओं और बाजार सहाग्यता ऑपरेशनों पर मदवार, वर्षवार और राज्यवार आबंटित, जारी और प्रयुक्त राशि कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के अंतर्गत राज्यवार हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय दो स्कीमों यथा मूल्य समर्थन स्कीम और मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इन दोनों स्कीमों के लिए बजट संयुक्त रूप से आबंटित किया जाता है। बजट को स्कीम वार, जिन्स वार और राज्यवार आबंटित नहीं किया जाता।

नैफेड को आबंटित, निर्मुक्त बजट राशि और 2004–05 से 2006–07 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई हानियों को पूरा करने के लिए दोनों स्कीमों के लिए प्रयुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

मूल्य समर्थन स्कीम (पी एस एस)

नैफेड जोकि केन्द्रीय शीर्ष एजेन्सी है, के द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम (पी एस एस) का कार्यान्वयन किया जाता है जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पर तिलहनों एवं दलहनों का अधिप्रापण करता है। जब कभी मूल्य एम एस पी से नीचे गिर जाते हैं तो नैफेड पी एस एस के अंतर्गत तिलहनों एवं दलहनों का अधिप्रापण करता है। पी एस एस के अंतर्गत अधिप्रापण तब तक जारी रहता है जब तक मूल्य एम एस पी पर अथवा उससे ऊपर स्थिर नहीं हो जाते। नैफेड द्वारा एम एस पी पर खरीद करते हुए यदि कोई हानि होती है तो उसकी पूरी प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, एम एस पी कार्य करते हुए यदि कोई लाभ अर्जित होता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार के नामे डाला जाता है।

मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस)

मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) को उन कृष्य एवं बागवानी जिन्सों जो सामान्यतया शीघ्र नष्ट होने वाली होती है और मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं की जाती, के अधिप्रापण के लिए राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है। यदि फसल बहुतायत में होती है और मंडी में इसकी भरमार हो जाती है तो मूल्य उत्पादन की लागत/आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो इन जिन्सों के उत्पादकों को संकट में विक्रय करने से बचाने के लिए एम आई एस को कार्यान्वित किया जाता है। एम आई एस के अंतर्गत अधिप्रापण केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में नैफेड और राज्य नामित एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। खरीद करने वाली एजेन्सियों द्वारा कार्य करते हुए यदि

कोई हानि होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) आधार पर बांटा जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच बांटी जाने वाली हानि की राशि को अधिप्रापण लागत को 25 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है। अधिप्रापण एजेन्सियों द्वारा यदि कोई लाभ अर्जित किया जाता है तो उसे उनके द्वारा ही रखा जाता है।

2004-05 से 2006-07 तक एम आई एस के अंतर्गत केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में नैफेड और राज्य नामित एजेन्सियों द्वारा और नैफेड द्वारा विभिन्न जिन्सों का जिन्स वार, वर्ष वार और राज्य वार अधिप्रापण दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

2004-2005 से 2006-2007 तक नैफेड को आबंटित, निर्मुक्त और मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के लिए प्रयुक्त राशियों की मात्रा

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित	निर्मुक्त	प्रयुक्त
2004-2005	171.88	120.00	120.00
2005-2006	260.00	260.00	260.00
2006-2007	560.00	560.00	560.00

विवरण-II

2004-2005 से 2007-2008 तक मंडी समर्थन प्रचालनों (मूल्य समर्थन स्कीम) के अंतर्गत नैफेड द्वारा तिलहनों, दलहनों एवं कपास का जिन्स-वार/राज्य-वार/वर्ष-वार अधिप्रापण

क्र.सं.	वर्ष	जिन्स/ फसल मौसम	राज्य	खरीदी गई मात्रा (मी.टन में)	एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
1.	2004-2005	चना	मध्य प्रदेश	155699	1400
		रबी-2004	महाराष्ट्र	3717	
			राजस्थान	46306	
			गुजरात	5392	
			आन्ध्र प्रदेश	4067	
			छत्तीसगढ़	43134	
			उत्तर प्रदेश	24225	
			कुल	282540	
2.	2004-2005	सरसों बीज	राजस्थान	18491	1600
		रबी-2004	छत्तीसगढ़	86	
			कुल	18577	
3.	2004-2005	सूरजमुखी बीज	बिहार	2330	1250
		रबी-2004			
4.	2004-2005	कुसुम बीज	मध्य प्रदेश	71	1500
		रबी-2004			
5.	2004-2005	मूंगफली	उत्तर प्रदेश	247	1500
		खरीफ-2004			
6.	2004-2005	उड़द	उत्तर प्रदेश	280	1410
		खरीफ-2004			

1	2	3	4	5	6
7.	2005–2006	सरसों बीज	राजस्थान	1403781	1700
		रबी–2005	उत्तर प्रदेश	39623	
			गुजरात	188255	
			मध्य प्रदेश	137509	
			हरियाणा	306275	
			पंजाब	6718	
			दिल्ली	8978	
			छत्तीसगढ़	2159	
			कुल	2093298	
8.	2005–2006	तोरिया	मध्य प्रदेश	89	1665
		रबी–2005			
9.	2005–2006	कुसुम बीज	महाराष्ट्र	21458	1550
		रबी–2005	कर्नाटक	5971	
			आन्ध्र प्रदेश	4376	
			कुल	31805	
10.	2005–2006	सूरजमुखी बीज	कर्नाटक	30	1340
		खरीफ–2005			
11.	2005–2006	चना	मध्य प्रदेश	92322	1425
		रबी–2005	महाराष्ट्र	22	
			राजस्थान	4368	
			गुजरात	38	
			छत्तीसगढ़	10502	
			उत्तर प्रदेश	545	
			कुल	107797	
12.	2005–2006	मसूर	मध्य प्रदेश	5454	1525
		रबी–2005			
13.	2005–2006	उड़द	उत्तर प्रदेश	529	1410
		रबी–2005			
14.	2005–2006	तिल	पश्चिम बंगाल	2196	1500
		खरीफ–2005			
15.	2005–2006	कपास	गुजरात	13152	1640 – 1960
		रबी–2005			
			पंजाब	4282	1815
			महाराष्ट्र	276	1675
			मध्य प्रदेश	652	1835
			कुल	18362	

1	2	3	4	5	6
16.	2005–2006	मूंगफली	उत्तर प्रदेश	1265	1520
		खरीफ–2005	कर्नाटक	1172	
			आन्ध्र प्रदेश	1026	
			कुल	3463	
17.	2005–2006	कोपरा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2834	3570
		2005 मौसम	तमिलनाडु	519	
			केरल	397	
			कुल	3750	
18.	2005–2006	सूरजमुखी बीज	कर्नाटक	3121	1500
		खरीफ–2005			
19.	2005–2006	सोयाबीन	छत्तीसगढ़	761	1010
		खरीफ–2005	आन्ध्र प्रदेश	133	
			कुल	894	
20.	2006–2007	मूंगफली	उड़ीसा	116	1520
		रबी–2006			
21.	2006–2007	सूरजमुखी	छत्तीसगढ़	1094	1500
		रबी–2006	आन्ध्र प्रदेश	14	
			बिहार	1000	
			पश्चिम बंगाल	1187	
			पंजाब	1947	
			कुल	5242	
22.	2006–2007	कुसुम बीज	महाराष्ट्र	32855	1565
		रबी–2006	आन्ध्र प्रदेश	6392	
			कर्नाटक	11532	
			कुल	50779	
23.	2006–2007	सरसों बीज	राजस्थान	14,18,000	1715
		रबी–2006	हरियाणा	4,58,000	
			गुजरात	1,04,000	
			मध्य प्रदेश	2,00,000	
			उत्तर प्रदेश	17,000	
			दिल्ली	3,000	
			पंजाब	4,000	
			छत्तीसगढ़	1,000	
			कुल	22,05,000	

1	2	3	4	5	6
24.	2006–2007	सोयबीन	आन्ध्र प्रदेश	7	1020
		खरीफ–2006			
25.	2006–2007	तिल	पश्चिम बंगाल	377	1550
		खरीफ–2006			
26.	2006–2007	कोपरा मिलिंग	तमिलनाडु	896	3590
		2006 मौसम	केरल	2589	
			लक्ष्यद्वीप	2524	
			अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2778	
			कुल	8787	
27.	2007–2008	बाल कोपरा	कर्नाटक	15775	3870
		2007 मौसम			
28.	2007–2008	कुसुम बीज	राजस्थान	20,055	1715
		रबी–2007	मध्य प्रदेश	156	
			गुजरात	224	
			हरियाणा	184	
			छत्तीसगढ़	5	
			कुल	20,624	
29.	2007–2008	कुसुम बीज	महाराष्ट्र	17	1565
		रबी 2007	आन्ध्र प्रदेश	50	
			कुल	67	

विवरण-II

एमआईएस के अंतर्गत 2004–2005 से 2006–2007 के अंतर्गत जिन्स–वार/राज्य–वार/वर्ष–वार विभिन्न जिन्सों की खरीद

क्र.सं.	जिन्स का नाम	राज्य	वर्ष/खरीद की अवधि	खरीद की मात्रा (मी. टन में)	(एमआईपी) मूल्य पर खरीद (रु. प्रति कि.)
1	2	3	4	5	6
1.	धनिया बीज	राजस्थान	2004–2005 29.3. से 28.5.04	2000	1450
2.	जीरा	राजस्थान	2004–2005 29.3 से 28.4.04	2000	5200
3.	अदरक	मिजोरम	2004–2005 15.4.से 15.6.04	5900	500
4.	प्याज	राजस्थान	2004–2005 11.6. से 25.7.04	5000	280

1	2	3	4	5	6
5.	हटकोड़ा	मिजोरम	2004–2005 17.8.से 16.9.04	1410	450
6.	सेब, सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2004–2005 1.8. से 31.10.04	32500	400
7.	सेब, सी ग्रेड	जम्मू एवं कश्मीर	2004–2005	45000 15.10.04 से 31.12.04	300
8.	अदरक	मिजोरम	2004–2005 1.2.से 15.03.05	6400	500
9.	काली मिर्च	केरल	2004–2005 15.2. से 15.4.05	5050	7000
10.	मिर्च	आन्ध्र प्रदेश	2004–2005 23.3.से 31.5.05	30,000	प्रीमियम– 2700 कामन– 2500
11.	लहसुन	राजस्थान	2005–2006 10.5.से 10.6.05	2000	700
12.	प्याज	राजस्थान	2005–2006 1.6. से 31.7.05	5000	250
13.	सेब, सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2005–2006 1.8. से 31.10.05	50,000	425
14.	सेब, सी ग्रेड	उत्तरांचल	2005–2006 1.8. से 31.10.05	10,000	350
15.	माल्टा	उत्तरांचल	2005–2006 15.12.05 से 15.2.2006	8,000	400
16.	हटकोड़ा	मिजोरम	2005–2006 2.10. से 10.11.05	564	450
17.	मिर्च	मिजोरम	2005–2006 15.2. से 15.3.06	1250	2800
18.	प्याज	राजस्थान	2006–2007 29.5. से 28.6.06	5000	280
19.	सेब, सी ग्रेड	उत्तरांचल	2006–2007 1.9.से 30.11.06	1000	425
20.	माल्टा	उत्तरांचल	2006–2007 7.12.06 से 15.2.07	2000	425

गैस आधारित उर्वरक इकाइयों के लिए गैस की आवश्यकता

3891. श्री अनन्त नायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित गैस आधारित उर्वरक इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक उर्वरक इकाई के लिए लगभग कितनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता है;

(ग) क्या उर्वरक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिल रही है;

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक ऐसी प्रत्येक इकाइयों के संबंध में दर्ज की गई कमी कितनी है; और

(ङ) गैस की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क)

क्रम सं.	राज्य	गैस आधारित उर्वरक इकाइयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	2
3.	गुजरात	3
4.	मध्य प्रदेश	2
5.	महाराष्ट्र	1
6.	राजस्थान	2
7.	उत्तर प्रदेश	7

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) यूरिया इकाइयों को पाइपलाइन कनेक्टिविटी और गैस की आपूर्ति की जांच करने तथा पारदर्शी तरीके से गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने के लिए सचिव (पेट्रोलियम) की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालय समिति गठित की गई है जिसमें सचिव (व्यय), सचिव (उर्वरक) और सदस्य, योजना आयोग सदस्य हैं।

विवरण

गैस आधारित उर्वरक इकाइयों के लिए गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी

क्र.सं.	उर्वरक इकाई का नाम	पुनः आकलित यूरिया (वार्षिक)	एनपीएस–II के पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड (संयंत्र)	पुनः आकलित क्षमता पर आधारित 100% क्षमता उपयोगिता के लिए मौजूदा पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड के संदर्भ में गैस की अनुमानित कुल आवश्यकता	100% क्षमता उपयोगिता पर 2005-06 के दौरान गैस का वास्तविक प्रयोग	पुनः आंकलित क्षमता पर आधारित मानकीय 100% क्षमता उपयोगिता के लिए वास्तविक बचत के संदर्भ में गैस की इकाईवार अनुमानित कमी (कॉलम 5 – कॉलम 3
		(मी.टन/वर्ष)	(जी. कैल/मी.टन यूरिया)	(मिलियन एसएम 3)	(मिलियन एसएम 3)	(मिलियन एसएम 3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीवीएफसीएल–नामरूप–III	315000	12.688	363.00	363.00	0.00
2.	बीवीएफसील–नामरूप–II	240000	12.610	297.00	204.60	92.40
3.	सीएफसीएल–गडेपन–I	864600	5.712	533.90	457.28	76.63
4.	सीएफसीएल–गडेपन–II	864600	5.678	530.72	336.80	193.92
5.	सीएफसीएल–बड़ोदा	370590	6.935	277.84	246.67	31.17

1	2	3	4	5	6	7
6.	इफको–आंवला–I	864600	5.938	555.03	482.65	72.37
7.	इफको–आंवला–II	864600	5.660	529.04	418.16	110.89
8	इफको–फूलपुर–I	551100	7.847	467.51	397.51	70.00
9.	इफको–फूलपुर–II	864600	5.883	549.89	314.89	235.00
10.	इफको–कलोल	544500	6.836	402.40	324.04	78.36
11.	इण्डो गल्फ–जगदीशपुर	864600	5.874	549.04	421.92	127.13
12.	कृभको हजीरा	1729200	5.952	1112.67	1042.59	69.98
13.	केएसएफएल– शाहजहांपुर	864600	5.712	533.90	518.23	15.68
14.	एनएफएल – विजयपुर–I	864600	5.952	556.34	497.18	59.15
15.	एनएफएल–विजयपुर–II	864600	5.712	533.90	443.86	90.04
16.	एनएफएल–काकीनाडा–I	597300	5.712	368.84	307.31	61.53
17.	एनएफएल–काकीनाडा–II	597300	5.712	368.84	152.94	215.90
18.	आरसीएफ–थाल	1706760	7.004	1292.34	655.62	636.72
19.	टीसीएल–बबराला	864600	5.507	514.74	418.67	96.07
	कुल			10336.95	8004.01	2332.94
				= 10440		= 2330

टिप्पणी:

1. इफको–फूलपुर–I (वर्तमान में 1992 से पूर्व के नेफ्था समूह के अन्तर्गत), सीएससीएल–गढेपन और इफको–फूलपुर–II (वर्तमान में 1992 के पश्चात् के नेफ्था समूह के अंतर्गत) जीएसएफसी–बड़ौदा, इफको–कलोल, आरसीएफ–थाल (वर्तमान में मिश्रित फीड समूह के अंतर्गत) को गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी के लिए गैस आधारित इकाइयों के रूप में माना गया है।
2. प्रत्येक गैस आधारित उर्वरक संयंत्र के संबंध में गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी का अनुमान पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्डों पर 100% क्षमता उपयोग मानते किया जाएगा।
   उपर्युक्त अनुमान मानकीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए सभी गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए गणना के समान आधार पर गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी के लिए लगाए गए हैं जो क्षमता उपयोग के विभिन्न स्तरों के लिए निकाले जा सकते हैं।
3. यह संभव है कि संयंत्र प्रचालन के वास्तविक तरीके के आधार पर गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी में कुछ अन्तर हो।
4. बीवीएफसीएल–नामरूप–II और III तथा इफको–फूलपुर–I और II इकाइयों के लिए गैस की अनुमानित आवश्यकता/कमी के संबंध में अनुमानित आंकड़े संबंधित कंपनियों से टेलीफोन पर प्राप्त किए गए हैं।
5. उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर गैस आधारित 19 यूरिया इकाइयों के लिए गैस की आवश्यकता और कमी का अन्तर दर्शाए गए अनुसार क्रमशः 10440 और 2330 मिलियन 2330 मिलियन एसएम 3 प्रतिवर्ष के स्तर पर अनुमान लगाया गया है।

31.64 एमएमएससीएमडी

22.32%

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल

3892. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी कामगारों के लिए आज की तारीख तक स्थापित अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में कुछ और अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) श्रम कल्याण संगठन ने बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रितों के इलाज और परिवार कल्याण उपायों हेतु 4 अस्पताल और 206 औषधालय स्थापित किए हैं। चार अस्पताल (i) गुरू सहायगंज (उत्तर प्रदेश), (ii) धुलियान (पश्चिम बंगाल), (iii) कोडरमा (झारखण्ड) और (iv) मैसूर (कर्नाटक) में हैं।

(ख) और (ग) तीन अस्पताल अर्थात् तमिलनाडु में मुक्कुदल, मध्य प्रदेश में सागर और बिहार के बिहार शरीफ में एक–एक अस्पताल और खोलने के प्रयास जारी हैं। एक अन्य अस्पताल झालदा, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में संस्वीकृत किया गया है। महाराष्ट्र के शोलपुर जिले में नया अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, श्रम कल्याण संगठन बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शोलापुर में एक स्थिर औषधालय प्रचालित कर रहा है।

भू-संरक्षण

3893. श्री वी. के. दुग्मर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भू–संरक्षण संबंधी राज्य–वार कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भू–संरक्षण हेतु आबंटित जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भू–संरक्षण के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय चार पनधारा विकास कार्यक्रमों/स्कीमों यथा वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आरवीपी और एफपीआर) क्षारीय मृदा सुधार (आरएएस) मृदा एवं जल संरक्षण सहित अवक्रमित भूमियों के विकास के लिए झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) का कार्यान्वयन कर रही है। प्रत्येक पिछले तीन वर्षों (2004–07) के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि, आबंटित तथा प्रयुक्त राशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण–I (क से घ) में दिए गए हैं।

इनके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय भी तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों यथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएवी), मरुस्थल विकास परियोजना (डीडीपी) और समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी) जिसमें मृदा संरक्षण का भी घटक है, कार्यान्वित कर रहा है। दसवीं योजना के दौरान इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 181.00 लाख हैक्टेयर लक्ष्य की तुलना में 183.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों (2004–07) के दौरान राज्यवार निर्मुक्त राशि के ब्यौरे विवरण–II (क से ग) में दिए गए हैं।

ये पनधारा विकास कार्यक्रम अवक्रमित भूमियों के संरक्षण और कृषि उत्पादन को बनाए रखने के अतिरिक्त पनधारा क्षेत्रों में स्व–स्थाने नमी संरक्षण और भू–जल के रीचार्ज में मदद करने में प्रभावी पाए गए हैं।

विवरण-I (क)

वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार परिव्यय और लक्ष्य तथा वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में और लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष											
		2004–05				2005–06				2006–07 (अनंतिम)			
		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	19.66	15.96	884.50	718.37	12.79	10.061	665.60	449.67	15.27	15.27	686.93	686.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	अरुणाचल प्रदेश	4.99	3.11	299.00	184.93	8.04	8.055	368.55	482.47	9.09	9.09	547.75	547.75
3	असम	2.57	0.51	135.13	45.00	15.40	3.18	750.00	135.13	10.83	10.83	700.00	700.00
4	बिहार	7.63	1.44	343.51	64.70	9.94	4.889	447.38	219.92	9.71	9.71	436.89	436.89
5	झारखण्ड	17.38	12.98	1437.75	1244.31	46.30	43.68	1397.04	1136.93	42.30	42.30	1050.96	1050.96
6	गोवा	3.50	2.11	191.40	97.78	5.00	5.32	280.00	202.55	7.00	7.00	400.00	400.00
7	गुजरात	67.50	34.73	2764.00	1536.15	24.00	23.25	919.44	918.10	40.00	40.00	1800.00	1800.00
8	हरियाणा	3.61	2.04	122.30	117.59	3.69	3.483	180.00	165.93	6.82	6.82	257.00	257.00
9	हिमाचल प्रदेश	4.09	4.01	300.00	274.40	3.26	5.144	352.18	277.75	9.71	9.71	373.96	373.96
10	जम्मू और कश्मीर	26.00	0.73	522.37	65.72	21.20	0	0.00	0.65	9.14	9.14	548.37	548.37 –
11	कर्नाटक	32.90	34.63	2479.39	1717.71	28.46	40.29	3077.66	2001.80	33.00	33.00	1700.00	1700.00
12	केरल	19.57	15.84	1174.88	808.80	29.31	12.4	700.00	631.99	14.58	14.58	886.37	886.37
13	मध्य प्रदेश	53.33	44.82	2400.00	1195.99	57.78	55.312	1548.87	2018.85	62.22	62.22	2800.00	2800.00
14	छत्तीसगढ़	39.21	18.68	1582.69	914.44	44.60	37.232	1060.33	1601.60	42.33	42.33	1350.00	1350.00
15	महाराष्ट्र	55.58	33.39	2679.21	1609.34	29.05	29.033	1400.00	1399.39	29.88	29.88	1440.00	1440.00
16	मणिपुर	10.78	6.82	591.73	374.17	8.37	13.2	661.20	724.50	15.15	15.15	831.30	831.30
17	मिजोरम	15.07	15.07	1087.40	1097.94	15.96	15.955	1131.00	981.00	19.57	19.57	819.50	819.50
18	मेघालय	8.23	6.16	494.00	369.95	8.73	7.462	447.70	447.70	11.16	11.16	669.50	669.50
19	नागालैण्ड	8.59	8.82	631.00	631.00	8.48	8.224	700.00	700.00	15.41	15.41	965.00	965.00
20	उड़ीसा	37.16	9.47	1672.24	425.26	16.33	18.414	1231.31	828.89	28.89	28.89	1300.00	1300.00
21	पंजाब	0.00	0.00	396.44	0.00	8.30	8.3	0.00	498.71	14.00	14.00	831.74	831.74
22	राजस्थान	83.50	81.71	3475.00	3401.61	124.16	111.57	3500.00	4878.96	141.83	141.83	7534.81	7534.81
23	सिक्किम	5.41	4.20	262.08	265.46	3.71	3.156	203.35	203.35	3.98	3.98	230.32	230.32
24	तमिलनाडु	46.42	46.42	2089.06	2089.06	78.93	44.227	2060.16	1990.16	83.08	83.08	3738.70	3738.70
25	त्रिपुरा	5.84	5.84	344.36	336.45	6.25	6.313	375.00	314.56	7.98	7.98	380.11	380.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	उत्तर प्रदेश	34.00	34.22	1952.02	1950.96	65.12	65.128	1459.76	1760.74	65.16	65.16	1335.92	1335.92
27	उत्तरांचल	24.73	25.77	1483.76	1785.22	19.21	21.698	1090.97	1148.88	22.50	22.50	1193.51	1193.51
28	पश्चिम बंगाल	12.33	4.10	504.71	184.39	2.94	14.16	686.78	637.20	15.36	15.36	794.13	794.13
29	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.08	0.82	64.77	51.01	1.10	0.48	30.50	28.92	0.84	0.84	51.00	51.00
	कुल	650.66	474.39	32364.70	23557.71	706.41	619.62	26724.78	26786.30	786.78	786.78	35653.77	35653.77

विवरण-I (ख)

नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी (आरवीपी और एफपीआर) के प्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार परिव्यय और लक्ष्य तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में और लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष											
		2004–05				2005–06				2006–07 (अनंतिम)			
		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	9.07	6.63	767.10	542.81	3.99	3.53	315.00	405.97	8.44	8.44	802.38	802.38
2	अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.02	25.50	5.67	0.55	0.85	78.33	38.690	0.90	0.90	126.50	126.50
3	असम	1.23		60.00		2.80	1.02	100.00	47.91	1.50	1.50	150.00	150.00
4	बिहार	0.99		49.49		0.77	0.01	38.38	0.830	2.00	2.00	90.00	90.00
5	छत्तीसगढ़	3.63	2.15	111.22	119.68	3.00	3.97	400.00	179.36	5.184	5.184	789.05	789.05
6	गुजरात	11.01	13.32	867.00	1102.61	4.83	16.87	1244.44	1422.64	14.96	14.96	1184.78	1184.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	हरियाणा	5.07	4.20	150.00	178.20	4.00	2.68	180.00	164.73	4.000	4.000	180.00	180.00
8	हिमाचल प्रदेश	4.25	3.83	678.62	627.27	4.67	4.85	746.24	759.01	7.550	7.550	1379.48	1379.48
9	झारखण्ड*	2.77	9.66	391.00	1256.90	9.10	6.83	1000.00	900.47	12.58	12.58	1362.20	1362.20
10	जम्मू और कश्मीर**	34.24	18.09	3628.00	1512.98	22.55	22.07	2055.00	2091.87	38.91	38.91	3969.48	3969.48
11	कर्नाटक	19.18	21.77	800.00	816.68	28.61	27.08	1300.00	1082.51	30.00	30.00	1500.00	1500.00
12	केरल	5.29	2.60	300.00	231.11	3.00	2.17	250.00	297.39	4.437	4.437	413.62	413.62
13	मध्य प्रदेश	23.03	16.27	993.34	808.54	21.62	6.87	816.90	460.61	24.80	24.80	2757.99	2757.99
14	महाराष्ट्र	12.99	16.75	700.00	879.92	8.80	13.64	1400.00	1400.24	18.600	18.600	3800.00	3800.00
15	मणिपुर	0.00	0.00	0	0	0	0	0		1.00	1.00	127.85	127.85
16	मेघालय	0.17		15.00	6.00			0		0.40	0.40	40.00	40.00
17	मिजोरम	0.72	0.79	132.28	99.85	2.68	2.24	234.50	294.50	3.324	3.324	336.00	336.00
18	नागालैण्ड	0.67	2.58	60.00	174.00	6.49	2.26	150.00	120.00	3.00	3.00	300.00	300.00
19	उड़ीसा	1.85	1.51	80.00	81.46	1.70	1.77	90.00	95.18	3.08	3.08	200.00	200.00
20	पंजाब	0.80	0.00	40.00	0.00	0.66	2.12	53.00	78.57	1.800	1.800	106.70	106.70
21	राजस्थान	22.34	23.59	1700.00	1837.91	28.25	29.38	2000.55	2096.83	24.10	24.10	2026.85	2026.85
22	सिक्किम	0.63	0.42	60.00	58.20	1.18	1.16	100.00	100.00	0.67	0.67	200.00	200.00
23	तमिलनाडु	4.79	5.97	700.00	627.52	8.56	7.41	800.00	831.95	7.700	7.700	900.00	900.00
24	त्रिपुरा	0.32	0.37	52.35	27.48	1.11	0.48	52.50	20.35	0.49	0.49	50.98	50.98
25	उत्तर प्रदेश	41.22	42.34	1690.00	2165.65	22.18	24.67	1821.30	1453.20	24.78	24.78	1923.00	1923.00
26	उत्तरांचल	2.35	4.08	302.00	285.35	3.15	2.10	235.00	235.00	3.537	3.537	650.00	650.00
27	पश्चिम बंगाल	0.51	7.98	270.80	198.26	6.50	0.36	160.00	32.98	3.000	3.000	108.35	108.35
	कुल	209.40	204.93	14623.70	13644.05	200.73	186.38	15621.14	14610.79	250.73	250.73	25475.21	25475.21

* डी वी सी सहित

** ज. एव क. हेतु पी. एम पैकेज

विवरण-I (ग)

दसवीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षारीय मृदाओं के उपचार की राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति
वास्तविक क्षेत्र लाख हैक्टेयर और वित्त लाख रुपए में

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में और लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष											
		2004–05				2005–06				2006–07 (अनंतिम)			
		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	परिव्यय	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि	परिव्यय	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि*	परिव्यय	व्यय*
1	आन्ध्र प्रदेश	0.004	0.000	35.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.015	0.015	158.00	158.00
2	बिहार	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
3	गुजरात	0.013	0.172	125.00	253.35	0.063	0.085	347.36	447.55	0.112	0.112	708.47	708.47
4	हरियाणा	0.120	0.104	200.00	200.00	0.100	0.132	200.00	260.00	0.170	0.170	400.00	400.00
5	कर्नाटक	0.007	0.006	71.00	71.00	0.050	0.006	89.00	73.15	0.010	0.010	133.33	133.33
6	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
7	महाराष्ट्र	0.000	0.000	0.00	0.00	0.002	0.000	40.00	0.00	0.010	0.010	100.00	100.00
8	पंजाब	0.015	0.000	150.00	0.00	0.050	0.000	100.00	0.00	0.030	0.030	200.00	200.00
9	राजस्थान	0.014	0.051	137.00	50.97	0.120	0.031	170.00	86.36	0.010	0.010	293.00	293.00
10	तमिलनाडु	0.005	0.012	50.00	31.13	0.050	0.030	50.00	62.90	0.100	0.100	113.31	113.31
11	उत्तर प्रदेश	0.010	0.000	98.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.008	0.008	10.00	10.00
	कुल	0.188	0.345	866.00	606.45	0.435	0.284	996.36	929.96	0.465	0.465	2116.11	2116.11

*प्रत्याशित

विवरण-I (घ)

दसवीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाओं का राज्यवार लक्ष्य, उपलब्धि, परिव्यय और व्यय वास्तविक क्षेत्र लाख हैक्टेयरों और वित्त लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष											
		2004–05				2005–06				2006–07			
		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	निर्गत निर्मु.	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्गत निर्मु.	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्गत निर्मु.	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	0.010	0.010	100.00	100.51	0.030	0.015	300.00	150.00	0.0350	0.0350	350.00	350.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	असम	0.025	0.024	250.00	250.00	0.045	0.030	400.00	315.00	0.0550	0.0550	550.00	550.00
3	मणिपुर	0.020	0.026	200.00	250.00	0.040	0.035	350.00	350.00	0.0600	0.0600	600.00	600.00
4	मेघालय	0.030	0.048	300.00	300.00	0.050	0.132	500.00	500.00	0.0550	0.0550	550.00	550.00
5	मिजोरम	0.050	0.036	500.00	350.00	0.060	0.054	550.00	700.00	0.0550	0.0550	550.00	550.00
6	नागालैण्ड	0.045	0.043	450.00	450.00	0.060	0.052	600.00	600.00	0.1050	0.1050	1050.00	1050.00
7	त्रिपुरा	0.020	0.023	200.00	226.74	0.030	0.030	300.00	300.61	0.0350	0.0350	350.00	350.00
	कुल	0.200	0.210	2000.00	1927.25	0.315	0.348	3000.00	2915.61	0.4000	0.4000	4000.00	4000.00

* प्रत्यावर्तित आऊट- परिव्यय रिलीज़- निर्मुक्त

विवरण-II (क)

2004–05 से 2006–07 तक की अवधि के दौरान डी पी ए पी के अंतर्गत निर्मुक्त राशियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिले का नाम	निर्मुक्त राशियां			योग
		2004–05	2005–06	2006–07	
1	आन्ध्र प्रदेश	968.625	968.625	1215	3152.25
2	बिहार	229.5	303.75	303.75	837
3	छत्तीसगढ़	391.5	455.625	472.5	1319.625
4	गुजरात	843.75	978.75	995.625	2818.125
5	हिमाचल प्रदेश	135	158.625	158.625	452.25
6	जम्मू और कश्मीर	222.75	259.875	259.875	742.5
7	झारखण्ड	675		479.25	1154.25
8	कर्नाटक	766.125	894.375	894.375	2554.875
9	मध्य प्रदेश	1240.7625	1046.25	1123.875	3410.8875
10	महाराष्ट्र	1022.625	1215	1471.5	3709.12
11	उड़ीसा	3291.57	573.75	583.875	4449.195
12	राजस्थान	324	388.125	405	1117.125
13	तमिलनाडु	540	641.25	702	1883.25
14	उत्तर प्रदेश	540	320625	678.375	321843.375
15	पश्चिम बंगाल	243	270	270	783
16	उत्तरांचल	303.75	354.375	245.25	903.375
	योग	11738	329133	10258.9	351130

विवरण-II (ख)

2004–05 से 2006–07 के दौरान डी डी पी के अंतर्गत निर्मुक्त राशियां

क्र.सं.	जिले का नाम	निर्मुक्त राशियां			
		2004–05	2005–06	2006–07	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	371.25	452.25	499.5	1323.00
2	हरियाणा	398.25	472.5	536.625	1407.38
3	हिमाचल प्रदेश	128.25	155.25	162	445.50
4	गुजरात	1005.75	1248.75	1417.5	3672.00
5	जम्मू एवं कश्मीर	135	168.75	209.25	513.00
6	कर्नाटक	560.25	668.25	742.5	1971.00
7	राजस्थान	1495.125	1903.5	2163.375	5562.00
8	राजस्थान – विशेष परियोजना	1306.125	1680.75	1930.5	4917.38
	योग	5400	6750	7661.25	19811.25

विवरण-II (ग)

2004–05 से 2006–2007 तक की अवधि के दौरान आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत निर्मुक्त राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त राशि			
		2004–05	2005–06	2006–07	कुल निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	2958.32	4046.95	3563.06	10568.33
2	बिहार	434.63	990.00	951.41	2376.04
3	छत्तीसगढ़	1723.96	2026.44	2295.67	6046.07
4	दिल्ली (कपार्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गोवा	0.00	24.10	0.00	24.10
6	गुजरात	1072.40	2418.52	2713.08	6204.00
7	हरियाणा	512.40	594.32	547.99	1654.80
8	हिमाचल प्रदेश	1345.22	2662.514	1822.549	5830.28
9	जम्मू एवं कश्मीर	422.915	1120.45	661.74	2205.11
10	झारखण्ड	205.65	303.250	232.928	741.83

1	2	3	4	5	6
11	कर्नाटक	2466.935	2495.94	3206.49	8169.36
12	केरल	159.70	778.17	260.05	1197.91
13	महाराष्ट्र	1660.06	2051.93	2010.38	5722.37
14	मध्य प्रदेश	2906.39	4898.63	3111.57	10916.59
15	उड़ीसा	1457.37	2307.44	2062.00	5026.81
16	पंजाब	193.88	302.87	350.80	847.55
17	राजस्थान	2121.18	2401.666	4276.320	8799.17
18	तमिलनाडु	2470.624	2600.44	2692.45	7763.52
19	उत्तर प्रदेश	1802.86	3222.78	4736.16	9761.80
20	उत्तरांचल	1227.52	1688.02	1123.27	4038.81
21	पश्चिम बंगाल	156.90	464.57	627.18	1248.66
	कुल	25299.00	37398.9948	37245.1099	99943.104
			उत्तर पूर्वी राज्य		
1	अरुणाचल प्रदेश	804.050	1061.365	2583.769	4449.18
2	असम	3202.77	3373.90	3102.23	9678.90
3	मणिपुर	545.87	553.52	1634.93	2734.32
4	मेघालय	194.38	804.01	1202.51	2200.91
5	मिजोरम	974.03	1122.00	857.86	2953.88
6	नागालैण्ड	1711.46	3886.19	1098.17	6695.82
7	सिक्किम	324.27	165.55	274.95	764.77
8	त्रिपुरा	386.63	308.48	533.08	1233.19
	कुल उ.पू.	8143.47	11275.0052	11292.50	30710.973
	कुल आईडब्ल्यूडीपी	33442.467	48674.000	48537.609	130654.077

[अनुवाद]

तटीय बागान परियोजनाएं

3894. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में तटीय शेल्टर बेल्ट बागान परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत एवं आबंटित की गई;

(घ) ऐसी परियोजनाओं के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इसके अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा इस संबंध में क्या निदानात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय की एकीकृत वनीकरण और पारि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत तटीय शेल्टर बेल्ट बागान परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई हैं। 10वीं योजना के दौरान केवल 9वीं योजना में उगाई प्लान्टेशन के रख–रखाव की लागत को दिया जा रहा है। तटीय शेल्टर बेल्ट बागानों के अंतर्गत 14,530 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(ग) वित्तीय आबंटन और जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	राज्य	9वीं और 10वीं योजना के लिए आबंटन	जारी धनराशि		
			9वीं योजना	10वीं योजना	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	472.44	184.96	0.00	184.96
2.	गुजरात	618.93	415.00	203.93	618.93
3.	कर्नाटक	55.58	42.65	0	42.65
4.	केरल	408.59	264.85	0	264.85
5.	उड़ीसा	1922.61	607.25	989.51	1596.76
6.	पांडिचेरी	90.32	20.12	0	20.12
7.	तमिलनाडु	412.40	184.55	103.62	288.17
8.	पश्चिम बंगाल	30.02	23.82	0	23.82
	कुल	4010.89	1743.20	1297.06	3040.26

(घ) तटीय शेल्टरबेल्ट बागान परियोजनाएं तेज गति की पवनों से हिन्टरलैण्ड के बचाव और भूमि कटाव के निवारण के संबंध में उनके प्रमुख उद्देश्य को बड़े पैमाने पर पूरा किया गया है।

(ङ) मंत्रालय को ऐसी किसी प्रकार के दृष्टान्त की सूचना नहीं दी गई है।

किसानों को अतिरिक्त बोनस का भुगतान

3895. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फसलों की कम पैदावार के कारण क्षतिपूर्ति करने हेतु किसानों को अतिरिक्त बोनस का भुगतान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा फसलवार कितने बोनस की मांग की गई है और सरकार द्वारा कितने बोनस का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इससे राज्यवार कितने किसानों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या खाद्य फसलों विशेषकर गेहूं की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त बोनस के विलय हेतु भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल ने धान के लिए 31.3.2007 के बाद प्रोत्साहन बोनस की लागू अवधि को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया था। पंजाब ने 2007–08 में विपणन की जाने वाली गेहूं की फसल के लिए बोनस का अनुरोध किया है।

2006–07 के दौरान 01.10.2006 से 31.03.2007 के बीच धन की सामान्य किस्म के लिए न्यूनाधिक रूप से 580 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा ग्रेड ए किस्म के लिए 610 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 40 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस उनके प्रापण के समय भुगतान किया गया था। बिहार तथा केरल के मामले में इसकी लागू अवधि को 31.05.2007 तक बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए इसे 30.09.2007 तक बढ़ा दिया गया है। गेहूं के लिए सरकार ने मार्च, 2007 में विपणन मौसम 2007–08 के दौरान, न्यूनाधिक रूप से 750 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा गेहूं के प्रापण पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के प्रोत्साहन बोनस के भुगतान की घोषणा की है।

[हिन्दी]

विशेष कृषि क्षेत्र

3896. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) की तर्ज पर विशेष कृषि क्षेत्र (एस ए जेड) की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष कृषि क्षेत्र परियोजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि आबंटित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर विशेष कृषि जोन की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन में कमी

3897. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अनाज–वार तथा राज्य–वार उत्पादन की औसत दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन दर में कमी होने के रुझान के कारणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मदवार कितना समर्थन मूल्य प्रदान किया गया है तथा कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) नीचे दी गई सारणी में 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन में परिवर्तन दर्शाया गया है:

राज्य	उत्पादन (000 टनों में)		
	2003–04	2004–05	2005–06
अरुणाचल प्रदेश	244.1	226.9	240.9
असम	4035.0	3618.2	3677.8
मणिपुर	391.9	447.8	398.5
मेघालय	233.8	225.2	183.1
मिजोरम	139.4	124.6	129.8
नागालैण्ड	409.8	403.5	424.8
त्रिपुरा	529.1	556.4	563.6

(ख) वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान उत्पादन के बारे में राज्य–वार तथा अनाज वार दर (उपज) विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्षा में कमी, खराब मौसम, सिंचाई सुविधाओं में कमी, पैदावार का हस्तांतरण, भू–क्षरण, बाढ़ तथा हाईब्रीड बीजों की कमी, उत्पादन की गिरती हुई प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। देश, जिसमें उत्तर–पूर्वी क्षेत्र शामिल है, में उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें "चावल आधारित फसल कटाई प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी.–चावल), गेहूं आधारित फसल कटाई प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी.–गेहूं) तथा मोटे अनाज आधारित फसल कटाई प्रणाली (आई.सी.डी.पी.–मोटे अनाज) में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम" अक्टूबर, 2000 से कार्यरत हैं। स्कीम के अन्तर्गत, संशोधित/हाईब्रिड उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, फार्म उपकरण, छिड़काव सिंचाई प्रणाली स्थापित करना, उपजाति बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

दालों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, पाम आयल एवं मक्का की एकीकृत स्कीम (आईसोपाम)" 1.4.2004 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत उपजाऊ/फाउंडेशन/प्रमाणित बीजों, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों के तथा मिनीकिटों वितरण, आधारभूत विकास एवं एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) खाद्यान्नों में 2003–04 से 2005–06 के दौरान क्षेत्र के राज्यों में असम तथा नागालैण्ड में केवल चावल का प्रापण किया गया है। असम में चावल का 2003–04 में 17 हजार टन, 2004–05 में 500 टन से कम तथा 2005–06 में 1 हजार टन का प्रापण है। नागालैण्ड में 2004–05 में 11 हजार टन चावल का प्रापण किया गया। नीचे दी गई सारणी में, सरकार द्वारा घोषित विपणन मौसम 2006–07 के लिए मदवार समर्थन मूल्य दर्शाए गए हैं:

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (2006–07)	फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (2006–07)
धान सामान्य	580*	रागी	540
धान ग्रेड "ए"	610*	जौ	565
गेहूं	750**	तूर	1410
ज्वार हाईब्रीड	540	चना	1445
ज्वार मलदंडी	555	मूंग	1520
बाजरा	540	उड़द	1520
मक्का	540	मसूर (लेन्टिल)	1545

* 1.10.2006 से 31.3.2007 के दौरान, प्रापण पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देय है।

** गेहूं पर 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देय है।

विवरण

2003–04 से 2005–06 के दौरान राज्यवार और अन्नवार उत्पादन की दर (उत्पादकता)

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं			मोट अनाज			कुल दालें			कुल खाद्यान्न		
	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06
अरुणाचल प्रदेश	1297	1110	1195	1500	2023	1525	1245	1269	1241	1088	1046	1078	1277	1178	1212
असम	1534	1460	1468	1043	1066	1074	643	662	659	557	571	537	1472	1405	1416
मणिपुर	2416	2472	2322	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3261	2781	2724	508	380	523	2355	2390	2241
मेघालय	1830	1737	1508	1667	1778	1714	1434	1349	1347	745	1385	750	1733	1674	1455
मिजोरम	1926	1900	1778	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1933	2093	1940	865	1297	1215	1854	1888	1754
नागालैण्ड	1600	1698	1682	2000	1585	1583	1690	1675	1612	1000	797	1281	1561	1577	1615
त्रिपुरा	2173	2247	2260	4250	2545	2636	1000	1071	1000	619	618	629	2121	2179	2194

उ.न. – उत्पादन नहीं।

औषधियों का एक समान मूल्य

3898. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में औषधियों का एक समान मूल्य लागू करने के सरकार के प्रयास के परिणामस्वरूप औषधियों की कीमतें अधिक हो गई हैं, जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में औषधियों का एक समान मूल्य निर्धारण लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जान का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) का.आ.सं. 946(अ) 26 जून, 2006 के अंतर्गत दवाओं के सभी स्थानीय करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 2 अक्टूबर, 2006 से लागू किए गए हैं। 2 अक्टूबर, 2006 के बाद विनिर्मित बैचों के लिए सभी करों सहित एमआरपी मुद्रित करना अनिवार्य है। तथापि, आयातित फार्मूलेशनों के लिए, सभी करों सहित एमआरपी 1.3.2007 से लागू किया गया है।

सभी करों सहित एमआरपी के शुरू होने से अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में 4% वैट तथा उत्पाद शुल्क की गणना के लिए एमआरपी पर 40% की कमी को शामिल करके, मूल्य पर प्रभाव केवल 0.45% है। जनवरी, 2007 से उत्पाद शुल्क की गणना करने में एमआरपी पर कमी को 40% से बढ़ाकर 42.5% किए जाने के कारण, सभी कर सहित एमआरपी शुरू होने के कारण मूल्य पर 0.45% का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। इन औषधों को सितम्बर 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया है। अनुसूचीबद्ध औषधों एवं फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन डीपीसीओ, 95 के तहत एक सतत प्रक्रिया है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य, उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों पर फिलहाल ओआरजी आईएमएस के आंकड़े के आधार पर निगरानी की जाती है।

उन कंपनियों की अलग सूची बनाई जाती है जिनके किसी गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन के मूल्य में एक वर्ष में 20% से ज्यादा (जनवरी, 2007 से 10%) वृद्धि होती है तथा यदि उस फार्मूलेशन पैक का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रु. से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, फार्मूलेशन के उस खंड में उस फार्मूलेटर का बाजार शेयर कम से कम 20% (जनवरी, 2007 से 10%) होना चाहिए अथवा उस दवा को उस समूह के बिकने वाले तीन शीर्ष ब्रांडों में होना चाहिए। उच्च कारोबार और 20% (जनवरी, 2007 से 10%) मूल्य वृद्धि के मापदंड आम उपभोग के मापदंड की पहचान करने तथा 'जनहित' की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं जिनका उल्लेख डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) में किया गया है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी एनपीपीए द्वारा की जाने वाली एक सतत कार्रवाई है। इस विभाग/एनपीपी ने 14 फार्मूलेशनों के मूल्यों में 0.50% से 24.54% के बीच कटौती के लिए हाल ही में आदेश जारी किए हैं। अब ऐसे मामलों से निपटने और, यदि आवश्यक हो, तो अनुमत्य स्तर तक मूल्य घटाने के लिए स्वयं एनपीपीए को अधिकृत कर दिया गया है। यदि कोई कंपनी, एनपीपीए द्वारा इस प्रकार निर्धारित मूल्य का अनुपालन नहीं करती है, तो एनपीपीए द्वारा उस कंपनी के विरुद्ध अतिप्रभार का मामला चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

संकर किस्में

3899. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत अनाजों, नकदी फसलों, मसालों, फलों, सब्जियों, दालों और तिलहनों की विकसित संकर किस्मों का उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमोदित, जारी और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई विदेशी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) अनाजों, नकदी फसलों, मसालों, फलों, सब्जियों, दलहनों और तिलहनों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत अनेकों संकर किस्मों को विकसित किया गया है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं को जारी की गई निधियों में से विभिन्न फसलों में संकरों के विकास के लिए आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत 'संकर फसलों के विकास' पर एक विशेष परियोजना चल रही थी जिस पर 2004–05 के दौरान 328.78 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, इसमें विशेष रूप से 9 फसलों जैसे चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, कपास, सूरजमुखी, अरण्डी और तोरिया सरसों में संकरों के विकास के लिए खर्च किए गए। यह परियोजना 1997–2005 के दौरान कार्यान्वित की गई जिस पर कुल 2135.11 लाख रुपए खर्च किए गए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004–06) के दौरान अनेकों फसलों में विकसित किए गए संकर

क्र.सं.	फसल का नाम	संकरों की संख्या
1	2	3
I. अनाज		
1.	चावल	12
2.	मक्का	17
3.	ज्वार	3
4.	बाजरा	10
II. नकदी फसलें		
5.	कपास	8
III. फल		
6.	बेर	1
IV. सब्जियां		
7.	आलू	6
8.	टमाटर	2
9.	बैंगन	2
10.	मिर्च	4
11.	स्वीट पीपर	1
12.	भिंडी	2
13.	खीरा	1
14.	फूलगोभी	1
15.	बंदगोभी	1
V. मसाले		
16.	काली मिर्च	2
17.	छोटी इलायची	1
VI. दलहन		
18.	अरहर	1
VII. तिलहन		
19.	सूरजमुखी	5
20.	कुसुम	2
21.	अरण्डी	2

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए जापान से ऋण

3900. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) पहचान की गई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित/पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हाथियों की बिक्री हेतु प्रक्रिया

3901. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से हाथियों की बिक्री हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, हां। कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र ने घरेलू जीवित हाथियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में आवश्यक संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। यह मामला विचाराधीन है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2007–2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6234/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6235/07]

(ख) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6236/07]

(ग) (एक) पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6237/07]

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6238/07]

(ङ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6239/07]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री कांति लाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (इम्पलायज प्रोविडेंट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6240/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6241/07]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरतबुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कंज्युमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंज्युमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6242/07]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वायस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वायस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6243/07]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 513(अ), जो 3 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो फ्लाई ऐश के इस्तेमाल/निपटान से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6244/07]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 253(अ) जो 19 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा इसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6245/07]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005–06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2005–06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6246/07]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6247/07]

(3) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2007, जो 9 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6248/07]

अपराह्न 12.03½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) 23 अप्रैल, 2007 को पोलर सेटेलाइट लांच व्हिकल (पी एस एल वी - सी 8) का सफल प्रक्षेपण

[अनुवाद]

***प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** महोदय, मुझे इस सम्मानीय सभा को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से सोमवार, अप्रैल, 23, 2007 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, पीएसएलवी–सी8 का प्रमोचन किया गया। इस मिशन द्वारा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के एजायल उपग्रह और इसरो के एक उन्नत उड़ान मॉड्यूल (ए ए एम) का प्रमोचन किया गया।

यह पहला अवसर है जब पीएसएलवी मिशन किसी अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के वाणिज्यिक प्राथमिक उपग्रह को अपने साथ ले गया है तथा उसे कक्षा में स्थापित किया है। इतालवी उपग्रह के साथ पीएसएलवी–सी8 अगली पीढ़ी के उड़ान पैकेजों को शामिल करते हुए ए ए एम माड्यूल भी अपने साथ ले गया है। छः ठोस स्ट्रैप ऑन मोटरों का उपयोग किए बिना वर्तमान पी एस एल वी–सी8 इस प्रकार के संरूपण वाली पी एस एल वी की पहली उड़ान है तथा इसे इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह कम लागत में निम्न उपग्रह प्रमोचन द्रव्यमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

पी एस एल वी अब तक लगातार दस सफल उड़ानों के साथ इसरो का विश्वसनीय प्रमोचक राकेट बन कर उभरा है। इस पी एस एल वी–सी8 मिशन ने विविध प्रकार की कक्षाओं में उपग्रहों को प्रमोचित करने में बहु–उपग्रह मिशनों के आयोजन में अपनी विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा सिद्ध की है।

मुझे विश्वास है कि यह सम्मानीय सभा इस मिशन की प्राप्ति और प्रबंधन से जुड़े संपूर्ण इसरो दल को बधाई देने में मेरा साथ देगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस सभा की हमारे वैज्ञानिकों के प्रति जो भावनाएं हैं और उन पर जितना हमें गर्व है उससे उन्हें अवगत कराएंगे। हम इस सभा की ओर से उनकी प्रशंसा करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी पक्ष उन्हें धन्यवाद देने में मेरे साथ हैं।

---

* ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6249/07

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) सरिस्का रिजर्व से गांवों को दूसरे स्थान पर बसाए जाने के बारे में दिनांक 19 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

***पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना)** : "सरिस्का रिजर्व से गांवों को दूसरे स्थान पर बसाया जाना" के बारे में श्री मदन लाल शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 19 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर के संदर्भ में है। उक्त प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में त्रुटि माननीय संसद सदस्य द्वारा इंगित की गई थी और इसमें सुधार की कार्रवाई शीघ्र ही आरंभ कर दी गई थी। बजट सत्र के समाप्त होने के कारण उक्त प्रश्न में त्रुटि सुधार की सूचना नहीं दी जा सकी। अब बजट सत्र के दौरान 30 अप्रैल, 2007 अर्थात् विभाग/मंत्रालयों जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शामिल है के समूह–II से संबंधित प्रश्नों के लिए लोकसभा में निर्धारित दिन को उत्तर में त्रुटि सुधार करने की सूचना दी जाती है। उत्तर का संशोधित भाग इस प्रकार से है:–

(ङ) और (च) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य राजमार्ग संख्या 13 के बंद होने पर रिपोर्ट देने के लिए एक तथ्य जांच समिति गठित की है। उक्त समिति ने कुशहालगढ़ से जयपुर के यातायात को वाया घाटाबान्दरोल के लिए दिशा–परिवर्तन करने की सिफारिश की है, जहां एक वैकल्पिक सड़क मौजूद है। मामला विचाराधीन है।

अपराह्न 12.05 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है, अन्य पद्धतियां हैं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैंने पहले विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी सहमति के बिना कोई मामला उठा सकते हैं? कृपया इंतजार करें।

* ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6250/07

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्षपीठ का सम्मान करते हुए में कहना चाहता हूं कि मैंने पहले लिखित निवेदन किया है। इसलिए मैंने प्रश्न उठाया। जब मैंने सभापटल पर मामला उठाया तो आपने यह टिप्पणी की कि आप मामले की संबद्ध मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री से उत्तर प्राप्त करने के बारे में जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस मामले पर अनुमति नहीं दी। यह आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप मेरे निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं; आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं आपके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। यह कठिनाई है। क्या ऐसा संभव है कि एक मंत्री कहते हों कि यह हो जाएगा; दूसरे मंत्री यह कहें कि जब तक वे सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लें यह नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ मंत्री, माननीय अर्जुन सिंह ने मुझे आश्वासन दिया कि भद्रक में केन्द्रीय विद्यालय – यह परिपक्व प्रस्ताव है – जल्द ही मंजूर किया जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उससे आपको कारण बताने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काफी दुखद है। मैं केवल अपना दुख व्यक्त कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री यह कहते हैं कि जब तक हम प्राधिकरण से अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लेते हैं; हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या यह उचित है कि वरिष्ठ मंत्री कुछ सकारात्मक करें तथा ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अत्यंत विनम्रता से मैं कहूंगा कि निर्णय जानते हुए आपके लिए उचित नहीं है – सब कुछ प्रेषित कर दिया गया है – कि आप फिर प्रश्न उठाएं। तब किसी निर्णय की कोई बाध्यता नहीं होगी। निर्णय का अंतिम रूप होना चाहिए। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आपके पास अन्य रास्ते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : मुझे दुख है; आपने शायद मुझे समझा। मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मेरा अध्यक्ष पीठ से अनुरोध है कि यदि हम संसद के माननीय सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखा होता; आप इस विवादास्पद मुद्दे को यहां उठाने की बजाय मुझसे मिले होते।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने लिखित में दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन जी मैं आपसे सहयोग करने के लिए अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे एक वाक्य बोलने की अनुमति दें। चूंकि यह आपकी तरफ से आया; जो इतना वरिष्ठ तथा जिम्मेवार सदस्य है; मैं पुनः दूसरी बार इसे देखा। मैं पाता हूं कि यह ग्राह्य नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी किसी को संरक्षण देने की मंशा नहीं है।

आप इसे दूसरे मामले के रूप में उठा सकते हैं परन्तु विशेषाधिकार के रूप में नहीं। आप इसे दूसरे मामले के रूप में उठा सकते हैं और मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री अर्जुन सेठी : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय ले लिया है तथा यह सूचना दे दी है। आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं तथा मिल सकते हैं।

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार के मुख्यमंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर सवाल को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करूं? मैं नहीं जानता कि यह सही–सही रिपोर्ट की गई; कोई भी इसे समर्थन नहीं कर सकता है। मंत्री जी यहां है।

मंत्री जी, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात कह लेने दीजिए। हम कोई ऐसा शब्द कहना नहीं चाहते हैं जिससे कोई व्यक्ति आहत महसूस करे। देश एक संघ है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार केन्द्र और राज्यों में होती है तथा केन्द्र और राज्यों के कार्यक्षेत्र भी बंटे हुए हैं। लेकिन बिहार में देखने को मिल रहा है कि जब एक केन्द्रीय मंत्री बिहार में जाते हैं तो केन्द्रीय मंत्री का जो आचरण होना चाहिए, उसके विरुद्ध वहां बातें कहते हैं। जैसे, कभी कहते हैं कि केन्द्र का पैसा है। सर, केन्द्र के पैसे में राज्य का राज्यांश होता है, केन्द्र राज्यों को कोई कर्ज नहीं देता है। कहते हैं कि ये खर्च नहीं करते हैं। सर, बात तब बिगड़ जाती है जब केन्द्र का कोई मंत्री जाकर कहता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीभ खींच लेंगे और आगे कहता है कि हम धकिया कर कुर्सी से उन्हें उतार देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे वहां के आम लोगों में जहां तनाव का वातावरण बनता है, वहीं पर विकास के कार्य बाधित होते हैं तथा राज्य और केन्द्र के संबंधों में खटास की भी संभावना बढ़ती है। यह बात और कोई नहीं वरन् केन्द्र के ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कही और मीडिया के चैनल पर काफी चलाई गई, अखबारों में छपी। मीडिया ने जब दोबारा पूछा, तो रघुवंश प्रसाद जी ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और बिना जीभ खींचे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मीडिया ने लिखा है – नीतीश जी जीभ खींचने की बात पर रघुवंश कायम।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को आज यहां आने के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संरक्षण नहीं प्रदान कर रहा हूं। मैं एक दूसरे की गरिमा प्रत्येक की गरिमा को संरक्षण प्रदान कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि या तो केन्द्रीय मंत्री को सदन के माध्यम से देश से क्षमा मांगनी चाहिए या प्रधानमंत्री जी को ऐसे आचरण वाले केन्द्रीय मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कोई केन्द्रीय मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री को गाली दे और राज्य के विधायक और मंत्री केन्द्रीय मंत्री को गाली दें, यह उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन और श्री संजीव रंजन सिंह 'ललन' इसके साथ संबद्ध को सिद्ध कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, कृपया सैयद शाहनवाज हुसैन को इस पर बोलने की अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मैंने आपके नाम का भी उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूं। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के नौ करोड़ लोगों की आवाज हैं और वे बिहार के आइकॉन हैं। *...(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अगर सवाल उठाया है, तो उत्तर भी सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन कृपया सहयोग करें। आप भी यही बात कर रहे हैं। आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', आप का नाम पहले ही शामिल कर लिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई वाद-विवाद नहीं है। मैंने इसे अनुमति दी है क्योंकि

[हिन्दी]

यह बड़ा मामला है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभुनाथ सिंह ने ठीक सवाल उठाया है। इसमें प्रमुख बात केन्द्र और राज्यों के संबंध में है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या अन्य लोग तथा केन्द्र सरकार के मंत्रियों या अन्य लोगों का क्या दायित्व है, यह सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसका अनुपालन भी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे की 980 किलोमीटर सड़क चार लेन करने के लिए केन्द्र सरकार ने *...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए *...(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप अखबार पढ़कर सुना रहे हैं, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्रोध से कुछ नहीं होता। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती किरण जी आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह टिप्पणी की है। सम्पूर्ण देश हमें देख रहा है। श्री प्रभुनाथ सिंह, आपने कतिपय टिप्पणियों के प्रति गंभीर आपत्ति दर्शाई है, जैसा कि आपने कहा है, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने की हैं। मैंने यह कहा था कि यदि यह सही हुआ तो शायद कुछ स्पष्टीकरण दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : वे नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनिए। उनका आदर कीजिए। जैसे कि श्री नीतीश कुमार जो इस देश के एक बहुत ही सम्मानीय नेता हैं, वे आदर के पात्र हैं वैसे ही ये भी आदर के पात्र हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री जी ने यह बात कही है या नहीं, इस बारे में बताएं?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मैं आपके कहने पर बोलूंगा। श्री प्रभुनाथ सिंह ने सवाल उठाया है, उनकी बात का ही हम उत्तर देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी नहीं चला सकते। कोई भी अपनी नहीं चला सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव (एटा) : महोदय, आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपमें धैर्य नहीं है। कृपया माननीय मंत्री जी की सुनिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, ये लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव और श्री बालू जी ने बैठ कर तय किया कि बिहार के नेशनल हाईवे की 980 किलोमीटर सड़क को चार लेन का किया जाए। यह प्रस्ताव दिसम्बर में केबिनेट में आया। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ये क्या बोल रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : दिसम्बर में कैबिनेट में आया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, महोदय, 8000 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत हुई और उसमें 8 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च अधिक था इसलिए देर हो गई, हाल ही में अप्रैल महीने में उसे पारित किया गया। इस बीच में दिसम्बर से अप्रैल तक वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सड़क मंत्री, तीनों ने सात बार यह बयान किया कि केन्द्र सरकार के मंत्री उसे रोक रहे हैं। ऐसा अनर्गल बयान, जनता के खिलाफ बयान और गैर जवाबदेही बयान, इस संसदीय प्रणाली में कभी हो नहीं सकता। जब-जब मैं पटना जाता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मंत्री जी चाहे जैसे भी उकसाया जाए। मुझे भरोसा है कि आप इससे सहमत होंगे कि इस प्रकार की भाषा से बचा जा सकता है। इसलिए, मुझे भरोसा है कि आप उन शब्दों को वापस लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, एक पंक्ति बाकी है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री को यह अधिकार है कि केन्द्र सरकार के मंत्री की नीयत पर शक करना और राज्य के खिलाफ यह कहना कि ...*(व्यवधान)* यहां से, केन्द्र से पैसे भेजे जा रहे हैं, खर्चा नहीं हो रहा है, बिहार की जनता का अहित हो रहा है और बिहार की जनता के साथ छल-फरेब हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किन्तु, इस प्रकार की भाषा से बचा जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए महोदय, जो सवाल अखबार में उठाया गया है उसकी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की जाएगी इसलिए ग्रामीण मुहावरे का प्रयोग हुआ। मुहावरे में हाथ खींचना, देह खींचना, कान काटना, नाक कटना, दांत खट्टे करना, विभिन्न अंगों के साथ हिन्दी में मुहावरा है। भाषा विज्ञान को समझना चाहिए, ये लोग नहीं समझते। इसलिए भाषा विज्ञान के लोग जानते हैं, गांवों में लोग कहते हैं जुबान बंद कर दूंगा, दांत खट्टे कर दूंगा, धूल चटा दूंगा, ये सब मुहावरे हैं। जब केन्द्रीय मंत्री की नीयत पर शक किया गया, यहां से पैसे जा रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, आप उन शब्दों को वापस ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : और तो और रीजन ग्रांट फंड का एक पैसा बिहार सरकार ने नहीं लिया। 540 करोड़ रुपए बिहार नहीं ले सका। बिहार का अहित हुआ, जनता के अहित को हम देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप सुनिए। मेहरबानी करके आ जाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना दृष्टिकोण दर्शा दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एक कुशल मंत्री हैं। मुझे भरोसा है कि उनके शब्दों का वास्तव में यह अर्थ नहीं था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, वे अपने शब्द वापस ले रहे हैं। उन्होंने वे शब्द वापस ले लिए हैं। कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वापस लिया गया मान रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, वे शब्द विड्रॉल हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विड्रॉल हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वापस लिया गया के रूप में कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अपील कर सकता हूं? आपने अपनी राय को अच्छी तरह से दर्शा दिया है। मैंने भी कुछ टिप्पणियां की हैं। मुझे भरोसा है कि वे इसे दोहराना नहीं चाहते हैं और मैं इसे वापस लिया गया मानता हूं। आप बोल दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसे कैसे बोलें, ये लोग पहले अपनी सीटों पर जाएं, अभी हमारा कहना बाकी है। *...(व्यवधान)* ये लोग पहले सीटों पर जाएं। महोदय, आपके हुक्म का हम पालन करेंगे। लेकिन ये लोग सीटों पर जाएं। *...(व्यवधान)* ऐसे हम क्या बोलेंगे। *...(व्यवधान)* ऐसे ही ये लोग बीच में आकर असंसदीय आचरण कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

[अनुवाद]

कृपया अपनी सीटों पर जाइए। आपके नेता कहां हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इन्हें यहां से जवाब देंगे। *....(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : ये लोग मुहावरे का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

अपराह्न 12.21 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए। ऐसे वह कैसे बोलेंगे। उन्हें बोलने दीजिए। लोग अपनी सीटों पर जाए, तभी वह बोल सकेंगे। प्लीज, मेहरबानी करके आप लोग बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनिए, वह क्या बोल रहे हैं। सुमित्रा जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

वह क्या कह रहे हैं उसे सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप यह छोड़िए, यह क्या हो रहा है। आपने सॉरी बोल दिया है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : यह माफी मांगने की बजाय मुहावरा बता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने ऑब्जर्वेशन के बारे में एक सवाल उठाया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने अखबार और मीडिया में कुछ ऑब्जर्वेशन के संबंध में सवाल उठाया। आपने कृपापूर्वक मुझे रिस्पांड करने के लिए इजाजत दी, हम रिस्पांड करने के लिए खड़े हैं। हमारा कहना अभी बाकी है, बीच में ये लोग आकर क्या चाहते हैं, यह हम नहीं जानते। जो प्रक्रिया है कि कोई सदस्य सवाल उठाए तो उसका ठीक ढंग से रिस्पांड होना चाहिए। आपने कृपापूर्वक मुझे इजाजत दी और हम पृष्ठभूमि बता रहे थे कि क्या बातें हो रही हैं। बिहार की जनता का बड़ा अहित हो रहा है। यहां से जो पैसे जा रहे हैं, वे खर्च नहीं हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का 540 करोड़ रुपए बिहार सरकार नहीं ले सकी और 900 करोड़ रुपया राष्ट्रीय फंड विकास का खर्च का नहीं हुआ और जब बिहार के हित में बोला जाता है तो *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.23 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

डा. रघुवंश प्रसाद : जब बिहार के हित में बोला जाता है तो ये ऐसे ढंग से बयान करते हैं कि केन्द्र के मंत्री उसे रोक रहे हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, आपको एक्सपंज करने की शक्ति है, जो सब असंसदीय बातें हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक्सपंज कर दिया, उन्होंने बोला है।

[अनुवाद]

उन्होंने कह दिया है। वह उसे वापस ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, उन्होंने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने अपमानजनक कहा है उसे हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोल दिया, विदड्रा कर लिया। उन्होंने खुद एक्सपंज कर दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करेंगे, हमने उन्हें बोला है।

[अनुवाद]

उन्होंने इसे हटा दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी राय जाहिर कर दी है। मैं ऐसी भाषा के उपयोग की अनुमति नहीं देता। मैंने यह कहा है। उन्होंने बोला है कि जो भी कहा गया है उसे हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से यही अपील कर सकता हूं कि सभा जारी रहे और कार्य करती रहे। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मैं यही करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : एक्सपंज कहां से करना है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, आपने टिप्पणी की कि उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्होंने बाहर वक्तव्य दिया है। आप उनसे इसे वापस लेने के लिए कहें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी में उसे ही एक्सपंज बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान तथा कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा आपके मामले पर बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि ये शब्द कार्यवाही वृत्तांत के अंग नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कहां से एक्सपंज होगा?

[अनुवाद]

यदि वे वापस नहीं लेते हैं, तो क्या करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'वापस लेने' शब्द की जगह पर उन्होंने 'कार्यवाही वृत्तांत से निकालने' का उपयोग किया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसे कहां से निकाला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उनके पूर्ववर्ती वक्तव्य से।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, आपने जब यह ऑब्जर्वेशन किया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो ये उसको विदड्रा कर लें। इसमें क्या बात है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह तो इन्होंने बोल दिया है। अरे, विड्रॉ क्या करेंगे, उन्होंने तो एक्सपंज बोला है।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने जो मुहावरा कहा है, उससे जो दुख हुआ है, उसे हम विदड्रॉ करते हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन ये लोग जो बिहार से छल करते हैं, धोखा करते हैं, उसका क्या होगा? इसकी भी फरियाद होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* ये जो बिहार की जनता के साथ धोखा और छल हो रहा है और पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ...*(व्यवधान)* और ...* इस पर भी विचार होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* बिहार की जनता के हित में हम हर कुछ करने को तैयार हैं। हमने हर कुछ किया है और आगे भी करेंगे। यही मैं सदन में घोषणा करता हूं। यूपीए गठबंधन राज्यों को पूरी सहायता दे रही है जिससे गरीबों को अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनका काम हो, उनका विकास हो और बिहार का पिछड़ापन दूर हो। इसके लिए हम काम करेंगे और ये लोग बिहार का अहित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* एन.डी.ए. वाले धोखा और छल कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : पिछले 15 सालों में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ललन जी, अब हो गया।

[अनुवाद]

मामला समाप्त हो गया।

---

*अभिलिखित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को चलने दें। हमें वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मामले पर विचार करना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कल नंदीग्राम के मामले में भीषण हिंसा फिर से भड़की है। वहां पर तीन व्यक्तियों की हत्या हो गई। ..* ...*(व्यवधान)* वहां पर भयंकर स्थिति पैदा हुई है। ..*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य करने का तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया राज्य का विषय न उठाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, वहां गृह युद्ध हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, यह क्या है? ये राज्य के विषय पर कैसे बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, वहां पर 24 आदमी मारे जा चुके हैं और 24 आदमियों के मारे जाने के बाद ...*

...*(व्यवधान)* वहां बहुत भयंकर स्थिति है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता – उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष जी, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आपने बोल दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सभा के माननीय नेता को वक्तव्य देने के लिए कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ पर रहम करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कृपया सदन के माननीय नेता को प्रतिक्रिया करने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ पर रहम करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने इन बातों का उल्लेख किया है। यह राज्य का विषय है। तथापि आपकी भावनाओं के चलते मैंने आपको अनुमति दी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तब, हरेक राज्य का विषय उठाया जाएगा। प्रत्येक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति उठाई जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, वहां इतनी बुरी हालत है। वहां एक सिविल वॉर चल रही है। ...*(व्यवधान)** माइनॉरिटी के लोग मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इस पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष जी, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर सेंटर इंटरवीन करेगा कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। चूंकि आप बहुत चिंतित थे, इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल रूपाताई डी. पाटील का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.30 बजे

(इस समय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं .. .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा के सम्मुख कोई कार्य नहीं है। इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि संसद देश के किसी विशिष्ट राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के विषय में चर्चा नहीं कर सकती है। अतएव, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। *...(व्यवधान)* महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से अवश्य ही निकाल देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें देखूंगा, मैं इसके बारे में निर्णय लूंगा। कृपया इसे मेरे पास लाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ध्यान देने वाली बात है कि क्या इसे उठाया जा सकता है, तथा कहां

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रूपाताई डी. पाटील, क्या आप अपना निवेदन पूरा करना चाहती हैं, मैंने उनका नाम लिया है, लेकिन वे एक आज्ञाकारी सदस्य की तरह सभा से बाहर चली गईं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। देश के कतिपय राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के कई जिलों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं जिससे वहां रहने वाला मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं विशेषकर अपने जिले लातूर के बारे में कहना चाहती हूं क्योंकि मैं इसी जिसे से सांसद हूं। महाराष्ट्र में लातूर शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम है क्योंकि उच्चवर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार एवं निचले तबके के लोग अपने बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, कारण उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा सकें। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये केन्द्रीय विद्यालय ही एक उपाय है जहां उत्कृष्ट शिक्षा मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, लातूर के अनेक क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय न देकर उसके साथ सरकार ने अन्याय किया है। सरकार प्रतिवर्ष सभी सांसदों को अपने क्षेत्र से दो छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश देने के लिए कूपन देती है और इसी वर्ष भी सांसदों को दो कूपन भेज दिये हैं, जहां केन्द्रीय विद्यालय हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या कारण है कि जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं और अपने क्षेत्र के मध्यमवर्गीय और निचले तबके के लोग जो बड़े शहरों में कार्यरत हैं – जैसे पुणे, औरंगाबाद और मुम्बई – जो लोग निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे उन विद्यार्थियों को पास के जिलों में प्रवेश के लिये क्यों नहीं प्रावधान किया जा सकता है? मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह से अनुरोध करना चाहती हूं कि सभी सांसदों के लिये देश के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिये छूट दी जाये। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र लातूर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा करे। लातूर ऐसा क्षेत्र है जहां से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री विलासराव देशमुख आते हैं। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से मांग करूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में इसी सत्र से केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा करे *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने क्षेत्र के लिये यह काम नैशनल इम्पोर्टेंस का हो गया है?

श्रीमती रूपाताई जी. पाटील : मेरी मांग है कि लातूर के लिये दो कूपन मिलने चाहिए, यही मांग करती हूं। मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि जब भी हम महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं तो आप बैल बजाने लगते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं अपनी सीट पर आपको बैठा देता हूं तो आप करिये। आप सुमित्रा जी से पूछिये कि क्या होता है? आप नाराज मत होइये, मैं माफी मांगता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे बांए, दाएं तथा मध्य से घूंसा मारा जा रहा हो। क्या करेगा?

कुछ माननीय सदस्य : वामपंक्ष की ओर से नहीं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.35 बजे

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विभिन्न पदाधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो समस्याएं थीं और उन पर जो अत्याचार होते थे, उनको देखते हुए भारत सरकर ने 1992 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया। कुछ समय पहले उसमें से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया और अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया। संविधान की धारा 338 के तहत इस आयोग को शक्तियां दी गई थीं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार होते हैं, उससे उनका संरक्षण हो इसलिए सिविल कोर्ट्स की पावर्स कमीशन को दी गईं। अध्यक्ष महोदय, आज कम से कम 40000 समस्याएं और शिकायतें इस आयोग के दफ्तर में पड़ी धूल चाट रही हैं। इस कमीशन का अलग से कोई बजट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे सूरज भान जी, 6 अगस्त, 2006 को उनका निधन हो गया 5 फरवरी, 2007 को इस कमीशन का कार्यकाल पूरा हो गया। अध्यक्ष महोदय, न तो वहां कोई अध्यक्ष है, न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई सदस्य है। उस कमीशन की भूमिका शून्य के बराबर हो गई है और दो महीने होने वाले हैं, वह कमीशन का दफ्तर बंद पड़ा है। यह सरकार अभी तक कमीशन की नियुक्ति नहीं कर पाई है। तीन सदस्यों की नियुक्ति वहां होनी है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। कमज़ोर वर्ग के लोगों की समस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त उस दफ्तर में पड़ी हुई है। वहां न कोई लॉ ऑफिसर है, न कोई पुलिस के आला अफसरान हैं। कुल मिलाकर उस कमीशन की उपयोगिता खत्म हो गई है। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार का कमज़ोर वर्गों और दलितों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यह ऐसा सवाल नहीं है कि राष्ट्रीय दलों से सलाह–मशविरा करना है या कानूनी राय लेनी है या विशेषज्ञों से पूछना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको खत्म तो करने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार को ही नॉमिनेशन करना था। यह सरकर कमीशन के सदस्यों को नॉमिनेट नहीं कर पाई। इस कमीशन की कोई सार्थकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त नहीं है। मुझे खेद है, मुझे महत्व के मामलों को उठाने के समय की समीक्षा करनी पड़ रही है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक संवैधानिक संस्था है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी बैठ जाएं। यह तो हद पार की जा रही है। आप यहां किसी को आदेश देने के लिए नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : हम भी सहमति व्यक्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सहमति व्यक्त करेंगे। उसके लिए हमने एक प्रोसीस चालू किया है। आप नाम भेजिए, आपका नाम रिकार्ड पर जाएगा। आप बीच में उठकर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरे विचार से मुझे नेताओं से अपील करनी पड़ेगी। हम इस घंटे का उपयोग वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए कर रहे हैं अथवा नहीं? अब, राज्य के मामले, तथा निर्वाचन क्षेत्र के मामले, सब कुछ उठाए जा रहे हैं। मुझे गाली दी जा रही है कि मैं सदस्यों को बोलने नहीं दे रहा हूं। हर बात की एक सीमा होती है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रामजीलाल सुमन जी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन का जो मामला उठाया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और मोहम्मद सलीम भी संबद्ध है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : आपके माध्यम से, मैं सभा को एक महत्वपूर्ण मामले की जानकारी देना चाहूंगा। यह सरकार प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग के कार्यक्रमों और नीतियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की स्थिति को अत्यधिक महत्व देती है। यह स्कंध पूर्णतः एक संवैधानिक निकाय है। मार्च, 2007 में ही मंत्रालय के डेस्क ने लगभग पूर्ण प्रक्रिया तैयार कर ली है। चूंकि यह एक संवैधानिक मामला है अतः कुछ अनुवर्ती कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मैं विश्वास के साथ सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस मामले का समाधान एक सप्ताह के भीतर हो जाएगा। कैबिनेट भी इसका समाधान कर रहा है तथा संबंधित मंत्रालय ने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र हम पूर्ण निकाय का गठन कर देंगे जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और अन्य लोग होंगे। प्रणाली की तकनीकी प्रक्रिया तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जा रहा है। यह सरकार की तदर्थ नियुक्ति नहीं है। यह संवैधानिक नियुक्ति है। अतएव, मानदण्ड–कि कैसे बनेगा और कैसे हटेगा–इसकी व्यवस्था की जानी है। अतएव मैं कहना चाहूंगा कि इसे बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा। आशा है कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले इसे कर दिया जाएगा। संविधान की अपेक्षा और संविधान के उपबंधों के अनुसार हम शीघ्र ही पूर्ण अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर देंगे। अतएव इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

जहां तक विधि अधिकारी के नहीं होने और काम नहीं किए जाने के दूसरे आरोप का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि यह सही नहीं है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में सभी कार्यों तथा शिकायतों का निवारण दैनिन्दन आधार पर सरकार द्वारा किया जा रहा है।

अपराह्न 12.40 बजे

(तीन) केन्द्र - राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आयोग के कथित गठन के बारे में

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रेस में ऐसी खबरे आयी हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तथा श्री माधवमेनन को सचिव बनाकर एक आयोग का गठन संविधान के कार्यकरण के संबंध में कतिपय मुद्दों की समीक्षा करने के लिए किया है। केशवानन्द भारती मामले में यह खासतौर पर निर्णय दिया गया है कि संघवाद तथा अधिकारों का पृथक्करण संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं। हाल ही में एक नौ–सदस्यीय पीठ ने भी इस निर्णय को सही ठहराया है। इस निर्णय ने संसद के भी हाथ बांध दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : ऐसा होने पर क्या कार्यपालिका संविधान की बुनियादी विशेषताओं की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकती है? यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राज्य में उसकी अनुमति के बिना केन्द्रीय अर्धसैनिक बल भेजे जा सकते हैं। यह स्पष्टतः कानून और व्यवस्था का मामला है और यह स्पष्टतः राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इस समिति को केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा करनी है। आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या केन्द्र सरकार केन्द्र–राज्य संबंधों के विषय पर समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए सक्षम है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, कृपया बैठ जाइए, हमेशा खड़े होना एक बुरी आदत बन गयी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह एक संघीय मामला है; यह संविधान की मूल विशेषता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने इसे उठाया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसकी समीक्षा नहीं का जा सकती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपने निर्णय की समीक्षा करे। सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमें चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, उचित नोटिस आने दीजिए; निश्चय ही हम इसे करेंगे। मैंने उन्हें इस विषय को उठाने की अनुमति दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, भारत सरकार ने केन्द्र–राज्य संबंधों की जांच करने तथा पुनः परिभाषित करने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की थी। वस्तुतः मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। क्यों? 20 वर्ष पहले इस संबंध में पहले आयोग की अध्यक्षता जस्टिस सरकारिया ने की थी। उसके बाद राजनीतिक और आर्थिक रूप से तथा साथ ही आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में भी देश में कई बाते हुई हैं। अतः यह उचित कदम ही है कि हम केन्द्र–राज्य संबंधों की जांच कर रहे हैं। किन्तु बात यह है कि किस प्रकार यह किया गया। उसमें इस अर्थ में कुछ कमी है कि इस प्रकार के आयोग का गठन राज्यों के साथ उचित परामर्श के पश्चात किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप आयोग की नियुक्ति का स्वागत करते हैं किन्तु आपको तरीका पसंद नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : प्रेस द्वारा बताए गए विचारार्थ विषय के अनुसार यह केन्द्र के अधिकारों को बढ़ाता है, जो राज्यों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मुझे समाप्त करने दीजिए।

यह राज्यों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ महत्वपूर्ण है। आपके वैयक्तिक मामले महत्वपूर्ण हैं; आपके निर्वाचन क्षेत्र के मामले महत्वपूर्ण हैं; सब कुछ महत्वपूर्ण है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : केन्द्रीय सहायता में भागीदारी, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का अंतरण आदि जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, खेद है, मैं और किसी चीज की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कोई वचन नहीं दिए गए हैं।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एन. डी. सी. के मंच के माध्यम से मुख्य मंत्रियों से व्यापक परामर्श करने के पश्चात् ही इसे अंतिम रूप दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनवर हुसैन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाइए। मैंने अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। जब मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जाइए। श्री हुसैन।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए अवसर प्रदान करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। इस मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सदस्य पार्टियों के बीच चर्चा हुई है और एक निर्णय लिया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह संप्रग सदस्यों का प्रश्न नहीं है। पूरी सभा इसके बारे में चिन्तित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं निश्चित रूप से आपके सुझाव से सहमति रखता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यदि वह इस पर चर्चा करना चाहते थे तो उन्हें इस सभा के सभी नेताओं के साथ चर्चा करनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपने सुझाव दिया है, मैं एक चर्चा की अनुमति देने हेतु पहले से ही सहमत हूं। कृपया एक नोटिस दें और हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह बेहतर होता यदि एक नियमित नोटिस दिया गया होता तथा एक सही अवसर प्रदान किया गया होता। परन्तु मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गयी थी, इसने एक रिपोर्ट दी थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी।

मंत्रिमंडल में अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिए गए हैं। यह समिति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने जा रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, आयोग मुख्यमंत्रियों और अन्य संबंधित दलों से चर्चा बगैर और किसी निर्णय पर नहीं आने जा रहा है। इसमें लम्बा समय लगेगा। मुख्य मंत्रियों और पार्टी नेताओं को चर्चा में शामिल किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना और मंत्री जी की सहमति के बगैर उनके भाषण के बीच में बोलना बहुत बुरी आदत है। इस सभा में कुछ भी किया जा सकता है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : कम से कम मेरी बात सुनें कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, सभी संबंधित लोगों से परामर्श किया जाएगा। तत्पश्चात् बाहरी लोग, विधिवेत्ता, न्यायाधीशों, वकीलों, प्रशासकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी परामर्श किया जाएगा। इसके बाद ही रिपोर्ट दी जाएगी। यह रिपोर्ट सीधे देश का कानून बनने नहीं जा रही है। इस पर विचार–विमर्श किया जाएगा, जैसा कि हमने अंतर्राज्यीय परिषद में सरकारिया आयोग के संबंध में किया। अंतर्राज्यीय परिषद में, अन्य राज्यों से मुख्य मंत्री आ रहे हैं। इसके बाद यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। यदि इसके बाद कोई परिवर्तन किया जाना होगा तो इसे परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा। यह बात अनेक लोगों द्वारा सुझायी गयी है। उनके सुझावों से इतर यह कार्य किया गया है। इस चरण में, हमें ब्यौरों में गए बगैर इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि हम ब्यौरों में गए बगैर तथा विचारार्थ विषय और अन्य बातों को सावधानीपूर्वक जाने बगैर इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं तो गलतफहमी पैदा होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्यों के साथ ही निजी रूप से इस सभा में या कहीं भी विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं परन्तु कृपया इस पर टिप्पणी न करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात स्पष्ट है। नियुक्ति हेतु परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : यह रिपोर्ट निश्चित रूप से संसद में प्रस्तुत की जाएगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ नहीं बोल सकते। मुझे 23 माननीय सदस्यों से नोटिस प्राप्त हुए हैं। क्या मुझे सभी 23 सदस्यों को बोलने के लिए एक साथ पुकारना चाहिए?

श्री अनवर हुसैन : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंहगाई के बारे में है। जब राष्ट्र मंहगाई को लेकर पूरी तरह चिन्तित है, केन्द्र सरकार को कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मंहगाई को बढ़ावा मिले। रेलवे विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी दो चीजें की हैं। मैं उन दो चीजों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं।

प्रथमतः पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु रेल मालभाड़ा पर छहः प्रतिशत की छूट थी। रेलवे विभाग ने इसे वापस ले लिया है। दूसरा, महोदय, यद्यपि इस वर्ष मालभाड़े में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, परन्तु यह वस्तुओं के वर्गीकरण या श्रेणीकरण की वजह से अप्रत्यक्षतः बढ़ गया है। इससे मालभाड़े में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी और संबंधित श्रेणीकरण को वापल से तथा पूर्वोत्तर राज्यों के रेल मालभाड़े में छह प्रतिशत की छूट जारी रहने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

एन.डी.ए. की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एल.पी.जी., कुकिंग गैस का सिस्टम इस तरह का कर दिया था कि बहुत ही आसानी से हमें गैस का सिलेण्डर उपलब्ध हो जाता था। ऐसे समय में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें थीं, उन्होंने भी जो खाना चूल्हे पर बनता था, वह चूल्हा बन्द करके गैस का सिलैण्डर ले लिया। शहर के पास जो गांव का क्षेत्र रहता था, वे शहर से एल.पी.जी., कुकिंग गैस लेकर आ जाते थे और खाना पकाया करते थे। मैं आज आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि गैस की टंकी की इतनी ज्यादा किल्लत हो गयी है और जो माताएं और बहनें शहरों में रहती हैं, उन्हें भी गैस की टंकी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गैस की टंकी की इतनी ज्यादा कालाबाजारी हो रही है कि जिस गैस की टंकी की कीमत अधिकृत रूप से 300 रुपए है, वह 600 रुपए से लेकर 700 रुपए में बड़े शहरों में मिल रही है। इस देश की राजधानी दिल्ली में भी गैस की टंकी 600, 650, 700 रुपए में मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर है कि किस तरह से गैस की किल्लत को कम किया जाए और गैस की टंकी पर जो कालाबाजारी हो रही है, उसे कैसे रोका जाए? इसके साथ ही साथ क्या एलपीजी गैस की एजेंसी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ और एजेंसीज को दी जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनों को भी गैस मिल सके? क्या इस ओर सरकार का ध्यान है? महोदय, इस बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : मैं किरण माहेश्वरी जी के विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। बीड़ी उद्योग पर बयालीस लाख लोग निर्भर है तथा अकेले आंध्र प्रदेश में 10 लाख महिलाएं बीड़ी उद्योग में काम करती हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 5.7.2006 की अपनी अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 402(ई) में यह निर्धारित किया है कि लेबलों के आधे हिस्से पर यह चेतावनी लिखी जाए कि बीड़ी उत्पादों में खोपड़ी, हड्डियां और काय के अंश विद्यमान हैं। यह श्रम आधारित व्यापार है। पूरे राज्य में गंभीर उत्तेजना है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी यह समस्या विद्यमान है। इस अधिसूचना को 1 जून से लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मेडक और करीमनगर जिलों में बीड़ी कामगार आत्महत्याएं कर रहे हैं। 11 दिसम्बर को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह अधिसूचना को वापस ले और गरीब बीड़ी कामगारों को बचाए। श्री चन्द्रबाबू नायडू सहित एक सर्वदलीय शिष्टमंडल श्री राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री से मिला और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे इस समय आस्थगित अधिसूचना को वापस लें। राज्य भर में आंदोलन हो रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ?

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, वे समस्या को जानते हैं। इसलिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय पर अधिसूचना वापस लेने के लिए कुछ दबाव डालना होगा। अन्यथा 42 लाख बीड़ी कामगारों को परेशानी होगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समस्या के बारे में याद दिला दिया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, पश्चिम बंगाल में भी बीड़ी कामगार हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि पश्चिम बंगाल में भी बीड़ी कामगार हैं तो क्या इसलिए मुझे आपका पक्ष लेना चाहिए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं सभी पक्षों से सहयोग मांगता हूं।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, आज देश के विभिन्न भागों से आई महिलाएं अपने लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग, जो कुछ समय से लंबित पड़ी हैं, हेतु दबाव बनाने के लिए संसद के बाहर एकत्रित हुई हैं। यू पी ए सरकार ने कई बार इस सभा में यह वादा किया है कि वह यह विधान लाएगी और इसे पारित कराएगी। कम से कम, पूर्ववर्ती समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विधेयक लाया जाए और सभा के विभिन्न वर्ग इस पर प्रतिक्रिया दें ताकि इस देश के लोगों को यह पता चले कि यह क्या है। देश के विभिन्न भागों से महिलाएं आई हैं। इसलिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यथाशीघ्र एक विधेयक लाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी अपने को इस विषय से संबद्ध कर रहे हैं। आप अपनी–अपनी पर्चियां भेजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : महोदय, द्रविड मुनेत्रकषगम (डी एम के) पार्टी की ओर से मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में उठाए गए मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा. अरूण कुमार शर्मा – उपस्थित नहीं।

डा. बाबू राव मीडियम – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें शीघ्र उत्तर क्यों देना चाहिए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पर जोर दे रहे हैं तथा यह आपको सही नहीं लगता है। इसलिए आप चाहते हैं इसके समाधान की खातिर सभा स्थगित रहे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवल श्री बाबू राव मीडिया की टिप्पणी ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको मंत्री बना दिया जाए।

...(व्यवधान)

डा. बाबू राव मिडियम (मद्राचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित बात ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचारार्थ रखना चाहता हूं। ग्रीष्मकाल के शुरू होने से आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की अत्यधिक कमी हो गई है। लोगों को पेयजल का एक ग्लास भर जल भी नहीं मिल रहा है। सामान्यतः उनके पेयजल स्रोत नदी नाले एवं तालाब होते थे। सूरज की तीखी किरणों के कारण ये जल स्रोत सूख गए हैं।

अतः, मैं मंत्रालय से उन ग्रैविटेशन योजनाओं का कार्य आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं जो काफी लंबे समय से मंत्रालय में लंबित हैं। पेय क्षेत्रों के संकट को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों में बोरवेल की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन क्षेत्रों में विद्यमान जल स्रोतों के सुधार के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मामला खत्म हो गया है। अतः कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। आपके साथ सर्वोत्तम तरीका यह अपनाया जाना चाहिए कि आपको यहां बुलाया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमें आखिर में समय दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद तत्काल क्या होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा पंछी आयोग गठित किया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी राज्य का उल्लेख नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : केन्द्र सरकार ने पंछी आयोग गठित किया है कि जिन राज्यों में फर्जी मुठभेड़ होंगे या निर्दोष लोगों का इस तरह कत्लेआम होगा, उन राज्यों को रिव्यू करके केन्द्रीय बल को डायरैक्ट भेजा जा सकता है या नहीं, क्या केन्द्रीय एजेंसी को ऐसी घटनाओं की जांच के लिए अधिकृत किया जा सकता है या नहीं क्योंकि जब सीबीआई की कोई जांच होती है तब उसके लिए राज्यों से परमीशन लेनी पड़ती है। लेकिन किसी राज्य में इस तरह की घटना हो कि अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बनाकर जान से मारने की प्रवृत्ति तब से शुरू हई है जब एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि हिन्दुस्तान में अब लश्करे तैयबा का नेटवर्क बढ़ रहा है। यह सब क्या था? यह खतरनाक बात है। यह इस देश की 20–25 करोड़ अल्पसंख्यक आबादी की तरफ इशारा है। अल्पसंख्यक, जो भारत के धर्मनिर्पेक्ष और शान्तिप्रिय नागरिक हैं, उन्हें नाहक बदनाम करके आतंकी संगठनों से उनका संबंध जोड़कर, उन पर हमला किया जा रहा है, उन पर निशाना बनाकर फर्जी मुठभेड़ के नाम पर उन्हें मारा जा रहा है। देश के सामने विषम परिस्थिति खड़ी हुई है। इसलिए पक्षी आयोग दो साल में अपनी रिपोर्ट देगा।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने जो टर्म्स एंड कंडीशन्स रखी है, दो साल के पहले संविधान की धारा 355 के तहत एक संवैधानिक संशोधन लाया जाए जिसमें केन्द्र सरकार को यह अधिकार हो कि ऐसी सिचुएशन में जहां हिन्दुस्तान के भारतीय संविधान का धर्मनिर्पेक्ष ताना–बाना टूटता हो, धर्मनिर्पेक्ष सिद्धान्त जो भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में है, यदि उस पर कोई आंच आ रही हो तो केन्द्र सरकार को विशेष परिस्थिति में वहां दखल देकर ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। अभी 14 राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ रहा है। यदि इस तरह कट्टरपंथी ताकतों का नया नेटवर्क शुरू होगा तो इस देश के करोड़ों अल्पसंख्यक लोगों के मन में असुरक्षा, आशंका और भय का वातावरण व्याप्त होगा। हाल में ही गुजरात में ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार हुए। यदि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो यह रहस्योद्घाटन नहीं होता। इसीलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करते हैं *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता – उत्तर पूर्व) : जला दिया गया। *..(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जला भी दिया गया और इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलेसिले पर रोक लगनी चाहिए ताकि करोड़ों अल्पसंख्यक लोगों के मन में जो भय का वातावरण पनप रहा है, वह समाप्त हो और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चले, धर्मनिर्पेक्ष सिद्धान्त वाला संविधान चल सके। *...(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसे टोटली स्पोर्ट करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत तवज्जह दी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने जो ईशू रेज़ किया है, मैं उनके साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई माननीय सदस्य स्वयं को इससे जोड़ना चाहते हैं, तो वे अपना नाम भेजें। दिन के आखिरी समय में अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा।

आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। सभा अब मद सं. 11 पर विचार करेगी।

अपराह्न 12.59 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले का सभा पटल पर रखे गए माने जाते हैं।

(एक) झारखंड के गुमला जिले में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : महोदय, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत है। जनजातीय क्षेत्र में रोजगार की कमी है। अतः लोग काम की खोज में बाहर के राज्यों में पलायन कर जाते हैं। पलायन रोकने के लिए आवश्यक है कि रोजगार के अवसर सृजित किये जायें। इसके लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये। झारखंड के जनजाति बाहुल्य जिलों में कोई भी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

अतः मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार गुमला जिला जिसमें जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करे।

(दो) कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को आंध्र प्रदेश में बरास्ता न्यू गुंटूर स्टेशन होकर चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायपति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान निम्नलिखित रेलगाड़ियों को न्यू गुंटूर स्टेशन से होकर चलाने; नई दिल्ली–चैन्नई के बीच प्रस्तावित गरीब रथ को न्यू गुंटूर से होकर चलाने पर आकर्षित करना चाहूंगा;

अहमदाबाद और चैन्नई के बीच नवजीवन एक्सप्रेस; काकीनाड़ा और बगलौर के बीच शेशाद्री एक्सप्रेस; विजयवाड़ा और चैन्नई के बीच पिनाकिनी एक्सप्रेस; विजयवाड़ा और चैन्नई के बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस; चैन्नई और नई दिल्ली के बीच तमिलनाडु एक्सप्रेस; त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच केरल एक्सप्रेस; तेनाली और विशाखपट्नम के बीच जन्मभूमि एक्सप्रेस; सिकन्दराबाद और गुंटूर (नागलोंडा–नडिकुडि–गुंटूर से होते हुए) के बीच सिंहपुरी एक्सप्रेस;

विजयवाड़ा और विशाखापट्नम के बीच रत्नाचल एक्सप्रेस; तिरूपति–चिराला यात्री रेलगाड़ी का गुंटूर तक विस्तार किया जाना है;

रिपाले से सिकंदराबाद जाने वाली डेल्टा फास्ट पैसेंजर ट्रेन का पुराना समय निर्धारित करने की भी मांग की जा रही है, क्योंकि उसे यात्रियों के लिए असुविधाजनक पाया गया।

मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री रेल यात्रियों को होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों के वास्तविक अनुरोधों पर विचार करेंगे।

(तीन) अलीगढ़-पलवल-अलवर मार्ग पर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद में मेवात के लोग बहुत लंबे अरसे से वाया–मेवात, अलीगढ़–पलवल–अलवर रेल लाइन बिछाने, पलवन स्टेशन को जंक्शन बनाने और ओल्ड फरीदाबाद क्रासिंग पर अंडरपास बनाने की मांग करते आ रहे हैं। करीब 25 साल पहले रहीमपुर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर स्व. प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने, 1989 में श्री बंशीलाल ने और फिर 1997 में मेवात दौरे के दौरान नूंह में श्री देवगौड़ा ने जनता से इस रेल लाइन को बिछाने का वादा किया था। इसके लिए 13 साल पहले सर्वे भी हुआ था। खुद मैंने 1991 में संसद में इस लाइन को बिछाने का मुद्दा उठाया था। फरीदाबाद का मेवात क्षेत्र दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां ढंग की सड़कें तक नहीं है। इस रेल लाइन के बिछने से मेवात क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मेवाती जनता की इन तीनों मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देश दें।

* सभा पटल पर रखे गए।

मेरे द्वारा विगत 1 वर्ष में 5 बार मेरे क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की समस्यायें लिखी गईं, जिसमें नई दिल्ली–पलवल शटल को कोसी तक बढ़ाने के लिए मांग की गई थी, परंतु आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। कृपया इसे पूरा कराने का कष्ट करें।

(चार) गुजरात के अमरेली में अमरेली-लाठी रोड के समीप उद्योग नगर रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के लाठी रोड पर एक रेलवे क्रासिंग है जो अमरेली से बाहर निकलने का रास्ता है यह रास्ता अहमदाबाद के लिए निकलता है। इस क्रासिंग के पास एक उद्योग नगर है जहां पर कई औद्योगिक इकाइयां काम कर रही है। इस रेलवे क्रासिंग पर आये दिन जाम हो जाता है और वाहनों की कतार काफी लम्बी हो जाती है जिसके कारण यातायात को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस अमरेली लाठी रोड पर रेलवे स्टेशन उद्योग नगर के क्रासिंग पर एक उपरिपुल बनाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(पांच) विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय कोटा सीट के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए सेन्ट्रल प्री–मेडीकल टेस्ट (सी पी एम टी) और सेन्ट्रल प्री–पोस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेंस टेस्टों का आयोजन किया जाता है।

राज्य सरकारों के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में केन्द्रीय कोटे के अंतर्गत अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों का आरक्षण किया जाता है। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित केन्द्रीय कोटे की इन सीटों पर सी पी एम टी और प्री पी जी टेस्ट की वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

अभी तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों में केन्द्रीय सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री से सी पी एम टी और सेन्ट्रल प्री. पी. जी. प्रवेश परीक्षा में केन्द्रीय कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) इरोड - पलानी वरास्ता धारापुरम न्यू रेलवे स्कीम पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी के पलानी कंगायार्न, शिवनमलाई और सेन्निमलाई कस्बे भगवान कार्तिक के निवास स्थल हैं और उपर्युक्त कस्बों के बीच का एक अन्य कस्बे धारापुरम का प्राचीन ऐतिहासिक महत्व है। कंगनाचाई व सेन्निमलाई अपने कपड़े, चावल मिलों, तेल मिलों और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर बड़े पैमाने पर निर्यातोन्मुखी उद्योग भी है।

वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा शासन संभालने के पश्चात मैंने वर्ष 2004–05 के रेल बजट संबंधी चर्चा के दौरान इरोड से पलानी वाया धारापुरम को जोड़ने का मुद्दा उठाया था और इस संबंध में माननीय रेल मंत्री को अनेक पत्र भी लिखे थे। काफी आग्रह करने के बाद माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 2005–06 के रेल बजट में इरोड से पलानी वाया धारापुरम नई रेलवे योजना के सर्वेक्षण की घोषणा की थी। और इस सर्वेक्षण के लिए धनराशि भी आबंटित की थी। यह सर्वेक्षण कार्य दक्षिण रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा किया गया था और दिनांक 30.11.2006 को इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप दी गई थी।

मैं रेल मंत्री से सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन करने और इरोड–पलानी वाया धारापुरम के बीच नई रेलवे ब्राड गेज लाइन बिछाने के कार्य को प्राथमिकता देने और आवश्यक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस कार्य को तत्काल शुरू किया जा सके।

(सात) महाराष्ट्र में भंडारा और गोंडिया जिलों के बीड़ी कामगारों को समुचित मजदूरी तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा) : महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भण्डारा एवं गोंदिया जिले में बीड़ी बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। अभी वर्तमान में 2 लाख मजदूर इस क्षेत्र में बीड़ी का काम कर रहे हैं, जिनमें केवल 10,000 बीड़ी मजदूरों का कार्ड बनाया गया है जबकि 2 लाख मजदूरों से बीड़ी बनाने का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण इन मजदूरों का पी.एफ. नहीं काटा जा रहा है तथा स्वास्थ्य सुरक्षा तथा इनके बच्चों को स्कूल से स्कालरशिप एवं पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। इतना ही नहीं इन्हें 1000 बीड़ी बनाने का 19 रुपये मात्र दिये जा रहे हैं जबकि 59 रुपये दिये जाने चाहिए। इस

तरह से इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इस मामले की शीघ्र जांच कर कंपनी मालिकों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोका जाये।

(आठ) उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूमिहीन कृषि कामगारों द्वारा, काम की तलाश में पलायन किया जाना रोकने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : उड़ीसा के नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी जीविकोपार्जन के संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उनके पलायन का प्रमुख सा कारण यह है कि कृषि श्रमिकों को वर्ष में मात्र 130 दिन काम मिलता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तीन लाख कृषि श्रमिक और 2.5 लाख सीमान्त किसान हैं जिन्हें वर्ष में मुश्किल से 130 दिन काम मिलता है। इसके अतिरिक्त कोंडा, प्राजा, भातरा, और गौंड सहित लगभग 50 प्रतिशत आदिवासी भूमिहीन कामगार है जिन्हें सरकार से भूमि का पट्टा नहीं मिला है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत सीमान्त जनजातीय किसानों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है जिस पर वह कमजोर सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि नहीं कर सकते हैं। भूमि पर खेती न कर पाने में निर्धनता भी एक बड़ी बाधा है। इनमें से अधिकतर भूमिहीन है इसलिए उन्हें ऋण भी नहीं मिल पाता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि खेती करने के लिए नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाए। बैंको को चाहिए कि वे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दे। भूमिहीन लोगों को पूरे वर्ष रोजगार देने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना भी शुरू की जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से इन जिलों के लोगों के पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की मांग करता हूं।

(नौ) राजस्थान में शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर-शिक्षण कार्यों से अलग रखे जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : महोदय, राजस्थान प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालयों के कक्षा कक्षों के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी उन विद्यालयों के अध्यापकों को सौंपने से विद्यालयों में अध्यापन का कार्य ठप्प सा हो गया है। अध्यापक निर्माण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। छात्रों के भविष्य की उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ निर्माण कार्य की लगी रहती है। छात्रों को पढ़ाना उनके लिये प्राथमिकता नहीं रही हैं जिससे अध्ययनरत बालकों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर यही हालत रही तो देश में शिक्षा का ढांचा चरमरा जायेगा।

इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निर्माण कार्यों की एजेंसी पंचायती राज विभाग या अन्य किसी भी विभाग को बनाये जाने का आग्रह करता हूं।

(दस) अरुणाचल प्रदेश में सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ–साथ रणनीतिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील स्थान पर स्थित है। यह पूर्व में बर्मा से, उत्तर में चीन से और पश्चिम में भूटान से घिरा हुआ है। इस राज्य में देश में सबसे कम सड़के हैं और इस राज्य का 70 प्रतिशत हिस्से में अभी भी सड़के नहीं हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को अभी भी विषम स्थितियों और कठिन भौगोलिक स्थितियों में अपने समीप के प्रशासनिक केन्द्रों तक पहुंचने के लिए अनेक दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। राज्य लम्बे समय से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग के निर्माण की मांग कर रहा है।

मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी प्रशासनिक केन्द्रों को जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने और सीमा सड़क संगठन की देखरेख वाले तेजपुर से तवांग तक के डिफेंस रोड को चौड़ा करने के कार्य को तत्काल पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशि मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) अर्द्ध-सैनिक बलों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : महोदय, अर्ध सैनिक बलों में तनाव के करण बढ़ रही आत्महत्या और अपने अधिकारियों की हत्या के किस्से गत वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए केन्द्र सरकर द्वारा योग, साधना, लाफिंग थैरेपी और काउंसलिंग जैसे तरीके अपनाकर करोड़ो रुपये खर्च कर तनाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु उसकी जड़ में छुपी समस्या पर ध्यान

नहीं दिया जा रहा। सैनिकों में मानसिक तनाव का मुख्य कारण जवानों की संख्या में कमी है। जवानों का अपने परिवारों से महीनों दूर रहने के कारण उनके मन में तनाव बढ़ रहा है। इस कारण वे या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने अधिकारियों को गोली का निशाना बना लेते हैं। इस तरह के हादसे वर्ष 2002 में 55, वर्ष 2003 में 64, वर्ष 2004 में 52, वर्ष 2005 में 65 और 2006 में 84 सामने आए हैं। अर्ध सैनिक बलों के जवानों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें ज्यादा समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है जिसके कारण प्रतिशोध की भावना उठ जाती है। सबसे ज्यादा रिक्त पद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में है, जहां आज भी 28 हजार 4 सौ पद रिक्त पड़े हैं। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल इससे अछूता नहीं है। सभी में लगभग रात सात से नौ हजार तक पद रिक्त पड़े हैं। आज जब देश माओवाद और नक्सलवाद की समस्या से दिन प्रतिदिन जूझ रहा है ऐसे में सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इन रिक्तियों को भरना चाहिए जिससे नक्सलवाद की समस्या से निजात पाने के साथ–साथ जवानों में बढ़ते तनाव की मानसिकता को रोका जा सके।

(बारह) केरल में रेल ऊपरि पुलों का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : मैं रेल मंत्री का ध्यान केरल राज्य में रेल ऊपरि पुलों के निर्माण की और आकृष्ट करना चाहूंगा। रेल ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है तथा कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य लंबित भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में भी कोई प्रगति नहीं है। इसमें लोगों को कठिनाई होती है। कई स्थानों पर राज्य सरकार ने कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन रेल मंत्रालय ने कोई प्रगति नहीं की है तथा कार्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय कोई पहल नहीं कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ बजट में आबंटित निधियां भी इन कार्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। रेल ऊपरि पुलों को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब से काफी क्षति हो सकती है तथा इस वजह से कई समपार (लेवल क्रॉसिंग) स्थानोंपर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाएं तथा रेल ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

(तेरह) मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में लाल कोठी और रानीगंज में धारित भूमि को राज्य सरकार को अंतरित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल) : मैं सभा का ध्यान एक काफी महत्वपूर्ण मामले की और आकृष्ट करना चाहूंगा। जुलाई, 2001 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में लालकोठी और रानीगंज में मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि को बी.एस.सी.एल. के भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा गठित औद्योगिक कामगार सहकारी संस्था को सौंपने के लिए अनुरोध किया था। वर्ष 2003 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में इस आशय का आश्वासन भी दिया गया था।

पुनरुद्धार हेतु अद्यतन अर्थक्षम योजना सहित सभी आवश्यक कागजात् एवं दस्तावेज, जैसा कि वांछित था, भी इस वर्ष के बिल्कुल आरम्भ के समय पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए है। तथापि, इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही, प्रत्येक दिन बीतने के साथ बहुमूल्य संयंत्र एवं मशीनरी में जंग लग रहा है तथा ये बर्बाद हो रहे हैं। अतः, मैं केंद्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने तथा भूमि का अंतरण राज्य सरकार को करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के सौ फीसदी निवेश की मंजूरी सरकार ने देने की मंशा बना ली है। एक तरफ तो सरकार देश में पहले से ही संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। जिससे डिग्री लेकर लाखों विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को पाने में लगातार असफल हो रहे हैं, वहीं अब सौ फीसदी विदेशी महाविद्यालयों के निवेश की मंजूरी देश के हित में कतई नहीं हो सकती।

यहां यह सोचना है कि जहां पहले से ही देश में 144 विदेशी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान चल रहे हैं जिसमें 117 अपने अपने देश के पाठयक्रमों का संचालन कर रहे हैं जिसके संचालन हेतु नियामक तंत्र अभी तक सरकार नहीं बना पाई है ऐसे में अब सौ फीसदी विदेशी विश्वविद्यालयों के निवेश की मंजूरी पर सरकार किस प्रकार देश के हित में कर पाएगी।

एक बात तो साफ है कि इस निवेश से गरीब और अमीर की खाई शिक्षा के क्षेत्र में अब अवश्य बढ़ेगी क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय व्यावसायिक नजरिए के तहत अपना कदम रखेंगी, ऐसे में दाखिले के लिए वह जो फीस वगैरह निर्धारित करेंगे वह वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे जिससे गरीब आदमी इन विश्वविद्यालयों मे दाखिला लेने में अक्षम होगा।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि कृपया वह इस विषय पर व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय ले।

(पन्द्रह) बिहार के समस्तीपुर में अग्नि-दुर्घटनाओं के पीड़ितों को विशेष केन्द्रीय राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, विगत कुछ दिनों के अंदर बिहार में हजारों घरों में आगजनी की घटना हुई। अकेले समस्तीपुर जिला के सरायरंजन, मोहनपुर एवं कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत पिछले एक महीने में लगभग 1600 घरों में आग लगी और सब कुछ जल कर भस्म हो गया। साथ ही चार लोग झुलस कर मर गये लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा आंशिक व्यवस्था की गई। यदि मौजूदा प्रावधान के मुताबिक भी सुविधा मुहैया करायी गयी होती तो भी पर्याप्त न होती। ऐसी स्थिति में जबकि 1600 परिवारों के पास अपने तन पर आधे वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इन परिवारों के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त विशेष सहायता मुहैया कराए।

(सोलह) पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के थाना दंतन मोगुलामारी में बौद्ध मठों की खुदाई तथा परिरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : पुरातत्व विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल में जिला पश्चिम मेदनीपुर के मोगुलमड़ी पी.एस–दांतन में खुदाई का कार्य पुनः आरंभ कर दिया है। अभी तक हुई खुदाई में पाल पूर्वकाल (संभवतः नवीं शताब्दी ई.) के व्यापक रूप से स्टक्को प्लास्टर और अथवा चूना की सजावट वाले बौद्ध मॉनिस्टिक कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व का पता चला है जो कि पूर्वी भारत में अनोखा है। सामने की दीवार पर अलंकरण तथा आमतौर पर मठवासीय प्रतिष्ठान निश्चित रूप से न केवल पश्चिम मेदनीपुर के बल्कि सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल के पूर्व मध्यकालीन इतिहास पर काफी रोशनी डालेंगे। उत्खननकर्त्ताओं, विभागाध्यक्ष तथा उनके कर्मचारियों ने यह टिप्पणी की है कि बौद्ध चरित्र वाली स्टक्को आकृतियों की पुष्टि स्तरित संदर्भ से दो बौद्ध प्रस्तर प्रतिमाओं की खोज से होती है, जिनमें से एक बुद्ध की भूमिस्पर्श मुद्रा में सुविख्यात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार यह खोज निस्संदेह रूप से नालंदा (दक्षिण बिहार), रक्तमृत्तिका (मुर्शिदाबाद) तथा नंददिर्घिका (मालदा) के बौद्ध मठों के तुलनीय है। इतने विशाल बौद्ध मठों के उत्खनन कार्य को पूरा करने तथा इनके संरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि पुरानी विरासत का उत्खनन एवं संरक्षण किया जा सके।

(सत्रह) पुदुचेरी के कराईकल जिले को पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी चार क्षेत्रों नामशः पुदुचेरी, कराइकल, महे तथा यनम में फैला हुआ है। हाल ही में कराइकल क्षेत्र को एक पृथक् जिला घोषित किया गया तथा तीन क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर पुदुचेरी जिला का गठन किया गया। ऐतिहासिक रूप से कराइकल जिला विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारकों से पिछड़ा हुआ रहा है। इस क्षेत्र का कृषि चरित्र तथा कावेरी जल पर इसकी निर्भरता, औद्योगीकरण की कमी तथा अकुशल जनशक्ति इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रति व्यक्ति आय, उत्पादकता, उत्पादन, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर आदि जैसे मापदण्ड अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम महत्व प्राप्त कर रहे हैं। कराइकल जिला नगापट्टिनम जिले से घिरा हुआ है जिसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। अतः, कराइकल जिले के सतत सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिए तथा इसे पिछड़ा जिला विकास अनुदान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि इसके विकास में तेजी लाई जा सके। इस प्रकार के दर्जे के अभाव में क्षेत्र के लोग पिछड़े बने रहेंगे तथा लोग उपेक्षा एवं पिछड़ेपन के शिकार होंगे। अतः, भारत सरकार से यह अनुरोध है कि कराइकल जिले को पिछड़े जिले का दर्जा प्रदान किया जाए।

(अठारह) पश्चिम बंगाल में सोनारपुर-केनिंग रेल लाइन को दोहरा करने तथा बेटबेरिया धोला रेलवे स्टेशन को उन्नत बनाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सन्त कुमार मंडल (जयनगर) : सुन्दरवन क्षेत्र की आर्थिक एवं पर्यटन क्षमता की पहचान करते हुए सियालदह मंडल (पश्चिम बंगाल) के दक्षिण खंड में सोनारपुर और केनिंग के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य आरंभ किया गया तथा इसका प्रथम चरण (सोनारपुर से घोटियारी शरीफ) पूरा हो गया है। तथापि, दूसरा चरण (घोटियारी शरीफ से केनिंग) अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ है।

सुन्दरवन इस ग्रह का सर्वाधिक विशाल डेल्टा है जिसमें विशाल मैन्ग्रोव वन, दुनियाभर में प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, अनेक प्रकार के वन्य जीवों वाले नेशनल पार्क हैं जो दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। केनिंग सुन्दरवन का प्रवेशद्वार है तथा यहां प्रत्येक वर्ष अक्तूबर से हजारों देशी तथा विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके अतिरिक्त, दोहरी

लाइन न होने के कारण सुन्दरवन में पैदा होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों आदि की काफी बड़ी मात्रा की ढुलाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइन तथा सुन्दरवन की राजस्व क्षमता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय चरण (घोटियारी शरीफ से केनिंग) के दोहरीकरण कार्य को तेज किया जाए तथा केनिंग स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया जाए।

इस रेलवे लाइन में ताल्डी तथा घोटियारी शरीफ के बीच बेटबेरिया धोला नामक एक हाल्ट स्टेशन है जहां से प्रतिदिन 12 जोड़ी रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस हाल्ट स्टेशन का स्तरोन्नयन कर यहां पर टिकट काउन्टर तथा सामान्य स्टेशनों पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस स्टेशन से कोलकाता जाने के लिए सवार होने वाले मजदूरों तथा कर्मचारियों की एक बड़ी तादाद को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जनहित में सोनारपुर–केनिंग रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य को तेज किया जाए, केनिंग स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए तथा बेटबेरिया धोला रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन किया जाए।

(उन्नीस) संसद में महिलाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 33 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, महिलाओं को आरक्षण देने का अधिनियम संसद में वर्ष 2000 में एनडीए सरकार के दौरान आया था। लेकिन कई वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये तथा लोक सभा की 543 सीटों के अनुसार जो 181 सीटें बैठती हैं उनको कुल मिलाकर 724 सीटें करने का कार्य किया जाये।

लेकिन यदि 2025 तक लोक सभा की न बढ़ाई जाने वाली सीटों को ध्यान में रखा जाये तो फिर लोक सभा की 543 सीटों में से 181 सीटों पर महिलायें एवं पुरुष दोनों को ही और यदि कोई दल इन 181 सीटों पर पुरुष के स्थान पर दोनों उम्मीदवार महिलाओं को ही बनाना चाहता है, तो ऐसा वह कर सकता है, दोहरे उम्मीदवार निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की जाये और इन 181 लोक सभा सीटों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान अर्थात् 61 लोक सभा सीटें आरक्षित की जायें।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र ही सदन से पारित करवाये जाने हेतु समुचित कदम उठाए।

अपराह्न 1.00 बजे

वित्त विधेयक, 2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम कुछेक शब्द बोलें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है और सभा में इस पर चर्चा की जाए।

मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत* हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हरिन पाठक चर्चा शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 112 के अन्तर्गत हम सदन में बजट लाते हैं, बजट पास करते हैं और धारा 110 के अन्तर्गत वित्तीय विधेयक, यानी बजट प्रपोजल्स में जो कुछ सुधार किया गया है, उस संदर्भ में सूचित फेर–फार के साथ हम सदन में आते हैं। वित्तीय विधेयक एक फार्मैलिटी है।

अपराह्न 1.01 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, बजट पर काफी चर्चा हुई होगी। इस बार मैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : इसके अलावा कि आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया ...*(व्यवधान)*

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री हरिन पाठक : उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था क्योंकि मेरा बड़ा आपरेशन हुआ था और इसलिए मैंने बजट चर्चा में भाग नहीं लिया।

[हिन्दी]

मगर मैं समझता हूं कि बजट, वित्तीय बिल का जहां तक संबंध है, हम सब यहां बैठे हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, मैं कई बार कह चुका हूं इसलिए बार–बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिदम्बरम जी और सभी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, इस सदन में 17–18 साल से हूं एक युवा सांसद को जब मैं टीवी पर देखता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनमें बहुत जोश और उमंग है। वे एक विजन लेकर सदन में आते हैं कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण यहां होगा। सालों से पीड़ित, शोषित इस देश की बहुमत आबादी का उद्धार होगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना है कि कम से कम छः टर्म के बाद, यानी 18 साल पूरे होने के बाद मुझे लग रहा है कि यहां कुछ नहीं होता। आजादी के 60 साल पूरे होने में दो–तीन महीने बाकी हैं। मैं सदन की मर्यादा को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि बजट और फाइनेंस बिल में क्या फर्क होता है। बजट पर काफी चर्चा हुई होगी क्योंकि मैं उस समय नहीं था। इन 60 सालों में कई माननीय सदस्य ऐसे होंगे तो 5, 10, 17, 20 या 25 साल पुराने होंगे, जो नये सांसद आये होंगे, उनके मन में भी तमन्ना होगी कि इस देश की सूरत–सीरत बदलनी चाहिए। मेरा कर्तव्य बन जाता है कि इस महान देश में पिछले 60 सालों में जो स्थिति पैदा हुई है, एक उम्मीद लेकर हम निकले थे कि देश में जो 1200 साल तक गुलामी रही, उसके कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, अराजकता आदि जो कुछ हुआ, उसमें कुछ सुधार होगा। मैं उसकी बाकी चीजों में जाना नहीं चाहता मगर आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, उस पर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह स्थिति बहुत दुखदायी और चिंताजनक है। हां, मैं मानता हूं कि दो–पांच या दस साल में इतने बड़े देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाये, वह संभव नहीं है, मगर 60 साल तो कम नहीं हैं। 60 साल के बाद, जैसा मैंने कहा कि उसके पूरे होने में चार महीने बाकी हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन ने जो सर्वे दिया है, उसे इस देश के हम जो जन–प्रतिनिधि हैं, मेरे जो मित्र यहां बैठे हैं, वे ध्यान से सुनें, देश का चित्र उसमें है। गांवो में रहने वाले इस देश के दस प्रतिशत लोग प्रति दिन 9 रु. से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। उनकी क्षमता नहीं है, यानी 10 करोड़ लोग हो गये। इस देश के तीस प्रतिशत लोग प्रतिदिन 12 रु. खर्च नहीं कर सकते; और शहरों में रहने वाले तीस प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन 19 रु. से ज्यादा खर्च करने की हैसियत नहीं है। 12 प्रतिशत खर्च करने की उनकी क्षमता नहीं है। 60 साल के बाद भी, उनकी स्थिति पर, हमारे सीने में दर्द क्यों नहीं होता है। मैं केवल किसान की बात नहीं करता हूं, देश की पूरी स्थिति देख लीजिए। करीब 28 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जाते हैं, 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा पर जीते हैं और 25 प्रतिशत लोग निम्न–मध्यम वर्ग के हैं। सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह 10 प्रतिशत लोग मध्यम वर्ग के हैं। इन सब के आंकड़े आप मिला लीजिए। ये करीब 95 प्रतिशत लोग हो जाएंगे जो 60 साल के बाद भी दो वक्त की रोटी, कपड़ा और मकाने के लिए तरस रहे हैं। इनमें किसान और मजदूर भी शामिल हैं। मैं जब बीमार था तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि 96,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी चार करोड़ रुपये के आसपास है। इन्कम–टैक्स साढ़े तीन करोड़ लोग देते हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ तीन करोड़ लोग और लगा दीजिए। कुल मिलाकर 10 करोड़ लोगों से ज्यादा आगे नहीं बैठेंगें। 95 प्रतिशत लोग जो इस देश में गरीबी, भूख और बेरोजगारी से परेशान हैं उनके लिए क्या किया गया है? हर बजट में केवल एक वायदा किया जाता है, कुछ ठोस नहीं किया जाता है। वित्त मंत्री जी के भाषण के पेज 12 पर त्रिवल्लुवर जी की एक कविता अपने बिस्तर पर लेटे–लेटे मैंने पढ़ी, लेकिन जो आपने कहा वह उचित नहीं लगा। इसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

> "यदि हलवाहे अपने हाथ जोड़कर बैठ जाए तो त्याग का अध्यर्थन करने वाले ऋषियों को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।"

[हिन्दी]

हमारा किसान हाथ जोड़कर कहां बैठा है? वह मेहनत और मजदूरी करने के लिए तैयार है। हमारे मजदूर खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, कोई हाथ जोड़कर नहीं बैठा है। हमारा किसान और मजदूर दिन–रात मेहनत और मजदूरी करता है लेकिन उस किसान को वक्त पर न तो पानी मिलता है, न बीज मिलता है, न खाद मिलती है और जब फसल तैयार होकर मार्किट में जाती है तो उसे उसके उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। इसलिए कविता ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : वास्तव में, आपने तमिल दोहे को नहीं समझा है। आपने इस दोहे का गलत अर्थ निकाला है।

यह दोहा दस दोहों के एक समूह में लिखा गया है। अध्याय में दस दोहे कृषि के प्रति समर्पित हैं। दस दोहों में कृषि का गुणगान किया गया है और किसानों की जयकार की गई है। कृपया पिछले वाक्य को

पढ़े। संतवर हमें, हम सभी को आगाह करते हैं, यदि किसान उस अर्थ में काम नहीं कर पाएगा कि उसे अपने हाथ जोड़ने पड़े, तो ऋषियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

कृपया संदर्भ को समझें। मैं समझता हूं कि आपने ठीक इसके विपरीत समझा है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, लेकिन स्थिति तो वही रहेगी। मैं समझ सकता हूं, स्थिति वैसी ही रहेगी कि 60 साल के बाद भी हम अपने किसानों को, मजदूरों को बेसिक अमैनिटीज तक नहीं दे पाए। न उन्हें पानी मिला, न उन्हें बिजली मिली। ...*(व्यवधान)* मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से कहां तक बच सकते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : आपको सही अर्थ में समझना चाहिए और फिर बोलना चाहिए।

श्री हरिन पाठक : यह इस सभा, सभी माननीय सदस्यों और सभी सरकारों का कर्तव्य है क्योंकि अनेक वर्ष बीत चुके हैं।

[हिन्दी]

साठ साल आजादी प्राप्त करने के बाद बीत चुके हैं। इतने समय बाद भी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और मंहगाई आसमान को छू रही है। आज देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। इंफ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मंहगाई बढ़ती जा रही है। वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक के मेरे पास सारे आंकड़े हैं। वर्ष 2004 में गेहूं का भाव नौ रुपए था, वह आज बढ़कर 12 से 16 रुपए हो गया है। आटा 10 रुपए था, अब 14–15 रुपए, चावल 10 रुपए था, अब 16 से 22 रुपए, मैदा 12 रुपए था, आज 16 रुपए हो गया है। अभी हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी कह रहे थे कि चीनी की कीमत कम हुई है। वर्ष 2004 में चीनी 12 से 13 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन आज 17 से 18 रुपए है। सरसों का तेल भी 40 रुपए लीटर से 70 रुपए लीटर हो गया है। दाल, देसी घी, मूंग दाल किस–किस वस्तु की बात कहूं। आपने पंजाब में परिणाम देखा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं और हम सब की जिम्मेदारी है। आप सैंसेक्स पर मत जाइए। कैपिटल मार्केट में बढ़ता हुआ सैंसेक्स–यह समानान्तर अर्थव्यवस्था है। जीडीपी की तरह एक पैरलल इक्नोमी खड़ी हो गई है। हर्षद मेहता के घोटाले के लिए 1992 में जो समिति बनी थी, मैं उसका सदस्य था। मैंने उस समय काफी अध्ययन किया था। कैपिटल मार्केट के साथ हमारे देश के गरीबों की समस्याओं को मत जोड़िए। महंगाई बढ़ती जा रही है। सारा बजट आप देखिए। मैं टीवी में देख रहा था, किसी ने दस में से एक नम्बर या दो नम्बर दिए। लोगों ने जो अपेक्षा आपसे की थी, वह परिपूर्ण नहीं हुई। फलस्वरूप देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। फरवरी के बाद देश में जो महंगाई बढ़ी है, मैं उसके आंकड़े दे रहा था। कैरोसीन, सीमेंट, इस्पात, ईंट हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी कहां जाएगा, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? हम टैक्स में छूट बढ़ाते हैं एक लाख से एक लाख दस हजार, मंत्री साहब कृपया आम जनता अथवा मध्यवर्गीय लोगों के साथ खिलवाड़ न करें। दस हजार रुपए छूट बढ़ा दी और एक हजार रुपए टैक्स में कम हुए, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी? महिलाओं को 1,35,000 से 1,45,000, वरिष्ठ नागरिकों को 1,85,000 से 1,95,000 इतनी कम छूट बढ़ाने से क्या होगा? कैसे इतनी महंगाई में लोग अपना गुजारा कर पाएंगे? मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे अधिक बोलने की सलाह भी नहीं दी गई है। मैं अपने ऑपरेशन के बाद पहली बार बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि महंगाई को देखते हुए, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, बार–बार वचन दिया गया कि महंगाई कम करेंगे। पहले कहा गया कि एनडीए की सरकार के कारण महंगाई हुई, फिर कहा कि बारिश के कारण महंगाई हुई, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में से सबसे अच्छी बारिश पिछले तीन सालों में हुई है। ये जो बहाने बनाए जाते हैं कि बजट में एक भी ऐसे उपाय का उल्लेख नहीं है जहां आपने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की इच्छा जताई हो। आप महंगाई को रोकने का कोई ठोस उपाय बताइए और करिए। कब तक राह देखनी है? अब तो तीन साल पूरे होने को हैं, ढाई–पौने तीन साल हो गए हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दालें आयात की जा रही हैं। माननीय अटल जी की सरकार में अनाज के गोदाम भरे पड़े थे, वे गोदाम खाली हो गए। मैं चाहता हूं कि टैक्स में मुक्ति 1,10,000 के बदले 1,50,000 की जाए। महिलाओं को भी गुमराह किया गया है, वे घर चलाती हैं, हम नहीं चलाते हैं। उन्हें मालूम है घर कैसे चलता है। 65 रुपए में दाल मिलती है, जब हम कहते हैं कि दो सब्जियां बनाओ तब पत्नी कहती है कि कैसे दो सब्जी खाओगे? आपको पता है कि मार्किट में सब्जी का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है? अपर मिडल क्लास लोगों में भी महंगाई को लेकर तनात पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को जो छूट दी है उसे 1,50,000 तक ले जाइए, 2,00,000 तक ले जाइए और सीनियर सिटिजन्स को जो छूट दी है उसे 2,50,000 तक ले जाइए। हमें लगता है कि ऐसा करने से उनको कुछ राहत दे सकेंगे।

मैंने जनरल बात कही है, सब सोचकर बैठे हैं लेकिन कोई लिमिट तो बनाइए, 2020 का एक चित्र तो बनाइए कि 2020 के बाद इस देश

[श्री हरिन पाठक]

में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। यह आपको करना चाहिए था क्योंकि जब मैं राजनीतिक बात करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। वर्ष 1947 से लेकर आप शासन में बैठे हैं, आपने 60 साल में से 48 साल देश में लोकसभा से पंचायत तक एक–छत्रीय शासन चलाया। आपको देश में आम जनता की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर करने के लिए किसने रोका था? देश को खड़ा करने में क्या 60 साल कम पड़ते हैं? क्या जापान को कम समय लगा? इजरायल को कम समय लगा? मलेशिया को कम लगा? ताईवान को कम लगा? आप हमें बता दें कितने साल राह देखनी है ताकि हम अपनी कांस्टीटुएंसी में जाकर बता दें कि इतने साल मरते रहो, आपको 50 साल और मरना है, 100 रुपए लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा, इस तरह से देश कहां पहुंचेगा? स्थिति खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि महंगाई को रोका जाए।

इसके बाद मैं सर्विस टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष 1994 में सर्विस टैक्स आदरणीय मनमोहन जी की सरकार में शुरू किया गया, 5 परसेंट से लेकर आज 12 परसेंट है। जब टैक्स कलैक्शन करते हैं तो किस होशियारी से करते हैं। मेरे पास सारे डाटा हैं लेकिन मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं तब नहीं आ सका वरना मैं बजट से सारी बात कहता। टैक्स ज्यादा लेते हैं। पुराने जमाने में जजिया कर टैक्स जाता था, गत दस वर्षों के दौरान वर्ष 2003–04 तक, सेवा कर संग्रहण लगभग 7800 करोड़ रु. था। आज यह रकम 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सेवाकर के दायरे में सौ सेवाओं को शामिल किया गया है। एक उदाहरण दूंगा जो उचित लगे उसे रखिएगा, एक गरीब आदमी, हम या आप, अगर मकान किराए पर देगा तो उसका जो किराया आएगा उसे सर्विस टैक्स माना जाएगा। मैं यह जानकर चकित हूं कि मकान मालिक किराएदार को किस प्रकार की सेवा दे रहा हूं। क्या यह सेवा है? मकान किराए पर दे देंगे तो क्या वह सर्विस हो गई? उस पर 6 परसेंट टैक्स है। चारों तरफ से पैसा आता है, इतना पैसा लाकर अल्टीमेटली उस पैस का उपयोग कैसे करेंगे? मकान मालिक कार्पोरेशन का टैक्स तो भरना ही है और आपने एक और सर्विस टैक्स लगा दिया।

नॉन–प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, 70 परसेंट एक्सपेंडिचर तक धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 69 परसेंट था और इस बार आप 70 परसेंट के आसपास ले जाएंगे, यानी 30 परसेंट एक्सपेंडिचर विकास के लिए बचा। चिदम्बरम जी, अगर मेरी गलती हो तो

[अनुवाद]

एक अच्छा मित्र होने के नाते यदि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे सुधारें। कल, अहमदाबाद से देर रात को वापिस पहुंचने के पश्चात मैंने बजट भाषण पर नजर डाली। मैंने उसमें एक गलती पाई। पृष्ठ 21 पर पैरा 120 में, यह कहा गया है कि वर्ष 2007–08 में गैर–योजना व्यय के अन्तर्गत एस.बी.आई. शेयर के कुल अधिग्रहण की अनुमानित लागत 4,35,421 रु. रखी गई है। मेरे विचार से "करोड़" शब्द को यहां जोड़ा जाना चाहिए। क्या मैं सही हूं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : यह सही है।

श्री हरिन पाठक : यह एक वित्तीय प्रलेख है और वित्तीय प्रलेखों को उचित रूप से सुधारा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

ये 4 लाख, 35 हजार, 421 करोड़ होने चाहिए। इसमें इतने रुपये नहीं हो सकते। नॉन–प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ता चला जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि काफी बातें हैं। मंहगाई बढ़ी है, लेकिन, इसे रोकने के कोई उपाय नहीं हैं। नॉन–प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ता चला जा रहा है। आपने बजट के साथ हमें बुकलैट दी है, स्टेटमैन्ट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन। बजट दस्तावेजों के साथ हमें यह पुस्तिका भी वितरित की गई थी। आपने कितनी एग्जैम्पशंस दी हैं, उसके पेज नम्बर 37, टेबल 8 और 9 पर उनका उल्लेख है। आप देखें कि नौ नम्बर के टेबल में आपने करीबन 2,88,959 करोड़ रुपये के एग्जैम्पशंस दिये हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एग्जैम्पशंस किसे मिले, एग्जैम्पशंस कहां पहुंचे। जो दो लाख 88 हजार करोड़ रुपये के एग्जैम्पशंस दिये गये हैं, वे आम आदमी को कम मिले। कारपोरेट टैक्स में माफी 50 हजार 75 करोड़, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सैक्टर, जिसे आपको कुछ एग्जैम्पशन देना चाहिए था, उनकी 80 पी. की भी आपने कलम छीन ली और सहकारी बैंक, जो सहकारी उद्योग, आम गरीब आदमी, गांव के लोगों से जुड़े हैं, अब उन पर इंकम टैक्स लगेगा। यदि सहकारी बैंक थोड़ा बहुत भी प्रोफिट करेगा तो उस पर 33 परसैन्ट टैक्स लगेगा। इस तरह से सहकारी बैंक कैसे चलेंगे। ये बैंक छोटे–छोटे गांवो, छोटे–छोटे किसानों को, गृह उद्योग वालों और महिलाओं को ऋण देते हैं। सहकारी बैंक को एग्जैम्पशन जीरो, सीनियर सिटीजन्स 3,256 करोड़ महिलाओं को कर राहत 1712 करोड़ इनवैस्टमैन्ट पर कर लाभ 10,540, करोड़ कुल मिलाकर 13 हजार करोड़ हुआ। बाकी बचे 2 लाख 70 हजार करोड़ के जो एग्जैपशंस दिये हैं वे उन लोगों को दिये हैं, जिनके घरों में मर्सिडीज गाड़िया हैं, जो उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं। यहां मैं आपसे कहता हूं कि एक लाख दस हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख करिये तो आप हिचकिचाते हैं। यहां मैं कहता हूं कि महिलाओं को ज्यादा छूट दीजिए तो आप हिचकिचाते हैं। एक तरफ उद्योगों को 2 लाख 70 हजार करोड़ की इतनी सारी रियायतें दी जाती हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत ज्ञानी वित्त मंत्री जी इस पर सोचें। मैं वह आवाज उठाता हूं, जो आम जनता की

आवाज है कि जमीन से जुड़े हम लोग यहां बैठे हैं, आंकड़ों के मायाजाल में अधिकारियों के साथ बैठकर साठ सल तक हमने आंकड़ों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। मगर यह आंकड़ों का खिलवाड़ गरीब, आम जनता, किसान, मजदूरों को मार रहा है। अब हम सबके लिए समय आ गया है, आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, इतिहास पूछेगा कि साठ सालों में यदि जापान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, इजरायल खड़ा हो सकता है, बाकी के देश खड़े हो सकते हैं तो हिन्दुस्तान जैसा देश, जिसकी सौ करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, जिनके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, जो भी काम दो, किसान भी दिन–रात मेहनत, मजदूरी करने को तैयार है। हम उसे बिजली, पानी और खाद नहीं दे सकते। जब अनाज पैदा होता है तो वह बेचारा ट्रक में भर–भरकर अनाज दे देता है क्योंकि उसे सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलती है। इतिहास तो हमसे जवाब मांगेगा ही। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर करें। मैं फ्रिंज बैनीफिट्स की बात नहीं करूंगा। कभी अगली बार करूंगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो छोटी–छोटी कंपनीज हैं, मैं एक छोटा सा, उदाहरण देना चाहता हूं कि मुझसे अनेक लोग मिलने आते हैं। मैं नहीं जानता कि आप इसे कार्यान्वित कर रहे हैं अथवा नहीं। बजट तैयार करते समय, आप समाज के विभिन्न वर्गों से कुछेक विशेषज्ञों को बुलाते हैं। क्या आप कुछेक संसद सदस्यों को बुलाएंगे, जो इस प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक हैं? यह आवश्यक नहीं है कि वे जो कुछ भी बोलें अथवा जो कोई प्रस्ताव दे, उन्हें आप स्वीकार कर लें, पर चूंकि वे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग में कुछ बातें हैं, आपको थोड़ा–बहुत दिशा मिलेगी कि लोगों के दिमाग में क्या है तो पंजाब जैसा नहीं होगा, उत्तराखंड जैसा नहीं होगा और यू.पी. जैसा नहीं होगा। आपके ही लोग कहेंगे कि यह ठीक नहीं हो रहा है, इसे ठीक करिये। कैसे भी किया जाए। जैसा कि आपने सेवाकर की सीमा में पहले ही विस्तार करके उसे 4 लाख रु. से 8 लाख रु. कर दिया है, इनमें जो छोटी–छोटी कंपनीज होती हैं, वहां जो छोटे–छोटे व्यापारी होते हैं उसमें एक peon होता है उसे 1500 से 2000 रुपया देते हैं। एक क्लर्क भी 2000 रु.–2500 रु. देता है। हजार–पन्द्रह सौ टेलीफोन का बिल आता है, अब उस पर भी टैक्स लगेगा। मेरी मांग है कि एक लाख रुपये तक आपे उसमें से उसे थोड़ी राहत दें ताकि ये जो छोटे–छोटे लोग हैं, वे तो कम से कम इससे बच जाएं।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि आप इंकम टैक्स कोड ला रहे हैं। आपने ऐसा अपने बजट भाषण में कहा है। मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि 134 संशोधनों में से 84 संशोधन सिर्फ फाइनेंस बिल में हैं। यदि आयकर संहिता लाई जानी है, तो वित्त विधेयक में 84 संशोधनों की क्या आवश्यकता है? उनमें से अनेक न केवल पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं, बल्कि उनके दूरगामी परिणाम भी हैं। सोचिए, मै इन टैक्नीकल बातों में कम जाना चाहता हूं। मैं गरीब की आवाज उठाना चाहता हूं और यह हम सबका कर्तव्य है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। बहुत समय हो गया। 60 साल बीत गये हैं। संसद की, शासन की जिम्मेवारी है कि भारत का निर्माण करना चाहे तो हम करें। समय परिपक्व हो चुका है। अब हम ज्यादा लोगों को नहीं कह सकते कि आप राह देखिए। महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज आइटम्स के जो भाव बढ़ते हैं, उनको कैसे भी करके रोकिए। अगर आप कैसे भी करके इंकम टैक्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 150 प्रतिशत तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसे भी रोकिए। मैं लोंगों के बीच में घूमता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो लो पोलिंग होती है, उसके पीछे भी यह एक कारण है। लोक थक चुके हैं। हमारे सिस्टम के सामने प्रश्नचिन्ह कहीं खड़ा न हो जाए, यह संसद को देखने की जरूरत है। लोग राह देखते–देखते थक जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि देश में कोई ऐसी अनहोनी क्रांति न हो, उससे पहले उस गरीब को उसका अधिकार मिले। उसने जो पचास साल पहले संजोया है, बाप बेटे को सपना संजोकर जाता है कि बेटा, कोई बात नहीं, मेरे बाद जो सरकार आएगी, वह ठीक तरह से चलेगी। देश में खुशहाली होगी। मैं चाहता हूं कि इस पर सोचने का समय आ गया है।

अपराह्न 1.29 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुई)

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि पूरी स्थिति को देखते हुए एक लांग टर्म प्लानिंग देश में सिर्फ बजट के लिए नहीं, आंकड़ों के लिए नहीं मगर आने वाले समय में निश्चित समय मर्यादा में सरकार काम करें देश में खुशहाली हो और कोई भूखा न सो जाए। न किसानों को आत्महत्यायें करनी पड़े, न मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े। साथ ही साथ, वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है, उसका किस प्रकार से हल निकाला जाये ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगे, अगर युवा वर्ग को काम नहीं मिलेगा, तो वह नाराज हो जायेगा। मेरे सामने कई युवा सांसद बैठे हुये हैं। अगर इस देश में युवाओं को काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वित्त मंत्री जी, समय आ गया है, हम सब पर यह जिम्मेदारी आ गई है और आप उसकी धरोहर हैं, वित्त मंत्रालय को सरकार की आर्थिक नीति का धरोहर माना जाता है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि देश को एक सुनहरी दिशा में ले जायें। एक ऐसा सपना बनायें जिसमें हम सब एक हों और एक ऐसे भारत का निर्माण करें। काफी समय हो चुका है। अब देश में कोई भूखा न हो, बेरोजगार न हो, गरीबी के कारण फुटपाथ पर दम न तोड़ना पड़े, हम एक ऐसे समाज की व्यवस्था करें, जिसमें वित्त मंत्री के व्यक्तिगत रोल के नाते, वित्त मंत्री के नाते, सरकार के नाते उनका कर्तव्य है कि आने वाले दो–ढाई साल में बता दीजिए, पता नहीं आपकी सरकार चले या न चले, वह अलग बात है, लेकिन

[श्री हरिन पाठक]

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि आप गरीबों की समस्याओं का निराकरण करें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, जैसा हरिन जी ने पहले कहा, वैसे तो फाइनेंस बिल पर जब हम लोग बात करते हैं तो यह एक तकनीकी बिल है लेकिन इसके तकनीकी पहलुओं पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हरिन जी ने यह मौका लिया और अपने हिसाब से उन्होंने वित्तीय स्थिति, गरीबों की स्थिति और विकास की स्थिति को हमारे सामने रखा है और काफी विस्तार से अपने विचार प्रकट किये हैं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं जिनके लिये यह बहुत महत्वपूर्ण बिल होता है और विभागों के अपने सालभर के कार्य होते हैं, उनकी कार्यकारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसके लिये वित्त मंत्री धन का आबंटन करते हैं। उनके अपने कार्य पूरे साल के रहते हैं जो ज्यादातर इस वित्तीय बिल के आसपास जुड़े रहते हैं।

सभापति महोदया, हरिन जी ने बहुत सारी बातें कहीं, जिन पर मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इस बिल से संबंधित कुछ बातें मैं बाद में कहूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं जिनके लिये एक बात सराहनीय है कि पिछले तीन सालों से हम मानते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों को कर का ज्यादा भार उठाना पड़ा है। हम यह भी सोचते हैं कि कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति, जो छोटे कामगार हैं, छोटे उद्योग हैं, इससे प्रभावित हुये हैं। कभी-कभी इस कर प्रणाली को विस्तार से बनाया जाता है, जिसमें वे फंस जाते हैं लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री का अपने विभाग का जो कार्य रहा है, उसमें हर साल 20 से 30 प्रतिशत या इस साल 27 प्रतिशत ग्रॉस टैक्ट रेवेन्यू बढ़ा है, उन्होंने राज्यों को भरपूर पैसा दिया है, जिसके लिये मेरे ख्याल से सारा सदन और सब लोग उन्हें शुभकामनायें दें, उन्हें बधाई दें। जिस तरह राज्य सरकारों के सामने चुनौतियां हैं, जब पैसा आता है तो उनका खर्चा बढ़ता है और हरिन जी ने जिन क्षेत्रों के बारे में कहा, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं वहां पैसा आने की आवश्यकता है। यह बहुत बैलेंस का साइन होता है कि कहां हम पैसा घटाने की कोशिश करें। पैसा जनता से आता है और उनके लिये जो कानून हम लोग बनाते हैं, उन पर हम लोग टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं। उनके अलावा जो गरीब, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पर वित्त का भार न पड़े, ऐसा बैलेंस वित्त मंत्री जी पिछले तीन साल से करते आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिससे जरूर कुछ लगता है कि पिछले एक-दो साल से कहीं न कहीं यह भावना लग रही है कि करों का भार बढ़ा है, हम पर कुछ भार बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने अपने दस्तावेज में कहा है कि इफैक्टिव टैक्स रेट 19.2 प्रतिशत है, हरिन जी ने भी उन दस्तावेजों का हवाला देते हुये कहा है कि सरकार कंसैशन के रूप में 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये देती है, जो कंसैशन उन वर्गों की तरफ जा रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है, कई वर्षों से चली आ रही है। सरकारी दस्तावेजों को कोट यहां किया गया है। पिछले 50-60 सालों से ऐसा बहुत तरीकों से होता रहा है, जब इंडस्ट्रीज के लोग वित्त मंत्री के पास जाते हैं, वे अपनी व्यावहारिक स्थिति को उनके सामने रखते हैं कि कहां कहां हमें कंसैशन मिलें।

आज के दिन हम देख रहे हैं कि देश में जो प्रगतिशील वर्ग है, जो हमारे बड़े उद्योग हैं, वे एक धड़े से इस देश की बाकी सामान्य स्थिति से अलग हो गए हैं। इस देश में एक धड़ा ऐसा हो गया है, खासकर यहां के जो उद्योगपति और पैसे वाले लोग हैं, वे स्वतः ही अपने विकास में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बाकी देश की स्थिति से कट गए हैं। अच्छी बात है कि देश का एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग हो, जो साल दर साल अपनी प्रगति करता रहे, उनमें हमें टैक्सेज़ मिलते रहें और उनके साथ जितने ज्यादा हो सकें, देशवासी जुड़ते रहें। आज एक बहुत बड़ा वर्ग अपने में सक्षम हो चुका है, जो देश की बाकी स्थिति से अलग होकर, अपने विकास की राह पर चल रहा है। अब समय आ गया है कि देश की सरकार ने जिस तरीके से उन्हें संजोया था, जिस तरीके से उनका संरक्षण किया था, पिछले साठ सालों में उनकी मदद की थी, अब हम उससे अपने कदम पीछे खींचें। अगर अपने आप में वे स्वस्थ हो गए हैं, बालक बड़ा हो गया है, उस बालक को 2,70,000 करोड़ रुपये के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्कम टैक्स का इफैक्टिव रेट 33 प्रतिशत चार्ज करते हैं, तो उनके लिए 19-20 प्रतिशत करने की आवश्यकता अब नहीं है। वित्त मंत्री जी ने कुछ साल पहले कहा था कि प्रगतिशील देशों में या विकसित देशों में शायद इफैक्टिव रेट 24-25 प्रतिशत है। कोई कारण नहीं है कि अब हम उसे 19.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 से 25 प्रतिशत न करें। उसी की तरफ अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो ऐसे टैक्स जो वित्त मंत्री जी को लाने पड़ते हैं, वे नहीं लाने पड़ेंगे। हम जब भी सदन में उठते हैं तो कहीं न कहीं हमारा इशारा वित्त मंत्री जी की तरफ होता है, क्योंकि हम किसी न किसी क्षेत्र में हम उनसे धन की अपेक्षा करते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में ज्यादा निवेश की अपेक्षा करते हैं।

इसके साथ-साथ एक बात जो मैं अपने वक्तव्य के अंत में कहना चाहता था, हरिन भाई ने भी उस बारे में बात की, इसलिए अभी कहना चाहता हूं कि देश में जो एक जनमत बनता जा रहा है, मैं शहरी क्षेत्र से आता हूं, मुझे भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इनकम टैक्स की जो फ्लोर लिमिट बढ़ाकर 1,10,000 रुपये की गई है, उसमें धारणा

यह है कि वह नाममात्र के लिए की गई है। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी के हाथ बंधे हुए हैं। शायद आपके आंकड़े आपको दिखाते होंगे कि इस लिमिट को अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर सरकार के हाथों से अलग चला जाए। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से इतना निवेदन करूंगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक लाख रुपये की जो फ्लोर लिमिट है, उसे इनफ्लेशन रेट से बांध दीजिए। अगर पिछले तीन साल में इनफ्लेशसन रेट 100 रुपये था और आज 130 रुपये है तो कम से कम वह लिमिट अपने आप 1,00,000 रुपये की जगह 1,30,000 रुपये हो जाए। उसमें कोई विशेष काम आपने नहीं किया, जो यथास्थिति पहले थी, उसी स्थिति पर आज इनकम टैक्स में आप लोगों को रख रहे हैं। इससे एक मैसेज और सिगनल लोगों को जाएगा कि जितना भरसक प्रयास हो सकता है, उसे करने के लिए सरकार हमारे साथ इसमें लगी हुई है। आप लिमिट को कितना ले जा सकते हैं, इसे आप बेहतर जानते हैं। अगर सदन में कभी कभी हम लोगों को भी इस पर कॉनफिडैन्स में ले लें, इन आंकड़ों के बारे में बताते रहें, तो सदन का हर सदस्य आपके समर्थन के लिए आगे आएगा।

महोदया, वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में टैक्सेशन के जो प्रोविज़न दिये गये हैं, उसमें कइयों का स्वतः हम लोग स्वागत करते हैं। मैंने देखा है, बड़ी खूबी से आपने, चाहे डायरैक्ट टैक्स की बात हो या इनडायरैक्ट टैक्स की बात हो, बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग इसमें की है। दो–तीन इलाकों में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। आपने इर्रीगेशन फैसिलिटीज़ एंड प्रोसैसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में एक पैराग्राफ में कहा है और इसे 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम ड्रिप इर्रीगेशन में और एग्रीकल्चरल स्प्रिंक्लर्स में कोई ड्यूटी न रखी जाए। ड्रिप इर्रीगेशन का बहुत सकारात्मक असर पूरे देश में हुआ है। हमारे यहां बहुत सी जगहों पर, जहां किसान इसे इस्तेमाल करने लगा है, बहुत अच्छी प्रगति उसे अपने खेतों में देखने को मिली है। हिन्दुस्ता में आज फ्लोरीकल्चर में जो क्रांति आई है, विशेषकर दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो क्रांति आई है, उसका सीधा संबंध ड्रिप इर्रीगेशन से रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ी बात होगी अगर हम पूरा कंसैशन इन लोगों को दे दें और उससे पांच प्रतिशत भी बच जाता है तो वह बहुत बड़ी मदद होगी।

महोदया, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में एक महीने पहले इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, आणंद में प्रो. तुषार शाह और प्रो. फंसालकर ने मिलकर एक अध्ययन किया है। प्रो. तुषार शाह जाने माने वैज्ञानिक हैं और पानी के क्षेत्र में जाने–पहचाने व्यक्ति हैं। उन्होंने मध्य भारत के खासकर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सैमी–एरिड इलाकों में बड़ा गहन अध्ययन किया है। उस अध्ययन में उन्होंने कहा है कि आज जो हम प्राइसेस बार–बार बढ़ती हुई देख रहे हैं, उसका कारण है कि किसान लोग, किसानी से हटते जा रहे हैं। इसके साथ–साथ कहीं–कहीं उत्पादन भी कम हो रहा है। इस अध्ययन में उन्होंने दो–तीन चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि इर्रीगेशन में जो इनपुट्स हैं, उनके प्राइसेस पिछले दो–तीन सालों में इतने बढ़ गए हैं कि किसान, किसानी छोड़ते जा रहे हैं। इसमें डीजल ने भी इतना बड़ा रोल प्ले किया है कि किसान स्वतः इर्रीगेशन से अपने हाथ पीछे खींचते चले जा रहे हैं। इस अध्ययन ने तो बड़ी भयानक स्थिति पेश की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आज जो व्हीट की, राइस की और पल्सेस की पैदावार हो रही है, आने वाले दिनों में शायद इससे भी पैदावार कम हो और आज जो हम अरहर की दाल 35–40 रुपए किलो और चले की दाल 40–45 रुपए किलो खरीद रहे हैं वह और महंगी खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह मैं मानता हूं कि इसके पीछे इन चीजों का कम उत्पादन होना भी है, लेकिन इन विशेषज्ञों की बात अगर हम मानें, तो आने वाले समय में और उत्पादन कम होगा। इसलिए जिन छोटी–छोटी चीजों से किसानों के ऊपर भार पड़ रहा है, अगर हम वह भार कम करते चले जाएं, तो किसान की थोड़ी मदद कर सकते हैं और इस प्रकार उनका उत्पादन बढ़ सकता है।

वित्त मंत्री जी, आपने रिसर्च एंड डैवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपने इसमें लिखा भी है कि जो स्पेसीफाइड मशीनरी है, उस पर साढ़े सात की बजाय पांच प्रतिशत के हिसाब से कर लेगें। मैं यहां एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरा यह सुझाव कितना कारगर होगा। आज से तीन–चार दिन पहले इसी सदन में जब साइंस एंड टैक्नोलौजी विभाग पर चर्चा हो रही थी, तब साइंस एंड टैक्नोलोजी मंत्री ने बड़े हताश होकर कहा कि इस देश में आर. एंड डी. में जब लोग पैसा ही नहीं लगा रहे हैं, तो देश के आर. एंड डी. में यही हाल होगा। सरकार की अपनी एक लिमिट है कि सरकार उसमें कितना लगाए। वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आर. एंड डी. पर इस देश में पैसा खर्च करना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे साइंस एण्ड टैक्नोलोज के मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा प्राइवेट सैक्टर है। उन्होंने कहा कि जितना आर, एंड डी. में भारत की सरकार खर्च करती है उतना ही पैसा अमरीका की सरकार भी करती है। विकसित देश भी उतना ही खर्च कर रहे हैं, जितना भारत सरकार। भारत सरकार जी.डी.पी. का 0.6 परसेंट आर. एंड डी. पर खर्च करती है। अमरीका भी इसमें इतना खर्च करता है। वे हम से कहां स्कोर करते हैं, वह मैं बताता हूं। वहां प्राइवेट सैक्टर के लोग आर. एंड डी. में ज्यादा खर्च करते हैं जबकि हमारे यहां प्राइवेट सैक्टर के उद्योग बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी यह कहना है कि आपके विभाग को

[श्री सन्दीप दीक्षित]

बहुत जानकारी है। देश में बड़े–बड़े उद्योग प्राइवेट सैक्टर में चल रहे हैं, आप उनकी फायनेंशियल टर्नओवर की लिमिट ले सकते हैं। सब्जैक्ट्स ले सकते हैं, चाहे स्टील का हो चाहे कोई और हो, हमारे देश में आर. एंड डी. पर पैसा खर्च करना आवश्यक है। आप सीधे तौर पर कहिए कि वे अपने टर्न–ओवर का इतने प्रतिशत आर. एंड डी. पर खर्च करें। जब वे ऐसा करेंगे, तभी उन्हें कंसेशन्स भारत सरकार देगी और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो भारत सरकार उन उद्योगों को एक भी कंसेशन नहीं देगी। इस प्रकार यदि आप उन्हें फोर्स करेंगे, तो वे कहीं न कहीं आर. एंड डी. में पैसा लगाएंगे। यदि हमारी कंपनियां आर. एंड डी. में पैसा लगाएंगी, तो सीधे–सीधे हमारी साइंस एंड टैक्नोलोजी में फर्क पड़ेगा। हमारे अनुकूल रिसर्च टैक्नोलोजी बनेगी। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में, जो आज हम हर चीज बाहर से ला रहे हैं, वैसी आवश्यकता न रहे। हो सकता है कि तब हम यहां से भी चीजें बाहर भेजने में सक्षम हो जाएं।

मैंने देखा है कि आपने बहुत सी जगह छोटी–छोटी चीजों पर टैक्सेशन में बहुत सकारात्मक बैनीफिट दिया है। आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में दिया है, आपने बिस्कुट बनाने वाले उद्योगों में दिया है, आपने प्लाईवुड बनाने वाले उद्योगों को और बायोडीजल पर बैनीफिट दिया है। एक जगह जरूर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, हालांकि वह बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि मैं सदन में बोल रहा हूं, इसलिए उसे बता देने में मैं कोई हर्ज भी नहीं मानता हूं कि आपको टोबैको वाले पान मसाले पर जितना टैक्स था, 66 परसेंट उतना ही रखा है, लेकिन नॉन–टोबैको वाले पान मसाले पर टैक्स गिराकर 45 प्रतिशत कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपको कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए। मैं भी कभी जब जरूरत पड़ती है, तो इधर–उधर से, अपने पड़ोस से लेकर पान मसाला लेकर खा लेता हूं, लेकिन ये ऐसी आदतें हैं, जिन्हें छोड़ना चाहिए। इसलिए इस पर आपको जितना चाहें, टैक्स लगा दें। हिन्दुस्तान में एक–एक रुपए का पाउच बिकता है, उसे चाहे आप पांच रुपए का कर दें, लेकिन पान मसाला जैसी गलत आदत छुड़ाने के लिए आप टैक्स जितना चाहें, लगा दें। अगर एक रुपए का पाउच पांच रुपए का भी हो जाएगा, तो आप पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें छोटे–छोटे उद्योग बन गए हैं, उनसे जितना धन इकट्ठा करना चाहें, आप करें, लेकिन हमारी ओर से यह सिगनल नहीं जाना चाहिए कि पान मसाले के उद्योग को हम कहीं भी मदद कर रहे हैं।

महोदया, डायरैक्ट टैक्सेस के बारे में जितनी भी बातें इन फायनेंस बिल में कही गई हैं, उनके बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया कि जितना आप चाहें इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, चाहे इन्फ्लेशन से उसे लिंक कर लें, चाहे जी.डी.पी. से लिंक कर दें, चाहे किसी अन्य चीज से, हर साल अगर आप थोड़ी–बहुत लिमिट बढ़ाते चले जाएंगे, तो कहीं न कहीं लोगों को लगेगा कि नहीं हमारे घर की बात को भी, वित्त मंत्री जी कहीं न कहीं देख रहे हैं। मैं एक–दो बातें और कहना चाहता हूं। जो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है, वह अपने में कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने में कुछ नहीं है। आपने पिछली बार कुछ आंकड़े भी दिये थे कि बहुत कम पैसा इसमें इकट्ठा होता है। आपने यह बात भी कही कि इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है, वहा ऐसा है कि घांधली या ऐसा कालाधन, जो कभी–कभी इसके द्वारा होता है, उससे आप सीधे–सीधे लिंक बनाते चले जाएंगे। आपने यह भी बताया है कि आपके विभाग ने बड़ी खूबी से बहुत से ऐसे छोटे–छोटे धंधे पकड़े हैं, जहां पैसे की गड़बड़ी हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको इन फैक्ट हमेशा रखिये, इसको मत हटाइये, केवल यह बात है कि अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो अगले साल इसे वापस कर दीजिए। इसे रखिए, इसमें अगर कम से कम ट्रेस होता है तो ट्रेस हो जाये, अगले साल कम से कम वह पैसा वापस कर दीजिए। मेरा यह कहना है कि इस टैक्स को रहना चाहिए, इस टैक्स के रहने से लोगों के ऊपर हमेशा एक सवाल बना रहेगा, एक अंकुश बना रहेगा, नहीं होता तो इसको वापस कर दिया करिये कि कोई आवश्यकता नहीं है। आपने यह भी कहा है कि अब आपके पास इससे कारगर चीजें आ गई हैं कि अगले साल इसको पूरा ही हटा सकें, अगर पूरा ही हटा सकें, और चीजों में आप इसको गिना सकते हैं, तब मैं आपका पूरा का पूरा स्वागत करूंगा।

2–3 और चीजें हैं। आपने इंकम टैक्स में जो हमारे सीनियर सिटीजंस हैं, उनको 1.85 लाख रुपये तक का कन्सेशन दिया है। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजंस होते हैं, खासकर जिनके घर में सिर्फ दो लड़कियां हैं या जिनके पास लड़का नहीं है, जिनका जीवन और भी दूभर हो जाता है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि क्या आप इस बात को कन्सीडर कर सकते हैं कि जिनके परिवार में केवल बेटियां हैं, उन सीनियर सिटीजंस को आप टोटली इन्कम टैक्स में एक स्तर तक माफ कर दीजिए। हमारे यहां एक धारणा है कि भविष्य में जब हम सोचते हैं कि हमारे बाल सफेद हो जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में जिनका एक बेटा हो, वित्त मंत्री जी, कम से कम उन सीनियर सिटीजंस को आप इसमें छूट दीजिए। मेरी कांस्टीट्वेंसी में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनका सिर्फ एक बेटा है या दो बेटियां हैं। उनको जब पांच, सात या दस हजार रुपये इंकम टैक्स देना पड़ता है तो कहीं न कहीं उन माताओं को, पिताओं को दिक्कत होती है। इसलिए इसमें आप सीधे–सीधे कन्सेशन दीजिए। इससे आपको लोगों का इतना परोपकार मिलेगा कि आप इसका विश्वास नहीं करेंगे।

एक और चीज है। हमारे यहां अभी भी एनवार्यमेंट से संबंधित कोई टैक्स नहीं है। अब यह टैक्स कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यह तो पेचीदा बात है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो राज्य अपनी मेहनत करे इस देश के वातावरण को अभी भी

संभाल रहे हैं। दूसरी ओर हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे जंगल सपाट कर दिये हैं। हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी नदिया बर्बाद कर दी हैं, हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे पहाड़ नंगे कर दिये हैं, वहां एक पेड़ भी नहीं बचा है, घास का एक तिनका तक नहीं मिलता। हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं, जो बार–बार भारत सरकार के कहने के, विशेषज्ञों के कहने के भी जिन्होंने अपने ग्राउंड वाटर को इतना निकाला है, इतना उसका दोहन करते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में भीषण जल संकट आने वाला है। ऐसे राज्यों पर, ऐसे इलाकों पर या ऐसी इंडस्ट्रीज पर किसी भी तरीके का अंकुश हम लोग नहीं लगा पाते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज में इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतनी गैसें निकल रही हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर पाते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम कोई रोल बैक करने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम आप जो रिसोर्सेज़ राज्यों को बांटते हैं, आप जो टैक्स कलैक्शन करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि यह आपके फाइनेंशियल बिल का हिस्सा हो सकता है या नहीं, वित्त मंत्री जी, लेकिन कहीं न कहीं उन राज्यों को, जिन्होंने देश के वातावरण का संरक्षण, और राज्यों के बनिस्बत कहीं न कहीं उन इलाकों के जो देश के वातावरण का संरक्षण और इलाकों से ज्यादा दिया है, और इलाकों से ज्यादा हैं, उन्हें हमें फिस्कल बैनीफिट अवश्य देना चाहिए और उन राज्यों को या उन इलाकों को पनिश करना चाहिए।

बहुत कम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वन हैं, हिन्दुस्तान की सात बड़ी नदियों का जो पानी आता है, वह मध्य प्रदेश के वनों से आता है। अगर मध्य प्रदेश अपने वनों को काट दे तो हिन्दुस्तान की सात बड़ी नदियां पानीविहीन हो जाएंगी। उस राज्य का बहुत सा हिस्सा इन्हीं जंगलों में पड़ा रहता है। उन्हीं जंगलों को अगर मध्य प्रदेश काट दे और जोर से काटने लगे तो टिम्बर में उसे पैसा मिलेगा और जो नई जमीन में उसकी कृषि का उत्पादन होगा, उससे उसको अभूतपूर्व पैसा मिलेगा। मैं चूंकि मध्य प्रदेश की थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। बहुत से राज्यों में ऐसी बात है तो इसको करने के लिए कि मध्य प्रदेश अपने वन को संरक्षित रखे या अरूणाचल प्रदेश अपने वन को संरक्षित रखे या पूर्वोत्तर के और राज्य हैं, जो अपने वनों को संरक्षित रखें, क्या हम उन राज्यों से, जिन्होंने अपने वनों का संरक्षण नहीं किया है, जिन्होंने अपनी नदियों का या भूजल का उस तरह से दोहन किया है, जो और राज्यों ने नहीं किया है, जिनके यहां इस तरह की फैक्टरियां बेतहाशा लग रही हैं कि वे दिन–प्रतिदिन पूरी हवा में ऐसी–ऐसी प्रदूषण की चीजें फैला रही हैं, जो आपकी और हमारी जिन्दगी को और आने वाले बच्चों का जीवन खतरनाक कर सकती हैं, आप इसके लिए कहीं न कहीं इंसेंटिव्स, फाइनेंस बिल या अलोकेशन आफ फंड्स द्वारा करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि कुछ लीक से हटकर काम करने की आवश्यकता है। मैं इन बातों के बाद, अपनी बात का अंत करूंगा, लेकिन हरीन जी की कुछ बातों से भी अपनी बात जोड़ूंगा। हरिन जी, शुरू में आपने देश की परिस्थितियों पर टिप्पणी की। हम लोग क्या कर सकते हैं? आप हमसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ है, इसलिए इस बारे में आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जिन देशों का उदाहरण आपने दिया, चाहे जापान या साउथ–ईस्ट एशिया के देशों का उदाहरण आपने दिया हो, जो कदम उन देशों की सरकारों ने पिछली सदी के शुरूआत में लिए, जो उन्होंने रिफार्म्स लिए, जो कड़े कदम उन्होंने उठाए, उनमें से कुछ न कुछ कड़े कदम आप और हम सब को उठाने पड़ेंगे। क्या कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें साफ–साफ रूप से पता रहता है कि हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, इसमें चाहे उधर के बैठे हुए लोग हों या इधर के बैठे हुए लोग हों, मैं तो बहुज जूनियर हूं, हमारे नेतृत्व के ऊपर यह बात निर्भर करती है, अगर वे लोग मिलकर नहीं तय करेंगे कुछ ऐसे क्षेत्रों पर, जैसे पानी के संरक्षण की बात बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा में कितना पैसा जाना चाहिए, वह बहुत महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर में हम क्या करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली की समस्या पर हम लोग क्या करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों पर सदन मिलकर कुछ कदम तय कर लेता है, तो जरूर हम उस कदम पर आगे बढ़ सकेंगे।

वित्त मंत्री जी, मेरे पास आपके प्रपोजल्स पर कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से यह फाइनेंस बिल अपने में अच्छा फाइनेंस बिल है। जिस तरीके से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जितना हम आपसे धन मांगते हैं, आज शायद आपकी ऐसी सरकार है, जो आलमोस्ट हर जगह धन की जरूरत को पूरा करती है। फाइनेंस बिल यदि आम–आदमी पढ़े, तो उसे यह इतना पेचीदा लगता है कि इसे समझने में भी दिक्कत होती है। वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कभी न कभी इसे सरल रूप से भी हमें समझा सकें, तो ज्यादा अच्छा होगा। वित्त मंत्री जी, आपको, आपके संपूर्ण विभाग को, हर व्यक्ति को जो देश के कोन–कोने में जाकर इस देश की सरकार को चलाने के लिए, उसके कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए धन इकट्ठा करता है, उसे मैं सभापति महोदया और सदन के माध्यम से बहुत–बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : सभापति महोदया, सरकार के साथ समस्या यह है कि वह जनता के प्रति प्रतिबद्धता जताती है और उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के समय वह उन चीजों को पूरी तरह से

[श्री रूपचंद पाल]

भूल जाती है जिनके बारे में उसने जनता के साथ प्रतिबद्धता जताई है और उसे उन सबके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमने पाया है कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान, आप जानते हैं कि किस तरह जनता ने "इंडिया शाइनिंग" के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसके कारण आप यहां हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हम वापिस आने की योजना बना रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल : इस सरकार की विकास की कहानी बड़ी तेजी से अपनी चमक खो रही है। सरकार को इससे सबक ले ही लेना चाहिए। यहां तक कि एक केन्द्रीय मंत्री, एक जाने–माने कांग्रेसी नेता सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि 9 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर की स्थिति में, आम लोगों के पास 0.2 प्रतिशत से भी कम पहुंच रहा है। वे अभी भी केन्द्रीय मंत्री हैं, जो इस प्रकार सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति का नाम लिया जाना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने भी, कई अवसरों पर, कहा कि सरकार को विकास के बारे में इस सनसनीखेज प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि उन्हें मानव विकास सूचकांक पर नजर डालनी चाहिए। 174 देशों में से हमारा स्थान 127वां है। स्वास्थ्य और अन्य चीजों, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि जैसे कतिपय दृष्टिकोणों से कुछ छोटे देशों, पड़ोसी देशों का स्थान भी हमसे कहीं ऊपर है।

इसलिए, सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इसमें हम पिछड़ रहे हैं। वस्तुतः, इस तथाकथित सफलता की कहानी और विकास में अरबपति भी हैं। भारतीय अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। प्रतिशत के रूप में, यह विश्व औसत से ज्यादा है। फोर्ब्स सूची में प्रत्येक वर्ष नए नाम उभर रहे हैं। यह वास्तविक धन संपत्ति नहीं है। यह नाममात्र की धन संपत्ति है। यह मूलतः, पूंजी बाजार में हेरफेर का परिणाम है।

सुधार प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् अनेक घोटाले प्रकाश में आए हैं यानि कि हर्षद मेहता के दिनों से, केतन पारिख के जरिए; आई पी ओ घोटाला के माध्यम से, और यहां तक कि आज भी कई कहानियां प्रकाश में आ रही हैं। इस सरकार से एक मांग भी की गई थी। यदि ऐसा है, और संपूर्ण पूंजी बाजार में पारदर्शिता लाने को सरकार इतनी उत्सुक है तो शेयर बाजार को आर टी आई अधिनियम की समीक्षा के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता।

सरकार भ्रमित है। सरकार कुछ कहती है और विनियामक कुछ कहते हैं; तथा सरकारी प्राधिकारी की संकल्पना में भ्रम है। यह भ्रम नहीं है परन्तु विशेष आर्थिक जोन के मामले में रियायतों तथा कई अन्य आर्थिक नीतियों के मामले में निरंतर अंतर्विरोध है। एक मंत्री कुछ कहत हैं और उसके तुरंत बाद दूसरे मंत्री कुछ और कहते हैं मैं अद्यतन उदाहरण दूंगा। जो कि दी जा रही निर्यात संबंधी रियायतों के संबंध में हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय कहता है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वाणिज्य मंत्रालय सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि हम यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सहमति से कर रहे हैं। ऐसा एस ई जेड में राजस्व रियायतों के संबंध में हो रहा है। मेरे पास इसके ब्यौरे में जाने का समय नहीं है क्योंकि सरकार इसके बारे में जानती है; लोग इसके बारे में जानते हैं; तथा इस सभा के विभिन्न वर्ग इसके बारे में जानते हैं।

मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दूंगा। मुझे वास्तव में इस बात की चिंता है कि रियायतों के बारे में माननीय वित्त मंत्री के अच्छे इरादों के बारे में राजनैतिक तथा अन्य बाधाएं हो सकती हैं जिनके संबंध में निरंतर टिप्पणी करते रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की है और वह रियायतों के मुद्दे को परामर्शदात्री समिति के सामने भी लाए।

राजा चेल्लया समिति, केलकर समिति, पार्थसारथी शोम समिति ने सिफारिश की है कि रियायतों के माध्यम से आधे राजस्व का नुकसान होता है। शायद एक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक क्षेत्र; पिछड़े क्षेत्रों, असमान विकास वाले देश में कई अन्य मुद्दों, पिछड़ेपन तथा कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों; और कई अन्य बातों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे देश में कई अन्य बातों पर ध्यान देने के लिए कुछ रियायतें जरूरी हैं। ऐसे परिदृश्य में कतिपय रियायतों की आवश्यकता हो सकती है परन्तु इन सबमें समानता का भाव होना चाहिए तथा पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए।

राजा चेल्लया समिति, केलकर समिति, पार्थसारथी समिति की सिफारिशों से यह पता चलता है कि सरकार ठोस कदम उठाने के बजाय राजनीति कर रही है। हालांकि वह यह कह रही है कि रियायतों से आधे राजस्व का नुकसान होता है फिर भी जब कार्पोरेट क्षेत्र ने मांग की कि उन पर अधिक कर लगाया जाता है तो मंत्री जी ने कहा: "आप पर कम कर लगाया गया है क्योंकि आपके कर की प्रभावी दर लगभग 19 प्रतिशत है।" यदि आप इसमें से रियायत कम कर दें तो यह लगभग 13 प्रतिशत भी नहीं रह जाएगा। यदि आप बेल्जियम या कुछ अन्य देशों के साथ तुलना करें तो यह 28 प्रतिशत या 25 प्रतिशत से अधिक है।

मंत्री जी यह कह रहे हैं कि इन रियायतों से हमें राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। उनके यह कहने पर भी वाणिज्य मंत्रालय निर्यात के लिए रियायतों की घोषणा कर रहा है और वह भी उनके लिए जिन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वित्त मंत्री जी यह कह रहे

हैं कि एस ई जेड में विकासकर्ताओं तथा उन लोगों को जिन्हें रियायतों की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से उन्हें जो राजस्व का लाभ उठाने के लिए अपनी विद्यमान इकाइयों को एस ई जेड में स्थानांतरित करेंगे, को दी जा रही अनुचित रियायतों के कारण हमें एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। कम से कम इस मुद्दे पर मैं वित्त मंत्री का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.00 बजे

यह केवल राजस्व के नुकसान का मामला नहीं है। यह समानता का भी मामला है। राजनैतिक लाभ के लिए अवांछित रियायतों को जारी रखने की बजाय सरकार को इस मुद्दे पर यथाशीघ्र ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। मैं समानता का एक उदाहरण देता हूं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

उत्तर बंगाल हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा है जिसकी भौगोलिक विशेषताएं हिमालय के समान ही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ रियायतें मिल रही हैं; सिक्किम, उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश से लेकन हिमालयी श्रृंखला वाले सभी राज्यों को रियायतें मिल रही हैं। कुछ सनसेट क्लाज़ लागू नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार कहती रही है कि ये उद्योग आ रहे हैं; पश्चिम बंगाल में उद्योगों में उत्साह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बड़े नाम हैं। सरकारी नीति, माहौल तथा अन्य सभी बातों पर विचार करते हुए वे उत्तर बंगाल में निवेश करना चाहते हैं। परंतु ये राज्य उन्हें यह कहकर अपने यहां आकर्षित कर रहे हैं कि यदि आप हमारे राज्यों में आते हैं तो आपको ये सभी केन्द्रीय रियायतें आदि मिलेंगी। क्या यह समानता है? यहां भी वही लोग हैं, कभी–कभी वही जातीय समूह हैं। कई मांगें की जा रही हैं और हम उन्हें पूरा करते हैं। हम इस बात का समर्थन नहीं कर रहे कि किसी भी प्रकार की अवांछित रियायत को जारी रखा जाए। आप इसे समाप्त करें, कम से कम कुछ समानता लाएं, ताकि उस क्षेत्र, जहां पर भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय तथा अन्य तरह की समान विशेषताएं हैं, वहां के लोग यह महसूस करें कि संप्रग सरकार पिछली सरकार से अलग है जैसा कि उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वचनबद्धता दी थी।

सरकार का पुराना दृष्टिकोण इस वित्त विधेयक में भी प्रतिबिंबित होता है। जिसे एन डी ए सरकार ने भी जारी रखा था। मैं संसाधन जुटाने के बारे में बोल रहा हूं। सरकार समुचित कर, टैक्स प्रणाली में स्थिरता और बेहतर अनुपालना की बात करती है। मैंने बार–बार यह कहा है कि भारत की जनता की मानसिकता अलग तरह की है। यदि आप उन्हें रियायतें भी दें तो वे कर से कर बचने का कर अपवंचन के लिए इसमें खामियां तलाशेंगे। मैं पुराने प्रश्न पर आता हूं। मैंने बार–बार कहा है और माननीय वित्त मंत्री भी इस बात से सहमत हैं जी हां, यह सच है। मैंने कई बार यह प्रश्न पूछा है – इस देश के कितने लोग अरबपति हैं? फोर्ब लिस्ट में यह संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आयकर विवरणी में यह घोषणा करते हैं कि उनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है? पहले एक समय इनकी संख्या 90,000 थी। अब यह बढ़ गयी है। मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि केवल दक्षिण दिल्ली और आस पास के क्षेत्रों में ही हमें 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले लोग मिलते हैं। ऐसा कर अपवंचन तथा कमियों के कारण है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। समाचार पत्रों में अचानक आपको एक हसन अली के बारे में पता चलता है, जो कि घोड़ों की खरीद फरोख्त का व्यापार करता है। यहां तक कि प्रिंट मीडिया में यह प्रकाशित होता है कि उसका कारोबार 35,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? संकेत दिया गया है कि इसमें बड़े लोग शामिल हो सकते हैं परन्तु कुछ नहीं हुआ। रियायतों, कम कर दर, उनके लिए आवश्यक रियायतें देने के बाद भी काफी कर अपवंचन हो रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो हम सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत का इस्तेमाल शिक्षा पर कैसे कर पाएंगे जबकि हमारी जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा आज भी निरक्षरता के अंधकार में है?

हम जनस्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत संसाधन कहां से लाएंगे जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश के आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और हमारी 50 प्रतिशत महिलाएं प्रसव के समय काल का ग्रास बन जाती हैं। इस मामले में हमारे कुछ छोटे पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर हैं। ऐसी स्थिति में सरकार यह कहती है कि संसाधनों की कमी है। परन्तु हमने इसके बारे में सुझाव दिया था।

पूंजी बाजार 13,000–14,000 का आंकड़ा पार कर रहा है; इस पर छोटी घटनाओं का भी असर हो रहा है, और इसमें उतार–चढ़ाव आ रहा है। यदि बैंकिंग क्षेत्र का कोई अधिकारी कुछ कहता है तो यह बढ़ जाता है; यदि कहीं कोई चुनाव हो रहा है और कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वन्दी से आगे है, तो यह गिर जाता है। यह क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि जब संप्रग सरकार सत्ता में आई तो पूंजी बाजार में ही श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। हेराफेरी हो रही है और हमने मांग की है कि हेराफेरी की जांच की जानी चाहिए। ये सट्टेबाजी नहीं है।

कल भी एक खबर थी कि आई पी ओ के संबंध में छह व्यापारी हेराफेरी कर रहे थे। आज उन्होंने इसे विनियमित किया और कहा कि पहले दिन से ही वे फिल्टरों की व्यवस्था करेंगे और 2–3 दिनों की अनुमति दी जाएगी। हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। पूंजी बाजार तबाही मचा रहे हैं।

[श्री रूपचंद पाल]

भागीदारी नोट पर प्रशासन अथवा स्थापना का एक वर्ग यह कहता है कि यह जाली है। सरकार यह कहती है कि इसमें भागीदारी नोट की भूमिका है। केतन पारिख घोटाले पर पिछली जे पी सी ने विशेष रूप से यह सिफारिश की कि मारीशस के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए संधि की जाए। मारीशस एक छोटा देश है, हमारे सभी निवेश – एक आई आई – केवल मारीशस के माध्यम से आ रहे हैं। सरकार का उत्तर अब तक मेरे पास है उसने कुछ नहीं किया है।

सरकार कहती है कि इसने इस मुद्दे को मॉरीशस सरकार के साथ उठाया था और मॉरीशस सरकार कहती है कि उसके पास प्राधिकार नहीं है। कोई चेयरमैन–जज अथवा कस्टोडियन–जज है और सरकार को बैंकिंग संव्यवहार में किसी के द्वारा बरती गई किसी अनियमितता का पता लगाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा।

सरकार दोहरे कराधान के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर विचार कर रही है। हम मजबूर हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में अंतिम वाक्य में यह लिखा कि चूंकि मॉरीशस सरकार ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है इसलिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मॉरीशस सरकार समझौते की प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से सम्मान नहीं कर रही है – यदि परिभाषा के संबंध में समझौते के बाद नए उपाय किए जाते हैं कि किस को हस्तक्षेप करना चाहिए और किसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आदि तो हम इस समझौते को रद्द क्यों न कर दें?

आयकर विभाग ने इस समय सही कदम उठाए हैं। परंतु आज तक हम यह पाते हैं कि पूंजी बाजार का वास्तव में हमारी अमूल्य राष्ट्रीय बचत को लूटने के लिए उपयोग किया जा रहा है। छोटे निवेशक डरे हुए हैं। जब हम यह सुझाव देते हैं कि प्रतिभूति संव्यवहार कर को उच्चतर स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए तो सरकार हिचकिचाती है। जब हम यह कहते हैं कि इसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर लागू करना चाहिए तो सरकार हिचकिचाती है जैसे आसमान गिर पड़ेगा। हम समझते हैं कि सरकार के भीतर भी भागीदारी नोट पूंजी बाजार कार्यों और अनेक अन्य बातों के संबंध में मतभेद हैं, यह सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों से अलग व्यवहार नहीं कर रही है। उसने वादा किया था कि उसके उपाय अधिक जन–हितैषी होंगे और वह उनकी आवश्यकताओं के बारे में अधिक सजग होगी।

अब मैं राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थव्यवस्था परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमी) के हाल के प्रकाशन पर आता हूं। इन्होंने ग्रामीण अवसंरचना पर बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें भयावह तस्वीर प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थव्यवस्था परिषद जैसी एजेंसी कहती है कि हमारे देश की जनसंख्या के दसवें हिस्से से भी कम व्यक्तियों को ही संचार की सुविधा प्राप्त है। सरकार ने सड़क संपर्क, शेल्टर, दूरसंचार और सब के बारे में आंकड़े दिए हैं। ये सारे आंकड़े वाम दल द्वारा नहीं दिए गए हैं जिनके बारे में वे यह कहते हैं कि इनकी सरकार की आलोचना करने की आदत है। हमें सरकार की आलोचना करने की आदत नहीं है। हम सदैव आपकी सहायता करने का प्रयास करते रहे हैं जिससे कि आप जनता के लिए अच्छा कार्य करें। यदि आप इससे सबक नहीं लेते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी होगी।

ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से आप संसाधन जुटा सकते हैं अथवा खामियों को दूर कर सकते हैं। हम यह सुझाव देते रहे हैं कि जो भुगतान कर सकते हैं उन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हम यह तो देखते हैं कि कारपोरेट क्षेत्र का लक्ष्य उनसे काफी कम है जो भुगतान करते हैं। वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 में कुल कर राजस्व में 17.1 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है। कारपोरेट क्षेत्र राजस्व में केवल 14.9 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है जबकि कारपोरेट कर को छोड़कर आयकर में 19.7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। क्यों? *...(व्यवधान)* मेरे विचार से यह अन्यायपूर्ण है।

कुछ पूर्व वक्ताओं द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः असफल है अथवा मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, यह सरकार की जिम्मेदारी है, वह मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं रही है। उसने हमारे द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को सुना है। उदाहरण के लिए, कमोडिटी फ्यूचर के संबंध में, अगले दिन उड़द दाल के मूल्य कम हो गए। इसी प्रकार, पेट्रोलियम के संबंध में, मूल्यानुसार उत्पादशुल्क को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। इससे सहायता मिली है। हमने अन्य बातों से सुझाव दिए थे। अतः, मौजूदा मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में आम आदमी कष्ट में है अथवा विपत्ति में है, वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही रियायत आशा से बहुत कम है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कम से कम 2 लाख रुपए और महिलाओं के मामले में यह 1,75,000 रुपए होनी चाहिए।

हम टाउनशिप के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से मिले। इस्पात और अन्य टाउनशिप में नियोक्ता कर्मचारियों को आवास अवश्य उपलब्ध कराएं। अब, क्या हुआ है? एक सरकार एक संशोधन करके यह प्रयास कर रही है कि मूल्य को ध्यान में रखना होगा। यह भारी बोझ है। यह कल्याणकारी उपाय है और यह उद्योग के हित में किया गया है। वे उद्योग के हित में आवास उपलब्ध कराएं। आवास सुविधा पर ऐसे राजस्व शुल्क को तुरंत हटाया जाना चाहिए। हमने माननीय

वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि आप इस संबंध में कुछ करेंगे।

पालतु पशुओं के आहार (पेट फूड) के मुद्दे पर बहुत समय व्यय किया जा चुका है। वास्तव में, कुछ बजटों के अपने संदेश होते हैं और इस बजट में भी ऐसा ही है। पेट फूड के आयात पर सीमा शुल्क में कमी इस सरकार की मानसिकता का प्रतिबिंब है। मेरे विचार से यह पूरी सरकार की पूर्ण मानसिकता नहीं है। परंतु कुछ गलतियां हुई हैं और इन्हें ठीक किए जाने की आवश्यकता है। पेट फूड अभिजात्य वर्ग के लिए है और वे इसमें कमी किए बिना भी खरीद सकते हैं। मेरे विचार से सरकार को यह विचार करना चाहिए कि इस बात का प्रश्न नहीं है कि कितना राजस्व चला गया है परंतु रवैये को दर्शाता है कि वह पेट फूड पर भी विचार कर रही है जो अभिजात्य वर्ग के लिए है परंतु वह इस्पात कामगारों सहित गरीब वर्ग के व्यक्तियों की बहुत साधारण मांगों और इन सब बातों पर विचार नहीं कर रही है।

आई टी क्षेत्र के बारे में मेरे विचार से सनसेट क्लास और एसटीपीआई तथा वसूले जा रहे न्यूनतम कर के बारे में भी विवाद चल रहा है परंतु किराए के बारे में एक बात यह है कि आई टी के लघु क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की अपनी स्थापनाएं नहीं हैं। वे इन्हें सिर्फ किराए पर लेते हैं। मेरे विचार से आई टी क्षेत्र में छोटे और बड़े उपक्रमों के बीच अंतर होना चाहिए। मेरे विचार से एस ई जैड में इसे कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बहुत भेदभाव और असमानता उत्पन्न होगी। हमने एस ई जेड के बारे में अपने सुझाव दिए हैं। मेरे विचार से सरकार राजस्व व घाटे और उप–संविदाकारों को दी जा रही रियायतों और इन सब बातों के बारे में कम से कम एक या दो मुद्दों पर विचार कर रही है। हम माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपनाए गए रुख से सहमत हैं।

बकाया कर के बारे में, यद्यपि ये आंकड़े सही नहीं हैं, किंतु एक बड़ी रोचक बात है। पहले और अब की अवधि के बीच बहुत सी बातें चल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप और कितना समय लेंगे?

श्री रूपचंद पाल : मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदया, मैं कोई अप्रासंगिक बातें नहीं कह रहा हूं। मेरा विचार है कि मैं सिर्फ बहुत प्रासंगिक बातें कहने का प्रयास कर रहा हूं। 90255 मामलों में से 19875 विवादास्पद बकाया राशियों के अंतर्गत नहीं हैं, जैसा कि सरकार द्वारा बताया गया। इसमें से सरकार 12000 मामलों को लक्ष्य बना रही है। इसका क्या कारण है। जो सरकार को अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं उन्हें बख्शा जा रहा है जबकि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए था।

सीमाशुल्क में कमी के बारे में, मेरे विचार से सरकार विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध से आगे जा रही है। हम पहले ही एक स्थिति में पहुंच चुके हैं और हमें नहीं लगता कि इसे और कम किए जाने की आवश्यकता है। परंतु सरकार ऐसा कर रही है। इससे लघु उद्योग और घरेलू उद्योग के हित प्रभावित हो रहे हैं। दो आश्चर्यजनक बातें हुई हैं और एक यह है कि उद्योग क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहा है। परंतु ऐसा कैसे कि उत्पाद शुल्क वसूली औद्योगिक क्षेत्र की सफलता के समानुपात में नहीं हो रही है। आप को इस सभा को स्पष्टीकरण देना होगा।

दो बातें और हैं उसके बाद मैं समापत करूंगा। एक यह है कि सीमा शुल्क, आय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में एक बहुत रोचक बात हो रही है। इन विभागों से शीर्ष अधिकारी सेवा छोड़कर जा रहे हैं।

ऐसा माना जाता है कि आयकर के शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं का सेवानिवृत्ति से पूर्व निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आयकर विभाग के ऐसे कितने अधिकारियों ने निजी क्षेत्र में जाने के लिए अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया है।

विभाग में कंप्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए लक्षित समय सीमा वर्ष–2007 है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या नहीं। मेरे विचार से, इस कंप्यूटरीकरण से विभाग के कार्यकरण में काफी परिवर्तन और सुधार भी आएगा। कर प्रशासन वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए।

महोदया, बोलने का अवसर देने के लिए मैं वास्तव में आपका आभारी हूं। मैं अपनी अंतिम बात कहना चाहूंगा। यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2006–2007 का वास्तविक व्यय वर्ष 2006–07 के संशोधित अनुमान से आधा है। यह सही नहीं है। यदि यह सही है तो वास्तविक व्यय की इस असफलता का क्या कारण है? वास्तविक स्थिति क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविक व्यय लक्ष्य से बहुत कम है।

श्री पी. चिदम्बरम : आप किस मंत्रालय के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सकल आंकड़ों की बात कर रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल : मैं कुछ भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप सकल व्यय के बारे में बातें कर रहे हैं? अथवा, मंत्रालय–वार व्यय के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल : मैं सकल व्यय की बात कर रहा हूं। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। क्या हुआ है? इसको स्पष्ट किया जाए।

[श्री रूपचंद पाल]

सरकार को धन कर के मुद्दे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में बहुत से अमीर व्यक्ति हैं और तो और ग्रामवासी भी धनी होते जा रहे हैं। किन्तु यहां दर्शाई गई कुल एकत्र राशि केवल 265 करोड़ रुपए है। यह तो बहुत मामूली है। आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य केवल 315 करोड़ रुपए है। सरकार इसे सुदृढ़ करने के बारे में क्यों विचार नहीं करती? इससे सरकार को संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी और आम आदमी को ज्यादा राहत मिलेगी। इससे सरकार को अपनी वचनबद्धताओं को भी पूरा करने में सहायता मिलेगी। यही रास्ता है जिसके द्वारा आप स्वयं को अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर सिद्ध कर पाओगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप इसकी कीमत चुकाते रहेंगे और इस प्रकार की भारी कीमत चुकाते–चुकाते, आप अन्त में सबसे अधिक कीमत चुकाओगे। मैं यही चेतावनी आपको दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, अभी बहुत विस्तार के साथ वित्त विधेयक के तकनीकी पक्ष पर श्री रूपचंद पाल जी ने चर्चा की। मैं इस वित्त विधेयक के बहाने खास तौर से आम आदमी के सामने जो समस्याएं हैं, उन पर ही अपनी बात केन्द्रित करना चाहूंगा। मैं इसके तकनीकी पक्ष में नहीं जाना चाहता। चिदम्बरम जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और संसद में आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम वैज्ञानिक हों या अर्थशास्त्री हों। वित्त मंत्री अर्थशास्त्र के पंडित हैं, चिदम्बरम जी उनकी बात का जवाब भी बहुत कायदे के साथ दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि आज आम आदमी महसूस करता है, अहसास करता है और जिन पर समस्याओं का संबंध वित्त मंत्री जी से है, वित्त विधेयक के बहाने मैं जरूर चाहूंगा कि उन सवालों पर गंभीरता के साथ ध्यान दें।

जहां तक सरकार का सवाल है, मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि सरकार के कार्य करने से आम आदमी को यह अहसास होना चाहिए कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। उपलब्धि यह नहीं है कि हम पांच महीने, पांच या दस वर्ष राज में रहे, बल्कि उससे महत्वपूर्ण यह है कि जितने दिन या वर्ष हम राज में रहे, उसमें आम आदमी ने यह अहसास किया कि यह राज जनकल्याण का काम कर रहा है।

मैं कहना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष से बराबर इस सदन में महंगाई पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की तरफ से अब तक जो प्रयास हुए हैं, उनमें अधिकांश निरर्थक साबित हुए हैं। चेन्नई में 22 अप्रैल 2007 को वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक वर्ष के अंदर महंगाई की दर 6 प्रतिशत से ऊपर हो गई और हम इसे कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार के सामने जो प्राथमिकता है, वह विकास है, महंगाई नहीं। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जरूर जानना चाहूंगा कि इस देश में विकास का अर्थ क्या है? आम आदमी का जीवन–स्तर ऊंचा उठे, उसकी क्रय–शक्ति बढ़े, उसकी परेशानियां दूर हों, यही विकास होता है। विकास का मतलब चंद वर्गों का विकास नहीं है। विकास का मतलब पूरे देश का विकास या आदमी का विकास है। इसलिए मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो खास तौर से इस पर चर्चा जरूर करें कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो विकास की उस स्थिति में तो विकास की उस स्थिति में आम आदमी कहां खड़ा है?

इस विकास का क्या परिणाम है? इस विकास का परिणाम यह है कि आज एशिया में हम सबसे अधिक ट्रिलियन–पवन जी, ठीक शब्द है न?– 36 लोग ऐसे हैं जिनकी वार्षिक वृद्धि दर 19 प्रतिशत पहुंच गई जो उनकी सम्पति का 191 बिलियन डॉलर है और जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 25 फीसदी है। क्या यही विकास है कि इस देश में चंद लोग अरबपति और खरबपति हो जाएं और आम आदमी की माली हालत ठीक न रहे, उसकी क्रय–शक्ति कम हो जाए और वह ज्यादा गरीब हो जाए? क्या यही विकास है?

अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में 81वां दीक्षान्त समारोह हुआ था और उसमें राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि भले ही हमारे आर्थिक विकास की दर 9 प्रतिशत हो गई है, पर गरीब चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं जरूर चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसी सरकार के मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी हैं, उन्होंने कहा है कि विकास की दर 9.92 प्रतिशत होने के बावजूद इसका लाभ सिर्फ 0.2 प्रतिशत लोगों तक ही सीमित है। ऐसे आर्थिक विकास का क्या फायदा? आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि इसका लाभ चंद लोगों तक ही सीमित है। आम लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे पास 2004–05 के कुछ उदाहरण हैं। विकास की दर भी बढ़ती गई और गरीबी भी बढ़ती गई। 2004–05 के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उसमें दिल्ली में विकास की दर 8.83 प्रतिशत थी और गरीबी की दर 4.32 प्रतिशत बढ़ी। हरियाणा में विकास की दर 6.82 प्रतिशत थी, गरीबी 2.44 प्रतिशत बढ़ी। राजस्थान में विकास की दर 5.39 प्रतिशत और गरीबी तीन प्रतिशत थी। मैं ज्यादा गणित और अर्थशास्त्र नहीं जानता। लेकिन मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आ रहा है कि जिस देश में आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है और उस देश में आर्थिक विकास की दर के

साथ–साथ गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। यह इस देश का अजीब दुर्भाग्य है। देश में अभी तक एक नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–II, यू.एन. हैबीटेट रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के शहरों में तीस फीसदी अर्थात् 90 मिलियन लोग गरीब हैं और आगे आने वाले 2020 तक इनकी संख्या 200 मिलियन हो जाएगी।

सूचना और प्रौद्योगिकी की हमारे देश में बड़ी चर्चा हुई लेकिन इसके संबंध में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनसे यह पता लगता है कि पांच कंपनियों को ही 57 फीसदी लाभ हुआ है। शेष जो छोटी कंपनियां हैं, वे बंद होने के कगार पर खड़ी हैं।

सभापति महोदया, एक साल पहले सदन में महंगाई पर चर्चा हुई। इस सवाल पर बहुत हल्ला किया गया और सरकार ने महंगाई का कारण आपूर्ति बताया। आपको मालूम है कि सरकार द्वारा 57 लाख टन गेहूं का आयात किया गया लेकिन आयात होने के बावजूद महंगाई में कोई कमी नहीं आयी। अभी सुबह चर्चा हुई और टी.वी. पर बताया गया कि अक्तूबर, 2006 में हमारे स्टॉक में चीनी 46 लाख टन थी। हमारे देश में चीनी की खपत उत्पादन से कम है। देश में चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है जिससे हम चीनी का निर्यात करते हैं। यह निर्यात का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है लेकिन वह सब्सिडी हमारे देश को नहीं मिलती बल्कि दूसरे देशों को मिलती है। यह दुनिया के दूसरे देशों के उपभोक्ताओं को मिलती है, हमारे उपभोक्ताओं को नहीं मिलती है। हमारे देश में चीनी का स्टॉक होने के बावजूद हमारे यहां चीनी महंगी हो गई। इसके अलावा दालों का क्या हाल है? सरकार ने दालों की कीमतें कम करने के लिये फैसला लिया कि 15 लाख टन दालें विदेश से आयात की जायेंगी। इसकी जिम्मेदारी कुछ एजेंसीज को दी गई लेकिन पल्सेज़ इम्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का बयान आया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह खबर गई कि भारत दालों का आयात कर रहा है तो म्यांमार, आस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस – सभी देशों ने दालों की कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दालों का आयात करने के बावजूद देश में दालों की कीमते कम होने वाली नहीं हैं। सरकार कहती है कि आर्थिक विकास दर का संबंध महंगाई से है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। जब चीन में विकास दर 11.1 प्रतिशत है, तो महंगाई 2.7 प्रतिशत पर नियंत्रित की गई है। मेरे लिये यह समझना कठिन है कि भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो सकता जैसा चीन में हो रहा है? सरकार महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती? मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। यहां की स्थिति अजोबोगरीब है। यहां महंगाई 6.46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

सभापति महोदया, अब रबी की फसल तैयार है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है लेकिन आज देश में हो क्या रहा है? पंजाब में गेहूं की कीमत 880 रुपये, हरियाणा में 980 रुपये, उत्तर प्रदेश में 1050 रुपये और दिल्ली में 1127 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार ने 850 रुपये प्रति क्विंटल भाव तय किया लेकिन किसान निजी क्षेत्र के लोगों को गेहूं बेच रहे हैं। किसान 850 रुपये के रेट पर एफ.सी.आई. को गेहूं नहीं बेचेगा, जिससे सेंट्रल पूल में गेहूं नहीं आयेगा। इससे किल्लत और पैदा होगी। सरकार के पूल में गेहूं जमा नहीं होगा और जो गेहूं प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, वह पूरा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इससे बहुत भारी किल्लत पैदा होगी। स्थिति बहुत ही गंभीर है। महंगाई से न केवल आम आदमी बल्कि मध्यमवर्गीय लोगों की भी कमर टूट गई है। विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर भिन्न–भिन्न है लेकिन पूरे देश में इसका औसत 60 रुपये है। आज गेहूं, दूध, दालों और सब्जियों के भाव, आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। आज इन बातों पर चर्चा करना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि वह वस्तुस्थिति को समझे, आंकड़ों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को अहसास कराने की जरूरत है। यह बात सरकार की समझ में आनी चाहिए कि आज महंगाई अपने शवाब पर है।

महंगाई की पराकाष्ठा है और आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। अगर इस हकीकत से हम अपने को दूर करेंगे आंकड़ों के लिहाज से, तो मैं नहीं समझता कि उसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि इस वित्त विधेयक के सहारे अपनी बात कहने का मौका हमें मिला। आज आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और इस सरकार का राष्ट्रीय धर्म है, सरकार का दायित्व है कि सरकार पहले आम आदमी की परेशानियों को दूर करने का काम करे। निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में सार्थक पहल करेगी।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे कई साथियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे उतार–चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को लांघकर हम पूंजीवाद के दौर में प्रवेश कर गए हैं। आज जब सोवियत संघ टूट गया है और इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड की ताकत बढ़ी है, अमेरिका की ताकत बढ़ी है, तीसरी दुनिया की नुमाइंदगी करने में हम कमज़ोर पड़े हैं, सार्क देशों की अगुवाई में भी हमारा दावा कमज़ोर पड़ा है, पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हुए हैं, दुनिया में जो आर्थिक दबाव हम पर है, ऐसी स्थिति से आज हम गुज़र रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल जी ने, सुमन जी ने और कई विद्वान साथियों

[श्री विजय कृष्ण]

ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बारीक से बारीक नज़र यहां रखी है। मैं चंद सवाल उठाना चाहता हूं। कार्पोरेट टैक्स की चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। कार्पोरेट टैक्स में किसी भी हालत में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका लाभ बड़े घरानों को ही मिलता है। बड़ी कंपनियों को लाभांश देने की राशि में वृद्धि होती है और यह लाभांश केवल उन्हीं को मिलता है जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। कंपनी के 80 प्रतिशत शेयर्स प्रॉपराइटर्स फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, आम जनता के पास 15–20 प्रतिशत शेयर्स ही होते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि लाभांश पर भी कर लगना चाहिए। मैं सरकार से, खासकर वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो कागज़ात देखने को मिले हैं, उनसे लगता है कि कार्पोरेट हाउसेज़ के बारे में हमारी दृष्टि बहुत नरम है। उसमें कितनी मज़बूती से हम सख्ती कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इतना ही मेरा सुझाव है।

आर्थिक विषमता की खाई के बारे में काफी साथियों ने यहां कहा कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है और आर्थिक विषमता से निपटने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। मैं मानता हूं कि आर्थिक विषमता के बारे में सरकार यदि कोई कारगर कार्रवाई नहीं करेगी तो जो नक्सलवाद और उग्रवाद देश में बढ़ रहा है, जो सामाजिक असंतुलन है, पलायन है, आर्थिक गैर–बराबरी है, सामाजिक गैर–बराबरी है और उससे उत्पन्न स्थिति है, उससे जो उग्रवाद बढ़ा है आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से नेपाल और नेपाल बार्डर से फरक्का तक जो लाल कॉरिडोर बन रहा है, इससे हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करके ही निजात नहीं पा सकते हैं। जब तक गरीबों को पानी, बिजली, सड़क नहीं देंगे और उन इलाकों में जो सरकरा का पैसा है, जो हमारा पैसा है, जो आम जनता का पैसा है, जो यू.पी.ए. सरकार का पैसा है और जो देश का पैसा है, वह नहीं देंगे, उसे जब तक हम गरीबों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये चीजें बढ़ेंगी। आज 14 से अधिक राज्यों में यह भयावह स्थिति है। कल ही सीहोर में हमले हुए हैं। पूरे बिहार का एक बड़ा हिस्सा और देश का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित है। आर्थिक गैर–बराबरी को खत्म करने की दिशा में कौन सा वित्तीय प्रबंधन हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और समाज का जो सबसे निचला तबका है, जिसे गांधी जी ने अंतिम तबका कहा है, उसे ऊपर उठाने के लिए हम अपनी सोच कहां तक ले जा सकते हैं, आज की स्थिति में इस पर बहुत सोचने की जरूरत है।

महोदया, यहां परचेजिंग पॉवर की चर्चा बहुत हुई। 80–90 प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी, केवल 10–15 प्रतिशत लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है। जब लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो आम आदमी की हालत बिगड़ती जाएगी। उसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी यहां चर्चा हुई है। मैं यहां सिर्फ पाइंट्स पर चर्चा कर रहा हूं। इस देश में स्पेशल इकनौमिक जोन्स को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। एस.ई.जेड में हमारा कॉमर्स मंत्रालय बहुत ही रुचि ले रहा है। वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय में क्या चलता रहता है, वह खबर भी अखबारों में छपती रहती है। मेरा इतना अनुरोध जरूर है कि एस.ई.जेड के एक्ट में संशोधन लाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि केवल बंजर भूमि को अधिगृहीत किया जाए। किसानों की जो जमीन है, उसे इससे मुक्त रखना चाहिए। किसानों की उपजाऊ जमीन को लेने का जब आप काम करेंगे, तो आपको अनेक नन्दीग्रामों से होकर गुजरना पड़ेगा। कल भी नन्दीग्राम में घटना हुई है। मैं नन्दीग्राम का उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि प्रगतिशील कहे जाने वाले लोगों को भी वहां आज जवाब देना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एस. ई.जेड के बारे में जब जमीन के अधिगृहण का काम करें, तो यह निर्णय लेने पर आप अवश्य विचार करें। जो बड़े उद्योग लगेंगे या मॉल बनेंगे, वहां उनका कानून बने, वे जो चाहें सो करें, ऐसी स्थिति आपने एस. ई.जेड के बारे में बनाकर रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं कि नहीं, खासकर के कैम्पस में जो रैवेन्यू कलैक्शन का सवाल है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले में एस.ई.जेड. के कानून में आपको कड़ाई से कदम उठाने चाहिए? यदि आप हम काम नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि देश में जो आर्थिक गैर–बराबरी बढ़ रही है, वह बढ़ेगी। प्रगतिशीलता के नाम पर आप कोई बात जरूर कर लें, लेकिन कई जगह नन्दीग्राम जैसी घटनाएं होंगी, इनसे आप बच नहीं पाएंगे।

महोदया, पहले हम लोग इन्कम टैक्स पर जोर देते हैं और उसके बारे में कड़ाई बरतने और सख्ती लाने की बात भी होती रही है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता कि कौन कहां कितना खर्च कर रहा है। इन्कम टैक्स के कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो आदमी खर्च कर रहा है, उसका हिसाब–किताब ठीक रहे। यदि आपने यह कर लिया, तो जो काला धन बढ़ रहा है, उस पर भी काबू पाने का काम आप करेंगे। जो चन्द हाथों में धन इकट्ठा हो रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, बी.पी.एल. की सूची बढ़ती जा रही है और बी. पी.एल. की सूची ठीक प्रकार से बने, शुद्ध रूप से हो, इस बारे में देश में लड़ाई चल रही है, वह नहीं होगी। इससे यदि उबरना चाहते हैं, तो हमें खर्च का हिसाब–किताब है कि वहां कौन सा एलीमेंट है, जो खर्च कर रहा है, उसे देखना पड़ेगा। देश में अपार खर्च हो रहा है। इसी देश में अनेकों होटल्स हैं, जहां एक–एक दिन में लोग 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार और 40 हजार रुपए केवल भोजन पर, केवल रहने पर खर्च कर रहे हैं। उसकी कोई रसीद नहीं है, कोई लिस्ट नहीं

है। ये वे लोग हैं, जो ज्यादा प्रगतिशीलता की बात करते हैं, ये वे लोग हैं जो राज–काज चलाने की बात करते हैं, ये वे लोग हैं जो देश के नियामक बने हुए हैं। इसलिएस आप खर्च पर सीमा बांधने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं? यदि आप खर्च पर सीमा बांधने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जैसा आदमी समझेगा कि आप कहीं न कहीं बेईमानी में शामिल हैं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा सकता, आप विद्वान आदमी हैं, आप वित्त मामलों के जानकार आदमी हैं। आर्थिक मामलों का जानकार आदमी यदि दिशा को उलट दे, तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस बारे में आप अवश्य विचार कीजिए। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, शादी–विवाह, मरने–गिरने, बाढ़–सुखाड़ आदि में, मैं घूमता रहता हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे मामलों में आपकी, यू.पी.ए. सरकार की बहुत बड़ाई हुई।

लेकिन गांव में जाइये तो आपका यह जो विकास दर का सिद्धान्त है, 90 प्रतिशत पढ़े–लिखे लोगों को समझने में नहीं आता है कि विकास दर क्या है। आप उनको नौ परसेंट की विकास दर समझाते चलिए। आज दाल का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, गेहूं का भाव क्या है, ये लोग पूछ रहे हैं और बहुत भयावह स्थिति है। एक तरफ तो गेहूं के मामले में आप समर्थन मूल्य किसानों का 50–100 रुपया बढ़ा देते हैं और समझ लेते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां देसी कम्पनियों का नाम लेकर अनलिमिटेड उनको छूट देते हैं कि वे गेहूं खरीदें। जितना गेहूं आपको मिलने वाला है, वह गेहूं भी आपको अब नहीं मिलने वाला, उनके हाथों में जाने वाला है। आप गेहूं का आयात करने की भी मानसिकता रखते हैं। गेहूं रहते हुए भी गेहूं का आयात हो, यह मानसिकता रखते हैं, यह निर्णय लेते हैं।

अभी दाल की चर्चा सुमन जी ने करते हुए कहा कि आजादी के बाद कभी दाल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, यह संकट हम पर बराबर बना रहे, लेकिन भारत के जो दाल के क्षेत्र बन सकते थे, जहां सभावना बन सकती थी, उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई क्या? एग्रीकल्चर मंत्रालय ने और दूसरों ने क्या किया? बिहार के इलाके में मोकामा, फतुहा, थाल क्षेत्र का इलाका और छपरा का इलाका, दर्जन भर ऐसे इलाके हैं, जो दलहन के ऐसे क्षेत्र हैं, जो अपने इलाकों में दाल का उत्पादन बेहतर ढंग से कर सकते थे, लेकिन उसके लिए कोई समेकित योजना बनी क्या? आजादी के बाद सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। दाल का संकट है और दाल के बारे में सी.बी.आई. की जांच चल रही है। सरकार ने आज ही इसी सदन में माना है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही है कि माननीय कृषि मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो मैंने यही समझा और सी.बी.आई. की जांच चल रही है और जांच में जो लोग पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। ये कौन लोग हैं, निर्यात पर बंदिश थी और उसके बाद भी निर्यात हो गया, ऐसे कौन लोग हैं? ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं कि कौन लोग हैं, सब लोग जानते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग ठीक से उनको जानते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत भयावह स्थिति है और यू.पी.ए. सरकार के लिए एक चेतावनी है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी भारी मन से कहता हूं कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए सार्थक प्रयास करिये, वरना यह आपके लिए घातक साबित होगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, वित्त विधेयक, 2007–2008 के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज, हम विशेष तौर पर उस छेद पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार ने हमारी जेब में कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह छेद दिन–प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। हम लोग अधिक चिंतित हैं क्योंकि कई बार हम करदाता को प्रदान की जा रही राहत पर चर्चा करते हैं। किन्तु यह केवल आयकर नहीं है जो हमारी जेब में छेद करता है अपितु हमें मूल्य संवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और कई अन्य कर अदा करने पड़ते हैं जो हमारी जेबों में बड़ा छेद करते हैं और इससे निम्न मध्यमवर्गीय लोगों के लिए विशेषतः इस समाज में जीवित रह पाना कठिन हो गया है जबकि मुद्रास्फीति की दर आसमान छू रही है।

महोदया, हमें बार–बार यह बताया जाता है कि गैर उत्पादक खर्च, कर विसंगतियों और अधिक घाटे, अर्थव्यवस्था की पूर्ण वृद्धि की सम्भावना की राह में बाधा हैं। यही तीन कारण 1991 से सत्ता में आई अलग–अलग सरकारों ने अच्छी प्रकार से दिए हैं। हम चीन के साथ तुलना करते हैं और हम कई अन्य देशों के साथ भी तुलना करते हैं। किन्तु हमारे राष्ट्र के समक्ष ये तीन बाधाएं हैं जो हमें पूर्ण वृद्धि की सम्भावनाओं से रोकती हैं और ये तीनों बाधाएं गैर उत्पादक खर्च, कर विसंगति और अधिक घाटा हैं।

इस मुद्दे को स्पष्ट करने से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक समाधान के रूप में, किसी को भी यह जानना चाहिए कि समस्या क्या है। आज हमारे देश में समस्या की पहचान करना एक बड़ा मुद्दा नहीं है। किन्तु समाधान को खोजना और उसके अनुसार प्रगति करना हमारे देश में वास्तव में समस्या उत्पन्न कर रहा है।

आरम्भ में, 1991 में राज कोषीय सुधारों में राजकोषीय असंतुलन मुद्रास्फीति एवं भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति की दोनों समस्याओं के मूल कारण के रूप में पहचान की गई है। राजकोषीय घाटे

[श्री भर्तृहरि महताब]

का मध्यकालिक प्रबन्धन और सुदृढ़ संस्थागत प्रणाली को समर्थन प्रदान करने के लिए राजकोषीय सुधार और बजट एवं प्रबंधन अधिनियम, (एफ आर बी एम ए) 26 अगस्त, 2003 पारित किया गया। अधिनियम और नियमों को अधिसूचित किया गया। और ये 5 जुलाई, 2004 को प्रभावी हुए। एफ आर बी एम ए राजकोषीय विवेक को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय है। इसे प्रगति उन्मुख होना चाहिए।

गत आठ वर्षों में भारत के सकल कर राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद से अधिक वृद्धि हुई है। महोदया, राजस्व में हो रही यह उछाल विशेषकर हाल के समय में केन्द्रीय और राज्यीय दोनों कर राजस्वों में, यह कर सुधारों और बेहतर अनुपालन के मद्देनजर जारी रहने की सम्भावना है। किन्तु ऐसे कर सुधारों में कर प्रशासन में त्वरित सुधार, बाधा रहित कर संग्रहण प्रणाली शामिल होनी चाहिए जो अपवंचकों को दण्डित करे परन्तु ईमानदार कर दाताओं को असुविधा न दे। गत तीन वर्षों में विशेषकर इस बजट में और इस वित्त विधेयक में क्या सुधार किया गया है?

कर दाताओं, अदा किए गए कर, परिसम्पत्ति के बाजार में आय एवं कारोबार का व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की आवश्यकता है और इसे प्रभावशाली ढंग से संवीक्षा एवं आकलन प्रक्रिया से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। क्या इस मामले में कोई अलग से प्रगति हुई है?

माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में कर संग्रहण की लागत विश्व में निम्नतम है फिर भी इसका दायरा पर्याप्त नहीं है। कर राजस्व में उच्च वृद्धि को बनाए रखने के लिए दक्ष, उदार एवं समान कर प्रणाली की आवश्यकता है। इसके लिए कहां तक प्रयास किया गया है? अक्सर यह सूचना दी जाती है कि राजस्व संग्रहण में उछाल है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि से और आंशिक रूप से सेवा क्षेत्र से स्पष्ट किया जाता है तो मेरा प्रश्न यह है कि क्यों विनिर्माण क्षेत्र में उत्पाद शुल्क संग्रहण में कमी हो रही है? विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की तुलना में निम्न उत्पाद शुल्क के क्या कारण हैं? इससे क्या अर्थ निकलता है?

मैं अन्य पक्ष पर आता हूं। यह अधिभार और उपकर के बारे में है जिसे थोपा जाता है। वित्त विधेयक 2007–08 में, सभी करों पर एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर की वृद्धि से सरकार को 5000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्रदान होगा। यहां सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स ऑफ इण्डिया (एस टी पी आई) में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों का दायरा जैसे अन्य कर भी हैं जो कि निम्नतम वैकल्पिक कर अथवा लाभांश कर दर में वृद्धि के अधीन हैं। किन्तु इनमें से किसी भी प्रस्ताव का प्रभाव उपकर जितना नहीं पड़ेगा। महोदया, मेरी चिंता का विषय यह है कि संघ सरकार अधिभार और उपकरों से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ नहीं बांटती है। यदि शिक्षा उपकर में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व का सृजन होता है तो केन्द्र इस राजस्व का पूर्ण श्रेय लेता है जबकि राज्यों को कर कटौतियों की वजह से राजस्व घाटे में भागीदारी करनी पड़ती है। इसके गम्भीर निहितार्थ हैं। केन्द्र के सकल राजस्व संग्रहण में अधिभारों और उपकरों की अधिकता है। वर्ष 1991–92 और 1998–99 के दौरान कुल संग्रहण का लगभग 3 से 6 प्रतिशत अधिभार और उपकर से आया किन्तु पिछले पांच वर्षों में यही हिस्सा 9 से 12 प्रतिशत हो गया है। अधिभार और उपकर के संग्रहण में वर्ष–प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। उदाहरण के लिए, 2006–07 में केन्द्र को 57,840 करोड़ रुपए अधिभार और उपकर से प्राप्त होंगे जो कि गत वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक हैं। 2007–08 में, हमें यह बताया गया है कि यह राशि 64,530 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। यहां मेरी चिंता का विषय यह है कि केन्द्र सरकार को अधिभार और उपकर की वजह से फायदा हो रहा है। राज्य जो अधिभार एवं उपकर को छोड़कर केन्द्र द्वारा कुल कर संग्रहण का 30.5 प्रतिशत आपस में मिलकर बांटते हैं अन्ततः घाटे में रहते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अधिभार एवं उपकर की दरों में परिवर्तन करके केन्द्र द्वारा कितने अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कर रियायतों एवं राजस्व घाटे पर चर्चा करने का एक प्रयास किया गया है। मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। भारत सरकार को कई प्रतिवेदन पेश किए गए हैं। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और प्रतिवेदन पेश किए गए हैं। प्रत्येक विशेषज्ञ निकाय ने संविधि से कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है। फिर भी सरकार ने कर छूट को जारी रखा हुआ है। इस मुद्दे पर विशेष तौर पर दो अलग–अलग दृष्टिकोण हैं। किन्तु मेरी चिंता का विषय यह है। जबकि अभिलेखों का अध्ययन करते हुए मैंने देखा कि वर्ष दर वर्ष, विशेषकर गत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान छूट अथवा छोड़ा गया कर वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार का दर्शन है कि प्रत्येक वर्ष छोड़ा गया कर वृद्धि को बनाए रखने में सहायता करेगा जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं?

मूल्य वृद्धि के संबंध में अवश्य ही कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि नौकरीपेशा लोगों को कठोर होती जा रही ब्याज दर से कठिनाई हो रही है क्योंकि निम्नतर ब्याज दर तथा घर के लिए ऋण पर कर प्रोत्साहन के चलते उन्होंने काफी कर्ज ले लिया है। उन्हें अब उच्चतर ई एम आई या बढ़ी हुई अवधि में घर के लिए ऋण को चुकाना पड़ेगा। नए ऋण खोजने वालों के समूह को जो घर या कार या उपयोग की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उन्हें उच्चतर ब्याज दर अदा करनी होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

अब मुद्रास्फीति घट रही है। यदि अद्यतन रूझान कुछ दर्शाता है तो क्या आप विश्वास करते हैं कि मुद्रास्फीति कुछ माह के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 5 प्रतिशत के सहय सीमा तक आ जाएगी? क्या ब्याज दर इतनी जल्दी कम हो जाएगा? मुझे विश्वास है कि सरकार मुद्रास्फीति स्तर तथा ब्याज दर का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है। मैं आपका, माननीय वित्त मंत्री का इस पर दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

विशेष अर्थिक जोन के संबंध में परस्पर विरोधी विचार सभा के बाहर तथा सरकार में भी हैं। एक आंकड़ा दिया गया है, मैं इसे पढ़ता हूं, वर्ष 2005–2010 के दौरान इस विशेष आर्थिक जोन के चलते अनुमानित हानि अप्रत्यक्ष कर के चलते 48,881 करोड़ रु. होगी तथा प्रत्यक्ष कर के चलते 57,531 करोड़ रु. होगी जो कुल मिलाकर 1,06,412 करोड़ रु. बैठती है। याद रहे, कि यह आकलन अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रारंभ में अनुमोदित किए गए 70 विशेष आर्थिक जोन पर ही आधारित है। इस प्रकार अनुमानित की गई हानि कई गुणा हो सकती है यदि विशेष आर्थिक जोन की संख्या तथा आकार बढ़ाई जाए। अतएव, सरकार का विशेष रूप से क्या विचार है?

लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में, मैं सरकार द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क पर शुल्क लगाने के निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि वित्त मंत्री आप संबद्ध राज्यों के साथ मिलकर, जहां से अयस्क का खनन किया जाता है, किस प्रकार शुल्क की साझेदारी करेंगे। इसका प्रतिशत क्या होगा; क्योंकि राज्यों को भी इससे कुछ लाभ मिलना चाहिए?

महोदया, मेरी अंतिम बात बीमा विशेषरूप से कृषि बीमा या फसल बीमा क्षेत्र से है। किसानों के बीच संशय की स्थिति है। हम सभी जानते हैं कि ऋण संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है; बैंक, सहकारी संस्था या आर आर बीज कुल ऋण लेने वालों का केवल 46 प्रतिशत शामिल करता है; शेष 54 प्रतिशत संस्था से बाहर से ऋण लेते हैं। अतएव, लगभग 46 प्रतिशत लोग संस्थागत ऋण लेते हैं तथा इसमें से 70 प्रतिशत लोग सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। मैंने इसे समाचार पत्र में आज पढ़ा तथा शायद माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री ने यह मुद्दा उठाया होगा।

अतएव, माननीय वित्त मंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 50,000 से 1 लाख रु. के बिना समपार्श्विक प्रतिभूति के ऋण अव्यव को बढ़ाने का कोई विचार है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह किसानों को बहुत मदद पहुंचाएगा। द्वितीयतः आप लगाए जा रहे 2 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ दे रहे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से विभिन्न बैंकों को जाता है। इसका लाभ सहकारी संस्थाओं को भी मिलना चाहिए क्योंकि किसान अल्पावधि कृषि ऋण सहकारी संस्थाओं से ही लेते हैं जहां से उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है।

श्री पी. चिदम्बरम : वे दिए गए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : लेकिन अंततः यह किसानों तक नहीं पहुंचता है।

श्री पी. चिदम्बरम : सहकारी ऋणों पर दो प्रतिशत की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अब सहकारी संस्थाएं क्या करती हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने उस प्रभाव की कोई शिकायत नहीं प्राप्त की है। लेकिन गत वर्ष भी सहकारी ऋणों पर 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी थी।

श्री भर्तृहरि महताब : इसलिए मैं यह मामला उठा रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : हम दे रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : वह आर्थिक सहायता जो सहकारी बैंकों को दी जा रही है, वह सहकारी संस्थाओं तक नहीं पहुंच रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित कर रही है। हम दो प्रतिशत दे रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं सरकार से पता करने का अनुरोध करूंगा। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र के देने से पहले इस दो प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी। लेकिन कई राज्य हैं जहां यह किसानों तक नहीं पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि केन्द्र निगरानी करे तथा यह पता करे कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा किसान इसे प्राप्त कर रहे हैं या नहीं।

फसल बीमा के संबंध में यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अपराह्न 3.06 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

योजना क्षेत्र अभिगम आधारित है। एक विचार दिया गया कि राज्य सरकार से उपज का आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने भी गत चार वर्षों से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अत्याज्य प्राकृतिक विभीषिकाओं से फसल में कमी के कारण किसानों को होने वाली हानि को कम करने के लिए शुरू की है। समस्या सहकारी क्षेत्र में है। सहकारी क्षेत्र में ऋण के रूप में दिया गया पैसा घटा दिया जाता है जो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। सहकारी क्षेत्र में इस बीमा के लिए पैसा सीधे तौर पर किसानों

[श्री भर्तृहरि महताब]

से घटाया जाता है जब पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है। यद्यपि दो तरीके हैं। बैंकों में किसानों को बीमा के लिए पैसा नहीं अदा करना पड़ता है लेकिन सहकारी क्षेत्र में एक किसान को बीमा के लिए, फसल बीमा क्षेत्र में अदा करना पड़ता है। मेरे विचार से इस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तथा उन्हें स्पष्ट रूप से रहना चाहिए कि सहकारी क्षेत्र में इस बीमा राशि की किसानों द्वारा अदायगी नहीं होनी चाहिए।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि इस विधेयक में गत कुछ वर्षों की तुलना में कुछ प्रगति हुई है लेकिन और किया जाना अपेक्षित है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात मूल्यवृद्धि है। प्रयास किए गए हैं, विशेषरूप से, सीमेंट जो कि एक ज्वलंत उदाहरण है। इसने दर्शाया है कि सरकार किस प्रकार सीमेंट के मूल्य की निगरानी करने में विफल रही। मुझे इस पर विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं वित्त विधेयक 2007–2008 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सभी जानते हैं कि केन्द्रीय बजट पर संसद में तीन चरणों में चर्चा होती है। इसे सामान्यतः फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् आम बजट पर चर्चा होती है। दूसरे चरण में अनुदान की मांगें आती हैं, जिन पर संसदीय स्थायी समितियों में भी चर्चा होती है। तत्पश्चात् हम गिलोटीन और विनियोग विधेयक पर आते हैं।

तीसरे चरण में वित्त विधेयक आता है, जिस पर हम आज शाम चर्चा कर रहे हैं।

व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं और जो कि एक दशक पहले 'सपनों का बजट' प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने स्वयं इस बजट को 'सपनों का बजट' नहीं कहा है। मेरे साथ–साथ और भी बहुत से लोगों का मानना है कि इस बजट से लोगों को निराशा हुई है।

9.2 प्रतिशत की दर से फलती–फूलती अर्थव्यवस्था के कारण माननीय वित्त मंत्री जी की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्हीं का कहना है कि "उन्मुक्त होकर हवा के साथ चलो।" परन्तु यह बजट इस प्रकार के अवसर प्रदान नहीं करता। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस बजट के द्वारा कोई नए अवसर उत्पन्न होंगे। मुझे विश्वास है कि यह देश केवल ट्रिलियन डॉलर क्लब में ही शामिल न होता, परन्तु ब्राजील से तो आगे होता।

मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि अब तक के सबसे व्यापक सुधारों की पहल करने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह की प्रत्यक्ष करों में मुख्य भूमिका है। उनका उद्देश्य कर के दायरे में व्यापक वृद्धि करना और कम दरों को चुनना था। उन्हीं दिनों नोबल पुरस्कार विजेता कैम्ब्रिज में प्रोफेसर जेम्स यीरलेस ने इसकी संकल्पना की थी और यह वही समय था जब भारत में सर्वाधिक कर दर थी, जोकि लगभग 97 अंक और कुछ प्रतिशत थी। उसी समय बहुत काला–बाजारी, काला धन का अपवंचन हुआ और उन दिनों के कर निर्धारकों की तर्कसंगति को नकार दिया।

अब मैं बजट पर आता हूं। कल अधिकांश समाचार–पत्रों में खबर आई थी कि आयकर विवरणी को सरल बनाया जा रहा है। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु मैं हैरान हूं कि पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने यही बात कही थी। वह 'सरल' के विचार से सहमत नहीं थे और मुझे लगता है कि 'सरल' की संकल्पना चूंकि श्री यशवन्त सिन्हा, एन डी ए सरकार की थी और वह इसके खिलाफ थे तथा वह 'सरल' को और 'सरल' बनाना चाहते थे, परन्तु यह 'सरल' विवरणी बहुत जटिल बन गई। ए आई आर और इसी प्रकार के ब्यौरों के बारे में बहुत जानकारी मांगी जा रही है और वित्त मंत्री जी को इसकी जानकारी है। मैं आशा करता हूं कि अब निकाली जा रही सरल विवरणी वास्तव में सरल होगी न कि कठिन।

अब हम बजट 2007–2008 के कुछ कर प्रस्तावों का आकलन करने का प्रयास करते हैं। पहले आपने अवसंरचना विकास हेतु एन एच ए आई और आर ई सी बान्ड निकाले। परन्तु मुझे नहीं पता कि आप पर किस प्रकार का दबाव था, मुझे नहीं पता कि आप के बगल में बैठे सहयोगियों का आप पर दबाव है कि पूंजी लाभ पर कर लगाना चाहिए और आपने इस पर 50 लाख रु. की सीमा निर्धारित कर दी है। क्यों? यदि इसका उपयोग अवसंरचना के लिए किया जा रहा है तो हानि क्या है? आप इसे सीमित क्यों रखना चाहते हो? हमें अवसंरचना विकास हेतु बहुत धन की आवश्यकता है।

दूसरे मैं वित्त मंत्री जी द्वारा कंपनियों के विवरण कर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की बात उठाना चाहता हूं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। परन्तु वह यह भी जानते हैं कि एक निजी निवेशक, जोकि शेयर बाजार को नहीं समझता और अटकलें लगाना नहीं चाहता, उसके लिए म्यूचुअल फंडों, यू टी आई और अन्य म्युच्युअल फंडों में धन लगाने का यही समय है। अन्य कंपनियों पर जो कर लगाया जा रहा है, आप उस पर उससे अधिक कर क्यों लगाना चाहते हो? ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? वह ऐसा व्यक्ति है जो शेयर बाजार को नहीं समझता। वह इससे कुछ बचाना चाहता है। परन्तु ऐसा करके आप

उसे शेयर बाजार में निवेश करने से हतोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह तरीका ठीक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, धारा 48(3) का कड़ा संशोधन है जिसके अंतर्गत 20,000 से अधिक खर्च हेतु नकद भुगतान को 20 प्रतिशत के स्थान पर ऐसे खर्च की शत–प्रतिशत अनुमति न देना है। एक ओर तो हम ट्रिलियन डॉलर क्लब के सदस्य बनने जा रहे हैं। एक लाख रु. क्या होते हैं तथा 20,000 रु. क्या होते हैं? आप इसे 20,000 रु. करना चाहते हो। मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि आपकी सीमा एक लाख रु. होनी चाहिए, 20,000 रु. नहीं।

अब मैं वित्त मंत्री महोदय की कुछ तारीफ भी करना चाहूंगा। आपने कंपनियों के लिए रिटर्न की ई–फाइलिंग को अनिवार्य बनाकर बहुत सही किया है। परन्तु साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आप लागत को कम करने के लिए भविष्य अग्रिम कर देयता के प्रतिदाय बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं। सरकार को भी इससे लाभ होगा। धन उनके पास ही रहेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि इस समय आय कर विभाग कह रहा है कि : "मैं इतना प्रतिदाय दे रहा हूं और टेबल के नीचे से धन का इधर–उधर हो जाता है। आप इसे बंद क्यों नहीं करते? यदि इस प्रतिदाय को अगले वर्ष का अग्रिम कर मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है।

अब मैं प्रति माह ब्याज लगाने की बात पर आता हूं। आपको इससे कितना लाभ होगा। ऐसा किया जा रहा था, परन्तु यदि ऐसा किया गया तो आपको 1/2 प्रतिशत अधिक धन मिलेगा। मैं नहीं जानता कि आपने कितना कार्य किया है परन्तु इससे उलझनें बढ़ेंगी और मुकद्मेंबाजी होगी। इसमें भ्रष्टाचार होगा और परिकलन में भी गलतियां होंगी, जिससे मुकद्मेबाजी होगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने की क्या आवश्यकता है?

अब मैं कर्मचारियों के स्टॉक ऑप्शन प्लान पर फ्रिंज बैनिफिट टैक्स का मुद्दा उठाता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कहीं पढ़ा है कि एक्रोनिम ई–सोप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया आप उन्हें शांत बैठने के लिए कहिए। यहां बैठकर मंत्री महोदय भी बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप बाहर जाकर बात कर लीजिए, पीछे जाकर बात कर लीजिए। मिनिस्टर होकर फाइनेंस बिल में इस तरह से कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण : आप काम की बात कीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं क्या कह रहा हूं?

श्री विजय कृष्ण : आप इसे इश्यू बना रहे हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इश्यू तो है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। मैं सभा में व्यवस्था बनाए रखूंगा। कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। आप ही तो गलती कर रहे हैं, मैंने कोई गलती की नहीं है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : आप अपनी गलती भी याद रखा कीजिए।

श्री विजय कृष्ण : आप अपनी गलती भी याद रखा करें।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : क्या यह बात करने का तरीका है? ...*(व्यवधान)*

विश्व भर में ई–सोप का इस्तेमाल स्टॉप आप्शन के लिए किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी हिस्सेदारी स्वामित्व योजना। मैं कहना यह चाहता हूं कि यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है, तथापि वह ऐसा करना चाहते हैं। वास्तव में, इससे कौन प्रभावित होगा? क्या वह वास्तव में छोटी कंपनियों के लिए लाभदायक है। हम सभी जानते हैं कि इसका निशाना सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है और हम ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो चुके हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के स्थान पर हम उन्हें निशाना क्यों बना रहे हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अच्छे लोगों को अपने पास रोके रखना। प्रतिभा पलायन की आशंका है। विदेशों से काफी लोग आ रहे हैं और बंगलौर में नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप इसमें विफल रहे तो प्रतिभा पलायन हो जाएगा। वित्त मंत्री महोदय को इसपर भी विचार करना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली और उसके आसपास

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

के होटलों में कर अवकाश देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन आपने केवल दिल्ली तक इसे सीमित क्यों रखा है? क्या ऐसा इसलिए कि दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान भी बहुत निकट है। आप राजस्थान तक इसका विस्तार क्यों नहीं करते? राजस्थान में बहुत सी समस्याएं हैं। यह चारों तरफ से भूमि से घिरा है। हमारे यहां पत्तन की सुविधा नहीं है। हमारी अन्य कठिनाइयां भी हैं। यदि वित्त मंत्री महोदय इस पर भी विचार करें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अनेक बजट प्रस्ताव स्पष्टीकृत प्रकृति के हैं। समय-समय पर और वर्ष दर वर्ष यह घोषणा की जा रही है कि मौजूदा अधिनियमों को सरल बनाने के लिए नए वित्त और आयकर अधिनियम लागू किए जाएंगे और यह सब गैर-राजस्व बजट में किया जाएगा। मंत्री महोदय ने 84 नए खंड लागू किए हैं। क्या यह सरलीकरण है? क्या इससे वास्तव में मामला जटिल नहीं हो जाएगा? मेरा सुझाव है कि इन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और प्रतिस्पर्धात्मकता को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया है कि प्रशुल्क में कटौती की जाए, नियमों को सरल बनाया जाए, विश्व मानदंडों और प्रतिस्पर्धात्मकता पर खरे उतरने तथा व्यापार और वाणिज्य में तालमेल बिठाने के लिए कानून को पारदर्शी बनाया जाए। यदि आप आसियान के छोटे देशों पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने कर भार को कम किया है। नियमों को सरल बनाया है और कर संग्रहण को बेहतर बनाया है तथा बेहतर प्रशासन के फलस्वरूप विकास में भारी बढ़ोत्तरी हुई है और जी डी पी में वृद्धि हुई है।

अंत में, ऐसा कुछ है जिसके बारे में लोग बात करते रहे हैं और मैं सोचता हूं कि मुझे वित्त मंत्री को इससे अवगत करना चाहिए। सचल आकृतियों को पढ़ने की क्षमता वाले डिजिटल कैमरे पर सीमा शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर देने का क्या कारण है? यह ठीक है कि आपने फैक्स, स्कैन और प्रिंट करने वाले बहु-उपयोगी उपकरण पर शुल्क को शून्य प्रतिशत कर दिया है लेकिन सचल आकृतियों को पढ़ने की क्षमता वाले डिजिटल कैमरे पर शुल्क को शून्य प्रतिशत कर देने की क्या आवश्यकता है? आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह इसलिए है कि आप एक कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहते थे, जो इस व्यापार से जुड़ी है। यही बातें चल रही हैं; मैंने सोचा कि मैं आपको इससे अवगत करा दूं ताकि इधर-उधर की बातों पर विराम लग सके। बहुत धन्यवाद।

श्री मकबूल बख्शी (निजामाबाद) : धन्यवाद। मैं वित्त विधेयक, 2007-2008 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं वित्त विधेयक, 2007-08 प्रस्तुत करने के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिसमें कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर प्रभावी रूप से ध्यान दिया गया है और समग्र विकास पर अधिकाधिक बल दिया गया है।

हमारी माननीय नेता, सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी "शांति, अहिंसा और सशक्तिकरण-21वीं सदी में गांधीवादी दर्शन" विषय पर 29 जनवरी, 2007 को अपने उद्घाटन भाषण में समग्र विकास पर विशेष बल दिया।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आदि के लिए 100 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा आबंटित किए हैं। लेकिन प्रमुख चीज़ यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तरीके ईजाद करने चाहिए कि इसे प्रभावी रूप से और कुशलतापूर्वक खर्च किया जाए ताकि समग्र विकास हासिल किया जा सके। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर नजर डालना सुखद है।

सर्व शिक्षा अभियान के मामले में अभी भी 1.3 करोड़ बच्चे और लगभग 40 प्रतिशत लक्षित समूह विद्यालयों से बाहर हैं; 31,468 बस्तियों में विद्यालय नहीं हैं; 75,884 विद्यालयों में केवल एक अध्यापक है और 6647 विद्यालयों में कोई अध्यापक नहीं है। यह देखकर अच्छा लगा कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और अन्य योजनाओं के लिए बजट आबंटन 17,733 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,142 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किंतु यह देखने की आवश्यकता है कि यह धनराशि अन्य कार्यों पर खर्च न की जाए।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारी मात्रा में धनराशि आबंटित किए जाने के बाद, राज्य नियमित रूप से धनराशि का अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस वर्ष, उन्होंने नई कक्षाओं हेतु पांच लाख नए कमरों के निर्माण के लिए धनराशि आबंटित की है; मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास नई कक्षाओं के लिए अपेक्षित कमरों के आंकड़े उपलब्ध हैं? हमारा एक लक्ष्य है कि वर्ष 2010 तक, कोई भी बच्चा, बिना पढ़े विद्यालय से बाहर नहीं रहेगा; लेकिन हमें अभी भी कितने कमरों की आवश्यकता है? यह अच्छा है कि हमने इसके लिए पांच लाख कमरे आबंटित किए हैं; लेकिन अब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा। जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2010 तक, कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहेगा। इसे हासिल करना कठिन होगा। हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े हैं। हमारे पास विकास के आंकड़े हैं; तो हमारे पास आवश्यकताओं के बारे में भी आंकड़े होने चाहिए। जब तक कि ये उपलब्ध नहीं होंगे, धनराशि का आबंटन व्यावहारिक नहीं हो सकता।

यहां तक कि 60 वर्ष के बाद भी मेरा अपना जिला, निजामाबाद देश के पिछड़े जिलों में से एक है; अभी भी कक्षाओं के लिए 2157 कमरों की आवश्यकता है। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न जगहों का दौरा करता हूं, तो पाता हूं कि एक छोटे गांव में, जो कि राज्य राजमार्ग से 20 मिनट की दूरी पर स्थित है, हमारे पास विद्यालय नहीं है। लोग मुझसे विद्यालयों और पेयजल सुविधा मुहैया कराने की प्रार्थना करते हैं। हालांकि हमारे यहां विद्यालय हैं, फिर भी वे प्रभावी नहीं हैं। पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े एक मामले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 235 करोड़ रु. का कहीं अन्यत्र उपयोग करने के संबंध में जांच चल रही है। कल एक बार फिर सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में एक धोखाधड़ी का पता चला। मेरा माननीय मंत्री से यह आग्रह है कि हमें इन निधियों का उपयोग करने के लिए एक प्रभावी तंत्र ईजाद करना चाहिए। ये निधियां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिएं।

सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना का 200 जिलों से 330 जिलों तक विस्तार करने और धनराशि को 12000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक बढ़ाने का भी निर्णय बहुत अच्छा है। हालांकि हमारे पास कोई सही लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं है तथापि जब हम करदाताओं के पैसे को खर्च करते हैं – ग्रामीण नियोजन योजना के लिए भारी मात्रा में धनराशि दी जाती है। जो कि अपेक्षित होती है–तो जब तक कि हमारे पास प्रभावी तंत्र नहीं होगा, तब तक उतनी ही मात्रा में भ्रष्टाचार फैलेगा और राज्य धनराशि का अन्यत्र उपयोग करते रहेंगे। वे बेरोजगार ग्रामीण युवकों अथवा लोगों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से यह विनम्र अनुरोध है कि वे कृपा करके निम्नलिखित पर विचार करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस बजट में नए ओबीसी कोटे के लिए 3240 करोड़ रु. से ज्यादा आबंटित किए गए हैं। ओ.बी.सी. कोटे के संबंध में क्या स्थिति है, हम सभी जानते हैं। हमारे माननीय विधि मंत्री भी यहां उपस्थित हैं और उन्होंने कहा है कि इस वर्ष उच्च शिक्षा में ओबीसी कोटा लागू करना संभव नहीं है। मेरा निवेदन है कि हम आबंटित राशि का उपयोग लक्षित ओ.बी.सी. छात्रों के लिए कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने संसद में अनेक बार उच्च शिक्षा ऋण के बारे में चर्चा की है। ओ.बी. सी. के किसी छात्र के प्रतिभा सूची में आ जाने पर भी, उनके पास किसी निजी संस्था में पढ़ने का साधन नहीं होता। आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष लागत 70,000 रु0. से ज्यादा बैठती है और मेडिकल कालेज में यह लागत 1,30,000 से ज्यादा बैठती है। इनमें से अनेक छात्र इतनी धनराशि का भुगतान करना वहन नहीं कर सकते। अनेक छात्रों के माता–पिता मेरे पास आते हैं, चूंकि वे इतनी धनराशि नहीं जुटा पाते, इसलिए प्रतिभा सूची में आ जाने के बाद भी उस सीट को छोड़ देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि को, उन प्रतिभाशाली छात्रों को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आते हैं अथवा जो कोई भी वेतन आप निर्धारित कर सकें, किसी अन्य तरीके से आबंटित किया जा सकता है। इस प्रकार से, कमजोर वर्गों के छात्र लाभान्वित होंगे। यहां तक कि यदि आप कोटा प्रणाली भी लागू करें, तब भी आपको इसके लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। इसलिए, अंतिम लक्ष्य ओ.बी.सी. श्रेणी के उन छात्रों को लाभ पहुंचाना है। जोकि इसके पात्र हैं। हजारों वर्षों से, वे परेशानियां झेल रहे हैं।

मैं आपको इसकी तुलना में उन अन्य लोगों का हवाला देना चाहता हूं, जो ओबीसी कोटे का विरोध करते हैं। हमारे मन में नारायणमूर्ति जैसे लोगों के लिए बहुत सम्मान है। इन्फोसिस कंपनी, जिसने इस वर्ष 3000 करोड़ रु. से ज्यादा की आय घोषित की है, उसे लाभ की आवश्यकता है। उन्हें एक प्रकार से आरक्षण की आवश्यकता है, चूंकि उन्हें आंध्र प्रदेश में भूमि चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें 500 एकड़ भूमि दी जाए जिसे इन्फोसिस कैंपस के रूप में विकसित किया जाएगा। भूमि की वर्तमान बाजार दर 10,000 करोड़ रु. के बराबर है। वे इस भूमि को मात्र 80 करोड़ रु. के सस्ते मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। वे इसके लिए अधिक छूट चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। में ओबीसी श्रेणी में आता हूं। हमें आरक्षण नहीं चाहिए किंतु हमें समान और सस्ती शिक्षा मिले ताकि हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। यदि वही 10,000 करोड़ रु. आंध्र प्रदेश राज्य में अवसंरचना उपलब्ध कराने में खर्च किए जाएं, तो संपूर्ण राज्य में कक्षाओं के लिए कमरों अथवा अध्यापकों की कोई समस्या नहीं होगी। हमें हर किसी को किसी अन्य विकसित देश के समान ही प्रभावी शिक्षा देनी चाहिए। मैंने अमरीका में 15 वर्ष गुजारे, जहां कोई भी व्यक्ति चाहे उसका आय स्तर कुछ भी हो, एक सरकारी विद्यालय में जा सकता है, जो कि प्रतिस्पर्धा में किसी प्राइवेट स्कूल के समान ही है। हम आरक्षण नहीं चाहते, लेकिन आपको समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने चाहिएं। आपको उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में जाना वहन नहीं कर सकते। लोग कोटा प्रणाली का विरोध करते हैं लेकिन व्यापारिक समुदाय को हर प्रकार के लाभ चाहिएं।

एस.ई.जेड़ का उदाहरण लेते हैं। हैदराबाद में स्थापित की जाने वाली फैब सिटी के लिए सरकार ने 100 एकड़ भूमि आबंटित की है। वे लोग इस 100 एकड़ भूमि को पट्टे पर देकर धनराशि जुटा सकते हैं। वह भूमि 1 रुपया प्रति एकड़ की लागत पर पट्टे पर दी गई है। हम कहां हैं? यह कैसा न्याय है? ये लोग करदाताओं के पैसे से सभी प्रकार के फायदे उठाना चाहते हैं परन्तु ये लोग फायदे गरीब लोगों को नहीं देना चाहते। कार्पोरेट सामाजिक जागरूकता क्या है? हाल ही में हुए सी आई आई सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए हमारे माननीय

[श्री मधुगौड़ यास्खी]

प्रधान मंत्री ने इसका उल्लेख किया है। हम सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 विकास देख रहे हैं और केवल इन औद्योगिक घरानों के कुछेक तबके इसका लाभ उठा रहे हैं और पूरी दुनिया में जाकर कंपनियां खरीद रहे हैं। परन्तु भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है? वे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? अमरीका में औसतन प्रत्येक परिवार पूरी दुनिया के गरीब लोगों की सहायता के लिए लगभग 150 डालर खर्च करता है। मैंने हाल ही में एक अखबार में पढ़ा कि सबसे अमीरों में से एक – भारती कम्यूकेशन्स ने एक दूरसंचार कंपनी खरीदी। जब उन्होंने श्री बिल गेट्स द्वारा भारत में एड्स उन्मूलन के लिए भारत को दिए गए 300 मिलियन डालर के योगदान के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी सेवानिवृत्ति लेने की उनकी उम्र नहीं है। कार्पोरेट क्षेत्र की यही प्रतिक्रिया है। परंतु वे सभी प्रकार के लाभों की मांग करते हैं।

इन्फोसिस की बात करें, तो सरकार केवल 500 नौकरियों का सृजन करने तथा कुछ समय बाद तक 4000 नौकरियों का सृजन करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सम्पत्ति का आबंटन कर रही है। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सवाल है, इसमें विकास है परंतु इस क्षेत्र में 95 प्रतिशत नौकरियों का विकास केवल कुछ प्रमुख शहरों तक सीमित है। यदि आप इसकी तुलना अन्य क्षेत्रों से करें, तो आई टी क्षेत्र में रोजगार विकास कुल रोजगार विकास का केवल पांच प्रतिशत है। वर्ष 2004 में संसद में अपने प्रथम भाषण में मैंने माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध किया था कि हमें निर्माण क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने की जरूरत है। हम अपनी तुलना चीन के साथ करते हैं। मगर हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हम कई बार यह भी शेखी बघारते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के विकास के संबंध में अगले 30 वर्षों में हम चीन से आगे बढ़ जाएंगे परन्तु ऐसा करने के लिए प्रभावी रूप से ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो विकास आधारित हों तथा जो रोजगार के अवसर प्रदान करें और ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में हो।

महोदय, यह उल्लेखनीय बात है जैसा कि हमारे भविष्यदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 22 साल पहले कहा कि एक रुपए में से वास्तविक लाभार्थी को केवल 15 पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद भी अक्सर आबंटित पैसा खर्च नहीं किया जाता। अधिकांश पैसा अनुरक्षण तथा अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। यदि हम दिसम्बर, 2006 की रिपोर्ट देखें तो 13 विभागों ने आबंटित धनराशि का केवल 40 प्रतिशत खर्च किया है। हमने यह देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसके संबंध में चिंता जरूर व्यक्त करते हैं। 2,52,594 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, परन्तु नौ महीनों में केवल 1,36,405 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेरे खुद के जिले के लिए केन्द्र सरकार ने स्कूलों के लिए विज्ञान संबंधी उपकरणों के लिए धनराशि आबंटित की है। दिसम्बर, 2006 तक केन्द्र सरकार द्वारा दिया गए 36 लाख रुपए को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खर्च नहीं किया गया था। वह अभी भी यही ढूंढ रहे हैं कि ये उपकरण किस स्कूल को चाहिए। यह पता लगाने के लिए ज्यादा पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर स्कूल को टेस्ट ट्यूब तथा अन्य चीजों जैसे वैज्ञानिक उपकरणों की जरूरत होती है। अतः उपकरणों द्वारा पैसा खर्च करने का यह आलस्यपूर्ण तरीका है और इससे करदाताओं का पैसा बबार्द होता है।

बात आगे बढ़ाते हुए मैं शिक्षा पर जोर देना चाहूंगा जिसकी थोड़ी चर्चा हमने की है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य परिचर्या का है। काफी समय तक निरंतर आने वाली सरकारें देश के प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली प्रदान करने में असफल रही हैं। यदि आप एक अवधि तक इसे देखें तो यह बड़ी निराशाजनक बात है। मैं आंध्र प्रदेश का एक उदहारण देना चाहूंगा। कुछ सप्ताह पहले एक सरकारी अस्पताल में एक सूअर द्वारा अस्पताल में ही एक नवजात शिशु को मार दिया गया।

एक बार फिर दो दिन बाद, किसी सरकारी अस्पताल में एक कुत्ते ने एक अन्य बच्चे को मार दिया। मेरे खुद के जिले में सरकार ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अस्पताल में डाक्टरों की कमी है। इस तथ्य के बावजूद कि हर साल लगभग 4,000 डाक्टर अपनी डिग्री ले रहे हैं, अधिकांश डाक्टर सरकारी अस्पताल में काम करना नहीं चाहते। सरकार हर साल आई आई टी पर भारी धनराशि खर्च कर रही है। अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध होगा कि हर डाक्टर के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह कम से कम कुछ समय के लिए ऐसे क्षेत्र में काम करे जहां डाक्टरों की कमी हो। अमरीका में यदि कोई डाक्टर वहां रहना चाहता है तो उसे दो वर्षों तक एक अल्प विकसित तथा अल्प–सेवा प्राप्त क्षेत्र में काम करना होता है। केवल इसी शर्त पर उन्हें, एक रेजिडेन्ट लाइसेंस मिल सकेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है; भारत की 26 प्रतिशत जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती और हर विश्लेषण में यह दिखाया जाता है कि लोगों के कर्ज के जाल में फंसने का सबसे बड़ा कारण बीमारी पर किया गया खर्च है। केवल आंध्र प्रदेश राज्य में डेंगू बुखार का मुकाबला करने के लिए पिछले मौसम के दौरान लोगों ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। यह एक अच्छी शुरूआत है कि प्रधानमंत्री जी ने 'आम आदमी बीमा योजना' शुरू की है, जो असंगठित क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा परिचर्या देने में मदद करेगी। इससे उनकी कुछ हद तक मदद हो सकेगी। परंतु सरकार को न केवल प्रमुख शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा कम से कम जिला

मुख्यालयों में एम्स जैसे अस्पताल बनवाने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली सुदृढ़ हो सकेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन मोबाइल हेल्थ केयर वैन का उल्लेख करता है। परन्तु हमें यह देखना होगा कि इन्हें कितने प्रभावी रूप से सुसज्जित किया जा सकता है तथा यह कितने प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान कर सकती है।

इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार निजी अस्पतालों द्वारा उन सेवाएं के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान करती है जो सेवाए सी जी एच एस अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। मैं 'कारपोरेट अस्पताल' शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। कार्पोरेशन का आधारभूत सिद्धान्त मुनाफा कमाना होता हैं यदि एक कार्पोरेट अस्पताल का आधारभूत उद्देश्य तथा मंशा पैसा कमाने की है, तो वह किस प्रकार की सेवा प्रदान करेगा? वे सी जी एच एस से प्रमाणपत्र लेते हैं और बड़ी धनराशि हड़प लेते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पुनर्अदायगी के रूप में करोड़ों रुपए देने की बजाए, इस पैसे का इस्तेमाल देश में सरकार द्वारा प्रदान किए गए सी जी एच एस अस्पतालों तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है।

महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के मुद्दे की बात करें, तो सरकार ने मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों के लिए 72 करोड़ रुपए तथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों के लिए 90 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। यह सभी जानते हैं कि देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय से है। मेरे खुद के जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के 3,00,000 से अधिक लोग हैं। इस समुदाय के युवाओं को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से दूर रखने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें रोजगार और शिक्षा के साधन दिए जाएं। यह एक अच्छी शुरूआत है परन्तु आबंटित धनराशि काफी कम है। इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि के बारे में एक शर्त है। ये लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय का हो। इस शर्त को समाप्त किया जाए ताकि इसके दायरे में अल्पसंख्यक समुदाय वाले और जिले आ सके और इसका लाभ उठा सकें। माननीय वित्त मंत्री उन्हें शिक्षा और रोजगार देने के लिए इन जिलों को और धनराशि आबंटित करने पर विचार कर सकते हैं।

कृषि ऋण को 2,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। परन्तु हम देखते हैं कि केवल अमीर किसानों को यह ऋण मिल पाता है। वही किसान ये लाभ प्राप्त कर पाते हैं जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन है। बैंक ऋण देने पर और शर्तें लगा रहे हैं। उन्हें थोड़ा उदार होना चाहिए। पी एम आर वाई के संबंध में विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में बैंकों से ऋण लेने के लिए एक बड़ी समस्या है। 1,00,000 रुपए का ऋण लेने के लिए बैंक 50,000 रुपए के न्यूनतम जमा की मांग करते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपए का सावधि जमा है तो वह 1 लाख रुपए का ऋण क्यों लेगा? अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों पर एक प्रतिबन्ध थोपा जा रहा है। बावजूद इसके कि ये लाभ देने के लिए इन स्वरोजगार प्राप्त युवाओं का चयन जिला प्रशासन करता है। पितलाम मंडल क्षेत्र के एक बैंक में यदि दस लाभार्थियों का चयन होता है, तो वे केवल 3 लाख रुपयों का आबंटन कर रहे हैं, यदि जिला प्रशासन से आपके पास 1 लाख रुपए की स्वीकृति है तो भी वे कहते हैं कि वे केवल 50,000 रु. दे सकते हैं। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कुल योजनाओं में से केवल 52 प्रतिशत को मूर्त रूप दिया जाता है और इसमें से 26 प्रतिशत पिछड़े वर्गों तथा 12 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। जितनी धनराशि आबंटित की गई है वही दर्शाती है कि यह कैसे खर्च नहीं की गई है। यद्यपि सरकार कोई निषेधात्मक शर्त नहीं लगा रही है फिर भी बैंक लगा रहे हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक हजारों करोड़ रुपए दो या तीन प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवा रहे हैं; फिर भी किसानों को 12 से 18 प्रतिशत पर ऋण मिल रहा है। सरकार ने यह उल्लेख किया था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि किसानों को सात प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाए। इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

मेरा जिला नक्सलवाद प्रभावित जिलों में से एक है।

सभापति महोदय : आपने अपने सभी मुद्दों को पूरा कर लिया है। आप स्वयं भी यह महसूस कर रहे होंगे।

श्री मधु गौड़ यास्खी : सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीड़ी कामगारों के बारे में है। आंध्र प्रदेश में, दस लाख से भी ज्यादा लोग बीड़ी उद्योग में कार्य कर रहे हैं। 12 से 60 वर्ष की महिलाएं बीड़ी उद्योग में काम करती हैं। प्रतिदिन की उनकी अधिकतम आय 65 रुपए होती है। धूम्रपान के प्रतिबंधित करने के लिए नया नारा है। यह अच्छा है और मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं धूम्रपान को प्रतिबंधित करने के पक्ष में हूं। किन्तु इन ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। यदि आप उनके शारीरिक स्वास्थ्य को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे टी. बी. जैसे श्वास संबंधी रोग और अन्य रोगों से पीड़ित है। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन निर्धन ग्रामीण महिलाओं को प्रभावी वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करें और तब आप बीड़ियों पर इन लोगों का उपयोग और अन्य प्रतिबंधात्मक उपायों को आरम्भ कर सकते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं। किन्तु हमें यह देखने की भी जरूरत है कि इन लोगों को अनुकूल रोजगार मिल सके।

[श्री मधुगौड़ यास्खी]

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा फ्लुरोसिस है। देश के लगभग 19 राज्य फ्लुरोसिस से प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश में, विशेषकर नालगोंडा, प्रकासम और ओंगोल जिले के लोग फ्लुरोसिस से पीड़ित हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए और अधिक धनराशि जारी करें और इसे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की तरह ही युद्ध स्तर पर मुकाबला करें। इसी प्रकार, फ्लुरोसिस उन्मूलन कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय फ्लुरोसिस निवारण कार्यक्रम को आरम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं भी इससे सहमत हैं कि देश में लगभग 25 मिलियन लाग फ्लुरोसिस से प्रभावित हैं। इस आंकड़े से सभी सहमत हैं परन्तु वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक है। इसलिए, फ्लुरोसिस उन्मूलन के लिए इसी वित्तीय वर्ष में और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

दुर्भाग्यवश, हम खेल क्षेत्र को कम महत्ता देते हैं, खेल–कूद एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जो देश में युवाओं के लिए अत्यधिक रोजगार का सृजन कर सकता है और इसके लिए अधिक धनराशि आबंटित की जाए। पिछड़े क्षेत्र विकास कोष के दायरे में नक्सलवाद से प्रभावित जिले भी आने चाहिए। नक्सलवाद को कानून व्यवस्था की समस्या से ज्यादा सामाजिक–आर्थिक समस्या के रूप में निपटाया जाना चाहिए। नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए हम कानून व्यवस्था, हथियारों आदि पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं किन्तु हम इन क्षेत्रों में अनुकूल रोजगार प्रदान करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछड़े जिलों के विकास के लिए केवल 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, सरकार को 500 करोड़ रुपए की इस राशि, जो सम्पूर्ण देश के लिए आबंटित की जाती है, में वृद्धि करनी चाहिए। यदि आप आंकड़ों पर गौर करें तो एक दशक पहले 33 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे किन्तु ये अब 165 हो गए हैं। जब तक इस समस्या को सामाजिक आर्थिक समस्या के नजरिए से नहीं देखा जाता तब तक इसका समाधान करना सम्भव नहीं है।

वैश्वीकरण से भू सम्पदा के क्षेत्र में तेजी आई है। हम सुनते हैं कि हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में लोग संदूकों में धन लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रापर्टी जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए है, उसका पंजीकरण एक लाख रुपए में हुआ है। इस प्रकार की विसंगति विद्यमान है। आयकर विभाग इस बारे में क्या कर रहा है? मैं वित्त मंत्री जी से इसकी जांच करवाने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, बजट और उसके लिए धन की व्यवस्था, सरकार की अर्थ नीति को व्यक्त करने के लिए वित्तीय प्रावधानों का बजट प्रतिवर्ष आता है। देश की दशा और दिशा किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसको भी व्यक्त करने का यह प्रयास करता है। बजट एक निरंतरता है। इसमें नवीनता आनी चाहिए। देश की प्राथमिक जरूरतों की बातों को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना पैसा उगाह लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं कि जीडीपी में बढ़ावा कैसे हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि जिस लोकतंत्र की व्यवस्था में हम रहते हैं, उस लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं? देश की 110 करोड़ से ज्यादा की आबादी में ज्यादा से ज्यादा लोग अभावग्रस्त हैं। ऐसे अभावग्रस्तों को राहत देने के लिए हमने क्या उपाए किए हैं? ऐसे उपायों को करने का जब हम बजट भाषण और फाइनेंस बिल देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि उस परंपरा को जो कि पिछले समय से चली आ रही है, उसको तोड़ने का जो भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए था, उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ है। नारे और वादे समसामायिक रूप से होते रहते हैं। मुझे यह याद दिलाते हुए कहना पड़ेगा, यदि मैं न याद दिलाऊं तो कोताही होगी "कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ"। कांग्रेस का हाथ गरीब से के साथ हो। गरीबी की बात हम सन् 1972 से सुनते आ रहे हैं कि गरीबी हटायेंगे। किसने गरीबी हटाने से रोका है? गरीबी हटायी जानी चाहिए, परंतु यह गरीबी नहीं हटी, डटी, बड़ी अटपटी, यह कहां सटी? आप इसको कैसे भी हटाइए? आप इसके लिए उपाय करिए। जो नारा और वादा है उसके पीछे आपका कोई पक्का इरादा नहीं है। बुलन्द वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमान लेकर क्या करेंगे? आम–आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। हम कहते हैं कि "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा," यह होना चाहिए, लेकिन रहने को घर नहीं हैं और सारा जहां हमारा। ऐसे कैसे गुजारा होगा? क्या हमने रहने के बारे में, आवास के लिए रोजगार के बारे में, आजीविका के बारे में गंभीरता से विचार किया है? यदि यह विचार नहीं किया है तो कितना ही अच्छा बजट, कितनी ही अच्छी बातें, कितनी ही अच्छी विवेचना, कितने ही अच्छे भाषण कर लें, लेकिन उन भाषणों से बात नहीं बनती। बजट के वित्त विधेयक में बड़े संशोधन हुए हैं। आखिर इन संशोधनों का लाभ क्या है। डायरैक्ट टैक्सेस में आपने आयकर में 7 संशोधन, सम्पत्ति कर में 11, कस्टम में 20, कस्टम टैरिफ और एक्साइज में 17, एक्साइज टैरिफ में 1 और सर्विस टैक्स में 1 संशोधन किया है। आप सैस भी लेते हैं। लेकिन उस सैस का उपयोग कहां होता है। मैं श्रम मंत्रालय से वाकिफ होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि सैस का उपयोग करने के लिए जो प्रभावी उपाय प्रारंभ

किए गए थे, उनको आगे नहीं बढ़ाया है। आयरनओर के सैस बढ़े हैं, लाइम स्टोन और डोलोमाइट के बढ़े हैं और बीड़ी के भी बढ़े हैं। एक 19 करोड़ रुपए है, एक 20 करोड़ रुपए है और एक 230 करोड़ रुपए है। सैस से जो वेल्फेयर एक्टीविटीज शुरू करनी चाहिए, वह नहीं होती। कोई मकैनिज्म ही नहीं है। हम पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, कारपस बढ़ता जा रहा है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जिस काम के लिए हम यह सब कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लाइम स्टोन में काम करने वाले लोगों के लिए राहत के ठीक प्रकार के उपाय नहीं हैं, उनके लिए चिकित्सालय नहीं है। आयरओर में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं हैं। बीड़ी के बारे में परेशानी है कि उन्हें ठीक प्रकार ऐग्जीक्यूट करने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए जो मकैनिज्म चाहिए, वह यहां नहीं है, वहां नहीं है, कहीं भी नहीं है। यह सारे कार्य जो गरीब तबके के लोगों के लिए करने चाहिएं, उन्हें आप कीजिए।

सबने कहा कि महंगाई बढ़ी है। आपका जीडीपी बहुत अच्छा हो रहा है। जीडीपी से, उसके इन्फ्लेशन से जो हुआ, उसके बारे में क्या होगा। जीडीपी हो गया, 18.5 प्रतिशत कृषि का हो गया। देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। जीडीपी आम आदमी की खुशहाली से जुड़ा होना चाहिए, आम आदमी के रोजगार से जुड़ा होना चाहिए। 70 प्रतिशत लोगों के लिए 18.5 प्रतिशत जीडीपी की दर है। होना यह चाहिए कि हम 70 प्रतिशत लोगों के लिए 60 प्रतिशत या उतना जीडीपी का हिस्सा निकालें, उनसे रोजगार सृजन के अवसर पैदा हों। परन्तु यह नहीं हो रहा है। सर्विसेज के बारे में हमने कहा है कि उसमें जीडीपी कुछ अच्छा बढ़ा है। एक्साइज से किसी को बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। बहुत लोग बजट को समझते भी नहीं हैं। बजट के क्लॉजेज को पढ़ने, समझने के लिए किस को मौका मिलता है? ज्यादातर लोग बजट का यह अर्थ समझते हैं कि हमारे राहत के लिए क्या हुआ, हमें इसमें क्या राहत मिली। मकान बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, वह महंगा क्यों हो गया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? उसमें जो रॉ–मैटीरियल लगने वाला है, क्या उसके दाम ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या इसके लिए राज्यों को कुछ ज्यादा सेस देने का काम किया गया है? आयरनओर के बारे में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण स्टील के भाव बढ़ गए। बातें जस की तस हैं। यह ऐसी, वैसी, कैसी हो रही है कि आप इन सारी बातों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। बजट हो गया और उसमें जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। मैं मांग करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो सीमेंट के भाव बढ़े हैं, आपने भी कहा है कि उसके भाव कम कर दीजिए, लेकिन कोई भाव कम करने वाला नहीं है, कम करने के लिए आपको ही कोई उपाय करने पड़ेंगे। आज से 8–10 साल पहले 100 रुपए में सीमेंट आता था। मुझे पता है लार्सन एंड टूबरो और बाकी कम्पनियां सीमेंट बनाती थीं। सारी सरकारी कम्पनियां खत्म हो गईं। जब सरकारी कम्पनियां खत्म हो गईं तो हमारा नियंत्रण भी खत्म हो गया। हमारी एसोसिएट सीमेंट कम्पनी काम करती थी। ऐसी जो कम्पनियां काम करती थीं, उनके कारण आपका नियंत्रण था। हमने उस सारे नियंत्रण को अपने हाथ में जाने दिया। जब नियंत्रण हाथ से चला गया तो उन्हें भाव बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो गए क्योंकि वह प्राइवेटाइज हो गया। पहले वे बाजार में आने के लिए चीजों के दाम करते हैं और जब बाजार में स्थापित हो जाते हैं और उनकी मोनोपोली हो जाती है, तो वे भाव बढ़ाते जाते हैं। इन सारी बातों के खतरे हैं। उस समय जिस योजना के अंतर्गत हमने सरकार के अधीन कारखाने चलाए होंगे, उनमें रोजगार का सृजन भी होता था, हम उत्पादन पर नियंत्रण कर सकते थे, बाजार को नियमित कर सकते थे। रैगुलेट करने की सारी बातें हमारे हाथ से जा रही हैं।

ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। ग्लोबलाइजेशन जैसा हो रहा है, यह कैसा हो ही रहा है। वहां पूंजी का महत्व है, आदमी, श्रम, कौशल आदि का महत्व नहीं है। इन सारी बातों का महत्व हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए जिस तरह से यह सब हो रहा है, उससे हम आम आदमी को राहत नहीं दे पा रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए सारी चीजें – गेहूं, चावल, चीनी, तेल, दालें, चाय, आदि महंगी हो गयीं। अब क्या पीयें और क्या खायें, कुछ समझ में नहीं आये। बजट को आप जनोन्मुखी बनाये, तो समझ में आता है कि आपने जो बजट पेश किया, उससे कुछ राहत मिली है। गेहूं के भाव कम नहीं हो रहे क्योंकि आपका प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। जब प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आप गेहूं कहां से लाने वाले हैं? अभी मैं सुबह प्रश्न कर रहा था, तो पता लगा कि हम विदेश से गेहूं आयात करने वाले हैं। जिस भाव से आप विदेश से आयात करने वाले हैं, वे भाव आप हमारे किसानों को दीजिए। आप क्यों नहीं उसे वे भाव देते? क्या आपका कोई निश्चय नहीं है? आप क्या करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं? जो चीजें अपने देश में उपलब्ध हैं, उसी को आप इकट्ठा करें विदेश में किसानों को देने की बजाए हमारे किसानों को दीजिए, तो ये सारी बातें आसान हो जाएंगी। बीच में कहा गया कि जहां गेहूं की खपत होती थी, वहां हमने चावल दिया। अब जो व्यक्ति गेहूं खाता है, वह चावल कैसे खायेगा? क्योंकि उसे आदत नहीं है। फिर वह क्या करे? ब्लैकमार्केट में, इधर से उधर जायेगा। क्या हम अवसर देने वाले हैं? क्या आपकी नीयत ऐसी है? मैं नहीं मानता कि आपकी नीयत ऐसी है। लेकिन प्रबंध नहीं है इसलिए सारी बातें बिगड़ेंगी।

शक्कर, चीनी के बारे में यही बात है। सारी चीनी मिलें एक के

[डा. सत्यनारायण जटिया]

बाद एक बंद क्यों होती जा रही हैं? जो मिलें बंद हो रही हैं उनको प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया है? गन्ना किसानों को भुगतान करने में जो विलंब होता है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? ये सारी बातें नियंत्रण की हैं क्योंकि सरकार केन्द्र में है। यहां से आप जिस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, उसका प्रभाव जन जीवन पर पड़ने वाला है। ये सारी बातें हैं।

इसी तरह चाय के बारे में है। दार्जिलिंग की चाय के साथ बागान, बागान के साथ उसका मजदूर और मजदूर के साथ उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। पूरी मजदूरी देनी चाहिए। क्या हमने अपने ब्रांड को पैटेंट करने के लिए कोई उपाय किया है? यदि नहीं किया है, तो करना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार है। बाकी दिनों के बारे में क्या योजना है? इस योजना से क्या काम होने वाले हैं? ऐसी सारी सरकारी योजनाओं के अंजाम इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि सारी बातों का सुपरविजन करने के लिए, देख–रेख करने के लिए कुछ नहीं होता। वह सारा पैसा कहां जाता है। मस्टर रोल ठीक प्रकार से भरते हैं या नहीं, सबको पता है। इस बारे में आपको और हमको दोनों को मालूम है। इन सबके कारण जो 100 दिन का लाभ हम गरीब लोगों को देना चाहते हैं, वे उन तक नहीं पहुंचता है। मस्टर रोल में नाम भर लिए जाते हैं। वे नाम उसी प्रकार के भर लिऐ जाते हैं जिसमें किसी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आप इन सारे कामों को ऐसा क्यों मौका दे रहे हैं? आप सीधे–सीधे पंचायत को पैसा दीजिए। सीधे–सीधे पंचायत को विकास करने के अवसर दीजिए। पंचायतों को पैसा जाये क्योंकि पंचायत राज की एक प्रणाली है। उस प्रणाली के माध्यम से आप इन सारी बातों को करने के लिए और प्रभावी बनाना चाहते हैं। इससे मॉनीटरिंग करने का एक उपाय भी हो जाएगा। ग्रामीण योजना को देश भर में लागू करना है, तो उसे ठीक प्रकार से कीजिए। वे कुछ जिलों में हो गयी और कुछ जिलों में नहीं हुई। आपने कहा कि धीरे–धीरे करने वाले हैं। अब धीरे–धीरे कब करने वाले हैं? यदि आपको लगता है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, तो फिर रोजगार पर आप ध्यान दीजिए। आम आदमी तक रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने के अवसर दीजिए। गांव के लोगों के पास रोजगार नहीं होता। इसका अर्थ है कि उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता। वे अपने परम्परागत काम करते चले आ रहे हैं लेकिन उसे बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि बड़ी–बड़ी कम्पनियां उसमें आ गयी हैं। जो उत्पाद वे गांव में रहकर बनाते हैं, उन उत्पादों का कोई महत्व नहीं रहता क्योंकि उसमें चमकीली चीजें, उससे अच्छी चीजें, उससे अधिक सुविधाजनक चीजें सस्ते दामों पर मिल रही हैं, इसलिए गांव में जिसके पास कौशल है, उसके पास काम नहीं है चाहे किसी प्रकार का काम हो। आज बढ़ई, चमार, लोहार, आदि सारे कारीगर लोगों के पास काम नहीं हैं। वे बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। जब उनके पास जमीन नहीं है, तो वे क्या करेंगे? अब मजदूरी भी नहीं है क्योंकि मशीनें आ गयी हैं। जब हम देश को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि हम सम्पन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह बेमानी होगा। मैं सारी बातों को कहूं, तो कह भी सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि "बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का, चीर कर देखा, तो निकला न कतरे खून का।" बड़ी–बड़ी बातें करने से बातें बनती नहीं हैं इसलिए छोटी–छोटी बातें करिए। छोटे आदमी के लिए बातें करिए। देश के लोकतंत्र को सार्थक करिए। निश्चित रूप से सारी बातों को करने के लिए हमें जो निर्देश मिले हैं, उसमें से काम करें। आप वित्त मंत्री हैं।

मुखिया मुखसो चाहिए, खान–पान को एक,
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।

जो बातें लोगों ने कही हैं–

ऐसो चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।

इसी तरह आगे कहा जाता है कि

कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर,
जो पर पीर न जानिए, वो बेपीर काफिर।

सारी बातों का सार है हमारी जो मान्यताएं हैं, उस तरह से आप जाइये। हम हिन्दुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। भारत की अपनी मान्यताएं हैं। उसके लिए अपनी एप्रोच है। उन साझी एप्रोचेज को पूरा करने के लिए जिन योजनाओं की जरूरत है, उसे हम पूरा करते जाएंगे। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का अर्थ होता है कि जितनी–जितनी जिस प्रदेश अनुसूचित जाति की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से, सरकार जो कुछ बजट बना रही है, चाहें केन्द्र की सरकार बजट बनाए या राज्य की सरकारें बजट बनाएं, उसका उतना हिस्सा, उस जाति के विकास के लिए सीधे–सीधे उसके रोजगार के लिए उपलब्ध हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में बहुत से राज्य जानते तक नहीं हैं। मैं एससीएसटी कमेटी का चेयरमैन था। मैंने कुछ राज्यों में जाकर पूछा। कहीं–कहीं पहली बार वे प्रयास कर रहे हैं, परन्तु उसको कोई कारगार रूप से नहीं कर रहा है। इसलिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, उसे केन्द्र सरकार में तय करना चाहिए कि देश की आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा एससी का है, साढ़े सात प्रतिशत हिस्सा एसटी का है। उस बजट के हिस्से को निकालकर मंत्रालय को दे दीजिए, जो इन

कामों को करने के लिए नियत किया गया है। वह पैसा उनकी स्कॉलरशिप के लिए जाएगा, उनकी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए जाएगा, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जाएगा, आगे उन्नति के कामों में जाएगा। सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या वास्तव में हम एससीएसटी के लोगों का भला करना चाहते हैं। आज इन लोगों की बेबसी और परेशानी को दूर करने के लिए कोई समय देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में सरकार ठीक प्रकार की योजनाएं बनाए।

हमारी बिजली की स्थिति बहुत खराब है। बिजली का जितना उत्पादन हमें करना चाहिए, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर हा गया है। यह विकास और उद्योग–धंधों से जुड़ा प्रश्न है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में अभी बहुत काम करना बाकी है। ऊर्जा के स्रोतों का हम ठीक प्रकार से दोहन कर सकें, उसके टार्गेट्स हम बना सकें, निश्चित समयावधि में उसको पूरा कर सकें, तो निश्चित ही पूरा भारत रोशन हो सकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और समृद्धि के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे।

सड़कों के बारे में हम सोचते हैं। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की। हम एक किलोमीटर पर 15 से 25 लाख तक खर्च करना चाहते हैं और उसके लिए हमने फैजेज बनाए हैं। यह भी हो सकता है कि इसके साथ ही हम सब सड़कें, पांच लाख तक की सड़कें बना दें, तो ज्यादा सड़कें बनने से काम भी पूरा हो जाएगा। उसमें डब्ल्यूबीएम के भी काम हो जाएंगे। जैसे–जैसे पैसा आता जाएगा तो सड़कों को हम टार करने का मजबूत करने का काम कर लेंगे। इस तरह से हम सब सड़कों को जोड़ने का भी काम कर सकते हैं।

जल–संसाधन की स्थिति हमारी और भी मुश्किल है। जल–संसाधन के हमारे बहुत स्रोत हैं। नदियों को जोड़ो, ऐसा बरसों से हम सुनते हैं कि बड़ा काम और बड़ा खर्च होने वाला है। लेकिन बड़ा फायदा भी होने वाला है। इसलिए बड़े फायदे के लिए बड़ा खर्च करना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। सरकार को किस योजना को कितनी प्राथमिकता देनी है उसका निश्चय करने का काम करें, जिससे कि पीने के पानी और सिंचाई का प्रबंध हो जाए। मैंने अपनी एमपी लैड से 25 बांध बनाए हैं और उन पर खर्च भी ज्यादा नहीं हुआ है। अभी हमने एक बांध बनाया जिसमें डीजल का खर्च 78 हजार रुपए लगा है, शिप्रा नदी पर बांध बनाकर, उस पर लोगों को आवागमन की सुविधा देने का काम किया है। लोगों के श्रम–दान के आधार पर, पांच किलोमीटर की सड़क डेढ़ लाख रुपए में बनाने का काम हमने कर लिया। जनता को प्रेरित करने के लिए सरकार भी कुछ इंसेंटिव दे, जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में श्रमदान का उपाय करें।

इसी प्रकार से गरीब का मकान, गरीब को बिजली, गरीब की शिक्षा, उपचार, राशन की दुकानों पर जो चीज मिलनी चाहिए, वे मिलती नहीं है। इन सारी बातों को करने के लिए सरकार उपाय करें। मेरी मान्यता है कि सरकार रोजगार को पूरा महत्व देगी।

भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक है। मोटे तौर पर 3 करोड़ 36 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पता नहीं क्या–क्या करने के लिए बेरोजगार विवश हो जाते हैं। अपराध बढ़ने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। युवा हमारे देश की शक्ति हैं और उस युवा–शक्ति को काम देने, प्रबंधन देने और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण और परीक्षण करने का काम, एनजीओ और युवा वाहिनी बनाकर देश के निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार का काम भी सरकार द्वारा किया जा सकता है। हम अपनी जीडीपी का तीन से चार प्रतिशत हिस्सा, रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए रखें, तो निश्चित रूप से उनका योगदान, भारत के निर्माण में, प्राप्त करने में हमें सुविधा होगी।

वीआरएस की बात हमने चला रखी है। जहां भी कारखाना होगा उसको वीआरएस के माध्यम से छटनी करना और छटनी के बाद पैसा जो मिले खा जाना और पता नहीं पैसा कहां जाना, और फिर कुछ नहीं पाना। यह सारा पैसा उन्हें नहीं मिलता है और जो पैसा मिलता भी है, वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनके पुनर्वास का काम भी ठीक प्रकार से हो पाता वे टैक्सटाइल का काम करते हैं और इस काम के इतने आदि हो चुके हैं कि वे दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या विकल्प चुना है? जो लोग बेरोजगार हो गए, चाहे टैक्सटाइल हो या अन्य कोई दूसरी फैक्ट्रियां हों, जो घाटा बताकर बंद हो गईं, वहां छंटनी करने के बजाए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए और रोजगार सृजन करने का भी काम किया जाना चाहिए।

आय कर के बारे में आपने 1 लाख से 1 लाख 10 हजार राहत देने का काम किया है। 30 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता हैं जो आदमी ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, उसके लिए फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन चालू कर दीजिए। निश्चित रूप से इस कारण से कर्मचारियों और लोगों को राहत मिलेगी। पहले वेतन आयोग गठित होते ही कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने का काम होता था, महंगाई बढ़ी है और आपके ही कर्मचारी हैं तथा इन्हें ही अंतरिम राहत देने में कोताही बरतने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। कर्मचारियों को अभी नहीं तो बाद में आपने पैसा देना ही है। महिलाओं की आय कर में छूट को और बढ़ाने का काम करना चाहिए। वृद्ध लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि "अभिवादन शीलस्य:, नित्य, वृद्धोपसेविन:, चत्वारि तस्य वर्द्धयन्ते, आयु: विद्या यशोबलम"। यदि आप वृद्ध लोगों के लिए कुछ करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी जो शुभकामनाएं हैं, वे आपके साथ होंगी, चाहे

[डा. सत्यनारायण जटिया]

वे वोट के रूप में हों या किसी और प्रकार के सपोर्ट के रूप में भी हो सकती हैं। ऐसे लोगों के बारे में, जिन्होंने सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, यदि हम उनके लिए और ज्यादा राहत देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के प्रति उनकी चाहत बढ़ेगी। आलोचना करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है। आप वित्त विधेयक पारित करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को महंगाई से राहत मिले।

विकलांगों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। देश की आबादी का तीन प्रतिशत विकलांग हैं। विकलांगों का कोई सहारा नहीं है, घर में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरियों में जो आरक्षण है, उसका कोटा पूरा नहीं होता है। यह राष्ट्रीय दायित्व के अंतर्गत आता है, ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बजट में जो प्रावधान किए हैं और जो वित्त विधेयक में संशोधन लाए हैं, वे निश्चित रूप से जनता के हित में होंगे। कठिनाइयां तो जरूर आएंगी, लेकिन राष्ट्र इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। "यह कदम बढ़े, वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंजिल तक, यह पौध लगे, वह पौध लगे, बढ़ जाए छाए मंजिल तक, चट्टानें आए या दुर्भाग्य भले ही राह रोके, ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या बेमौके, उम्मीद उठे, उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाए मंजिल तक, यह कदम बढ़े, वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक, चरैवेति चरैवेति। अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए हम मंजिल तक आगे बढ़े। क्षितिज तक प्रत्येक दिशि हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साध ले, हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्टतृष्टा को तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए।

आपने भी कहा था कि किसान जब हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी। सरकार जरूर अच्छे काम करके लोगों को राहत देगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए पुरःस्थापित वित्त विधेयक और सरकार का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारी संप्रग सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, एक गठबंधन की सरकार है।

मैं क्षेत्रीय एवं वाम दलों के साथ गठबंधन पर आधारित मुद्दों पर संप्रग सरकार की अध्यक्षा, माननीया श्रीमती सोनिया जी द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। पूर्व राजग सरकार को आम आदमी को नजरअंदाज करने की वजह से सत्ताच्युत होना पड़ा। पूर्व सरकार ने कहा था कि वे भारत उदय को अपना मुख्य राजनैतिक घोषणा–पत्र बनाएंगे। हम जानते हैं कि जनता ने इसे नकार दिया। श्रीमती सोनिया जी ने आम आदमी को संप्रग सरकार का राजनैतिक घोषणा–पत्र बनाया। सरकार इस राजनैतिक घोषणा को लागू करने की ओर अग्रसर है जिसमें आम आदमी के हितों की ओर ध्यान देने का प्रयास किया गया है।

महोदय, हमने इस रास्ते पर तीन वर्षों की यात्रा कर ली है। हमने कुछ प्रगति भी की है किन्तु हम अपनी राजनैतिक इच्छा को लागू करने पर अग्रसर हैं। हमारी संप्रग सरकार ने अपने गठन के बाद से ही अनेक कल्याणकारी उपायों को लागू किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भारत निर्माण
2. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान
3. गांवों में रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम

गत वर्ष यह योजना 200 पिछड़े जिलों में लागू की गई किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस वर्ष इसे 130 जिलों में ही लागू किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस वर्ष में ही इसमें 70 अतिरिक्त जिलों को जोड़ने का अनुरोध करता हूं जैसा कि पहले सूचित किया गया है जिससे कि इस योजना से 200 और जिले लाभान्वित हो सकें।

4. मध्याह्न भोजना योजना अन्य महत्वाकांक्षी योजना है जो विद्यालयों में भूखे छात्रों को भोजन देने के लिए लागू की गई है।

यदि इन योजनाओं को समुचित ढंग से और पर्याप्त राजनैतिक इच्छा शक्ति से लागू किया जाता है तो यह देश आगामी दस वर्षों में समृद्ध हो जाएगा।

सरकार ने कल्याणकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन जुटाकर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर की भी घोषणा की है। मैं अपनी सरकार के निष्पादन के नकारात्मक पक्ष पर भी आऊंगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन अत्यधिक कम हो गया है। यह गिरावट राजग सरकार के कार्यकाल में आरम्भ हुई थी और अभी भी जारी है। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और इस पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिए। तमिलनाडु में सिंचाई

सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को अन्तर–राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति जुटानी होगी। उदाहरण के लिए, कावेरी जल विवाद का मामला पिछले 30 वर्षों से लम्बित है। जल संसाधन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकरण के आदेश को बिना किसी देरी के क्रियान्वित किया जाए। केरल सरकार मुल्लई पेरियार बांध के जलस्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर रही है। यदि केरल को विद्युत की जरूरत है तो यह इसे हमारी महत्वाकांक्षी कूदनकुलम विद्युत परियोजना से अवश्य मिलेगी। इस प्रतिष्ठित परियोजना से लगभग 10,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा जिससे केरल की सम्पूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा, केरल इदुक्की बांध को भरने के लिए मुलई पेरियार पानी को लेने के लिए प्रतिबद्ध है। बांध को खतरे के बारे में उनका सारा शोर–शराबा केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए है जिससे कि पानी को इदुक्की भेजा जा सके। केरल सरकार और राजनैतिक दलों को अपने नकारात्मक रवैये को छोड़ देना चाहिए जैसा कि केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने सभा में यह स्पष्ट किया कि यह बांध भूकम्प प्रवण क्षेत्र में नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि मुलई–पेरियार बांध को कोई खतरा नहीं है। इसलिए, केरल के राजनैतिक प्रतिष्ठानों को इसका हौवा बनाने के बजाए तमिलनाडु को बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दे देनी चाहिए। ज्यादा पानी का अर्थ ज्यादा फसल। हम केरल को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सारी विद्युत आवश्यकताओं को कूदनकुलम से पूरा किया जा सकेगा।

मैं आटा, चावल, उड़द दाल, तुअर दाल और वनस्पति तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में बहुत चिंतित हूं। इडली और रोटी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। एक यही मुद्दा सरकार के सामने गम्भीर चुनौती पेश कर रहा है।

मैं वित्त मंत्री से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर और शीघ्र कदम उठाने की अपील करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि उन्होंने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं किंतु वे उपाय पर्याप्त नहीं हैं।

उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में कोई भी सब्जी 35 रु. प्रति किलोग्राम से कम पर नहीं बेची जा रही है। ऐसी विकट स्थिति में एक आम आदमी कैसे जीवन निर्वाह कर सकता है? मैं सरकार से कीमतों को यथाशीघ्र नीचे लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की भी अपील करता हूं।

महोदय, मैं इस माननीय सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है। सभी अनुसूचित बैंकों, डाकघरों, रेलवे, एयरलाइंस और गृह कर विभाग में वरिष्ठ नागरिक उसे माना गया है जो साठा वर्ष या अधिक की आयु का हो। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर ब्याज की ऊंची दर अर्थात् सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक दी जाती है। डाक घरों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नामक एक अन्य बचत योजना है जो कि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और उनकी आयु साठ वर्ष या अधिक रखी गई है। तथापि, आयकर विवरणी जमा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने आयु 63 वर्ष रखी है जो कि अनुचित है। वरिष्ठ नागरिक के निर्धारण के लिए एक समान आयु होनी चाहिए। अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आयकर विवरणी जमा करने के लिए भी आयु को 63 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने पर गौर करें। मैंने यह मुद्दा अपने पिछले भाषण के दौरान भी उठाया था।

इसके अलावा, महोदय, पेंटिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली ब्रश इस वित्तीय वर्ष से उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लायी गई है। ब्रश निर्माण को पशुपालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, चूंकि ब्रश के रेशे/बाल सर्वाधिक रूप से पशु के बाल ही होते हैं यद्यपि सांश्लेषित रेशे भी प्रचलन में हैं। सर्वाधिक बिक्री वाले ब्रश सूअर के बालों के बने होते हैं और इसकी उपलब्धता प्रतिबंधित है। सूअर के बालों को एकत्र करना, धोना, छंटाई, संसाधन और ब्रश निर्माण के लिए बालों की पैकिंग हाथों से की जाती है। निःसंदेह हैंडल और फेरुल बाहर से लिए गए हिस्से हैं। वो भी हाथों से बने हुए हैं। यह तमिलनाडु के हथकरघा कुटीर उद्योग के समान हैं।

इसके अलावा, यह कृषि के समान श्रम बहुल उद्योग है और भारत में कोई स्वचालित मशीनें प्रयुक्त नहीं होती यद्यपि पश्चिमी देशों में कुछ हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माता किसी भी विद्युत चालित मशीन का उपयोग नहीं करते। इसमें ग्रामीण तथा शहरी अकुशल दबे–कुचले श्रमिकों जिसमें अधिकांशतः महिलाएं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की भी देखभाल होती है। चूंकि ब्रश हाथों से, एक स्थान पर बैठकर बनाई जाती है इसलिए बहुत से निःशक्त व्यक्तियों को भी रोजगार मिलता है। एक असंगठित तथा उच्च प्रतिस्पर्धी खंड होने के कारण कीमतों में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव राष्ट्र की आर्थिक नीति में हमारे योगदान पर अहितकर प्रभाव डालता है। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से पेंटब्रश पर उत्पाद शुल्क को हटाने का आग्रह करता हूं।

*एक जोशपूर्ण अपील के साथ, मैं अपने केन्द्रीय वित्त मंत्री का ध्यान कुटीर उद्योगों की प्रद्धति पर चल रही कई छोटी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए जा रहे पेंट ब्रश पर उत्पाद कर प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये हस्त निर्मित पेंटब्रश ऐसी लघु औद्योगिक

. मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

इकाइयों में निर्मित होते हैं जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र तिरुमंगलम में और उसके आसपास फैली हैं। ये इकाइयां गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। इस कारक पर विचार करते हुए उन हस्तनिर्मित ब्रशों पर कर लगाने संबंधी प्रस्तावों को निरस्त करने और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जो कि गहन श्रम से तैयार होती है और निर्धन परिवारों से आने वाली बहुत सी महिलाओं को आजीविका प्रदान करते हैं। मैं वित्त मंत्री से इस कर प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।*

महोदय, सेवा कर की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर और शिक्षा उपकर एवं अतिरिक्त उपकर को संशोधित करके कम करने की आवश्यकता है। और अधिक सेवाओं विशेषकर परामर्शी डॉक्टर, क्लीनिक और वकील जिनकी शानदार प्रैक्टिस चल रही है और जिनकी सीमा 8 लाख से ऊपर है उन्हें इसके दायरे में लाया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, सेवा कर छोटी राशि के बिलों सहित सभी टेलीफोन बिलों में जोड़ा जा रहा है। यह तर्कसंगत होगा कि सेवा कर 1000 रु. या अधिक राशि वाले बिलों पर लगाया जाए। अन्यथा, कम राशि वाले बिलों पर सेवा कर से मध्यवर्गीय लोगों पर एक अतिरिक्त भार होगा। अतः, मैं अपने वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस तर्कसंगत अनुरोध पर विचार करें।

तत्पश्चात्, महोदय, प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना से लाखों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। किन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों में कई कई अधिकारी अभी भी अनिच्छुक हैं और पात्र आवेदकों को ऋण न देने पर दृढ़ हैं। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने एक बार घोषणा की थी कि यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किसी छात्र को ऋण देने से मान किया जाता है, तो वह सीधे वित्त मंत्री को लिख सकता है।

मैं हमारे वित्त मंत्री की उत्सुकता की प्रशंसा करता हूं। मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि यदि किसी शाखा विशेष का कोई अधिकारी शिक्षा ऋण प्रदान करने का इच्छुक नहीं है तो उसे यह बात आवेदक को अवश्य लिखनी चाहिए कि उसे किस कारण से ऋण नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, शिक्षा ऋण के लिए ब्याज की दर लगभग 12 प्रतिशत है। उन प्रतिभावान छात्रों के लिए, जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, ब्याज दर को घटाकर छह प्रतिशत कर देना चाहिए।

समूचे देश में बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएं प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। यदि कोई प्रबंधन नए ब्लॉक व भवनों के निर्माण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो बैंकों द्वारा प्रबंधक से राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने के लिए कहा जाता है। केवल संबंधित राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही बहुत से स्थानों पर स्कूल शुरू हुए हैं। अतः, अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से दोबारा मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री को जिन्होंने वित्त का प्रभार लिया हुआ है, उसके उत्तरदायित्व निर्वहन के तौर पर उन्हें विदेशी दौरे पर जाना है। हमारे बहुत से सम्मानित सहयोगियों ने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे वित्त मंत्री को कुछ सुझाव दिए। कर प्रस्तावों को वापस लेने या उनमें आशोधन के संबंध में, उनके उत्तर में तत्संबंधी घोषणाओं का उत्सुकता से इंतजार है। उससे सदस्य और राष्ट्र के लोगों दोनों प्रसन्न होंगे। मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के सफल विदेशी दौरे की कामना करता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : क्या यह पर्याप्त है?

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : जी, हां महोदय, धन्यवाद।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2007 जिसका उद्देश्य वर्ष 2007–08 के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है, के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, लोगों को इस बजट से काफी आशाएं थीं कि यह बजट, राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धताओं में से कम–से–कम तीन चौथाई को पूरा करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपने अस्तित्व के चौथे वर्ष में प्रवेश किया है। अतएव, स्वाभाविक रूप से लोग यह अपेक्षा कर रहे थे कि इस बजट के माध्यम से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धताएं पूरी की जाएंगी।

निश्चय ही बजट ने माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मध्याह्न आहार योजना, तथा अवसंरचना के क्षेत्रों या स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है। उसने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर परिव्यय को बढ़ाया है लेकिन मुझे कहना है कि यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के किए गए वायदों के स्तर तक नहीं आ सका है। शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की छह प्रतिशत तक सार्वजनिक व्यय का वादा झुठला दिया गया है। यदि कोई एक क्षेत्र ऐसा है जो देश के दीर्घावधि भविष्य में योगदान दे सकता है, जो देश के दीर्घावधि विकास में सहायक हो

... मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सकता है, तो वह शिक्षा है। मैं नहीं जानता कि देश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के किए गए वायदे के स्तर तक व्यय करने में क्या रुकावटें हैं।

उस समय शिक्षा का वित्तपोषण उपकर के माध्यम से किया जाता है जो सभी करों पर लगाया जाता है। वस्तुतः, उसे शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन का पूरक होना चाहिए था। अब, यह दूसरी तरह से हो रहा है। बजट आबंटन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर व्यय के लिए एकत्र किया जा रहे इस उपकर पूल का पूरक बन रहा है। लोग महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र को यथा, कृषि, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक क्षेत्रकों के लिए और ज्यादा संसाधन समर्थन की आशा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस आबंटन का क्या कारण है।

आगामी वर्षों में कर राजस्व को बढ़ाने के लिए कड़े उपाय नहीं किए गए हैं। अविवादित बकाया करों की वसूली हेतु कोई उपाय भी नहीं किए गए हैं। बकाया कर 19,875 करोड़ रु. हैं।

साथ ही संग्रह किए जाने वाले सम्पत्ति का कुल अनुमान केवल 315 करोड़ रुपए है। मेरे विचार से जब माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल बोल रहे थे तो उन्होंने देश में सम्पत्ति कर के संग्रहण का विशेष रूप से उल्लेख किया। देश में उतने समृद्ध लोगों की मौजूदगी में और इतनी प्रगति होने के बाद भी क्या यह केवल 315 करोड़ रु. होगा। हमारे पास विश्व के सबसे धनी लोगों की फोर्बस की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले लोग हैं।

चिंता का दूसरा विषय राज्य को संसाधनों का हस्तांतरण है। केन्द्र से राज्यों को सकल हस्तांतरणों में वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही राज्यों का व्यय केन्द्र से राज्यों को धनराशियों के हस्तांतरणों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा है।

अपराह्न 4.31 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

केन्द्र के चार प्रमुख वित्तीय हस्तान्तरण किए जाते हैं। पहला केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी है। दूसरा राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता है। तीसरा गैर–योजना अनुदान तथा ऋण है। चौथा केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता है। केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी–वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरे तथा तीसरे, अर्थात्, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा गैर–योजना अनुदानों के मामले में यह सीधे राज्यों के बजट में जाती है। अतएव, जहां तक इस पैसे के व्यय का संबंध है, राज्यों के पास अधिक शक्ति है।

लेकिन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में, यह आंशिक रूप से केन्द्र द्वारा वित्तपोषित होता है जिसमें राज्य भी सहायता करते हैं। अब रुझान यह है कि राज्यों को अन्य राजकोषीय हस्तान्तरणों की तुलना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अधिक आबंटन किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय आबंटन की राशि को खर्च करने में राज्यों का अधिक नियंत्रण नहीं रह गया है। इसलिए सुबह 'शून्य काल' के दौरान हमने केन्द्र राज्य संबंधों की जांच करने वाले एक नए आयोग की नियुक्ति का मामला उठाया जिसमें हमने उल्लेख किया था कि राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को विचारार्थ विषयों में शामिल किया जाना चाहिए।

वास्तव में, हमें काफी दुख हुआ जब हमने रिपोर्ट में यह पढ़ा कि केन्द्र राज्य संबंधों पर आयोग द्वारा इन मुद्दों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। अतएव, केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि, राज्य–विषयों के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का राज्य को हस्तांतरण, राज्यों के ऋणभार का उपशमन, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तय करने में राज्यों को स्वायत्तता, वित्तीय नीतियों का निर्माण, ऋण लेने तथा केन्द्रीय योजनाओं का उपयोग करने – इन सभी मुद्दों को केन्द्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने वाले नए आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल किया जाना चाहिए।

बजट में चार प्रतिशत के अतिरिक्त सी बी डी से कच्चे माल तथा रिफाइंड खाद्य तेलों को छूट दे दी गई है। सूर्यमुखी का विशेष उल्लेख है। सूर्यमुखी के कच्चे तथा रिफाइंड तेल पर 15 प्रतिशत की छूट है। मैंने माननीय वित्त मंत्री को कहीं यह कहते हुए सुना है कि मांग–आपूर्ति में अंतर है अथवा यह मुद्रास्फीति इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए है। लेकिन सीधा प्रभाव नारियल तेल पर तथा अंततः नारियल के मूल्य पर पड़ा है। पुनः कच्चे तथा रिफाइंड पाम तेल के आयात शुल्क पर 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। माननीय मंत्री उस राज्य से आते हैं जहां नारियल बहुतायत में होते हैं। पहले ही लाखों नारियल किसान गत कई वर्षों से परेशानी अनुभव कर रहे हैं। उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक वर्ष इन विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की जाती है जिससे सीधे तौर पर नारियल तेल तथा अंततः नारियल के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है तथा इसका निश्चित प्रभाव नारियल किसानों पर पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो, उस संबंध में सुधार किया जाये। अन्यथा यह कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम किसानों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक मद का माननीय वित्त मंत्री के प्रथम बजट में काफी जोरदार ढंग से उल्लेख किया गया था जिसे बाद में भुला दिया गया। यह है 'पुरा' (PURA) अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

हमारे माननीय राष्ट्रपति की प्रिय परियोजना है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की–जोकि लंबे समय से अतिदेय है – वकालत करते रहे हैं। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति – जहां तक अवसंरचना विकास का संबंध है – काफी खराब है। अतएव, माननीय राष्ट्रपति ने इस विशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मेरे विचार में उस बजट में इस कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।

मैं केरल संबंधी कुछ विशिष्ट मुद्दों को उठाना चाहूंगा तथा अपनी बात समाप्त करूंगा। सेवा कर के मामले में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत सेवा से प्राप्त होता है, लेकिन राज्य को केन्द्रीय हस्तांतरण योजना के माध्यम से सेवा पर करों से केवल 100 करोड़ रु. प्राप्त होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि केवल केरल को ही नहीं वरन् सभी राज्यों को सेवा कर की उचित हिस्सेदारी दें ताकि राज्य स्वावलंबी हो सकें। राज्य वस्त्र, तम्बाकू तथा चीनी पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाना चाहते हैं परन्तु भारत सरकार को राज्यों को दी रही 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर समाप्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसे 100 करोड़ रु. की हानि होगी।

केरल सरकार द्वारा यह प्रस्ताव भी रखा गया कि केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए ताकि पूरे देश में वस्तुओं का मुक्त आवागमन हो तथा इससे वस्तुओं के मूल्य में कमी आएगी तथा राज्यों का राजस्व बढ़ेगा।

अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं अपने दोस्त श्री चित्तन द्वारा उठाए गए मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने केरल राज्य तथा विशेषरूप से मुल्लापेरियार मुद्दे का उल्लेख किया है। यह मुद्दा वास्तव में क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि हमने यह मुद्दा इस सभा में बार–बार उठाया है तथा इस संबंध में केरल की स्थिति स्पष्ट की है। मुल्लापेरियार 110 वर्ष पुराना बांध है जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ब्रिटिश शासन में बना था। अब यह बुरी स्थिति में है। केरल इस मुद्दे को उठाता रहा है क्योंकि यदि किसी दुर्घटनावश वह बांध टूट जाता है तो सारा पानी एशिया के सबसे बड़े मेहराब वाले बांध, इदुक्की बांध में आ जाएगा। यदि वह बांध भी टूट जाता है तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि क्या होगा। यदि ऐसा होता है तो केरल का मध्य हिस्सा पानी में डूब जाएगा तथा पांच जिलों के 40 लाख लोग मर जाएंगे। जान–माल की हानि अप्रत्याशित स्तर पर होगी।

मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के महाविपत्ति वाले मुद्दे पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यही कारण है कि केरल राज्य में 110 वर्ष पुराने इस बांध के स्थान पर एक नया बांध बनाया जाना चाहिए। इस मांग में गलत क्या है? हमनें कभी नहीं कहा है और कभी नहीं कहेंगे कि हम पानी नहीं देंगे, जिसकी तमिलनाडु को काफी आवश्यकता है। वस्तुतः यदि हमें यह पानी गर्मी के मौसम में प्राप्त हो जाए तो हम इदुक्की जलविद्युत परियोजना के माध्यम से बिजली पैदा कर सकते हैं। तत्पश्चात्, हमें केन्द्रीय आबंटन हेतु धन का भुगतान नहीं करना होगा। वर्तमान में, हमें अभाव की अवधि के दौरान केन्द्रीय आबंटन प्राप्त करने हेतु बड़ी मुश्किल से धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है। पूरा पानी तमिलनाडु ले रहा है। तमिलनाडु करीब 300 करोड़ रुपए का विद्युत उत्पादन कर रहा है और केरल को इतना पानी लेने के एवज में मात्र 8.5 लाख रुपए की वार्षिक दर से भुगतान किया जा रहा है।

सिर्फ यही एक परियोजना नहीं है जिससे केरल तमिलनाडु को पानी देता है हमारे पास परम्बिकुलम–अलियार समझौता, सिरूवाणी समझौता इत्यादि है। सिरूवाणी परियोजना से पूरे कोयम्बटूर टाउन को पानी मिल रहा है, तथा हम नेय्यर से भी पानी दे रहे हैं। हम वर्षों से मामले में उदार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केरल जल की आवश्यकता के बारे में आत्मनिर्भर है। यदि हम सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता आदि को छोड़ भी दें तो जहां तक पेयजल का सवाल है, गर्मी के मौसम के दौरान हमें भी काफी समस्याएं होती हैं।

केरल प्राथमिक रूप से जलविद्युत पर निर्भर है। इसलिए हमारे लिए पानी की एक बूंद भी कीमती है। हम तमिलनाडु के अपने भाइयों के साथ इस कीमती धन में हिस्सेदारी के महत्व को समझते हैं और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दुर्भाग्यवश, मैं तमिलनाडु के नेतृत्व की बात नहीं समझ पाता हूं। वे जनता के जीवन व सम्पत्ति के संबंध में हमारी महति चिन्ताओं को क्यों नहीं समझ पाते? इसके बारे में मुझे पता नहीं। वस्तुतः, यह सिर्फ केरल की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे देश की समस्या है। यदि कुछ घटित होता है तो इसके लिए सिर्फ केरल की सरकार ही जवाबदेह नहीं होगी बल्कि हम भी इसके लिए जवाबदेह होंगे। केरल में किसकी सत्ता है यह मुद्दा नहीं होगा क्योंकि इसके लिए भारत सरकार जवाबदेही होगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि हमें इसके लिए एक तर्कसंगत समाधान ढूंढने हेतु आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। इस मामले में केरल जो कुछ भी कह रहा है, उसमें अनुचित क्या है? हम केवल बहुत पुराने बांध, जो कि बहुत ही दयनीय दशा में है, के स्थान पर नए बांध की मांग कर रहे हैं।

हाल ही में, जब जल स्तर कम हुआ तो हम बांध में बड़ी–बड़ी दरारें देख सकते हैं। हम केवल अपनी आंखें बंद कर रहे हैं जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः, मैं तमिलनाडु के माननीय नेता, जोकि न केवल देश के बल्कि राज्य के भी बहुत ही सम्मानित तथा वरिष्ठ नेता हैं, से

अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में आगे आकर दोनों राज्यों में नेताओं की बैठक आयोजित करें और किसी समझौते तक पहुंचे। हमें कोई समस्या नहीं है। मैं राज्य सरकार की ओर से इस सभा में कह सकता हूं कि राज्य तमिलनाडु के साथ पानी के बंटवारे से कभी इंकार नहीं करेगा। हम केवल हमारे लोगों का संरक्षण चाहते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु नैतिक तौर पर प्रतिबद्ध है क्योंकि पिछले 110 वर्षों से हम बहुत दयालु रहे हैं और हमने अपनी आवश्यकताओं का बलिदान भी किया है। मुझे आशा है कि यह संदेश आगे जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपस में झगड़ने के स्थान पर इस मामले को सुलझाने के लिए माननीय श्री चिदम्बरम अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

मैं अपने देश के वित्तीय क्षेत्र को सही मार्ग पर ले जाने के लिए एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों की सराहना करता हूं। यह ठीक है कि हम कतिपय नीतियों और कार्यक्रमों से असहमत होते हैं परन्तु हम इन सब मामलों पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं और सर्वसम्मति पर पहुंच सकते हैं।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, सबसे पहले मैं अपने विचार वित्त विधेयक पर रखना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में दो या तीन मुद्दे लाना चाहता हूं।

पहला मुद्दा आयकर में छूट की मूल सीमा को एक लाख से 1.95 लाख रुपए करने का है जिससे उपकर को हटाकर कर बचत 2000 रुपए होगी। किन्तु इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि वरिष्ठ नागरिकों पर लागू कर की पहली दर 20 प्रतिशत है। वे कर योग्य आय पर 10 प्रतिशत की श्रेणी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा, एक प्रतिशत का अतिरिक्त शिक्षा उपकर आयकर में छूट की उच्चतम सीमा से मिलने वाले कर लाभ को अवश्य ही कम कर देगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.50 लाख रुपए करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरा, कर के रूप में छोटी बचतों को कई व्यक्तियों के लिए नकद प्रवाह में गिरावट से प्रति तुलित करना होगा। निवेश के रूप में, वरिष्ठ नागरिकों को गम्भीर समस्या का सामना करना होगा क्योंकि वे उनके लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचना कठिन होगा। वरिष्ठ नागरिक मुख्य रूप से तीन ऋण प्रपत्रों में निवेश कर सकते हैं और अब टीडीएस उन सब पर लागू है। पहली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस सी एस एस) है जिसमें प्रत्येक तिमाही में जब भुगतान किया जाता है तो स्रोत पर कर कटौती की जाती है। इन जमाराशियों पर तिमाही रूप से देय 9 प्रतिशत की दर अभी भी बहुत ज्यादा है। कई लोगों ने पहले ही एस सी एस एस में निवेश किया हुआ है। इसलिए, वे टी डी एस से बचने में असमर्थ हैं।

दूसरा प्रभाव कर योग्य भारत सरकार के बाण्डों पर 8 प्रतिशत की दर पर पड़ेगा। इन प्रपत्रों पर पहले कोई भी टीडीएस नहीं था। किन्तु, अब इनमें बदलाव आ गया है। इसलिए, भारत सरकार के इन बाण्डों पर उन्हें टीडीएस अदा करना पड़ता है नए मानदण्डों के अनुसार जब भी भारत सरकार के बाण्डों में 1.25 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि निवेश की जाएगी तो स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

तीसरा, बैंक की सावधि जमा के मामले में भी 10,000 रु. से अधिक ब्याज राशि पर टीडीएस लागू होगा अर्थात् ब्याज दर यदि 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो तो 1.11 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर टीडीएस लागू होगा। किन्तु यदि ब्याज दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष हो तो एक लाख रुपए के निम्नतम निवेश से अधिक पर टीडीएस लागू होगा। इस प्रकार, लोग स्रोत पर कर कटौती के जाल से बच नहीं पाएंगे, यदि उनके खाते में कर योग्य कुछ आय हो। इसलिए, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा बढ़ाने पर विचार करें।

सेवा कर के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1994 में तीन सेवाओं की तुलना में वर्ष 2006 में इन्हें 96 तक बढ़ा दिया गया है और इनमें लगभग प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाता हैं

कर योग्य सेवा की परिभाषा भी अधिक समस्याएं पैदा कर रही हैं। इस परिभाषा में कुछेक वाक्य शामिल हैं, जैसे "किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, इसके संबंध में या इससे संबंधित" जिससे कर योग्य सेवाओं का दायरा बढ़ता है। वित्त अधिनियम, 1994 में शब्दों का कोई भी अर्थ दिए जाने के अभाव में, किसी को भी शाब्दिक अर्थ और न्यायिक विवेचना पर जोर देने की आवश्यकता है, जिसके लिए समझौतों का प्रारूप तैयार करने आदि में काफी स्तर पर व्याख्यात्मक भूमिका और विद्धता की कला चाहिए होती है। जिसके फलस्वरूप बाद में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी परिभाषा दी जाए, अन्यथा इसके फलस्वरूप बाद में अनेक प्रकार के मुकद्में दायर हो सकते हैं।

इसी प्रकार, सेवा प्राप्तकर्ता के लिए, अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कोई भी व्यक्ति, पॉलिसीधारक, उपभोक्ता, ग्राहक, क्लाइंट, विक्रेयाधिकार अथवा शिपिंग लाइन आदि। इन विशिष्ट शब्दों का कर देनदारी का निर्णय करने में निहितार्थ है। व्याख्या में इस प्रकार की अस्पष्टता निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन विशिष्ट परिभाषाओं अथवा विशिष्ट दिशानिर्देशों का उपबंध किया जाए।

सेवाकर के दायरे में लाई गई सबसे ज्यादा विवादास्पद सेवा व्यापार या वाणिज्य को आगे बढ़ाने हेतु "अचल संपत्ति को किराए पर देना" है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी पहले ही कह चुके हैं। संपत्ति

[श्री पी. एस. गढ़वी]

को किराए पर देना किस प्रकार से सेवा के तहत माना जा सकता है, जिस प्रकार से इसे आम तौर पर समझा जाता है?

एक अन्य बात, जो मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह आयकर छूट से संबंधित है। मार्च 2005 तक कामगार वर्ग के लिए आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती का एक उपबंध था। इस कटौती का आशय उनके कर्तव्यों के निष्पादन में होने वाले खर्चों को पूरा करना था। इसी प्रकार व्यापारी अथवा पेशेवर वर्ग भी अपनी कुल बिक्री अथवा आय में से कटौती करता है अथवा हम कह सकते हैं कि वे अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में होने वाले खर्चों की कटौती करके अपनी आय को कम करते हैं।

कामगार वर्ग को व्यापारिक वर्ग के समकक्ष लाना अनुचित और अतर्कपूर्ण है क्योंकि कामगार वर्ग को मानक कटौती का यह लाभ दिया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2005–06 के बजट में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। प्रत्यक्षतः, यह सभी के लिए समान नजर आता है, किन्तु तथ्य इसके विपरीत है। ऐसा लगता है कि कामगार वर्ग और व्यापारिक या पेशेवर वर्ग के बीच समानता है, लेकिन ऐसा नीचे दिए गए कारण के अनुसार नहीं है।

व्यापारिक अथवा पेशेवर वर्ग, जैसा कि हम जानते हैं, अघोषित आय के मुद्दे को छोड़कर, अपनी आय, हर प्रकार के खर्चे, चाहे वह यात्रा संबंधी खर्चे हों, आवास से कार्यालय तक या कार्यालय से आवास तक या बाहर कहीं और के खर्चे हों, हल्के जलपान पर किया गया खर्च हो, की कटौती करके दर्शाते हैं, लेकिन कामगार वर्ग के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। कामगार वर्ग को मानक कटौती के प्रावधान द्वारा क्षतिपूर्ति की जा रही थी। यह प्रावधान आयकर अधिनियम में वर्ष 1970 से मौजूद था। इसलिए माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे मानक कटौती के प्रावधान की पुरानी धारा को पुनः रखे जाने पर विचार करें ताकि कामगार वर्ग और व्यापारिक वर्ग को समकक्ष स्तर पर रखा जा सके।

अगली बात जो मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह आयकर अधिनियम की धारा 35 (क)(ग) के अंतर्गत छूट से संबंधित है। यह छूट उन संस्थाओं को दी जाती है, जो कि सामाजिक अथवा शैक्षिक क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरा जिला, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, और जो कि देश का दूरवर्ती हिस्सा है, वहां एक ऐसा संस्थान है, जो इस प्रकार की सेवा प्रदान कर रहा है; उन्होंने धारा 35 (क)(ग) के अंतर्गत छूट के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, किंतु समिति ने यह कहते हुए छूट देने से मना कर दिया कि वह मापदंड अथवा मार्गनिर्देशों के अनुसार खरा नहीं उतरता। मापदंड क्या हैं? अन्य कोई कारण नहीं बताए गए थे। बिना किसी कारण के उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं आपको उस संस्था का नाम भी बता सकता हूं; मैं उसे निजी तौर पर जानता हूं; यह ऐसे दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जहां सरकारी विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन वह संस्थान अपनी सेवा दे रहा हैं लेकिन जब इसने छूट के लिए आवेदन किया, इसके आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि इसने किसी मापदंड को पूरा नहीं किया। अन्य कोई कारण नहीं बताए गए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब ऐसी संस्थाएं छूट के लिए आवेदन करें, तो उन पर पूरी ईमानदारी के साथ विचार किया जाना चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं। मैं वित्त विधेयक 2007–08 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। बजट और वित्तीय प्रस्तावों से जीडीपी में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जो कि दोहरे अंक के करीब है। अधिकाधिक क्षेत्रों का विस्तार करके तथा अधिकाधिक लोगों को कर जाल के अंतर्गत लाकर कर संग्रहण इतने प्रभावी ढंग से किया गया कि जनता ने भी इसकी तकलीफ महसूस नहीं की। फलस्वरूप, यू.पी.ए. सरकार पहले वर्ष में ही अर्थात् वर्ष 2004–05 में 50,000 करोड़ रु., वर्ष 2005–06 में 60,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2006–07 में 1 लाख करोड़ रुपए कर संग्रहण में वृद्धि की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समस्त संग्रहण जनता को तकलीफ दिए बिना किया गया।

हालांकि, हमारी संपूर्ण जी.डी.पी. वृद्धि 9 प्रतिशत है, तथापि हमारी कृषि जी.डी.पी. में 2 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। अतः सिंचाई परियोजनाओं में अधिक निवेश किए जाने और शुष्क भूमि को आर्द्र भूमि में बदले जाने की नितांत आवश्यकता है। दूसरे चरण में हरित क्रांति को साकार किया जाना आवश्यक है, जिसका सपना किसी और नहीं बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिशानिर्देशित हमारे प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने देखा है और वस्तुतः, जिसका हमारे प्रिय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है।

वर्ष 2004 में, जब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई, तो कर संग्रहण 3,40,000 करोड़ रु. था। वर्ष 2006–07 तक, यू.पी.ए. सरकार ने कर के रूप में लगभग 5,60,000 करोड़ रु. संग्रहित किए। यह आयकर में वृद्धि किए बिना और महिलाओं के लिए छूट सीमा को 1,45,000 तक बढ़ाकर वृद्ध नागरिकों के लिए 1,95,000 तक बढ़ाकर और अन्य लोगों के लिए 1,10,000 तक बढ़ाकर हासिल किया गया। मैं सरकार, विशेष रूप से मंत्री महोदय को आम लोगों की इतनी बड़ी मदद करने के लिए बधाई देती हूं। मैं मंत्री जी से अपील करती हूं कि वे महिलाओं के लिए

आयकर की अधिकतम सीमा को 2,50,000 रु. तक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रु. तक और अन्य लोगों के लिए 2 लाख रु. तक बढ़ाएं। यह मौजूदा मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में उनके लिए सहायक होगी। चूंकि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कम है, ऐसा करने से सरकार के ऊपर कोई प्रमुख भार नहीं पड़ेगा। यदि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें, तो वे इसे जरूर करेंगे। हमारे मंत्री पर हमारा इतना विश्वास है।

जहां तक सेवाकर का संबंध है, यू.पी.ए. सरकार से पहले कुल सेवा कर संग्रहण 7,000 करोड़ रु. था। अब यह 50,000 करोड़ रु. है। इस महान उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए। विपक्षी सहयोगियों द्वारा शंकाएं और आशंकाएं व्यक्त किए जाने के बावजूद यह एक वास्तविकता है। हम उन्हें आश्वास्त कर सकते हैं कि मंत्रालय वित्त को समुचित ढंग से प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। यह भी अच्छा है कि आपने लघु सेवा प्रदाताओं के लिए कर छूट सीमा को 4 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. कर दिया है। जहां तक मेरा मानना है, यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।

जहां तक सीमेंट और लोहे का संबंध है, ये आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। यह चिंता का विषय है कि आवश्यक भवन निर्माण सामग्रियों, विशेषकर सीमेंट और लोहे की दरों में वृद्धि हुई है। पहले सीमेंट पर उत्पाद शुल्क 400 रु. प्रति एम.टी. था, जिसे 190 रु. प्रति बोरी पर बेचे गए सीमेंट के लिए अब घटाकर 350 रु. प्रति एम.टी. कर दिया गया है। प्रतिबोरी 190 रु. से ज्यादा पर बेचे जा रहे सीमेंट के लिए भी उत्पाद शुल्क को 300 प्रति एम टी तक बढ़ा दिया गया है। महोदय, फिर भी कीमतें कम नहीं हुई हैं। मैं सोचती हूं कि 600 रु. और अतिरिक्त बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना है। जब हम ज्यादा कर लगाते हैं, तो अतिरिक्त धनराशि संबंधित राज्यों को दी जाने चाहिए, जिसका उपयोग कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण हेतु सीमेंट खरीदने में किया जा सकता है। चूंकि आवास निर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए यदि हम इसे अपनाते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण से यह अच्छा होगा।

आज विशेष आर्थिक क्षेत्र हर जगह एक ज्वलंत मुद्दा बने हुए हैं जहां हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वस्तुतः, जब हम विकास का लक्ष्य रखते हैं, तो हमें कुछ चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन मेरी सरकार इस स्थिति से अत्यंत प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है। इसलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र समस्या का समाधान ढूंढते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कर छूट दिए जाने का उद्देश्य निर्यातोन्मुख इकाइयों और इनकी सहायक इकाइयों को बढ़ावा देना है। ऐसा करना बेहतर होगा, यदि शहरी केन्द्रों से कम से कम 50 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित करके गैर–महानगरों और अन्य राज्यों की राजधानियों में ये सभी छूटें दी जाएं। मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं। आज, हम रोजगार की समस्या का सामना कर रहे हैं और सब कुछ शहरोन्मुख और शहर केन्द्रित हो गया है। हमें इस विकासात्मक प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करना पड़ेगा। हम अधिक रोजगारों का सृजन कर सकते हैं और हम ग्रामीण भारत तथा शहरी भारत के बीच के अंतराल को अधिक प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं। यह रीयल एस्टेट उद्देश्यों के लिए कर रियायतों के दुरुपयोग को रोकेगा। अनेक बार, वे शहरी क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि, सरकार की मंशा अच्छी हैं इसलिए यह रीयल एस्टेट उद्देश्यों के लिए धनराशि के दुरुपयोग को रोकेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मौजूदा इकाइयों को दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं आबंटित किया जाए। मेरे विचार से, मात्र नई इकाइयों को ही छूट दी जानी चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में, भूमि की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है क्योंकि बड़ी रीयल एस्टेट कंपनियां, अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियां विदेशी मुद्रा से हजारों एकड़ भूमि खरीद रही हैं, जिसके कारण कृत्रिम कमी पैदा हो गई है। वास्तव में, कोई कमी नहीं है लेकिन ये लोग लाभ कमाने के लिए भूमि संरक्षित कर रहे हैं इसलिए, हम भूमि की इस कृत्रिम कमी का सामना कर रहे हैं। इसी खतरे की वजह से आम आदमी और मध्यमवर्ग कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वहन कर सकने योग्य भूमि का अभाव है। वहनीय कीमतों पर भूमि प्राप्त करना काफी मुश्किल है। हमें यह प्रस्ताव करने की आवश्यकता है कि कोई भी भूमि जिसे खरीदा जाए या जिसके बारे में करार किया जाए, उसे तीन वर्षों के भीतर विकसित किया जाना चाहिए और जनता के कब्जे के लिए उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं, तो रिक्त और अविकसित भूमियों के संबंध में भारी कर लगाने का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ उर्वर भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने से रोकने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए बंजर भूमि ही दी जाए। एक तरफ तो हम उद्योग स्थापित करने के लिए बंजर भूमि का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर हम कृषि प्रयोजनों के लिए उर्वर भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम समस्या निवारक का काम करेंगे और लैण्ड बैंक नहीं बनाए जाएंगे जो कि जमीन की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी का कारण है।

जहां तक आई टी क्षेत्र का संबंध है मेरे साथी श्री मधु गौड यास्खी ने इस विषय में विस्तृत रूप से बात की है। मैं उतना अधिक ब्यौरे में नहीं जाऊंगी। मेरे विचार से आई टी क्षेत्र को वर्ष दर वर्ष लगातार रियायतें नहीं दी जा सकती। मेरे हिसाब से केवल नई कंपनियों को रियायतें दी जानी चाहिए तथा सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर कर लगाया जाना चाहिए।

[श्रीमती तेजस्विनी सीरमेश]

साथ ही, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि वह कार्पोरेट कृषि को दी गई कर रियायतों को हटाने के मामले पर विचार करे। जबकि धनराशि की कमी के कारण गरीब किसान पीड़ित है, ये बड़ी मछलियां सरकार से लाभों का फायदा उठा रही हैं। मैं सरकार से कार्पोरेट कृषि को प्राप्त रियायतें देना बंद करके गरीब किसानों को लाभ देने का अनुरोध करती हूं।

मैं जब चाय बागानों के लिए पैकेज की बात करती हूं, तो निश्चित रूप से मंत्री जी इससे भली–भांति परिचित हैं, वे अपनी बात रखने के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगी। कुर्ग और असम दुनिया में सर्वोत्तम काफी तथा चाय के उत्पादक हैं। असम, त्रिपुरा तथा उत्तर बंगाल के ऐसे कई चाय बागान हैं जो एक समय लाभप्रद थे और इनमें लाखों परिवारों को रोजगार मिला हुआ था। दुर्भाग्यवश, कुछ सालों के आतंकवाद और उग्रवाद जैसे विभिन्न कारणों से उत्पादन कम हो गया है चाय बागानों में लाभप्रदता कम हो गई है। आज कई चाय बागान रुग्ण हो गए हैं और इनमें से कई बंद हो गए हैं। निश्चित रूप से इसके कई तनाव, बेरोजगारी की समस्या, नक्सलवाद की समस्या तथा उग्रवाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना ही समय की मांग है। यदि ऐसा ही रुझान चलता रहा तो इससे सरकार को न केवल राजस्व का घाटा होगा, बल्कि इससे बेरोजगारी की बड़ी समस्या तथा श्रमिक लोगों के विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। उस दिन पहले हम श्रमिक जनसंख्या की समस्याओं पर विचार कर रहे थे।

अपराह्न 5.00 बजे

हमें उन मजदूरों का संरक्षण करना चाहिए जो पहले ही काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के रुग्ण चाय बागानों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए अब कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और चाय उद्योग को किस चीज की आवश्यकता है वह है कि इसे केन्द्र सरकार से एक व्यापक पैकेज मिले ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चाय बागान पूरी क्षमता का उपयोग कर सके तथा अपना उत्पादन और इसके फलस्वरूप अपने लाभ बढ़ा सके। दक्षिण भारत तथा देश के अन्य भागों, जहां कॉफी उगाई जाती है, विशेष रूप से कर्नाटक में चिकमंगलूर में उचित विपणन के अभाव के कारण कॉफी उद्योग समस्या का सामना कर रहा है। मैं सरकार का ध्यान उनके दुख की ओर आकर्षित कर रही हूं। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को भी पूर्वी तथा उत्तरी भारत और कर्नाटक में चाय तथा कॉफी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए पूरी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

महोदय, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। परन्तु जब तक वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, यह केवल भाषण ही रह जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वसहायता समूह की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। ये समूह ग्रामीण भारत में महिलाओं, विशेष रूप से गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण में एक मूक क्रान्ति लाए हैं। परन्तु पूंजी निवेश के संबंध में उनको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिना वित्तपोषण वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और उन्हें इस समय केन्द्र सरकार से मदद की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वह बैंकों को तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का निदेश देकर एवं सहायता समूहों की मदद के लिए एक बड़ी धनराशि आबंटित करें। इससे उनको काफी मदद मिल सकेगी। वे अपना ऋण पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर रहे हैं। हर जगह, हर समिति में हम देखते हैं कि वसूली की दर 98 प्रतिशत है। यह प्रोत्साहनपूर्ण बात है। मैं स्वःसहायता समूहों को पूरे देश में उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर उन्हें बधाई देती हूं।

महोदय, मैं सरकार से उन्हें बैठने तथा अपनी बैठकें आयोजित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि उनके लिए 'स्त्री शक्ति' केन्द्र बनाने हेतु एक योजना तैयार करें। मेरे विचार से 3 से 5 लाख रुपए में ऐसे केन्द्रों का निर्माण हो सकेगा। पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी, पशु चिकित्सा अस्पतालों के लिए भवन हैं, परन्तु महिलाओं के लिए ऐसा कोई केन्द्र नहीं है। ज्यादातर समय उन्हें अपनी बैठकें करने के लिए स्कूलों, शिशु विहारों या आंगनवाड़ी में जाना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त बनाने का यह सही समय है और सरकार को पूरे देश में स्त्री शक्ति केन्द्रों के निर्माण हेतु बड़ी धनराशि देने पर विचार करना चाहिए। यह सब करके, हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगी कि वित्तीय सीमितताओं के अंदर भी इस सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के विकास हेतु काफी धनराशि प्रदान की है। परन्तु साथ ही, मैं यह देख कर निराश हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास हेतु केवल 91 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है। यह उचित नहीं है। आजकल हर कोई शिक्षित है और सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि इस देश के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास हेतु अधिक धनराशि प्रदान करना ही समय की मांग है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं वर्ष 2007–08 के वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने वाली हूं क्योंकि बजट पर बोलते समय मैंने विस्तार से सभी बातों की चर्चा की थी। मैंने वह भी कहा था जिसका अभी उल्लेख किया गया है माननीय वित्त मंत्री जी ने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट 9 परसेंट बढ़ाने की बात की है। अभी उनके एक सदस्य ने कहा कि एग्रीकल्चर सैक्टर में केवल वह दो प्रतिशत है। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगी कि जब किसान की बात आती है, भले ही आपके विरोधियों ने थोड़ा सा कुछ काम किया हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय इससे बिल्कुल उल्टी परिस्थिति क्यों थी? उस समय इतना विपुल अन्नधान्य आया कि समस्या यह उत्पन्न हुई कि उसे स्टोरेज कहां करें।

अपराह्न 5.06 बजे

(श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए)

यह समस्या उस समय आ रही थी। एक्स्ट्रा गोदाम बनाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंसेंटिव देने के बारे में उस समय हमने सोचना शुरू किया था। हम सपोर्ट प्राइस तुरंत देने की बात करते थे और हमने प्राइस बढ़ाकर दी भी थी। लेकिन आज जब हम ओवर–ऑल गवर्नमेंट की बात करते हैं तब माननीय पवार जी का बीच में जो एक स्टेटमेंट आया था, वह तब आया था जब गेहूं बाजार में आने को था। उसी समय वह स्टेटमेंट था कि हम कितना गेहूं आयात करेंगे। पिछले साल भी इसी कारण गड़बड़ हो गई थी कि सपोर्ट प्राइस किसान को जितना मिलना चाहिए, वह नहीं मिला लेकिन सपोर्ट प्राइस से ज्यादा पैसा देकर के हम गेहूं का आयात करते हैं और वह गेहूं भी खराब होता है।

दालों के बारे में गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं। दाल निर्यात पर बंदिश लगाने के बाद भी गडबड़ होती रही है। मैंने लोक सभा में यह बात उठाई थी कि दाल निर्यात पर बंदिश थी लेकिन जिस चने से दाल नहीं बनती और केवल एक्सपोर्ट होता है वह डालर चना भी जब बाजार में आना था, उस समय निर्यात पर बंदिश लगाकर जो नाटक खेला गया, उससे किसान का नुकसान हो गया। जैसा आपने कहा है कि मैन्युफेक्चरिंग ग्रोथ बढ़ा है, हालांकि वह भी प्राइवेट सेक्टर के कारण बढ़ा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि डैवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें सोचना यह चाहिए कि गरीब की परचेजिंग पावर वास्तव में कितनी बढ़ी है, तभी वह विकास माना जाए। हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा बीपीएल के लोग हैं। जैसा आपने कहा कि एजुकेशन और हैल्थ के लिए हम ज्यादा से ज्याद फंडिंग करेंगे। विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में यह बात शामिल नहीं होती है कि इस योजना के कारण कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोग बीपीएल से उठकर एपीएल में आ गए। माननीय सोशल–जस्टिस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं और मैं उससे संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की चेयर–पर्सन भी हूं। सभी सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि करोड़ों रुपए आप योजनाओं के लिए स्टेट्स को देते हैं, लेकिन क्या कोई सफल–स्टोरी भी हमारे पास है कि कितने लोग बीपीएल से ऊपर उठे, कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, कितने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गयी? विकास का अर्थ तो यही होता है और हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूं। एक आपने जो पॉली–फाइबर की बात की है और उसमें आपने सीमा–शुल्क कम कर दिया है, कच्चे माल पर भी आपने सीमा–शुल्क कम कर दिया है, यह ठीक है किसी को लाभ देने के लिए किया मुझे उसके लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन साथ ही साथ लघु उद्योगों के लिए मेरे दो–तीन सुझाव हैं। सब जानते हैं कि लघु उद्योगों से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होता है। आपने इस पर आधा ध्यान दिया है। उनकी एक्साइज लिमिट आपने 1.5 करोड़ रुपए की कर दी है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरा एक और सजेशन था कि टैक्स ऑडिट की लिमिट अभी 40 लाख रुपए की है और उसके ऊपर जो इन्कम होती है, उसके लिए उन्हें छोटे–छोटे वॉउचर भी संभालने पड़ते हैं और हजारों का खर्च करने के साथ ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर हम लघु–उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बाकी चीजों में लिमिट आपने डेढ़ करोड़ रुपए तक बढ़ायी है, मैं चाहूंगी कि टैक्स ऑडिट की लिमिट भी एक करोड़ रुपए तक बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा।

इन्कम–टैक्स में आपने थोड़ी सहूलियत दी है, उसमें आपने एक लाख दस हजार रुपए किया, महिलाओं के लिए 1 लाख 45 हजार किया, सीनियर–सिटीजन के लिए 1 लाख 95 हजार किया, वास्तव में ये लोग प्रमाणिकता से टैक्स देने वाले लोग हैं। बड़े उद्योगपतियों से कितना टैक्स आना है उसका भी आप हिसाब लगाएं। ये छोटे लोग तो आपको प्रमाणिक तौर पर टैक्स देते हैं और इनकम कराते हैं, इसलिए अगर आप इस लिमिट को और भी बढ़ा देते, तो ज्यादा अच्छा होता। इनसे आपको टैक्स तो आना ही है।

वरिष्ठ नागरिकों को और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूं। जब बैंक रेट कम था, तब इनके

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

लिए एक योजना के तहत 9 परसेंट पर पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपोजित किया जाता था, उस समय बैंक रेट सामान्य आठ परसेंट था। 1 प्रतिशत भारत सरकार सब्सिडी देती थी। लेकिन आज बैंक दर 10 परसेंट हो गया है। अब अगर आप वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत दें कि अगर वे चाहे तो उस स्कीम से पैसा विदड्रा हो सकें, क्योंकि अब उन्हें वैसे ही 10 परसेंट बैंकों से मिल रहा है। आप ऐसा करते हैं, तो राज्य सरकार को ही फायदा है, क्योंकि इसके लिए आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। वरिष्ठ नागरिकों को विदड्राल की सहूलियत मिल जाए, तो अच्छा होगा।

पान मसाले के लिए मेरा सुझाव है कि ये हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बिगाड़ रहे हैं, चाहे उसमें तम्बाकू हो या नहीं हो। इसलिए चाहे तम्बाकू युक्त पान मसाला हो या तम्बाकू रहित पान मसाला हो, उसे भी कर ड्यूटी से मुक्त नहीं करना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो हमारे बच्चों पर गलत असर हो रहा है। छोटे–छोटे बच्चे अपनी जेबों में पान मसालों के पैकेट लेकर घूमते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगी कि आप इस बारे में पुनर्विचार करें।

पर्यावरण की दृष्टि से माननीय संदीप जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। कि राज्यों के साथ विचार करके, जो उद्योग गांव या शहर की नदियों को ज्यादा प्रदूषित करते हैं, रासायनिक प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फाइन रखने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, वास्तव में इस बारे में भी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

आखिरी सुझाव मैं महिलाओं के बारे में देना चाहती हूं। हर बार महिलाओं के विषय पर चर्चा होती है। महिलाओं को भी रिसर्च और डेवलपमेंट से जोड़ना चाहिए। जितना ध्यान इस तरफ दिया जाना चाहिए, उतना न तो सरकार देती है और न ही प्राइवेट कम्पनियां देती हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा काम कर रही हैं। खेती के क्षेत्र में तो महिलाएं पहले से ही काम करती आई हैं। पहले जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, तब महिलाओं से चर्चा करती थी। उस समय मजदूर महिलाओं ने कहा था कि जो खुरपी वे चलाती हैं, अगर वह भी महिलाओं के अनुसार बनाई जाएं, तो वे ज्यादा काम कर सकती हैं। उस समय मेरे मन में बात आई कि विमेन फ्रेंडली टूल्स बनाने की दृष्टि से हम आर एंड डी में क्या कर सकते हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

इतने सुझावों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली** (राजामुन्दरी) : महोदय, मैं तेलगु में बोलूंगा। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछले दो वर्षों में, 9 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना भारत के इतिहास में एक यादगार अध्याय होगा। आज हमारे पास विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 200 बिलियन डालर अर्थात् 20,000 करोड़ डालर की राशि है। साथ ही प्रतिवर्ष निर्यात में 30 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हो रही है और विश्व में अनिवासी भारतीय से प्राप्त निधियों का सबसे बड़ा पूल है। ये सामान्य उपलब्धियां नहीं हैं तथा मैं सरकार को विशेष रूप से इन उपलब्धियों के लिए बधाई दूंगा। एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत है तथा हम खुद को सुपर पावर के रूप में आगे ला रहे हैं वहीं दूसरी ओर गरीबों की दशा दयनीय और दिल दहलाने वाली है। आज भी लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने का मानदण्ड यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7 रु. प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 14 रु. प्रतिदिन से नीचे की आय वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। काफी समय पहले निर्धारित ये मानदण्ड अभी भी लागू हैं। मेरे विचार में विश्व में कहीं भी इससे बदतर स्थिति नहीं होगी।

भारत से लखपतियों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में एक समाचार पत्र ने भारतीय लखपतियों की अभूतपूर्व सूची प्रकाशित की है। हमारे पास विभिन्न कारें हैं। हम बार–बार सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं परन्तु ट्रैफिक इन सड़कों की क्षमता से अधिक है। हमारे यहां कई 'लग्ज़री' कारें हैं। हाल ही में 1 करोड 8 लाख रु. की कार लाई गई थी तथा हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो ये गाड़ियां खरीद सकते हैं। एक ओर हम ऐशो आराम की जिन्दगी बिताने वाले लोगों को देखते हैं, दूसरी ओर लोगों के पास आवास, स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं और वे लोग दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है जब हम गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करें। क्योंकि हमने ऐसे राष्ट्र का सपना तो नहीं देखा था। 2010 या 2015 तक तीन महा शक्तियां अमेरिका, चीन तथा भारत हो जाएंगी। वे विश्व पर हावी होंगे, इसे सभी मानते हैं। हम लोगों की बढ़ती आय को देख सकते हैं। यद्यपि हम वृद्धि तथा उद्योग के क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पाए हैं, हमने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज हमारा देश प्रतिभा सम्पन्न तथा मेहनतकश लोगों के रूप में जाना जाता है। इस परिस्थिति में यदि हम अपने गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते हैं तो इतिहास, यहां तक कि हम स्वयं अपने आपको माफ नहीं कर पाएंगे। गरीबी हटाने के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के और प्रावधान किए जाएं।

और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमें अपनी सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना चाहिए। हमें कृषि पर केन्द्रित होना

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चाहिए। आज भी लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमें इसे लाभकारी पेशा बनाना चाहिए। हमें इसे छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लगे लोगों को इसमें वापस लाना चाहिए। यदि हम कृषि को पुनर्जीवित करने का तंत्र विकसित नहीं करते हैं तो मेरे विचार में इस देश के साथ–साथ न्याय नहीं होगा। उसी दिशा में हमने कुछ कार्यक्रम यथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने अधिक–से–अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण कराने को कहा है तथा काफी संख्या में कार्ड जारी किए जा रहे हैं। 100 करोड़ वाले देश में अधिक–से–अधिक लोगों को पंजीकरण कराने के लिए कहना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर, सभी लोगों को इस योजना में शामिल किया जाता है। तथा इस चुनौती का मुकाबला करने में सरकार सक्षम है। सरकार ने अपनी दक्षता को सिद्ध किया है जो एक साधारण उपलब्धि नहीं है।

हमें गरीबी दूर करने के लिए कुछ और कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। जिस दिन जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाते हुए व्यक्ति को हम रोक सकेंगे वह क्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्म निर्भरता का क्षण होगा, जो मेरे विचार से दूर नहीं है। वृद्धि दर को देखते हुए मेरे विचार में हम आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बढ़ती हुई आर्थिक अपराधों को रोकने की आवश्यकता है। हमारे देश में कई सफेदपोश अपराध किए जाते हैं। यदि एक सुविधा सम्पन्न व्यक्ति इस तरह का अपराध करके कानून की नजर से बच जाता है, तो इससे जनता तक गलत संदेश जाएगा। हमें जनसामान्य तक सही संदेश देने का कार्य करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, मैंने अपने राज्य आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले का पता लगाया तथा 6.11.2006 को वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था। छह माह बीत गए हैं तथा अब तक जनता से अवैध रूप से 2600 करोड़ रु. एकत्र करने वाले के खिलाफ काई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्र सरकार इस परिस्थिति में असहाय हैं तो हमें कानून को और सशक्त बनाना चाहिए। अतएव लोगों तक यह संवाद भेजा जाए कि "कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वह कानून के ऊपर नहीं है तथा दंड दिए जाने योग्य है।" मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मूल्य वृद्धि के संबंध में, मैं महसूस करता हूं कि सभी आवश्यक वस्तुओं को 'ऑन लाइन' व्यापार से हटाया जाना चाहिए।

'आन–लाइन' व्यापार को अवैध घोषित कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कानून में परिवर्तन करना चाहिए तथा 'आन लाइन' व्यापार के माध्यम से कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाना चाहिए। मेरे विचार से यह कार्यवाही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करेगा। यद्यपि उत्पादकता तथा क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है लेकिन वस्तुएं बाजार से बाहर हैं। मेरे विचार से आन लाइन व्यापार इसके पीछे कारण है। पहले ही दो वस्तुओं को 'आन लाइन' व्यापार से बाहर कर दिया गया है तथा मैं सरकार से सभी आवश्यक वस्तुओं से आन लाइन व्यापार से बाहर करने का अनुरोध करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजामुन्दरी में अलुमिनियम का व्यापार होता है। हजारों श्रमिक इस कुटीर उद्योग पर निर्भर हैं जहां पुराने अलुमिनियम को गलाकर नए बर्तन बनाए जाते हैं। इस कुटीर उद्योग पर एक सीमा शुल्क लगाया जाता है जो इन श्रमिकों के हित में नहीं है। मैंने इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। तथा मैं इस पर उनसे सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता हूं। तथा मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कुटीर उद्योग के संवर्धन हेतु कदम उठाएं ताकि कुटीर उद्योग पर निर्भर लोग सुरक्षित तथा लाभ की स्थिति में महसूस करें तथा रोजगार सृजन में योगदान दें। मेरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। गत वर्ष मैंने अमीर लोगों को दी जा रही राजसहायता के संबंध में मामला उठाया था जो समाप्त किया जाना चाहिए। हम घरेलू गैस पर राजसहायता दे रहे हैं। संसद सदस्य, विधायक, मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राजसहायता प्राप्त घरेलू गैस का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे योग्य नहीं है। 4 लाख रु. प्रतिवर्ष से ज्यादा आय के लोगों तथा सभी संसद सदस्य, विधायक, तथा संवैधानिक पदधारकों को घरेलू गैस पर राजसहायता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करके हम अपने खजाने का 7,000 से 8,000 करोड़ रु. बचा सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले को उठाने तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन का अनुरोध करता हूं। उसी प्रकार से उनसे वृद्धि दर को 9 से 10 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा हो सके तो भविष्य में 20 प्रतिशत तक ले जाने को कहूंगा ताकि हम गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं वर्ष 2007–08 के बजट पर समर्थन में खड़ा हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर समुचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

प्रारंभ में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के समय में जनसामान्य द्वारा अनुभव की जा रही सबसे बड़ी कठिनाई मूल्य वृद्धि है। बजट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा सार्वभौमीकरण करने में असफल रहा है।

यह दुर्गम स्थानों पर रह रहे लोगों सहित सभी नागरिकों को समुचित पोषणा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक

[श्री खगेन दास]

वितरण प्रणाली मूल्य नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन बजट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर बना रहा है तथा लक्षित प्रणाली से एक समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदला जाना आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तीनों पहलू मजबूत किए जाने चाहिए। खाद्य का उत्पादन करना चाहिए। पर्याप्त खरीद होनी चाहिए तथा समुचित वितरण होना चाहिए। दाल के मूल्य में बड़ी वृद्धि को देखते हुए, सरकार के लिए दालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना आवश्यक है।

महोदय, यह कहा जाता है कि कृषि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष के बाद यह टूट चुका है। बजट में फसल बीमा के लिए केवल सांकेतिक प्रायस किए गए हैं। इसका विस्तार पूरे देश में तथा सभी फसलों को इसमें शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए और कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार–चढ़ाव को स्थिर करने के लिए एक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, कृषि ऋणों पर ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर पर लाया जाना चाहिए। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को भूमि वितरित की जानी चाहिए, फसल बर्बाद होने से दुष्प्रभावित किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष जैसे एक कोष का सृजन किया जाना चाहिए, कृषि उत्पादों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कृषि वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध तथा कृषि वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं पर सट्टेबाजी वाले वायदा कारोबार के भयंकर परिणाम रहे हैं।

बहुत से किसान मुख्यतः छोटे एवं सीमान्त किसान गरीब हो गए हैं और किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है।

उत्तर–पूर्व क्षेत्र की बात करें तो देखते हैं कि वित्त मंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। 2,05,100 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित योजनागत व्यय में से केवल 14,365 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए हैं, जो कि कुल योजनागत व्यय के 10 प्रतिशत से भी बहुत कम हैं। पिछड़े क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों के बराबर लाने के लिए अधिक योजनागत सहायता दी जानी चाहिए। किन्तु 2007–08 के बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनागत व्यय का 10 प्रतिशत से भी कम व्यय केवल विसंगति को बढ़ायेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में असंतोष उत्पन्न करेगा।

इस क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सड़क सम्पर्क प्रदान करने के लिए उत्तर पूर्व हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी एन ई) आरम्भ किया गया था। किन्तु यह कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पाया है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि 2006–07 में 450 किलोमीटर कार्य को मंजूरी दी गई थी किन्तु सच्चाई यह है कि इस धनराशि का काफी सारा अंश अप्रयुक्त ही पड़ा रहा और इस योजना की वर्तमान स्थिति से यह दृष्टव्य है कि इस क्षेत्र के लोगों को घटिया सड़क सम्पर्क और अलग–थलग होने की समस्याओं का सामना करते रहना होगा। इस क्षेत्र में आर्थिक एवं सुरक्षा माहौल के मद्देनजर सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी सफल नहीं हो पाएगी। यदि सरकार इस क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा प्रदान में रूचि लेती है तो राजमार्गों का निर्माण सरकार की सहायता से किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा एस ए आर पी डी एस ई जैसे कार्यक्रम केवल कागजों पर रह जाएंगे और इनका उल्लेख इस क्षेत्र के लोगों को बिना इसका लाभ मिले वित्त मंत्री के भाषणों में ही होगा। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं एवं श्री सीताराम येचुरी और दो अन्य संसद सदस्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे।

हमने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पी पी पी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कारगर नहीं होगा। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मामले पर पुनर्वलोकन करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2007–08 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को 1380 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं; उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसमें से अधिकांश राशि अव्यपगत संसाधनों के केन्द्रीय पूल के खाते में है जिसका इस क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनी योजनाओं के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए क्यों संबंधित मंत्रालय इस क्षेत्र में इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सकते हैं बजाय इसके वे एक भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत की बहुत कमी है। त्रिपुरा में 168 मेगावाट की मांग की तुलना में राज्य के अपने संसाधनों से केवल 68 मेगावाट विद्युत ही उपलब्ध हो पाती है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा के बारामूरा में 21 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए एन ई सी से वित्तीय सहायता मांगी है। उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के आधार पर सिफारिश की हैं

माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर–पूर्व फोरम के संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल को 25 अगस्त, 2006 को यह आश्वासन दिया था कि इस

परियोजना का क्रियान्वयन 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के आधार पर किया जाएगा अर्थात् केन्द्र सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना से उत्पन्न विद्युत को त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में बांटा जाएगा जो वर्तमान में विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए और समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए 'काम का अधिकार' को एक वास्तविकता बनाने के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे गरीब लोगों, देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों विशेषकर उत्तरी–त्रिपुरा के जिले जिन्हें अब तक एन आर ई जी ए के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट में एन आर ई जी ए में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

यद्यपि केन्द्र सरकार का राजकोषीय निष्पादन अच्छा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में उनकी प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा है कि आर बी आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार यह आर बी आई के 5.5 प्रतिशत सिद्धान्त को भी पार कर गई है और मार्च माह में यह लगभग 6.4 प्रतिशत हो गई थी। इस प्रकार, इसकी यह मार सीधे ही आम आदमी, संप्रग सरकार, आज की सत्तासीन गठबंधन वाली सरकार, जिसके बारे में बातें कर रही हैं, पर पड़ती है।

माननीय वित्त मंत्री एक कुशल व्यक्ति हैं। मैंने दो माह पहले एक समाचार–पत्र पढ़ा था कि विनिवेश के लिए बजट अनुमान लगभग 3800 करोड़ के आसपास रखे गए थे किन्तु उन्हें इससे कोई पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। यह शून्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने समाचार–पत्र में यह वक्तव्य दिया है कि विनिवेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह देश की वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन में समस्या प्रधान क्षेत्र है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में उनके द्वारा किया गया सराहनीय कार्य, करों की वसूली में सुधार राजग सरकार द्वारा छोड़ी गई थाती, राजग सरकार द्वारा तैयार पारदर्शिता की वजह से है।

विनिवेश नीति मौजूद थी जिसके द्वारा उन्हें बहुत सी पूंजी प्राप्त हुई जिससे पीएमजीएसवाई और अन्य ग्रामीण पुनर्संरचना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सका।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि, जब वे उत्तर देंगे, पूंजीगत परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली धनराशि, यदि वे उन्हें विनिवेश करते हैं, देश के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, वंचित वर्गों के लिए, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए किया जाएगा। किन्तु मुझे नहीं लगता कि संप्रग सरकार ऐसा करने में सक्षम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विनिर्माण क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है; इसमें काफी वृद्धि की है; किन्तु खनन क्षेत्र इनके लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र ही है। आज, हमारे राज्य उड़ीसा में, जहां इस्पात संयंत्र के रूप में, दो एल्युमिनियम बाक्साइट परियोजनाओं – वेदांता परियोजना और इंडाल परियोजना के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निवेश आ रहा है – किन्तु वे खनन कानूनों और खान सुधारों की वजह से इस दिशा में आगे बढ़ पाने में असमर्थ हैं। यदि सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहती है, तो खनन सुधार लाने होंगे। अन्यथा इस क्षेत्र में अपेक्षित निष्पादन नहीं मिलेगा और यह बहुत कम होगा। इसमें सुधार लाना होगा अन्यथा इसके परिणामस्वरूप तथा धीरे–धीरे इसका असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा; उत्पादकों पर पड़ेगा; और इसके देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसके बारे में विचार स्पष्ट होने चाहिए।

कई बार व्यय के संबंध में यह देखा गया है कि गैर योजना व्यय को बजट अनुमान से 4.5 प्रतिशत अधिक दिखाया जाता है। इस मामले में राजस्व व्यय के लक्ष्य से 4 प्रतिशत अधिक हो गया। राजस्व व्यय 4 प्रतिशत क्यों बढ़ा? पूंजी व्यय एक प्रतिशत घटा क्योंकि सरकार के पास खर्च करने के लिए कोई पूंजी नहीं है। वित्तीय घाटा बजट अनुमान से 2.4 प्रतिशत आगे बढ़ गया परन्तु फिर भी जी डी पी में अनपेक्षित वृद्धि के मद्देनजर 3.8 प्रतिशत बजट अनुमान की तुलना में जी डी पी 3.7 प्रतिशत कम हो गया। जी डी पी में सुधार हुआ होगा क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के कारण होता है। परन्तु हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है जिसके लिए प्रावधान बहुत ही कम है। जी डी पी को 10 प्रतिशत पर बरकरार रखने के लिए हम कम से कम 4 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग के लिए यह कहा गया है कि औसत जी डी पी विकास दर 9 प्रतिशत होगी। परन्तु कृषि क्षेत्र अभी भी अलग और उपेक्षित पड़ा हुआ है। ऋण ढांचा भी काफी लचर है और उत्पादन कम होता जा रहा है। गेहूं खरीद का लक्ष्य कम हो गया है; और इस वर्ष चावल खरीद का लक्ष्य कम हो गया है। अतः पहली हरित क्रांति के दौरान हरित क्रांति की जो संकल्पना थी वह धीरे–धीरे खत्म हो रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यह 1 बिलियन तक पहुंच गई है। सरकार इस बढ़ती जनसंख्या को कैसे खिलाएगी? हमें हर बात सोच विचारकर करनी होगी ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उपभोक्ताओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है;

[श्री विक्रम केशरी देव]

उत्पादकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक वृद्धि की विद्यमान गति को बनाए रखने की भावी संभावनाओं को भी इससे खतरा है। संप्रग सरकार ने देश में सभी के लिए द्वार खोल दिए हैं इसमें एन आर आई द्वारा निवेश, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश तथा पिछड़ा क्षेत्र क्षेत्रीय कोष भी शामिल हैं। मैं के बी के क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में के बी के क्षेत्र का उल्लेख किया तथा के बी के क्षेत्र के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान भी दिया। परन्तु हमें अभी भी 130 करोड़ रुपए कम मिले हैं। जो आर्थिक विकास हमने करने का निर्णय लिया था उस तक हम नहीं पहुंच सकते। हमें 130 करोड़ रु. और चाहिए ताकि हमें के बी के क्षेत्र के आठों जिलों के लिए प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपया मिल सके। यह क्षेत्र विकास के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्र है और ऐसा उस समय से है जब श्री राजीव गांधी जी ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया था। हर प्रधानमंत्री ने हमारे जिले का दौरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने उड़ीसा का दौरा करने की कोशिश की परन्तु खराब मौसम था और हैलीकॉप्टर लैण्ड नहीं कर सका; वह आ नहीं सके। हम उनका स्वागत करने गए थे। परन्तु मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी कभी हमारे क्षेत्र का दौरा करेंगे।

कृपया यहां आकर जमीनी हकीकत देखें कि लोग यहां कैसे रह रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की दशा देखें, अन्य राज्यों के अन्य क्षेत्रों के मानदंडों की तुलना में उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। इस सब में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

अतः महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। परन्तु मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस सरकार की विनिवेश नीति पर उत्तर देंगे और सत्ताधारी गठबंधन, जिसके सहयोग से शासन कर रहे हैं द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, तथा ट्रेड यूनियनों तथा वाम दल के दबाव में भी नहीं आएंगे क्योंकि वे बिना मतलब बाधाएं डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अन्यथा आप पैसा कहां से लाते? इसके अतिरिक्त चूंकि सरकार को प्रत्यक्ष करों के रूप में अच्छा कर संग्रहण हुआ है, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय आयकर में और अधिक रियायतें देंगे तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए और ऊंची ब्याज दर की घोषणा करेंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से लोगों की दशा में सुधार आएगा।

धन्यवाद महोदय।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, वित्त विधेयक पर चर्चा 3 मई, 2007 को जारी रहेगी।

अब सभा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग–47 को चौड़ा करने के लिए अपनी भूमि देने वाले हजारों भू मालिक सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा न दिए जाने के कारण आत्महत्या करने के कगार पर हैं। महोदय, अंकामली से मनुथी तथा मनुथी से वलायर तक चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए तथा भू–मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग–17 के लिए भूमि लेने की प्रक्रिया 25 साल पहले शुरू हुई थी परन्तु अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की भू–अधिग्रहण प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए तथा राजमार्ग का विकास निर्धारित समय में होना चाहिए। सरकार द्वारा कई वर्ष पहले निर्धारित बहुत कम धनराशि भी भू–मालिकों को नहीं दी गई है। अतः वे कहीं और भूमि नहीं खरीद सकते।

महोदय, केरल में जमीन की कीमतें दस गुना बढ़ गई हैं। गरीब लोग एक छोटा मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं खरीद सकते। वह सड़क पर आ गए हैं। महोदय, केरल में जनसंख्या घनत्व तथा जमीन की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–47 को छः लेन का बनाने के प्रयास को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। महोदय, चलकुडी–माला रूट पर रोड ब्लॉक को चलाकुडी म्यूनिसिपल जंक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग–47 पर एक नया फ्लाईओवर बनाकर खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग–47 के विस्तार के कारण आम आदमी को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों तथा आवागमन में उनकी समस्याओं को केन्द्र द्वारा समय पर कदम उठाकर दूर किया जाना चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों को पूरा किए जाने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। स्वर्णिम चतुर्भुज, ईस्ट–वेस्ट तथा साऊथ–नॉर्थ कोरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग को इन सभी कार्यक्रमों को राजग सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कई बार समाचार पत्रों में भी इसके संबंध में प्रकाशित हुआ है।

22 अप्रैल, 2007 को चैन्नई से प्रकाशित 'द सन्डे एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार यह प्रकाशित किया गया कि औसत रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सभी 28 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं ये लगभग 28 माह पीछे हैं।

एन एच ए आई की 8 अप्रैल 2007 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार (क) आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजना तथा (ख) पश्चिम

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बंगाल तथा महाराष्ट्र में दो जी क्यू परियोजनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लक्ष्य में परिवर्तन करके यह कहा है कि 16 परियोजनाओं के अगले तीन माह में पूरा होने की आशा है परन्तु तीन माह की यह अवधि पिछले कुछ सालों से बार-बार तीन माह और बढ़ाई जाती रही है।

इन सारी बातों को उचित परिदृष्य में देखने के लिए मैं यह उल्लेख करूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की 28 परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाएं 2001-2002 में शुरू की गई थीं तथा इनमें से एक परियोजना 1999 में शुरू की गई थी। औसतन सभी परियोजनाएं पिछले साल अक्टूबर के अंत तक पूरी होनी थी परन्तु ये समय से 28 माह पीछे चल रही हैं।

राजग द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज ईस्ट-वेस्ट तथा साऊथ-नॉर्थ कोरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाएं राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित की जानी होती हैं परन्तु इनमें अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिससे राष्ट्र पर असहनीय बोझ बढ़ रहा है।

अतः, मैं संप्रग सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि जी क्यू तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि में ही पूरा किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में कौंच नगर में जो उप-डाकघर है, वह बहुत पुराना डाकघर है, उसकी बिल्डिंग बुरी तरीके से जर्जर हो गई हैं उसकी यह स्थिति है कि किसी भी समय उसका भवन टूट कर गिर सकता है।

क्षेत्र के हजारों लोग वहां टिकट लेने और कार्ड लेने के लिए आते हैं। वहां ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कब यह बिल्डिंग गिर जाए। पूर्व में भी इस बात को मैंने उठाया था। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे कौंच नगर का जो उप-डाकघर है, उसकी शीघ्र नई बिल्डिंग बनाई जाए, जिससे कोई दुर्घटना जो हो सकती है, उससे हमारे क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 3 मई, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 5.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 3 मई, 2007/13 वैशाख,1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री निखिल कुमार	381
	श्री अधीर चौधरी	
2.	श्री हितेन बर्मन	382
3.	श्री विजय कुमार खंडेलवाल	383
	श्री कैलाश मेघवाल	
4.	श्री रायापति सांबासिवा राव	384
	श्री गणेश सिंह	
5.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	385
	श्री श्रीचन्द कृपलानी	
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	386
	श्री काशीराम राणा	
7.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	387
	श्री सुग्रीव सिंह	
8.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	388
	श्री कीरेन रिजीजू	
9.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	389
10.	श्री एल. राजगोपाल	390
	श्री अनन्त नायक	
11.	श्रीमती पी. सतीदेवी	391
12.	डा. सत्यनारायण जटिया	392
	श्री चंद्रकांत खैरे	
13.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	393
14.	श्री रामजी लाल सुमन	394
	डा. चिन्ता मोहन	
15.	श्री मोहन रावले	395
16.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	396
	श्री ए. साईं प्रताप	
17.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	397
18.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	398
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	
19.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	399
	श्री पन्नियन रवीन्द्रन	
20.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	400

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	आचार्य, श्री बसुदेव	3763
2	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3795, 3799, 3830, 3842, 3862
3	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3753, 3803, 3838
4	अहीर, श्री हंसराज ग.	3775, 3786, 3879, 3895, 3896
5	अप्पादुरई, श्री एम.	3772, 3775
6	अर्गल, श्री अशोक	3758, 3815, 3872
7	आठवले, श्री रामदास	3785, 3815, 3872
8	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	3831
9	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3822, 3858, 3880
10	बर्मन, श्री हितेन	3828
11	बर्मन, श्री रनेन	3757
12	बसु, श्री अनिल	3793
13	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3760, 3818
14	भगोरा, श्री महावीर	3748, 3813, 3865, 3881, 3888
15	भक्त, श्री मनोरंजन	3789, 3863
16	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3883
17	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3754
18	बोस, श्री सुब्रत	3759
19	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3775, 3778
20	चक्रवर्ती, श्री अजय	3797, 3836, 3845, 3870
21	चन्द्र कुमार, प्रो.	3794
22	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3835, 3864
23	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3803
24	चिन्ता मोहन, डा.	3834
25	चौधरी, श्री अधीर	3843, 3898
26	देवरा, श्री मिलिन्द	3747, 3825, 3859, 3877, 3885
27	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3786, 3840, 3868, 3883, 3892
28	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	3895
29	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3762
30	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3775, 3784, 3808, 3862
31	गेहलोत, श्री धावरचन्द	3746, 3850
32	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	3833, 3863
33	हुसैन, श्री अनवर	3776

1	2	3
34	जगन्नाथ, डा. एम.	3780
35.	झा, श्री रघुनाथ	3807
36	जिन्दल, श्री नवीन	3751, 3810
37	कनोडीया, श्री महेश	3804
38	करूणाकरन, श्री पी.	3779, 3836
39	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3804
40	खैरे, श्री चंद्रकांत	3776, 3777, 3849, 3899
41	खां, श्री सुनील	3767
42	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3829, 3861
43	खारवेनथन, श्री एस.के.	3763, 3775, 3819, 3834
44	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3749
45	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3895
46	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3834
47	महतो, श्री नरहरि	3744, 3812, 3856, 3870
48	महताब, श्री भर्तृहरि	3796, 3844, 3875
49	माझी, श्री परसुराम	3766, 3824
50	माने, श्रीमती निवेदिता	3775, 3784, 3808, 3862
51	मसूद, श्री रशीद	3806, 3854, 3874
52	मेघवाल, श्री कैलाश	3798, 3830, 3846, 3899
53	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3768, 3847, 3871
54	मो. ताहिर, श्री	3775, 3800, 3826
55	मंडल, श्री अबु अयीश	3775, 3785, 3798
56	मुर्मू, श्री हेमलाल	3775, 3791
57	नायक, श्री अनन्त	3827, 3866, 3884, 3891
58	ओराम, श्री जुएल	3774, 3782
59	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3801, 3851
60	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3764, 3775, 3842
61	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3750, 3777, 3809, 3879
62	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3886
63	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3883
64	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3774, 3802, 3894, 3898, 3901
65	पाठक, श्री ब्रजेश	3826
66	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3750, 3809, 3869
67	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3787
68	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3775, 3800
69	पिंगले, श्री देविदास	3745, 3775, 3800, 3826
70	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3790, 3838, 3883
71	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3771
72	राव, श्री के.एस.	3788, 3841, 3845
73	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3761, 3820
74	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3835, 3852, 3873
75	रावले, श्री मोहन	3832
76	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3743, 3811, 3855, 3878, 3890
77	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3752, 3834
78	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3897
79	सरोज, श्री तूफानी	3769
80	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3773, 3834
81	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3775, 3971
82	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	3795, 3799, 3830, 3842, 3900
83	शिवन्ना, श्री एम.	3765, 3814
84	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3750, 3809, 3869
85	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3755, 3814
86	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3823
87	सिंह, श्री दुष्यंत	3775, 3805, 3853, 3883
88	सिंह, श्री गणेश	3816, 3860
89	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3775, 3784, 3862
90	सिंह, श्री राकेश	3783
91	सिंह, श्री सुग्रीव	3817, 3857, 3876, 3887
92	सिंह, श्री उदय	3792, 3898
93	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	3883
94	सुब्बा, श्री एम. के.	3756
95	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3804, 3888
96	थामस, श्री पी.सी.	3770, 3848
97	तुम्मर, श्री वी.के.	3781, 3893
98	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3750, 3777, 3809, 3879
99	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3775, 3894
100	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3781, 3837
101	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3830, 3862, 3879, 3886
102	यादव, श्री गिरिधारी	3790, 3837
103	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3775, 3800, 3826

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि		395, 397, 399, 400
रसायन और उर्वरक		389, 390
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		386, 392, 394, 396, 398
पर्यावरण और वन		381, 388, 391, 393
श्रम और रोजगार		383, 387
इस्पात		
जल संसाधन	:	382, 384, 385

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	3743, 3745, 3748, 3753, 3754, 3762, 3764, 3765, 3769, 3770, 3775, 3780, 3781, 3787, 3794, 3801, 3802, 3805, 3808, 3813, 3814, 3817, 3824, 3825, 3833, 3835, 3840, 3848, 3852, 3857, 3858, 3860, 3863, 3864, 3865, 3867, 3873, 3876, 3881, 3882, 3883, 3884, 3888, 3890, 3893: 3895, 3896, 3897, 3899
रसायन और उर्वरक	3759, 3767, 3774, 3792, 3820, 3828, 3841, 3842, 3853, 3891, 3898
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	3744, 3746, 3750, 3751, 3763, 3771, 3778, 3779, 3788, 3789, 3790, 3791, 3793, 3796, 3809, 3821, 3834, 3838, 3849, 3851, 3868, 3869, 3875, 3879
पर्यावरण और वन	3747, 3749, 3766, 3768, 3776, 3777, 3782, 3783, 3784, 3786, 3796, 3799, 3800, 3803, 3804, 3811, 3815, 3816, 3822, 3829, 3831, 3844, 3846, 3854, 3855, 3859, 3861, 3862, 3871, 3872, 3877, 3880, 3885, 3886, 3894, 3900, 3901
श्रम और रोजगार	3755, 3760, 3772, 3785, 3812, 3818, 3819, 3826, 3832, 3836, 3837, 3843, 3845, 3850, 3870, 3878, 3887, 3892
इस्पात	3795, 3806, 3827, 3830, 3839, 3856, 3874
जल संसाधन	3752, 3756, 3757, 3758, 3761, 3773, 3797, 3807, 3810, 3823, 3847, 3866, 3889

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सन्सलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।